समकालीन
भारत

आवरण

1. अत्यधिक नक्काशीपूर्ण यवनिका, आमेर का किला, जयपुर

2. गुजरात में दूध इकट्ठा करने के लिए एकत्रित महिलाएं

3. थेराअट्टम नृत्य, मालाबार, केरल

4. चरखा चलाती हुई एक ग्रामीण महिला

5. गोलकुंडा किला, हैदराबाद का एक दृश्य

6. छऊ नृत्य, उड़ीसा

समकालीन भारत

कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक

बृज मोहन पांडे
जे.पी. सिंह
संजय दुबे
नीरजा रश्मि
एम.वी. श्रीनिवासन

नलिनी पंत

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
अप्रैल 2003
वैशाख 1925

ISBN : 81-7450-150-9

PD 220T + 130T SC

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली 110 016	108, 100 फीट रोड, होस्डेकेरे हेली एक्सटेंशन बनाशंकरी III इस्टेज बैंगलूर 560 085	नवजीवन ट्रस्ट भवन डाकघर नवजीवन अहमदाबाद 380 014	सी.डब्लू.सी. कैंपस निकट : धनकल बस स्टॉप पनिहटी, कोलकाता 700 114

प्रकाशन सहयोग

संपादन : शशि चड्ढा
उत्पादन : अरुण चितकारा

आवरण एवं साज-सज्जा
कल्याण बैनर्जी

रु. 55.00

(एन.सी.ई.आर.टी. वाटर मार्क 70 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।)

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा एस.पी.ए. प्रिंटर्स (प्रा.) लि., बी-17/3, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-II, नई दिल्ली 110020 द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

विद्यालय स्तरीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2000, सामाजिक विज्ञान को विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक मानती है। सामाजिक विज्ञान शिक्षार्थियों को आवश्यक कौशल के साथ सुविज्ञ और उत्तरदायी नागरिक बनाने में सहायता करता है, ताकि वे राष्ट्र के निर्माण और विकास की प्रक्रिया में प्रभावशाली ढंग से भाग ले सकें। दसवीं कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान की 'समकालीन भारत' नामक यह पुस्तक, माध्यमिक स्तर की शृंखला में दूसरी पुस्तक है। प्रस्तुत पुस्तक में भी पूर्व पुस्तक की भांति इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र और समाजशास्त्र से ही विषय- सामग्री एकत्र की गई है। ये सभी मिलकर मानव समाज को स्थान और समय के संदर्भ में अध्ययन करने के विभिन्न पहलू प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षार्थियों को समकालीन समाज को समझने में बेहतर सहायता मिलती है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण को अर्थपूर्ण एवं प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान समकालीन विश्व की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। यह पुस्तक तीन इकाइयों में विभाजित है- भारत की विरासत, संसाधन और उनका विकास तथा आर्थिक और सामाजिक विकास।

इकाई I : भारत की विरासत, विरासत का अर्थ स्पष्ट करती है तथा प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का वर्णन करते हुए इसके संरक्षण के उपाय सुझाती है। यह शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विरासत को समझने एवं उसके संरक्षण के उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।

इकाई II : संसाधन और उनका विकास, संसाधनों के प्रकार एवं इनका अर्थ स्पष्ट करते हुए, भारत के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन करती है तथा अंत में शिक्षार्थियों को कृषि एवं औद्योगिक विकास तथा परिवहन और संचार के साधनों की ओर आकृष्ट करती है। यह इकाई शिक्षार्थियों को संसाधनों की सम्पन्नता का बोध कराती है और इनके संरक्षण तथा समुचित उपयोग के उपाय सुझाती है।

इकाई III : आर्थिक और सामाजिक विकास, भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के स्वरूप का अध्ययन करती है और उनसे संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का वर्णन करती है। यह इकाई शिक्षार्थियों को देश की आर्थिक और सामाजिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली को समझने में सहायता करती है तथा विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों से अवगत कराती है।

प्रत्येक इकाई को अध्यायों में और प्रत्येक अध्याय को खंडों और उप-खंडों में विभाजित किया गया है। अवधारणाओं तथा उप-अवधारणाओं को सुस्पष्ट करने के लिए मानचित्रों, आरेखों, रेखाकृतियों, सारणियों तथा छायाचित्रों का समावेश किया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न एवं परियोजना कार्य दिए गए हैं। कुछ अतिरिक्त जानकारी को अलग से बॉक्सों में दिया गया है। प्रश्नपत्र निर्माताओं से अपेक्षा है कि वे इन अतिरिक्त सूचनाओं पर आधारित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछेंगे।

आशा है कि यह पुस्तक शिक्षार्थियों को उत्तरदायी नागरिक बनाने में सहायता करेगी तथा देश के निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया में प्रभावी योगदान देने योग्य बनाएगी।

पुस्तक विकास से जुड़े विषय विशेषज्ञों, कार्यरत अध्यापकों एवं संकाय के सदस्यों द्वारा इस पुस्तक की समीक्षा एवं पुनरीक्षण किया गया है। रा.शै.अ.प्र.प. पुस्तक तैयार करने के विभिन्न स्तरों पर उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करती है। परिषद् मानचित्रों, आरेखों और रेखाचित्रों के लिए भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त और भारत के इतिहास से संबंधित रंगीन

छायाचित्रों के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक के प्रति भी आभार प्रकट करती है।

विश्वास है कि यह पुस्तक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

पाठ्यचर्या विकास एक सतत प्रक्रिया है। पुस्तक के संवर्धन हेतु पाठकों के अभिमत एवं सुझावों का स्वागत है।

जगमोहन सिंह राजपूत
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

फरवरी, 2003
नई दिल्ली

नलिनी पंत (संपादक)
पूर्व प्रोफ़ेसर
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी

बी.एस. पारख
पूर्व प्रोफ़ेसर
राधा प्रिया टेरेस, कार्वे नगर, पुणे

पी.एस. खरे
पूर्व प्राचार्य
अग्रेसन इंटर कॉलेज, इलाहाबाद

रमेश चंद्र
पूर्व प्रवाचक
सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग
रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली

यशपाल सिंह
पूर्व उप-प्राचार्य
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली

वीणा व्यास
पी.जी.टी.
प्रायोजिक विद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल

आर.एस. पसरीचा (अनुवादक)
प्रबंधक
डी.ए.वी. मॉडल स्कूल, युसुफ सराय
नई दिल्ली

मदन लाल साहनी (अनुवादक)
प्रवक्ता
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली

बी.एम. पांडे
पूर्व निदेशक
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली

एस.एस. रस्तोगी
पूर्व प्राचार्य
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
सी.सी. कॉलोनी, दिल्ली

डी.एस. यादव (अनुवादक)
पूर्व प्राचार्य
जैन संस्कृत कर्मशियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय
कूचा सेठ, दिल्ली

बी.एल. गुप्ता
उप-प्राचार्य
राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय
शास्त्री नगर, दिल्ली

सबिता प्राणिग्रही
पी.जी.टी.
डिमान्स्ट्रेशन स्कूल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

मंजिस्ठा बोस
पूर्व शिक्षिका
स्प्रिंगडेल स्कूल, धौला कुंआ, नई दिल्ली

जगदीश भारतीय
पूर्व उप-प्राचार्य
ए.एस.वी.जे. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दरियागंज, दिल्ली

एस.एम. शर्मा
पूर्व प्राचार्य
एस.आर.एस.डी. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, लाजपत नगर
नई दिल्ली

विजया लक्ष्मी
पी.जी.टी.
ग्रीन फिल्ड्स स्कूल, सफ़दरजंग इन्क्लेव, नई दिल्ली

संतोष कुमार भटनागर (अनुवादक)
पूर्व उपनिदेशक
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली

सुनीता सैनी
पी.जी.टी.
राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय
ए-ब्लाक, सरस्वती विहार, नई दिल्ली

शिव प्रकाश
पूर्व प्रवक्ता
पटपड़ रोड, शकरपुर, दिल्ली

मंजु अग्रवाल
प्रवाचक, शिक्षा विभाग
केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

शोभना सैम्युअल
पी.जी.टी.
डिमांशट्रेशन स्कूल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल

बालाराम परमार
पी.जी.टी.
केंद्रीय विद्यालय, बैरागढ़, भोपाल

एन.सी.ई.आर.टी. के सदस्य
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
सविता सिन्हा, *प्रोफ़ेसर*
नीरजा रश्मि, *प्रवाचक*
संजय दुबे, *प्रवाचक*
सुप्ता दास, *सलेक्शन ग्रेड प्रवक्ता*
बी.के. बनर्जी, *प्रवाचक*
प्रत्यूष कुमार मंडल, रीडर
थेमिचोन वोलेंग, *प्रवक्ता*
एम.वी. श्रीनिवासन, *प्रवक्ता*
सीमा शुक्ला, *प्रवक्ता*
जे.पी. सिंह, प्रोफ़ेसर, **(संयोजक)**

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्त्तव्य

अनुच्छेद 51क

मूल कर्त्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह -

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे,

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे,

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे,

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे,

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों,

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे,

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे,

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे,

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके।

विषय-सूची

इकाई तीन
आर्थिक और सामाजिक विकास

गांधी जी का जन्तर

तुम्हें एक जन्तर देता हूं। जब भी तुम्हें सन्देह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओ :

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा ? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है ?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।

भारत
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2001
अंतर्राष्ट्रीय सीमा
राज्य/के.शा.प्र. सीमा
किलोमीटर
जम्मू और कश्मीर
श्रीनगर
हिमाचल प्रदेश
शिमला
पंजाब
चंडीगढ़
देहरादून
उत्तरांचल
हरियाणा
दिल्ली
नई दिल्ली
पाकिस्तान
चीन
तिब्बत
नेपाल
भूटान
अरुणाचल प्रदेश
ईटानगर
असम
दिसपुर
मेघालय
शिलांग
नागालैंड
कोहिमा
इंफाल
मणिपुर
बांग्लादेश
अगरतला
त्रिपुरा
आइजोल
मिजोरम
म्यांमार
(बर्मा)
राजस्थान
जयपुर
उत्तर प्रदेश
लखनऊ
बिहार
पटना
झारखंड
रांची
पश्चिम बंगाल
कोलकाता
गांधीनगर
गुजरात
भोपाल
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
रायपुर
उड़ीसा
भुवनेश्वर
न्यू मूर
(भारत)
दमन और दीव
दमन
दादरा और नगर हवेली
सिलवासा
महाराष्ट्र
मुंबई
अरब सागर
हैदराबाद
पणजी
गोवा
कर्नाटक
आंध्रप्रदेश
बंगलौर
चेन्नई
लक्षद्वीप सागर
लक्षद्वीप
(भारत)
केरल
तमिलनाडु
तिरुवनन्तपुरम
श्री लंका
हिंद
महासागर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
अंडमान सागर
इंदिरा प्वाइंट

इकाई एक

भारत की विरासत

अध्याय एक

प्राकृतिक विरासत

भारत की प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत समृद्ध और विविध है। इसका कारण है कि भारत एक विशाल देश है और अनेक प्रकार की भौतिक और भौगोलिक विशेषताओं के कारण इसकी सुपरिभाषित भौगोलिक सत्ता है। इसका इतिहास हज़ारों वर्ष पुराना है। यह प्राचीन काल से ही लोगों के परस्पर आदान-प्रदान से उत्पन्न हुए विभिन्न परिवर्तनों का साक्षी रहा है और अन्य लोगों के अनुभवों से प्रभावित होता रहा है, जो कभी यहां विजेता के रूप में आए थे और बाद में यहीं रच-बस गए। भूगोल और प्राकृतिक पर्यावरण ने भारत के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

'विरासत' वह है जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। यह हमारे चारों ओर विद्यमान है। यह प्राकृतिक अथवा निर्मित है अथवा इतिहास के साथ विकसित हुई है। विरासत एक ओर किसी स्थान, क्षेत्र अथवा देश तो दूसरी ओर एक परिवार, समुदाय और लोगों की विशिष्टता तथा पहचान है। विरासत को मुख्य रूप से प्राकृतिक और सांस्कृतिक वर्गों में बांटा जा सकता है।

प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत

प्राकृतिक विरासत में प्राकृतिक विशिष्टताएं जैसे पर्वत, वन, मरुस्थल, झीलें, नदियां, समुद्र, मौसम, पेड़-पौधे तथा जीव-जंतु सम्मिलित होते हैं। सांस्कृतिक विरासत मनुष्य की अपनी योग्यता, कौशल और कलात्मक प्रतिभा के बल पर की गई रचना है। यह विभिन्न धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का सम्मिलित परिणाम हो सकती है। इसलिए सांस्कृतिक विरासत के दो वर्ग हैं :

(i) मूर्त सांस्कृतिक (पुरातात्त्विक) विरासत और
(ii) अमूर्त सांस्कृतिक (जीवंत) विरासत।

मूर्त विरासत अथवा निर्मित विरासत में भौतिक वस्तुएं, पदार्थ और निश्चित आकार सम्मिलित हैं। अमूर्त विरासत में विचारों से लेकर परंपराओं तक, रहन-सहन के ढंग, व्यवहार इत्यादि सम्मिलित हैं। ऐसी ही निरंतर चलने वाली परंपराओं से अमूर्त विरासत बनती है जो एक देश अथवा वहां के लोगों के व्यक्तित्व और पहचान का प्रतिनिधित्व करती हैं।

प्राकृतिक विरासत

भारत, भौगोलिक और पर्यावरण की विशेषताओं के अनेकानेक रंगों को प्रस्तुत करता है। इसमें ऊंचे पर्वत और पहाड़ हैं, लंबी और छोटी नदियां हैं, नाले और सरिताएं हैं, विशाल उपजाऊ मैदान और नदी-घाटियां हैं, घने जंगल, मरुस्थल और लंबे समुद्रतट हैं। इस भू-दृश्य में विभिन्न प्रकार के

मृदा, शैल, खनिज, पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं। जलवायु में भी परिवर्तन, जो कभी सामान्य, कभी अति ग्रीष्म या अति शीत होती है। यहां शुष्क क्षेत्रों से लेकर भारी वर्षा वाले क्षेत्र तक देखे जा सकते हैं। इन सभी प्राकृतिक विशेषताओं ने हमारे देश की अद्‌वितीय सांस्कृतिक परंपराओं और विरासत के निर्माण को प्रभावित किया है। यह अद्‌वितीयता प्रकृति, पर्यावरण और लोगों के बीच निकट संबंधों का परिणाम है।

नदियों, पर्वतों, वृक्षों, पशुओं और प्रकृति की शक्तियों को मानव अथवा दैवी रूप देना हमारी परंपरा का एक भाग रहा है। गंगा और यमुना जैसी नदियों को मंदिरों में मानव आकृतियों के रूप में रखा और पूजा जाता है। पीपल, बरगद और तुलसी जैसे वृक्षों और पौधों को पावन माना जाता है और आदर दिया जाता है। कुछ समुदायों के लोग जैसे हरियाणा और राजस्थान के बिश्नोई, खेजड़ी वृक्ष और काले हिरण की रक्षा करते हैं। कुछ पक्षियों और पशुओं को देवी-देवताओं का वाहन माना जाता है, इसलिए उनके साथ श्रद्‌धापूर्वक व्यवहार किया जाता है। पर्वत, नदियां, वृक्ष, पशु और पक्षी हमारी लोक-कथाओं, पौराणिक कथाओं तथा कला के अंग रहे हैं। पंचतंत्र की प्रसिद्‌ध कहानियों, *शुकनासोपदेश* जो *किस्सा तोता-मैना* के रूप में लोकप्रिय हैं या बौद्‌ध धर्म की जातक कथाओं में पशु और पक्षी मुख्य अथवा अति महत्त्वपूर्ण चरित्र हैं। हमारे देश के सभी स्थानों की लोक-कथाओं में पशु-पक्षियों का उपयोग विषयवस्तु के अर्थ और विचार को स्पष्ट करने के लिए किया गया है।

हमारे शास्त्रीय और लोकसंगीत में प्रकृति और ऋतुओं के साथ गहरे संबंध देखे जा सकते हैं। कुछ शास्त्रीय राग ऋतुओं अथवा दिन के विभिन्न प्रहरों पर आधारित हैं। संगीत की विधाएं जैसे, फाग, कजरी, चैती इत्यादि निश्चित रूप से ऋतुओं से संबंधित हैं। गीतों, कविताओं, त्योहारों और चित्रांकन में प्रकृति और ऋतुचक्र, विषयवस्तु के रूप में प्रयुक्त होते हैं। *बारहमासा* चित्रमाला, ऋतुचक्र को दर्शाने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। हमारी चिकित्सकीय पद्‌धतियां जैसे आयुर्वेद, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा पूर्णत: प्रकृति पर ही निर्भर करती है। इसलिए सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत के घनिष्ठ संबंधों को समझने की आवश्यकता है।

भूमि और नदियां : हमने भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में पहले पढ़ा है। तीन मुख्य भौगोलिक प्रदेशों - हिमालय, गंगा-यमुना के मैदानी भाग तथा प्रायद्‌वीपीय क्षेत्र का सार आगामी पृष्ठों में दिया गया है।

महान हिमालय में विश्व के ऊचें पर्वतों की श्रृंखला है। उत्तर भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण नदी सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम तथा गंगा व उसकी सहायक नदियां, जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी और ब्रह्मपुत्र उत्तरी पर्वतों से निकलती हैं (चित्र 1.1)।

किसी समय सरस्वती एक विशाल नदी हुआ करती थी। हिमालय में विवर्तनिक परिवर्तनों तथा इसकी सहायक नदियों के स्थान परिवर्तन के कारण, यह नदी आज सूख गई है। अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी राजस्थान को भारत के बड़े रेगिस्तान, थार से अलग करती है। विध्यांचल की शाखाएं प्रायद्‌वीपीय भारत में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई हैं। नर्मदा अमरकंटक में एक सोते से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई, गुजरात में भरूच के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है। भरुच को प्राचीन काल में भरुकच्छ अथवा भृगुकच्छ के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में यह नगर एक प्रसिद्‌ध बंदरगाह था और रोमन ग्रंथों में इसका उल्लेख बैरीगाज़ा के नाम से है। गंगा और यमुना की भांति नर्मदा भी हमारी परंपराओं और पुरातात्त्विक संस्कृति से घनिष्टता से जुड़ी हुई है। सतपुड़ा की पहाड़ियां, जिनके उत्तर में महादेव और दक्षिण में गाविलगढ़ की पहाड़ियां हैं तो पूर्व में मैकाल श्रृंखला, रामगढ़ और गढ़जत पहाड़ियां, अन्य महत्त्वपूर्ण पर्वत हैं। तापी नदी, सतपुड़ा और गाविलगढ़ पहाड़ियों के मध्य से निकलती है और गुजरात में सूरत के निकट समुद्र में गिरती है।

प्रायद्‌वीप के उत्तरी भाग में पूर्व की ओर स्वर्णरेखा तथा महानदी और पश्चिमी तट पर साबरमती तथा माही, अन्य महत्त्वपूर्ण नदियां हैं।

पश्चिमी घाट अर्थात सह्याद्रि पश्चिमी तट के समान्तर तापी के मुहाने से लगभग कन्याकुमारी तक फैला है। हरीशचंद्र, अजंता, महादेव श्रृंखलाएं, नीलगिरि, पलनी और कार्डामम पहाड़ियां, पश्चिमी घाट के भाग हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वेगई मुख्य हैं। हमारे इतिहास के विकास के दौरान इन नदियों ने बड़े शहरों और कस्बों का पोषण किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हंपी, तुंगभद्रा के तट पर, नागार्जुनकोंडा, कृष्णा नदी के तट पर और विशाल बंदरगाह, कावेरीपत्तनम

चित्र 1.1 *भारत, प्रमुख नदियां*

कावेरी के तट पर थे। पूर्वी घाट की पहाड़ियां एक-दूसरे से संलग्न नहीं हैं। उनमें से कुछ हैं पचैमली, शेवाराय, जावडी और नल्लमलै पहाड़ियां।

उत्तर-पूर्व में गारो, खासी, जैंतिया, मिज़ो, मणिपुर और नागा, कुछ महत्त्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। बराक, इस क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण नदी है। ये पहाड़ियां और नदियां न केवल हमारे देश की सामान्य प्राकृतिक विशेषताएं हैं अपितु हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के महत्त्वपूर्ण अंग भी हैं। वास्तव में हमारे देश की अद्‌वितीय विशेषता है कि यहां की संस्कृति प्रकृति के साथ घनिष्टता से जुड़ी हुई है। इसलिए हमारे विचार और व्यवहार में प्रकृति की रक्षा अति महत्त्वपूर्ण है।

भारत के कुछ विशेष वृक्ष

हमारे पेड़-पौधों में कुछ प्रसिद्‌ध विशेष वृक्ष आम, नीम, पीपल, बरगद, साल, अर्जुन, अमलतास, अशोक, सागवान, शीशम, इमली, महुआ, चंदन, कदंब, चंपा, खेजड़ी, शिरीष, गुलमोहर, पलाश, सेमल, आंवला, ताड़, बांस, बबूल, देवदार, शाहबलूत, भोजवृक्ष, बुरुश, नारियल, बेल, इत्यादि हैं। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं ?

पौधे और जीव-जंतु : भौतिक पर्यावरण और जलवायु की विभिन्नता ने भारत को पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं के लिए एक आदर्श स्थल बना दिया है। भारत की अनोखी जलवायु और भू-दृश्य, प्रत्येक क्षेत्र में विशेष प्रकार के पशुओं और पौधों के जीवन के लिए सहायक हैं। हमारे देश में एक ओर पश्चिमी घाट तथा उत्तर-पूर्वी भारत की पहाड़ियों में आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, तो दूसरी ओर मध्य भारत में शुष्क उष्णकटिबंधीय जंगल। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट की ऊंची-ऊंची पहाड़ियों में विशेष प्रकार के वृक्ष और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। राजस्थान का मरुस्थल और इससे संलग्न क्षेत्र, अपने प्रकार के झाड़-झंखाड़ तथा छितराए हुए वृक्षों के साथ उतने ही आकर्षक हैं।

फूलदार पौधों तथा झाड़ियों के भी अनेक प्रकार हैं। हमारे देश में छोटे पौधे जैसे तुलसी, हल्दी और मसालों तथा दवाइयों वाले पौधों की पूरी श्रेणी, यहां की विशेषता है। ये वृक्ष और पौधे चिकित्सकीय और रोगनाशक गुणों के अतिरिक्त लकड़ी और ईंधन का समृद्‌ध स्रोत रहे हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

पौधे, हमारे लोकजीवन और परंपराओं के अंग रहे हैं और साहित्य तथा कलाओं में प्रमुखता से इनकी झलक मिलती है।

केरल की शांत घाटी

असम का घना जंगल

हमारे यहां वृक्ष पूजन की भी परंपरा है और कुछ समुदायों जैसे संथाल और गोंड की पहचान कुछ विशेष पौधों तथा वृक्षों से जुड़ी है।

देश में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वासों ने पक्षियों, सरीसृपों और स्तनधारियों के रूप में अनेक प्रकार के जीव-जंतुओं को आश्रय दिया है। भारत की अद्‌वितीय जलवायु और इसका भू-दृश्य, प्रत्येक क्षेत्र में विशेष प्रकार के पशुओं को जीवन प्रदान करता है। सरीसृपों, मछलियों, पशुओं और पक्षियों की असंख्य प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। जीव-जंतु वर्ग में पक्षी, दर्शनीय और सुंदर हैं जो

कुछ विशेष भारतीय पक्षी

मैना, कोयल, तोता, बया, दर्जिन चिड़िया, कठफोड़वा, तीतर, बटेर, धनेश (हार्नबिल), सोहन चिड़िया, बुलबुल, शक्करखोरा, गौरैया, साताई, सारस, फ्लावर पेकर, किंगफिशर, समुद्री चिड़िया, जलपक्षी, राजहंस, बगुला, उल्लू और मोर हमारे देश के कुछ प्रमुख पक्षी हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।

हमारा राष्ट्रीय पक्षी, मोर

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम

सरलता से दिखाई देते हैं। भारत में प्रत्येक प्राकृतिक वास उत्कृष्ट और रंगारंग रूपों में जीवंत है।

स्तनधारियों में हाथी, गेंडा, जंगली सांड, रीछ, शेर, बाघ, चीता, हिरण, चीतल, सांभर, बारहसिंघा, काला हिरण, हंगुल, गौर, नील गाय, लकड़बग्घा, गीदड़, भैंसे, गिलहरी और वानरों में जैसे लंगूर, बंदर और छोटी पूंछ का बंदर हमारे देश के जंगली जीवों के कुछ उदाहरण हैं। भारत सांपों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हमारे देश में 200 से अधिक प्रकार के सांप पाए गए हैं। धामन (सांप) से लेकर घातक सांप, वाइपर, करैत और फनियर सांप से लेकर विशालकाय और लंबे अजगर और सर्प, ऊंचाई वाले क्षेत्र को छोड़ कर शेष देश में प्राय: सब जगह पाए जाते हैं। भारत की प्राकृतिक विरासत के प्रतीक घड़ियाल और मगरमच्छ भी यहां पाए जाते हैं। वन्य जीवन का वृत्तांत विभिन्न प्रकार की अनेक सुंदर तितलियों के वर्णन के बिना अधूरा है।

हमारी प्राकृतिक विरासत भले ही यह भूमि हो या समुद्र, अंडमान और निकोबार या लक्षद्वीप में प्रवाल की शैलभित्तियां हों, घने बरसाती जंगल हों या राजस्थान का मरुस्थल, पर्वत हों या नदियां, वनस्पति हों या पशु, सभी को, समुचित विकास योजना के अभाव तथा निरंतर दुरुपयोग के कारण खतरा है जिनके फलस्वरूप इनकी क्षति हुई है। प्राकृतिक विरासत के विनाश और पशु-पक्षियों के बेरोक-टोक मारे जाने के कारण इनमें से कुछ प्रजातियां लुप्त हो गईं हैं अथवा लुप्त होने के कगार पर हैं। अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में हमने 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य जीव अभयारण्य और 13 जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। इनमें से प्रत्येक एक-दूसरे से अद्वितीय हैं। वन्य जीवन संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्रों के विषय में हम बाद में पढ़ेंगे।

अभ्यास

1. निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) विरासत से क्या अभिप्राय है ?
   (ii) प्राकृतिक विरासत के तीन अंगों के नाम लिखिए।
   (iii) संगीत की ऐसी तीन विधाएं लिखिए जो मुख्यतया ऋतुओं से जुड़ी हैं।
   (iv) ऐसी दो नदियों के नाम लिखिए, जिनकी मानव आकृति के रूप में पूजा की जाती है।
   (v) भारत के पांच विशिष्ट वृक्षों के नाम लिखिए।
   (vi) ऐसे तीन वृक्षों के नाम लिखिए जिनको पवित्र माना जाता है तथा उनकी पूजा की जाती है।
   (vii) पश्चिमी घाट से निकलने वाली दो नदियों के नाम बताइए।
   (viii) प्राचीन काल में भरूच का नाम क्या था ?
2. हमें अपनी प्राकृतिक विरासत को क्यों संरक्षित रखना चाहिए ?
3. हमारी विरासत के निर्माण में प्रकृति की भूमिका का वर्णन कीजिए।
4. अंतर स्पष्ट कीजिए :
   (i) प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत
   (ii) मूर्त विरासत और अमूर्त विरासत

परियोजना कार्य

- (क) विभिन्न प्रदेशों में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बनाइए।

  (ख) भारत के रेखा-मानचित्र में दस राष्ट्रीय उद्यानों को दर्शाइए।
- भारत के रेखा-मानचित्र में निम्नलिखित नदियों और पर्वतों को दर्शाइए और उनके नाम लिखिए।
  (i) गंगा, ब्रहमपुत्र, कावेरी, गोदावरी
  (ii) हिमालय, गारो-खासी-जैंतिया और सतपुड़ा के पहाड़।

  उपर्युक्त नदियों के तट पर बसे दो-दो नगरों की स्थिति दिखाइए तथा उनके नाम लिखिए।

  किन्हीं दो नदियों का ऐतिहासिक महत्त्व लिखिए।

अध्याय दो

पुरातात्त्विक विरासत

भारत की सांस्कृतिक विरासत अद्वितीय है। एक विस्तृत भू-भाग पर फैले होने तथा अनवरत लंबे इतिहास के कारण हमारी सांस्कृतिक विरासत के स्वरूप और प्रकार में अनंत विविधताएं हैं। यहां की विभिन्न पूजापद्धतियों, आस्थाओं और रीतियों ने हमारे देश की सामासिक संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। यहां विभिन्न प्रकार की परंपराएं और जीवनशैलियां हैं, जिनसे हमारी जीवंत विरासत का निर्माण होता है। अत: एक ओर पूरे देश में फैले भिन्न-भिन्न कालों से संबंधित पुरातात्त्विक स्मारक, स्थल और अवशेष हैं तो दूसरी ओर कला, हस्तकला, भाषा, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और तकनीक की जीवंत परंपराएं हैं। इनके साथ ही तीर्थों, पवित्र स्थानों, दरगाहों की तीर्थयात्राओं तथा नगरों, नदियों और पर्वतों की परिक्रमाओं को जोड़ा जा सकता है। इन परंपराओं ने विचारों तथा मान्यताओं को देश के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाया है तथा ये सांस्कृतिक सम्मिलन के एकीकरण में उत्प्रेरक रही हैं। इन सबसे हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक सुंदर रंगीन चित्र बनता है, जिसके प्रत्येक रंग की अपनी एक अनूठी छटा है और फिर भी ये एक-दूसरे के साथ संबद्ध और मिले हुए हैं। वास्तव में यही विशेषताएं हमारी संस्कृति को सामासिक बनाती हैं।

पुरातात्त्विक स्मारक और अवशेष हमारी सांस्कृतिक विरासत के सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। इनमें धार्मिक, लौकिक अथवा अंत्येष्टि के लिए बने भवन और संरचनाएं शामिल हैं। पुरातात्त्विक अवशेषों में टीलों के रूप में प्राचीन स्थल और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे मूर्तियां, सिक्के, मुहरें, अभिलेख, पांडुलिपियां, मिट्टी के बर्तन और पकी मिट्टी की मूर्तियां सम्मिलित होती हैं।

पवित्र स्मारक

पवित्र स्मारकों में स्तूपों, चैत्यों, मठों, मंदिरों, दरगाहों, मस्जिदों, गिरजाघरों, अगियारियों और यहूदी पूजास्थलों (सिनेगॉग) का उल्लेख अनिवार्य हैं। ये विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। इन पवित्र स्मारकों की अनवरत (निरंतर) सांस्कृतिक महत्ता, उनके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में इन स्मारकों की केंद्रीयता से मापी जा सकती है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण, मदुरै, पुरी, मथुरा, तवांग अथवा लद्दाख में देखे जा सकते हैं।

स्तूप, चैत्य और मठ : ये मुख्यतया: बौद्ध धर्म से संबंधित हैं यद्यपि हिंदू और ईसाई मठों के उदाहरण भी मिलते हैं। स्तूप मुख्यतया: एक टीला होता है, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे होते हैं (चित्र 2.1)। स्तूपों की अधिक संख्या आंध्र प्रदेश

अशोक स्तंभ

उत्तर भारत के अनेक स्थानों में चमकीले बलुआ पत्थरों से बने प्रसिद्‌ध अशोक स्तंभ, मौर्य काल की प्रौद्‌योगिकी और कला की झलक प्रस्तुत करते हैं। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष फलक पर, चार सिंह बाहर की ओर मुख किए बैठे हैं और इसके नीचे चारों ओर चार पशु और धर्म चक्र बना है। यह भारत का राष्ट्रीय चिह्न है।

में है, जहां ये ईसा पूर्व तीसरी सदी से तीसरी सदी ईस्वी तक बनवाए गए। नागार्जुनकोंडा और अमरावती के स्तूप सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित पत्थरों से भरे हैं। स्तूपों के सबसे सुरक्षित उदाहरण मध्य प्रदेश में सांची और उत्तर प्रदेश में सारनाथ स्तूप हैं। सांची अपने तोरण द्‌वारों के लिए प्रसिद्‌ध है। विभिन्न बौद्‌ध स्थलों की खुदाई में भारत के विभिन्न भागों से स्तूपों एवं चैत्यों के अवशेष मिले हैं। इनमें गुजरात में देवनीमोरी तथा उड़ीसा में रत्नागिरी उल्लेखनीय हैं। ऐसे स्तूप जिन्हें *चोर्तेन* कहा जाता है, जम्मू और कश्मीर में लद्‌दाख के कई स्थानों पर तथा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में पाए गए हैं।

बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में चट्‌टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं काफी प्रसिद्‌ध हैं। इनमें अधिकांश

गुफा मंदिर

गुफा मंदिर वास्तुकला तीन अलग-अलग चरणों में बनी। पहली बार ईसा पूर्व तीसरी सदी से दूसरी सदी ईस्वी तक, दूसरी बार पांचवीं सदी इस्वी से सातवीं सदी ईस्वी तक और तीसरी बार सातवीं सदी ईस्वी से दसवीं सदी ईस्वी तक। पहले काल की बौद्‌ध, जैन तथा अजीविका गुफाएं बिहार के बाराबर में, भाजा, अजंता, कन्हेरी और नाशिक की महाराष्ट्र में और उदयगिरी तथा खंडगिरी की जैन गुफाएं, उड़ीसा में हैं। दूसरे काल की गुफाएं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के अजंता और एलोरा में हैं। तीसरे काल की गुफाएं मुंबई के निकट एलिफेंटा, एलोरा और चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में देखी जाती हैं।

हर्मिका : स्तूप के अंड भाग के शीर्ष की चौकोर रेलिंग को हर्मिका कहते हैं। यह यष्टि लट को घेरे रहती है।

मेधि : स्तूप के चारो ओर ऊंचे उठे पथ (पटरी) को मेधि कहते हैं। इसे स्तूप की प्रदक्षिणा के लिए उपयोग में लाया जाता है।

प्रदक्षिणा पथ : मंदिर या पूजा स्थल के चारों तरफ बने सामान्य सतह से ऊंचे पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा इस प्रकार की जाती है कि पवित्र स्थल सदैव दाईं ओर रहे।

तोरण : तोरण मूलतः प्रवेश द्वार होता है। इसके दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ रहते हैं इनके बीच से निकल कर श्रद्धालुगण स्तूप में प्रवेश करते हैं।

वेदिका : पवित्र स्थल की सुरक्षा के लिए बनाई गई रेलिंग को वेदिका कहते हैं।

चित्र 2.1 एक स्तूप का रेखाचित्र

सांची का स्तूप

एलोरा का कैलाश मंदिर

चैत्य अथवा मंदिर, सभागार और विहार अथवा मठ हैं। चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे, औरंगाबाद, कोलाबा और नाशिक जिलों में सर्वाधिक हैं। यद्यपि इनमें से प्रत्येक अपनी चट्टान काटने की कलात्मकता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु अजंता और एलोरा की गुफाएं सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। अजंता की गुफाएं मुख्यत: वाकाटकों के समय में बनाई गईं थीं तथा अजंता की गुफाएं छत तथा दीवारों पर बने सुंदर भित्ति-चित्रों के लिए विख्यात हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाएं भी चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं परंतु दुर्भाग्य से उनमें से अधिकांश विकृत हो गई हैं।

मंदिर और समाधियां : मंदिर, हमारे देश के लगभग हर भाग में मिलते हैं (चित्र 2.2)। ये हिंदू, बौद्ध, जैन अथवा सिक्खों के हो सकते हैं। ये सादे हो सकते हैं अथवा अत्यधिक अलंकृत और जटिल हो सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और कालों में, निर्माण के लिए उपलब्ध सामग्री अथवा विशिष्ट धार्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप इनकी अलग-अलग पहचान और विशेषताएं हैं। किसी एक देवी-देवता अथवा इष्ट को समर्पित मंदिर से लेकर मुख्य देवता के साथ

भीमबेटका का एक शैल चित्र

चित्र 2.2 एक मंदिर का रेखाचित्र

अनेकों देवी-देवताओं के संयुक्त मंदिर परिसर तक के उदाहरण मिलते हैं।

लाक्षणिक विशेषताओं और स्वरूपों के आधार पर मंदिरों को तीन मुख्य प्रकारों में बांटा जाता है: नागर, द्रविड़ और वेसर। उत्तरी शैली के मंदिरों को *नागर*, दक्षिण शैली के मंदिरों को *द्रविड़* और चालुक्य शैली के मंदिरों को *वेसर* नाम से जाना जाता है। वेसर पहली दोनों शैलियों का सम्मिलित रूप है।

मौर्य काल तक के मंदिरों के अवशेष कई स्थानों पर की गई खुदाई में पाए गए हैं। अच्छे रूप में बचे सबसे पुरातन ज्ञात उदाहरण गुप्तकाल (चौथी से पांचवीं सदी ईस्वी) के, मध्य प्रदेश में सांची और नचना तथा उत्तर प्रदेश में देवगढ़ और

खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर

राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर

भीतरगांव में हैं। बिहार में बौद्ध गया का मंदिर मूलतः गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था, जिसका बाद में विस्तार किया गया। कर्नाटक में ऐहोल, बादामी और पट्टदकल के मंदिर, चालुक्य काल के प्रारंभिक वर्षों के हैं। इन्हें छठी से आठवीं शताब्दी के बीच बनाया गया था। प्रतिहार काल के मंदिर मुख्यतया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में

पट्टदकल के मंदिरों का एक दृश्य

तमिलनाडु में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर

मिलते हैं। चन्देलों, चालुक्यों अथवा सोलंकियों तथा वलभी के परमार और मैत्रकों के शासनकाल में कई मंदिरों का निर्माण हुआ। चन्देलों के कुछ प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो में मध्य प्रदेश के छत्तरपुर ज़िले में हैं, चालुक्य मंदिर (जैन मंदिर) राजस्थान में दिलवाड़ा में, परमार मंदिर मध्य प्रदेश के भोजपुर एवं उदयपुर में, सोलंकियों द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर गुजरात में मोढेरा में हैं।

उड़ीसा में सातवीं और तेरहवीं शताब्दी के बीच विशिष्ट शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर है।

प्रारंभिक चालुक्यों के कर्नाटक में एहोल, बादामी और पट्टदकल मंदिरों के अतिरिक्त दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण गतिविधियों ने पल्लव, चोल, पांड्य, पश्चिमी गंग, होयसल, काकतीय और विजयनगर के शासकों के अंतर्गत ख्याति प्राप्त की। पल्लवों के प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में महाबलीपुरम और कांचीपुरम में हैं। गंग काल की प्रसिद्ध कृति कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ग्रेनाइट की 17.5 मीटर ऊंची मूर्ति है। चोल महान मंदिर निर्माता थे। राजराज प्रथम ने तमिलनाडु में तंजावुर में बृहदेश्वर अथवा राजराजेश्वर

श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति

नामक विशाल मंदिर बनवाया। यह मंदिर अपनी वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संबद्ध कलाओं के लिए विख्यात है। कर्नाटक में हलेबिडु और बेलूर स्थित मंदिर होयसल शासकों के प्रमुख उदाहरण हैं। विजयनगर शासकों ने अपनी राजधानी हंपी में मंदिरों का निर्माण किया। अधिक वर्षा होने के कारण केरल में मंदिरों के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग विशेषरूप से होता है। इनमें पेरुवन्नम का शिव मंदिर और त्रिचूर का वड़क्कुनाथ मंदिर आते हैं।

असम में गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, पश्चिम बंगाल में बांकुरा का पकी मिट्टी का मंदिर, और उत्तर प्रदेश में मथुरा का गोविन्द देव का मंदिर सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के हैं।

जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध मार्तण्ड मंदिर आठवीं सदी में ललितादित्य मुक्तापीड़ ने बनवाया था और अवन्तीपुर के मंदिर नवीं सदी के उतरार्द्ध में बनवाए गए थे। संरचनात्मक मंदिर तो पूरे देश में बनाए गए थे परंतु पश्चिमी भारत के चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा का कैलाश मंदिर एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

सिक्खों के पूजास्थलों को गुरुद्वारा कहा जाता है। कुछ महत्त्वपूर्ण गुरुद्वारे महाराष्ट्र के नांदेड़, बिहार के पटनासाहिब तथा पंजाब के आनन्दपुर साहिब और अमृतसर में हरमंदिर साहिब अथवा स्वर्ण मंदिर हैं।

स्वर्ण मंदिर, अमृतसर

मस्जिद : मंदिरों और गुरुद्वारों की तरह, हमारे देश के लगभग हर भाग में मस्जिदें पाई जाती हैं (चित्र 2.3)। प्रारंभिक मस्जिदों में दिल्ली के कुतुब संकुल में कुव्वतुल-इस्लाम मस्जिद है जिसमें क्षेत्र के मंदिरों की सामग्री का उपयोग हुआ है। इसे बारहवीं शताब्दी में बनवाया गया था, जिसका बाद के शासकों ने विस्तार किया। भारत की कुछ अन्य प्रसिद्ध मस्जिदों में फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, उत्तर प्रदेश में जौनपुर स्थित अटाला मस्जिद और जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, पश्चिम बंगाल की गौड़ और पाण्डुआ की मस्जिदें, गुजरात में चांपानेर, खंभात, और अहमदाबाद की जामा मस्जिदें और मध्य प्रदेश में माण्डु की जामा मस्जिदें आती हैं। अहमदाबाद में सीदी सईद की मस्जिद अपनी खूबसूरत जाली के कारण प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद अपने ऊंचे प्रवेश द्वार, जिसे बुलन्द दरवाजा कहते हैं, के कारण जानी जाती है। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में चार मीनार की ऊपरी मंजिल पर एक मस्जिद है। भारत में काष्ठनिर्मित (लकड़ी से बनी) सबसे बड़ी मस्जिद श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) की जामा मस्जिद है।

दिल्ली की जामा मस्जिद

गलियारा : मस्जिद अथवा गिरजाघर के भीतर आने-जाने का रास्ता।

लिवान : मस्जिद के खंभों वाले कमरे को लिवान कहते हैं।

मक्सुरा : मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को मक्सुरा कहते हैं। रेलिंग के द्वारा इस भाग को अलग कर दिया जाता है। इसके उपयोग का अधिकार शाही व्यक्तियों और मौलवी को ही होता है।

मेहराब : मेहराब, किबला (दीवार) में बने आले को कहते हैं। यह प्राय: आदमकद होता है और मक्का की सही दिशा को दिखाता है।

किबला : यह मस्जिद या नमाज़ पढ़ने के हॉल की दीवार है जो हमेशा मक्के की काबा की दिशा में होता है।

सहन : यह मस्जिद का आंगन है जहां वफ़ादार मुसल्ले (Prayer) इकट्ठे होते हैं।

चित्र 2.3 एक मस्जिद का रेखाचित्र

आइल (गलियारा)	: यह गिरजाघर में दीवारों तथा बैठने के स्थानों के बीच में संकरी जगह है।
बैप्टिस्ट्री (बपतिस्मा कक्ष)	: यह गिरजाघर का एक हिस्सा है जो वृताकार या अष्टकोणीय होता है। इसमें दीक्षा की शपथ दी जाती है।
बेलफ्राई	: यह गिरजाघर के घंटे वाली मीनार है।
चांसेल	: गिरजाघर में वेदी, पादरियों तथा वृंदगान के लिए आरक्षित रहता है। प्राय: यह पर्दे से घिरा रहता है जिसे चांसेल कहते हैं।
नेव (मध्य भाग)	: यह गिरजाघर का लंबा भीतरी भाग है, जिसके दोनो तरफ गलियारा होता है।
पलपिट	: यह गिरजाघर में एक ऊंचा स्थान है जहां से पुजारी प्रार्थना करने वालों को संबोधित करता है।
सैक्रिस्टी (पूजासामग्री कक्ष)	: यह चांसेल के पास का कक्ष है जहां पवित्र पूजा-परिधान रखा जाता है। पुजारी इसी कक्ष में आनुष्ठानिक परिधान धारण करता है।
ट्रांसेप्ट	: यह गिरजाघर का एक क्रूसाकार हिस्सा है।

चित्र 2.4 एक गिरजाघर का रेखाचित्र

चेन्नई का सैन्थोम कैथीड्रल

गिरजाघर : ऐसा माना जाता है कि भारत में पहला गिरजाघर 1510 ई. में केरल में कोचीन में बनाया गया था। सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में गोवा में बने चर्चों में

अगियारी

लकड़ी का उत्कृष्ट काम है (चित्र 2.4)। वेल्हा (पुराने) गोवा में कई गिरजाघर हैं, जिनमें बोम जीसस बैसीलिका तथा से कथीड्रल प्रख्यात है। अन्य प्रसिद्ध चर्च चेन्नई, मुंबई, दमन, दीवें, कोलकाता और उत्तर प्रदेश में मेरठ के निकट सरधना में हैं।

अगियारी अथवा अग्नि मंदिर : पारसियों के अग्नि मंदिर मुख्यतया गुजरात में सूरत, नवसारी और उदवाड़ा में तथा दीव और मुंबई में स्थित हैं। भारत में सबसे पुरानी पारसी अगियारी उदवाड़ा में है। सिकंदराबाद, हैदराबाद और कोलकाता में भी अगियारी हैं।

सिनेगॉग : यह यहूदियों का पूजा स्थल है। हमारे देश में ऐतिहासिक सिनेगॉग अनेक नहीं हैं, लेकिन केरल में कोचीन में 1568 ई. में निर्मित सिनेगॉग का ऐतिहासिक महत्त्व है।

इन गैरधार्मिक भवनों और संरचनाओं में साधारण घर से लेकर हवेली और महल, छोटे-बड़े किले, सराय, कोस मीनार, जलीय ढांचा जैसे बांध, तालाब और झील, कुएं तथा बावली को सम्मिलित किया जाता है। मानव-निर्मित न होते हुए भी प्राकृतिक शैलाश्रयों को, जिनको पुरा-ऐतिहासिक अथवा परवर्ती काल में मनुष्य द्वारा आवास अथवा किसी अन्य प्रयोग में लाया गया हो, इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है।

आवास : स्थायी जीवन के साथ आवास की आवश्यकता हुई। आरंभ में बने आवास छोटी झोपड़ियों या मिट्टी में खोदे गए गड्ढे और खंभों के सहारे छत से ढके घर हैं। इसके अतिरिक्त साधारण मिट्टी की ईंटों, आग से पकी ईंटों, पत्थर, शहतीर या लकड़ी के प्रयोग से बने मिट्टी और ईंटों से निर्मित आवास हैं। धीरे-धीरे आवास के आकार और स्वरूप में वृद्धि हुई और वे अधिक जटिल हो गए। हम यहां सभी प्रकार के आवास, साधारण झोपड़ियां और आलीशान भवन पाते हैं। ये भिन्न-भिन्न स्थानों पर आवश्यकताओं, सामग्री की उपलब्धता, पर्यावरणीय स्थितियों इत्यादि पर निर्भरता के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। अतः लद्दाख की इमारतें, कच्छ या केरल या नागालैंड की इमारतों से भिन्न होती हैं।

उत्तर भारत के पहाड़ों में पत्थर या लकड़ी के आवास/घर हो सकते हैं, गुजरात में लकड़ी के घर और गोवा में विला हो सकते हैं। कच्छ में छोटी गोल झोपड़ियों को *बोंगा* कहा जाता है। तमिलनाडु में चेट्टियारों के विशाल भवनों, राजस्थान में हवेलियों, गुजरात और महाराष्ट्र में *वाड़ों* की

ग्वालियर का किला, मध्य प्रदेश

दीवारों पर चित्रकारी हैं। जैसलमेर में *पटुवों की हवेली* अपनी बारीक जटिल पत्थरों की कटाई व उत्कीर्ण कार्य के लिए प्रसिद्ध है।

किला और महल : किला और महल अपने आकार, सौंदर्य और अपने साथ जुड़े इतिहास के कारण हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे विभिन्न कालों से संबंध रखते हैं और उन्हें हमारे देश के लगभग हर भाग में देखा जा सकता है। लद्दाख में लेह का सातमंजिला महल, मध्य प्रदेश के दतिया में बीर सिंह का महल, कर्नाटक में मैसूर में टीपू सुलतान का महल, केरल में मत्तनचेरी और पद्मनाभपुरम के महल अपने सुंदर भित्ति-चित्रों के कारण जाने जाते हैं। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में भी महल और किले हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन किलों और महलों में से कुछ को विरासत होटलों (Heritage Hotels) में बदल दिया गया है। इससे उनके रख-रखाव और सरंक्षण में सहायता मिली है।

हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा भाग होगा जहां कोई छोटा या बड़ा किला न हो। पुरातात्त्विक उत्खननों में हड़प्पा काल से ही किलेबंदी के प्रमाण मिले हैं। किंतु किलों के महत्त्वपूर्ण उदाहरण तेरहवीं शताब्दी के बाद मिलते हैं। प्रत्येक किला (दुर्ग) ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

कुछ प्रसिद्ध किले (दुर्ग)

भारत के कुछ प्रसिद्ध किले हैं: हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला, महाराष्ट्र का समुद्र में जंजीरा और सिंहगढ़ किला, राजस्थान के चितौड़गढ़ और रणथम्भोर के भव्य किले, मध्य प्रदेश का असीरगढ़, मांडु और ग्वालियर के किले, आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा, महाराष्ट्र का दौलताबाद का किला, तमिलनाडु का जिंजी का किला, बिहार का रोहतास किला, दिल्ली का तुगलकाबाद और लाल किला तथा उत्तर प्रदेश में आगरा और इलाहाबाद के किले।

सराय और कोस मीनार : प्राचीन भारतीय साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक अधिकांश भारत सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ था। अशोककालीन अभिलेख और बुद्धकालीन साहित्य से जानकारी मिलती है कि सड़कों के किनारे कुएं भी खोदे गए थे और छाया तथा फलों के लिए पेड़ भी लगवाए गए थे।

यदि हम जी. टी. रोड पर यात्रा कर रहे हों तो हमें कुछ दूरी पर 4 से 5 मीटर ऊंचे ईंटों से बने स्तंभ दिखते हैं। इन्हें कोस मीनार कहा जाता है जिन्हें शेरशाह सूरी और मुगलों के काल में बनवाया गया था। इसी काल में जी. टी. रोड के साथ-साथ यात्रियों और व्यापारियों के लिए सराय भी बनवाईं गई थीं। ऐसी सराय पंजाब में अमृतसर से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक देखी जा सकती हैं। ऐसी ही कुछ सराय जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से पुंछ और आगे तक के पुराने मुगल मार्ग पर भी हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण बची हुई सरायों में सराय अमानत खां, पंजाब में दक्खनी सराय और नूरमहल सराय, हरियाणा में घरौंडा सराय, दिल्ली में बादली और बदरपुर सराय तथा उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट छत्ता सराय विशेष हैं।

जलाशय : हमारे देश के अनेक भागों में पानी को एकत्र एवं संरक्षित रखने की आवश्यकता ने, विशेषत: कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, मानव-निर्मित झीलों और बांधों के निर्माण के लिए प्रेरित किया। जल संग्रहण करने की परंपरा हड़प्पा सभ्यता से चली आ रही है। गुजरात में कच्छ के रण में धौलावीरा में जल संग्रहण के लिए, कभी-कभार और कम वर्षा से भरे मौसमी नालों का पानी एकत्र करने के लिए बस्ती के चारों ओर बांधों का निर्माण किया गया था। एक झील के बांध को बनवाने और ठीक करवाने का एक रोचक और पुराना अभिलेख गुजरात में जूनागढ़ के गिरनार में मिलता है। सुदर्शन नामक एक झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई थी जिसकी बाद में शक और गुप्त राजाओं द्वारा मरम्मत करवाई गई थी। ईंटों से बना एक बड़ा पानी का तालाब, जिसका संबंध पहली सदी से है, उत्तर प्रदेश में शृंगवेरपुर की खुदाई में मिला है। दक्षिण भारत में चोलों ने तालाब बनवाए जिनका रख-रखाव तथा प्रबंध गांवों/समुदायों द्वारा किया जाता था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी से जल लाने के लिए हंपी तक भूमिगत नहरें बनवाईं।

हमारे देश के विभिन्न भागों में बनी इन मानव-निर्मित झीलों और बांधों में से अधिकांश अभी भी पर्याप्त जल आपूर्ति करते हैं। इस प्रकार की अनेक मानव-निर्मित झीलों में से उल्लेखनीय हैं: 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज द्वारा निर्मित भोपाल ताल, जैसलमेर में गडसीसर, उदयपुर में पिछौला और उदयसागर, अजमेर में अनासागर, दिल्ली में हौज खास, उत्तर प्रदेश में बरवा सागर और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ इत्यादि की अनेक अन्य झीलें। किलों (दुर्गों) में जल संग्रहण व्यवस्था जल अभियांत्रिकी का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भी है। जयपुर के निकट जयगढ़ का किला और फतेहपुर सीकरी जल संग्रहण तथा अभियांत्रिकी के रोचक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। जल अभियांत्रिकी के ये उत्कृष्ट उदाहरण समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, और हमारी विरासत के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

कुएं, बावलियां और नहरें भी बराबर का महत्त्व रखती हैं। बावली, हमारी अद्‌वितीय विरासत है। राजस्थान और गुजरात में बावलियां बनाना महत्त्वपूर्ण समझा गया। दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी बावलियां देखी जा सकती हैं। अहमदाबाद शहर और इसके निकट कई बावलियां, जिन्हें गुजराती में *वाव* कहते हैं, पाई जाती हैं। ग्यारहवीं सदी में गुजरात में पाटण नामक स्थान पर *रानी की वाव* का निर्माण हुआ था। यह सात-मंजिल गहरी है और इसकी दीवारें तथा इसका भीतरी भाग मूर्तियों तथा अन्य अलंकरणों से सुसज्जित हैं।

अन्य स्मारक : इनमें खगोलसंबंधी वेधशालाएं, पुल, उद्‌यान, बांध इत्यादि को सम्मिलित किया गया है, जो विभिन्न कार्यों और उद्‌देश्यों के लिए बनाए गए थे। दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर की खगोल वेधशालाएं अर्थात जंतर-मंतर अद्‌वितीय हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ का इमामबाड़ा अपनी भूलभुलैया के लिए प्रसिद्ध है। अचरज भरे ध्वनि के गुणों से संपन्न इमारतें जैसे कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबद, आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा का किला, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर की विस्तृत जल वितरण व्यवस्था, कश्मीर घाटी तथा अन्यत्र चबूतरों पर बने उद्‌यान, कुछ अन्य उदाहरण हैं।

औपनिवेशिक काल की हमारी विरासत कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, चाहे वह ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या डेनिश रही हो। किले और महल, रिहायशी, सरकारी अथवा सार्वजनिक इमारतें जैसे रेलवे स्टेशन, शिक्षण भवन इत्यादि और कभी-कभी छोटे कस्बे, शहर भी हमारी विरासत का महत्त्वपूर्ण भाग होते हैं। पश्चिमी बंगाल में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, हिमाचल प्रदेश में शिमला में राष्ट्रपति निवास, मुंबई में गेटवे ऑफ

गोलकुंडा का किला, हैदराबाद

खिलौना रेलगाड़ी, दार्जिलिंग

इंडिया का औपनिवेशिक काल में बनी अनेक इमारतों में उल्लेख किया जा सकता है। मुंबई में 1887 में निर्मित विक्टोरिया टर्मिनस को विरासत इमारत घोषित किया जा चुका है। 1881 में प्रारंभ हुई दार्जिलिंग को जाने वाली खिलौना गाड़ी (Toy Train) को, जो अब भी चलती है, 1999 में विश्व विरासत घोषित किया गया था।

स्मारकों के अतिरिक्त, कुछ पुराने कस्बों और गांवों को भी विरासत की दृष्टि से संरक्षित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट रघुराजपुर गांव को तथा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के निकट प्रागपुर गांव को विरासत के रूप में घोषित किया जा चुका है।

अंत्येष्टि स्मारकों में कब्रें और मकबरे, दरगाहें, स्मृति शिलाएं, छतरियां, देवल, महाश्म, दख़्मा (Tower of Silence) इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं।

कब्रें और मकबरे पूरे देश में पाए जाते हैं। उनमें से कुछ तो अनूठे हैं। वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ और अत्यधिक प्रसिद्ध उदाहरण उत्तर प्रदेश में आगरा का ताजमहल है। कर्नाटक में बीजापुर में सत्रहवीं शताब्दी में निर्मित गोल गुम्बद दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद है। मकबरों के कुछ सुंदर उदाहरण– सिकंदरा में अकबर का मकबरा, आगरा में ऐतमादुद दौला का मकबरा, बिहार में सासाराम में शेर शाह का मकबरा और दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हैं। कुछ मकबरों में सूफी संतों के देह अवशेष रखे हैं, जिनके दर्शननार्थ विभिन्न समुदायों के लोग आते हैं। ऐसी दरगाहों के उदाहरणों में फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, राजस्थान के अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में निजामुद्दीन तथा हमारे देश के विभिन्न भागों की अन्य दरगाहें प्रमुख हैं।

स्मृति शिलाओं में शौर्य स्तंभ, बारसेला, स्मारक स्तंभ (मेनहिर) इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। महाश्म विभिन्न

फिरोज़शाह तुगलक का मकबरा हौज़ खास, दिल्ली

प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतया केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों में, मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में, उत्तरांचल और कश्मीर घाटी के कुछ क्षेत्रों में, मिजोरम और मेघालय में पाए जाते हैं। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में इनका भिन्न-भिन्न काल-निर्धारण किया गया है। दख़्मा का प्रयोग केवल पारसियों द्वारा अपने मृतकों के शवों की अंत्येष्टि के लिए किया जाता है। मुंबई के अतिरिक्त गुजरात में संजान और दीव में पुराने दख़्मा हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व है।

ऐतिहासिक स्थल और अवशेष

हमारे देश के विभिन्न भागों में अनेक पुरातात्त्विक स्थल स्थित हैं। ये पुरा-ऐतिहासिक स्थल अथवा लंबे समय तक बार-बार बसने और उजड़ने की प्रक्रिया से निर्मित टीले हैं। इन प्राचीन स्थलों और टीलों ने हमारे इतिहास के विषय में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सामग्री और उपयोगी जानकारी दी है। हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों वाले पुरातात्त्विक टीलों की खुदाई ने ऐतिहासिक काल से 2-3 हज़ार वर्ष पूर्व की समृद्ध संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध कराए हैं। आबादियों और बस्तियों, वास्तुकला, दस्तकारी, व्यापार, अन्य रीतियों, दैनिक उपयोग की अनेक प्रकार की वस्तुओं, सिक्कों, मुहरों तथा मुहर लगाने की लाख इत्यादि, शिलालेख, साधारण से लेकर अति सुंदर कला वस्तुओं के बहुमूल्य प्रमाणों को इन टीलों से निकाला गया है। इन्होंने इतिहास के विषय में हमारे ज्ञान को समृद्ध बनाने में सहायता की है। ये हमारी विरासत का बहुमूल्य भाग हैं।

एक अन्य वर्ग हमारे प्राकृतिक शैलाश्रय हैं। कुछ शैलाश्रयों में दस हज़ार वर्ष पुरानी या उससे भी पुरानी चित्रकारी और नक्काशी है। ये शैलाश्रय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के भागों में, पूर्वी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका के शैलाश्रयों को चित्रकारी और प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्नता के लिए विश्व विरासत में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया है।

चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के रूप में अन्य अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ये भी हमारी विरासत के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाते हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि मूर्त सांस्कृतिक विरासत अथवा निर्माण-संबंधी विरासत अति विस्तृत है और इसमें बहुत कुछ सम्मिलित किया जा सकता है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   - (i) भारत में वास्तुकला स्मारकों के चार प्रकारों के नाम लिखिए।
   - (ii) चार धार्मिक स्मारकों के नाम लिखिए।
   - (iii) सिक्खों के मंदिरों को क्या कहा जाता है ?
   - (iv) खजुराओं के मंदिर किसने बनवाए थे ?
   - (v) उड़ीसा के तीन महत्त्वपूर्ण मंदिरों के नाम लिखिए।
   - (vi) भारत में चट्टान काट कर बनाए गए तीन मंदिरों के नाम लिखिए।
   - (vii) सिनेगॉग और अगियारी क्या है ?

2. अंतर स्पष्ट करें :
   (i) चट्टान काट कर निर्मित मंदिर और संरचनात्मक मंदिर
   (ii) मंदिर और गुरुद्वारा
   (iii) मस्जिद और गिरजाघर
3. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :
   (i) सराय
   (ii) जलाशय
   (iii) अभिनीत कलाएं
4. भारत में पाए जाने वाले किलों की प्रकृति का वर्णन कीजिए।
5. भारत में अंत्येष्टि स्मारकों का विवरण दीजिए।
6. भारत में लौकिक भवनों की प्रकृति का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य

- एक किले, मंदिर अथवा मस्जिद में जाइए और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए।
- राजस्थान के जलाशयों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

अध्याय तीन

जीवंत सांस्कृतिक विरासत

पुरातात्त्विक स्मारकों और अवशेषों के समान ही साहित्य, कला, दस्तकारी, चिकित्सा पद्धतियां, विज्ञान और तकनीक, मेले और त्योहार, पाक शैली, सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न परंपराएं और धार्मिक रीति-रिवाज तथा तीर्थ यात्राओं की हमारी यह विरासत भी महत्त्वपूर्ण है।

साहित्यिक विरासत

हमारी साहित्यिक परंपरा बहुत प्राचीन और समृद्ध है। भारत ने विश्व को महान साहित्यिक और सार्वभौमिक मूल्य की कृतियां दी हैं। हमारे साहित्य में हमारे देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों का लिखित और मौखिक साहित्य सम्मिलित है। हमारा प्राचीन साहित्य संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तमिल और फ़ारसी इत्यादि भाषाओं में है। मध्यकाल में कुछ महत्त्वपूर्ण कृतियां फारसी तथा अन्य भाषाओं तथा बोलियों में भी लिखी गईं। वास्तव में, हमारे देश की प्रत्येक भाषा और बोली की अपनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा है।

प्रारंभिक लेखन संस्कृत में था। उन कृतियों में, दर्शन, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, कला, वास्तुकला, सौंदर्य शास्त्र, कविता, व्याकरण, कोष विज्ञान, इत्यादि विषयों पर लिखा गया है। *उपनिषदों, पुराणों, रामायण* और *महाभारत, भगवद् गीता, तिरुक्कुरल* एवं अन्य तमिल संगम कवियों की रचनाएं अमर और सार्वभौमिक महत्त्व की हैं। मूल रूप से संस्कृत में रचित *वाल्मीकि रामायण* के भारत की विभिन्न भाषाओं में कई रूपांतर उपलब्ध हैं। *महाभारत* को भी कई भाषाओं में अनूदित किया गया है। इन महाकाव्यों की लोकप्रियता विभिन्न लोक भाषाओं में झलकती है। इन महाकाव्यों के अनेक प्रसंगों का प्रयोग नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, वाचन प्रस्तुतियों तथा भाट-चारणों के गीतों में भी किया जाता है।

कालिदास, भास और अनेक अन्य कवियों की संस्कृत भाषा में रचित साहित्यिक कृतियां अथवा तिरुवल्लुवर और अन्य कवियों द्वारा रचित तमिल साहित्य, हमारी साहित्यिक यात्रा के महत्त्वपूर्ण मील के पत्थर हैं। जयदेव का *गीतगोविन्द* लगभग पूरे देश में लोकप्रिय हुआ और विभिन्न नृत्य शैलियों में प्रस्तुति का प्रेरक बना। *उपनिषदों* और *गीता* को शाश्वत मूल्यों की कृति माना जाता है। विद्वानों ने पाणिनी की *अष्टाध्यायी* को व्याकरण पर लिखा गया महानतम कार्य माना है। आयुर्विज्ञान पर विशेषतया चरक और सुश्रुत द्वारा किया गया कार्य समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। वे आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। वराहमिहिर की *बृहद्संहिता*, आर्यभट की *आर्यभटीय*, और लग्धाचार्य का *वेदांग ज्योतिष* गणित, खगोल, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा और कृषि इत्यादि विषयों पर उपलब्ध कुछ महत्त्वपूर्ण कृतियां हैं। कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, संगीत और संबंधित क्षेत्रों के विभिन्न

कल्पसूत्र की हस्तलिपि, पश्चिमी भारत

पहलुओं पर अनेक पुस्तकें हैं। कौटिल्य के *अर्थशास्त्र* की विषयवस्तु शासन कला है। कल्हण की *राजतरंगिणी* में कश्मीर के राजाओं का ब्यौरा है।

पाली साहित्य का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व *त्रिपिटिक* द्‌वारा तथा शेष पाली साहित्य का प्रतिनिधित्व *जातक* द्‌वारा किया जाता है, जिसमें बुद्‌ध के पूर्व जन्मों का वर्णन है। *जैन सिद्‌धांत* अथवा *आगम*, *उपांग*, हरिभद्र का *षड्‌दर्शन-समुच्चय* कुछ महत्त्वपूर्ण जैन कृतियां हैं।

फारसी कृतियों में सुलतान शासकों के ऐतिहासिक विवरणों का उल्लेख किया जा सकता है। उनमें से कुछ हैं: जियाउद्‌दीन.बरनी का *तारीख-ए-फिरोजशाही*, मिनहाज सिराज का *तबकात-ए-नासिरी* तथा अबुल फजल का *आई-ने-अकबरी*, जिसमें अकबर के शासन का वृत्तांत है। विभिन्न विषयों पर अन्य अनेक संस्कृत की रचनाओं का भी मुगल काल में फारसी में अनुवाद किया गया।

मध्य काल के दौरान विभिन्न भाषाओं और बोलियों में विपुल भक्ति साहित्य रचा गया। भक्ति साहित्य के कवियों में तुलसीदास, सूरदास, नानक, कबीर, वासवन्ना, शंकरदेव, तुकाराम, रामदास, नरसी मेहता और अन्य कई प्रमुख हैं। अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुर रहीम खानखाना, रसखान इत्यादि का योगदान भी महत्त्वपूर्ण है। संगीत, खगोलशास्त्र, विधि और व्याख्याओं पर भी कई कृतियां लिखी गईं।

अलंकरण एवं अन्य कलाएं

कलाओं और हस्तकलाओं में रचनात्मकता को हमारे पूरे देश में प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। भले ही कोई सामान्य भवन हो अथवा पच्चीकारी, गचकारी से अलंकृत भवन या पत्थर, धातु, काष्ठ अथवा पकी मिट्‌टी की मूर्तियां, प्राचीन काल से लेकर आज तक प्रत्येक क्षेत्र में उच्चस्तरीय कलात्मकता देखी जा सकती है। विभिन्न प्रकार की चित्रकारी जैसे चोल, पहाड़ी, मुगल अथवा राजपूत और अन्य कई को बहुमूल्य माना जाता है। हमारी लोक चित्रकारी जैसे बिहार की मधुबनी,

लघुचित्रकारी, बसोली, हिमाचल प्रदेश

मधुबनी चित्रकारी, बिहार

रंगोली : एक अलंकरण कला

महाराष्ट्र की वारली चित्रकारी, उड़ीसा की पट तथा देश के विभिन्न भागों में दीवारों पर की जाने वाली चित्रकारी हमारे देश की अमूल्य निधि है। केवल दीवारें ही नहीं, फर्शों को भी सजाया जाता है। इसे महाराष्ट्र में *रंगोली*, कर्नाटक में *रंगवल्ली*, तमिलनाडु में *कोल्लम*, मध्य प्रदेश में *मांडना*, पश्चिम बंगाल में *अल्पना*, उत्तरांचल में *ऐपण* कहा जाता है। दैनंदिन कला में भी रचनात्मकता को आम तौर पर प्रयोग होने वाली बांस, बेंत और धातु की बनी वस्तुओं में देखा जा सकता है। वस्तुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन और जीवन-शैली में परिवर्तन के कारण, इनका महत्त्व घटता जा रहा है।

कढ़ाई, कालीन बनाना, मोती का काम, ज़रदोजी, गहने बनाना, पैच वर्क, पेपर मैश और धातुओं के बर्तनों की समृद्ध परंपरा हमारी विरासत के एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू को दर्शाते हैं। सूती और रेशमी भारतीय वस्त्रों की समृद्ध विरासत को हमारे देश के विभिन्न भागों में पहने जाने वाले रंग-बिरंगे परिधानों तथा साड़ियों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गुजरात की पटोला साड़ी, कांचीपुरम की रेशम, बनारस की जरी, मध्य प्रदेश की चंदेरी, आंध्र प्रदेश की पोचमपल्ली और उड़ीसा की इकत इनके कुछ अच्छे उदाहरण हैं।

अभिनीत कला

अभिनीत कलाओं की हमारी विरासत समृद्ध और अनूठी है। संगीत, नृत्य, रंगमंच और कठपुतलियों की हमारी जीवंत परंपरा है। गुरू-शिष्य परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज्ञान देने की मौखिक परंपरा ने इस परंपरा को जीवित एवं सक्रिय रखा है।

एक ही स्रोत से उपजे रागों पर आधारित भारतीय शास्त्रीय संगीत को मुख्यतया दो भिन्न परंपराओं – हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में बांटा जाता है। हमारा संगीत अखिल भारतीय विरासत का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। हिंदुस्तानी संगीत में प्रत्येक घराने की अपनी विशिष्ट गायन शैली है। हिंदुस्तानी संगीत में गायन के मुख्य रूप ध्रुपद, धमाल, ख़्याल, ठुमरी, दादरा और टप्पा हैं। कर्नाटक संगीत में मुख्यतया संगीत त्रिमूर्ति पुरंदरदास, त्यागराज और मुत्तुस्वामी दीक्षितार की कृतियां प्रस्तुत की जाती हैं। हमारे लोकसंगीत ने अपनी भिन्नता और विभिन्नता के माध्यम से हमारे शास्त्रीय संगीत को प्रभावित किया है। *ख़ानकाहों* की सूफी परंपराओं ने कव्वाली को जन्म दिया, जिसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख़्याल गायन को प्रभावित किया।

भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, जो सदियों में विकसित हुए हैं। उनमें से प्रमुख हैं: *तंत्री वाद्य* जैसे विभिन्न प्रकार की वीणा, सितार, सरोद, सांरगी और संतूर, *ताल वाद्य* जैसे मृदंगम, पखावज़ और तबला, *सुषिर वाद्य* जैसे बांसुरी, नादस्वरम् और शहनाई।

मोहर्रम के दौरान मजलिस में *सोजख्वानी* अथवा शोकगीत का उल्लेख भी किया जा सकता है। सिक्खों के *आदि ग्रंथ* में *महला* या अध्याय में विशिष्ट प्रकार के राग होते हैं। हवेली संगीत, कीर्तन, भजन और बौद्धलामाओं का मंत्रोच्चार भक्ति संगीत के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकार हैं।

हमारे संगीत की समृद्ध विरासत लोकसंगीत में परिलक्षित होती है। प्रत्येक क्षेत्र का अपना अनूठा लोकसंगीत है। यह समृद्धि विभिन्न क्षेत्रों के नृत्यों में भी परिलक्षित होती है। लद्दाख एवं लाहुल-स्पीती का मुखौटा नृत्य, सिक्किम का भोटिया अथवा लेपचा नृत्य, कश्मीर का चकरी नृत्य, मेघालय का वाङ्गला नृत्य, मिजोरम का बांस नृत्य, नागालैंड का चंग या सेमा नृत्य, मणिपुर का फितलाम नृत्य, असम का बिहु नृत्य, पंजाब का भंगड़ा और गिद्दा नृत्य, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, महाराष्ट्र का तमाशा, गुजरात का भवई, छत्तीसगढ़ का पंडवानी और छोटा नागपुर क्षेत्र का झूमर नृत्य इनके कुछ उदाहरण हैं। युद्ध कौशल से संबंधित नृत्यों में मणिपुर का थांग-ता, केरल का कलारिपैत्तु, उत्तरांचल का छोलिया, असम का सत्तरिया, पंजाब का पटेबाजी, मयूरभंज, उड़ीसा तथा सरायकेला, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल का छऊ नृत्य है। कर्नाटक के यक्षगान तथा केरल के तेयम जैसे पारंपरिक रंगमंच में भी मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहां लोकगायकों, भाट-चारणों, कठपुतली वालों, वाचकों, जात्रा, कीर्तन और अन्य कई प्रकार की भी समृद्ध परंपरा है। ये सभी पारंपरिक रंगमंच और लोक गायन के विविध प्रकार हैं।

सत्तरिया नृत्य, असम

शास्त्रीय नृत्य के तीन मुख्य प्रकार

नृत्त अथवा शुद्ध नृत्य को शरीर के आकर्षक संचालन से अभिनीत किया जाता है जिसका कोई संदेश अथवा अर्थ नहीं होता है।

नृत्य, अभिनय अथवा चेहरे के संचालन, मूक अभिनय और हस्त मुद्राओं द्वारा गीत के अर्थ को अभिव्यक्त करता है।

नाट्य का अर्थ है नाटक और इसमें हाथ और चेहरे के भाव द्वारा नाटक अभिनीत किया जाता है।

हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्त्वपूर्ण भाग भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। हमारे शास्त्रीय नृत्य के मुख्य प्रकार हैं- भरतनाट्यम, कथकली, कत्थक, मणिपुरी, कुचिपुडी और ओडिसी।

मेले और त्योहार

हमारा देश मेलों और त्योहारों का देश है। वर्ष के लगभग हर मास में हमारे देश के भिन्न-भिन्न भागों में किसी त्योहार के उपलक्ष्य में कोई न कोई मेला लगाया जाता है या त्योहार मनाया जाता है। त्योहार ऋतु चक्र अथवा धार्मिक अवसर, कृषि संबंधी क्रियाकलाप या फिर किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़े होते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बिहु, वसंतपंचमी, बैसाखी, शबरिमलै मंदिर त्योहार, शिवरात्रि, होली, गणगौर, तीज, रक्षाबंधन, श्रावणी, कृष्ण जन्माष्टमी, ओणम्, राम नवमी, ईद, दशहरा, दीपावली, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, नौरोज़,

पुष्कर मेला, राजस्थान

क्रिसमस तथा का पोमभांग नांगक्रेम आदि हमारे देश में मनाए जाने वाले कुछ त्योहार हैं। नौचंदी मेला, पुष्कर मेला, तरनेतर मेला और सोनपुर जैसे मेले हैं जहां दूर-दूर से लोग आते हैं। परंतु इलाहाबाद के कुंभ मेले अथवा हरिद्वार के अद्र्ध कुंभ मेले में पूरे देश से सर्वाधिक लोग आते हैं।

तीर्थ यात्राएं

लोग तीर्थों, पवित्र स्थानों, शहरों और कस्बों, पवित्रात्माओं की मज़ारों पर जाते हैं और पहाड़ों, पर्वतों, झीलों और नदियों की परिक्रमा भी करते हैं। केरल या देश के दूसरे भागों से लोगों को जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ की गुफा में देखा जा सकता है अथवा लोगों का चार मुख्य धामों की यात्रा करना (रामेश्वरम, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ) अथवा देश के अन्य पवित्र स्थानों पर जाना, देखा जा सकता है। इससे लोगों का विभिन्न जीवनशैलियों से परिचय होता है जिसके फलस्वरूप विचारों का आदान-प्रदान होता है।

इलाहाबाद कुंभ मेला, उत्तर प्रदेश

इस प्रकार हमारी विरासत अत्यंत समृद्ध, विस्तृत और वैविध्यपूर्ण है जो एक रंगारंग सांस्कृतिक चित्र प्रस्तुत करती है। यही रंगारंग संस्कृति भारत की अपनी अलग पहचान है।

अनेकता में एकता

भारत 'अनेकता में एकता' वाला देश है। इसके विशाल आकार ने भिन्न प्रकार की क्षेत्रीय विविधताओं को जन्म दिया और वे फल-फूल रही हैं। देश की भौतिक विशेषताओं और जलवायु ने इन विविधताओं के विकास में योगदान दिया है। हम देखते हैं कि भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय पठार है और उत्तरी पर्वत बर्फ से ढके हुए हैं। बड़े मैदानी क्षेत्र, इन दोनों के बीच तथा समुद्र तट के साथ-साथ फैले हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में नदी-घाटियों की संरचना विविध है। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में नदियों का घना जाल है जबकि राजस्थान के मरुस्थल में नदियां बहुत कम हैं। दक्षिणी भाग गर्म और आर्द्र है जबकि उत्तर-पश्चिम सर्दियों में ठंडा और शुष्क और गर्मियों में गर्म होता है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   - (i) पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है।
   - (ii) एक स्थान का नाम बताइए जहां कुंभ का मेला लगता है।
   - (iii) भारत की दो लोक चित्रकारियों के नाम लिखिए।
   - (iv) तुकाराम और नरसी मेहता कौन थे?
   - (v) त्रिपिटक मूल रूप में किस भाषा में लिखे गए थे।
   - (vi) वाल्मीकि ने रामायण को किस भाषा में रचा।
   - (vii) सारंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है ।
   - (viii) कत्थक किस प्रकार का नृत्य है।
2. भारतीय शास्त्रीय संगीत का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. विभिन्न प्रकार की अलंकरण कलाओं का वर्णन कीजिए।
4. भारत की साहित्यिक विरासत का वर्णन कीजिए।
5. ''हमारी संगीत की विरासत बहुत महान है'' स्पष्ट कीजिए।

परियोजना कार्य

- अपने राज्य के लोक नृत्यों का विवरण एकत्र कीजिए।
- भारत के त्योहारों की एक सूची बनाइए।

अध्याय चार

विरासत का संरक्षण

हमारी विरासत न केवल विस्तृत और विविध है, अपितु अनेक प्रकार से अद्‌वितीय भी है। इस विरासत को, एक ओर तो भूमंडलीकरण के कारण होने वाले तीव्र परिवर्तनों, तो दूसरी ओर लोगों में इसके महत्त्व के प्रति जागरूकता में कमी के कारण, सुरक्षित रखना एक जटिल समस्या है। अन्य कई कारण भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ हैं : पर्यटन में अनियंत्रित वृद्‌धि, हमारे नाजुक पर्यावरण के प्रति लोगों की लापरवाही, पर्यटन के नाम पर अत्यधिक दोहन एवं विरासत के प्रति अवहेलनापूर्ण रवैया। हमारी कुछ परंपराएं, जो हमारे लोकाचार और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। परंपरागत कौशल और रूपों से हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य को विविधता मिलती है और पारंपरिक कलाकारों व कारीगरों को संरक्षण भी उपलब्ध होता है। इससे उन्हें आजीविका मिलती है और उनकी रचनात्मकता और कौशल को प्रोत्साहन मिलता है। हमारी विरासत हमारी राष्ट्रीय पहचान का दर्पण है। इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि इसके संरक्षण के लिए विभिन्न एजेंसियां उत्तरदायी हैं, परंतु लोगों की सहभागिता अति आवश्यक है।

विरासत का संरक्षण क्यों ?

कई बार विरासत के संरक्षण की आवश्यकता और अनिवार्यता पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ यह भी सोचते हैं कि विरासत के संरक्षण से कोई लाभ नहीं है लेकिन यह ठीक नहीं है। विरासत, देश और लोगों की पहचान को परिलक्षित करती है। व्यक्ति अपनी विरासत के साथ अपनी पहचान को जोड़ता है जो उसे गौरव प्रदान करती है। प्रत्येक को विरासत के अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए और इसकी प्रशंसा अथवा परंपराओं के अनुकरण में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपनी पारंपरिक कलाओं और हस्तकलाओं को बचाए रखने एवं संरक्षण द्‌वारा उनकी निरंतरता संभव हो पाती है।

हमारा विशाल पर्यटन उद्‌योग भी विरासत के दम पर चल रहा है। यह हमारी विरासत है जो पर्यटकों को हमारे देश की ओर आकर्षित करती है और लोगों को देश के एक भाग से दूसरे भाग को देखने के लिए प्रेरित करती है। यह उस क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक लाभ भी देती है।

विरासत का संरक्षण तभी संभव है, जब हम इसके प्रति तथा इसको प्रस्तुत खतरों के प्रति जागरूक हों। विरासत के संरक्षण में इसका पालन-पोषण समाहित होता है, जो इसकी वृद्‌धि और निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इस प्रयास में

सरकार के अतिरिक्त लोगों और समाज को मुख्य भूमिका निभानी होगी।

प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा

हमारी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई। यह सरकार को वन्य जीवों के संरक्षण और बचाव के लिए साधनों के संबंध में तथा राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और चिड़ियाघर के निर्माण के संबंध में परामर्श देने के साथ-साथ वन्य जीवन संरक्षण के प्रति जागरूकता भी पैदा करता है। वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, ने राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और आरक्षित क्षेत्रों को सुदृढ़ दर्जा प्रदान किया है। इसके प्रावधानों के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है। इन उद्यानों और अभयारण्यों ने विभिन्न प्रजातियों के लिए प्राकृतिक वास बचाए और बनाए हैं, जिनसे उनका बचाव और अस्तित्व सुनिश्चित हुआ है। विशेष पौधों और पशुओं को संकटापन्न सूची में डाल दिया गया ताकि उनके विनाश एवं हत्या को रोका जा सके। सरकार के अतिरिक्त अन्य कई समितियां और संस्थाएं हैं जो पर्यावरण और वन्य जीवन संरक्षण के कार्य को सक्रियता से कर रही हैं। बम्बई प्राकृतिक इतिहास समिति सबसे पुरानी है, जिसकी स्थापना 1883 ई. में हुई थी।

हमारी विरासत के संरक्षण के महत्त्व को अनुभव करते हुए संविधान निर्माताओं ने अनिवार्य बना दिया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य होगा कि वह "हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करे" तथा "वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों सहित पर्यावरण को बचाए और उसमें सुधार करे तथा प्राणियों के लिए करूणा भाव रखे।" संविधान ने यह भी निर्धारित किया कि "राष्ट्रीय महत्त्व के प्रत्येक स्मारक अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक स्थल तथा वस्तु को खराब होने, विरूपित, विनाश, हटाने, बेचने अथवा निर्यात से बचाना राज्य का दायित्व होगा।" संविधान ने संघीय सरकार और राज्य सरकारों के प्राचीन स्मारकों, स्थलों और अवशेषों की सुरक्षा के संबंध में दायित्व को परिभाषित किया है।

हमारी पुरातात्त्विक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए हमारी संसद ने 'प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958', को प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातात्त्विक खुदाई से निकली सामग्री और मूर्तियों, उत्कीर्ण सामग्री तथा अन्य समान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए पारित किया। यह अधिनियम भारत सरकार के 1904 के अधिनियम का विस्तार है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि कोई व्यक्ति अथवा एजेंसी, सरकार की अनुमति के बिना पुरातात्त्विक खुदाई नहीं कर सकती। इस उपाय ने अप्रशिक्षित व्यक्तियों अथवा खुदाई से पुरातात्त्विक स्थलों को चोरी-छिपे नष्ट होने से बचा लिया। इन उपायों के फलस्वरूप प्राचीन स्मारकों और पुरातात्त्विक स्थलों को, जिन्हें राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया गया, सुरक्षित और संरक्षित रखना संभव हो पाया है। राज्य सरकारों ने भी पुरातात्त्विक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानून बनाए हैं।

विरासत को बचाने का काम किसी विशेष स्मारक अथवा पुरातात्त्विक स्थल को मात्र 'संरक्षित' घोषित कर देने से समाप्त नहीं हो जाता। इन्हें ऐसे तरीके से बचाना होता है कि इन्हें और क्षति न पहुंचे। एक अन्य आवश्यक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि स्मारकों का संरक्षण एक बार का कार्य नहीं है,

हमें अपने पवित्र उपवनों को सुरक्षित रखना चाहिए

पवित्र उपवन अछूते वन के प्रदेश हैं। इनमें कुछ वृक्षों से लेकर सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में फैले सघन वन होते हैं। ये जनता के वन हैं। प्रत्येक उपवन किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। इनमें चराई और आखेट पर प्रतिबंध होता है। इनमें से केवल सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता है।

मेघालय में खासी पहाड़ियों के पवित्र उपवनों को *ला किलांग* या *लिंगदोह* कहा जाता है। आजकल ये उपवन केवल माफलांग और मौसमाई में ही सुरक्षित हैं। झारखंड में इन पवित्र उपवनों को *सरना* और *जहेड़ा* कहते हैं। सरनों पर समाज का स्वामित्व होता है। इन उपवनों पर कोई सरकारी वन अधिनियम लागू नहीं होता। राजस्थान में इन पवित्र उपवनों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। मेवाड़ में इन्हें *वनी*, अजमेर में *कींकड़ी*, जैसमलेर में *ओरन* तथा अलवर में *शामलात* देह कहते हैं। इन उपवनों में पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष खेजड़ी है। महाराष्ट्र में इन पवित्र उपवनों को *देव रहती* कहते हैं। इस राज्य में लगभग 250 पवित्र उपवन हैं। इनमें से अधिकतर पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी और कोल्हापुर जिलों में पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। इस राज्य में 240 पवित्र उपवन हैं। एर्णाकुलम जिलें में सबसे बड़े पवित्र उपवन को *इरिंगोल कावू* कहते हैं। इन उपवनों में उपयोगी औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ सर्पों को समर्पित हैं।

पापनाशम मंदिरों का समूह, आंध्र प्रदेश

क्योंकि इमारत पुरानी और जर्जर स्थिति में है इसलिए इसकी हालत को नियमित देखते रहना होगा और उपचार के उपाय करने होंगे।

[illegible]

किसी स्मारक के संरक्षण कार्य को करते समय यह बात दिमाग में सबसे ऊपर रखनी चाहिए कि इमारत की मरम्मत इस प्रकार हो कि इसका मूल रूप और स्थिति बनी रहे। स्मारकों और स्थलों के संरक्षण का कार्य केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं।

वर्तमान में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षा के अंतर्गत लगभग पांच हजार स्मारक और स्थल आते हैं।

संगमेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश

अपने स्मारकों और स्थलों को बचाने के लिए उठाए गए कदमों के फलस्वरूप इनको बचा लिया गया है। इनमें से कुछ दूरदराज, रास्ते से हट कर, दुर्गम स्थानों पर तथा भिन्न ऊंचाईयों और पर्यावरण में स्थित हैं। प्रत्येक स्मारक और स्थल की सुरक्षा और संरक्षण की अपनी अलग-अलग समस्याएं हैं। सामग्री की उपलब्धता, पारंपरिक कारीगरों की घटती संख्या, पहुंचने में कठिनाई इत्यादि कुछ अवरोधक कारण हैं। कुछ मामलों में उनके महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए, भविष्य में उस क्षेत्र के जलमग्न हो जाने की दृष्टि से, कुछ स्मारकों और स्थलों को अन्यत्र ले जाना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार का सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा है। नागार्जुनकोंडा, इक्ष्वाकुओं की राजधानी थी, जिन्होंने पहली सदी और तीसरी सदी के बीच शासन किया। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में संगमेश्वर मंदिर तथा पापनाशम मंदिर समूह श्रीशैलम जलविद्युत परियोजना के निर्माण के कारण जलमग्न होने जा रहे थे। इन मंदिरों को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में आलमपुर नामक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है।

आगरा का ताजमहल विश्व के आश्चर्यों में से एक है। क्षेत्र की औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकले वायु प्रदूषण से यह स्मारक धीरे-धीरे धुंधला हो रहा था। सरकार के अड़ोस-पड़ोस की प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने से तथा संरचना की नियमित सफाई करने से स्मारक की चमक पुनः लौट आई है।

ताजमहल, आगरा

पिछले वर्षों में, अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता और महत्त्व के प्रति जागरूकता के फलस्वरूप कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं ने भी इस काम को अपने हाथ में लिया है। पहले कदम के रूप में, इनमें से कुछ संस्थाओं ने सांस्कृतिक विरासत का सूचीकरण और दस्तावेज बनाने शुरू कर दिए हैं। अकेले स्मारकों से ध्यान हट कर विरासत के क्षेत्रों तक आ गया है जिनमें गलियां, कस्बे और शहर भी शामिल कर लिए गए हैं।

विरासत संरक्षण का अन्य पहलू प्राचीनता अथवा चल वस्तुओं से संबंधित है। इस दिशा में पहला विधायी उपाय भारतीय निधि व्यापार अधिनियम, 1876 का पारित होना था। इस अधिनियिम के द्वारा लोगों के लिए अचानक कोई वस्तु मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य बना दिया गया। इसने लोगों को, खजाने तथा प्राचीन वस्तुओं के लिए खुदाई करने पर रोक लगाई। ऐसी वस्तुएं, जिनके विषय में अधिकारियों को सूचित किया गया, हरजाना देने के बाद सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर ली गईं। इनसे संग्रहालय के लिए संग्रह करने में भी सहायता मिली।

पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972, के पारित हो जाने से लोगों तथा निजी संग्रहालयों के पास पुरावशेषों की जानकारी उपलब्ध हुई और कुछ आधुनिक भारतीय कलाकारों के कला कार्य को, जो इस समय जीवित नहीं हैं, बहुमूल्य कलाकृति घोषित किया गया। इसने पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों की तस्करी को नियंत्रित करने में सहायता की।

पुरावशेषों और स्मारकों की सुरक्षा में इन्हें और अधिक क्षय और क्षति से रोकने के लिए, रासायनिक सफाई और उपचार सम्मिलित हैं। इस कार्य के लिए न केवल कौशल और सहनशीलता आवश्यक है, अपितु समस्याओं की स्पष्ट समझ भी आवश्यक है।

संग्रहालय

हमारे देश में संग्रहालयों ने हमारी विरासत के संरक्षण और संरक्षक के रूप में उपयोगी भूमिका निभाई है। पुरानी पांडुलिपियों और वस्तुओं को संरक्षित रखने के लिए बनाई गई अन्य संस्थाओं की भूमिका भी समान महत्त्व की रही है। कुछ जैन भंडारों और बौद्ध गोम्पाओं ने बहुमूल्य और दुर्लभ पांडुलिपियों और वस्तुओं को सुरक्षित बनाए रखा। हमारे देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के संग्रहालय हैं जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय,

भारत में विश्व विरासत स्थल

अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र
एलिफेंटा की गुफाएं, महाराष्ट्र
ताज महल, आगरा, उत्तर प्रदेश
दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, पश्चिम बंगाल
पुराने गोवा के चर्च और कॉनवेंट, गोवा
खजुराहो समूह के मंदिर, मध्य प्रदेश
मुगल सिटी, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश
कुतुब मीनार संकुल, दिल्ली
बौद्ध स्मारक, सांची, मध्य प्रदेश
महाबोधि मंदिर समूह, बोध गया, बिहार
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान
एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र
आगरा का किला, उत्तर प्रदेश
सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा
स्मारक समूह, महाबलीपुरम, तमिलनाडु
स्मारक समूह, पट्टदकाल, कर्नाटक
हंपी स्मारक समूह, कर्नाटक
बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु
हुमायूं का मकबरा, दिल्ली
मानस वन्य जीव अभयारण्य, असम
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरांचल
सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल

मुंबई, सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, अथवा विभिन्न राज्यों द्वारा स्थापित संग्रहालय। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण स्मारकों अथवा उत्खनित स्थलों पर स्थापित पुरातत्व संग्रहालय, मानव विज्ञान से संबंधित मध्य प्रदेश में भोपाल का राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, अथवा हस्तकला संग्रहालय तथा प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय इत्यादि कुछ अन्य संग्रहालय हैं। नई दिल्ली में हमारी रेलवे विरासत को प्रदर्शित करता राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है। विभिन्न संस्थाओं ने भी हमारी विरासत के विभिन्न पहलुओं को पहचानने और प्रलेखीकरण करने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि इसकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए कदम उठाये जा सकें।

विरासत के संरक्षण में हमारी भूमिका

जबकि सरकार ने हमारी विरासत को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए कदम उठाए हैं और इसके लिए उत्तरदायी है, वहीं व्यक्तियों और समुदाय को भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वे अब तक अज्ञात स्मारकों, स्थलों और पुरावशेषों को पहचानने में सहायता कर सकते हैं, इन को सूचीबद्ध करने एवं इनके प्रलेखीकरण का काम कर सकते हैं और चौकसी रख रखते हैं, ताकि ये स्मारक क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट न हों, पुरावशेष हटाए न जाएं अथवा अपने स्थान से चुराए न जाएं। हमारा देश विशाल है और उतनी ही बड़ी संख्या में यहां स्मारक और पुरावशेष हैं। इस समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने में सहायक होगी।

झीलों और तालाबों को बचाइए

प्राचीन काल में झील और तालाब, भारत के ग्रामीण और नगरीय, दोनों ही क्षेत्रों में पीने और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत थे। दक्षिण भारत में अनेक तालाब थे। चोल, होयसाल और विजयनगर के राजाओं ने सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। अंग्रेजों ने तो केवल संसाधनों का शोषण ही किया था। विगत वर्षों में तालाब और आर्द्र भूमियां उपेक्षित रहीं और उन पर अवैध कब्जे होते रहे। इसी के परिणामस्वरूप जल का संकट और मानसून की ऋतु में बाढ़ों की विभीषिका झेलनी पड़ती है। इस प्रकार की विरासत की सुरक्षा के लिए समुचित ध्यान देना जरूरी है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) हमें अपनी विरासत का संरक्षण क्यों करना चाहिए।
   (ii) विरासत के आर्थिक लाभ क्या हैं?
   (iii) प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए क्या किया गया है?
   (iv) सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में एक नागरिक के कर्त्तव्य लिखिए।
   (v) विरासत के संरक्षण से संबंधित दो अधिनियमों का वर्णन कीजिए।
   (vi) संग्रहालय क्या होते हैं?
   (vii) विरासत के संरक्षण में लोगों की क्या भूमिका है?
2. विरासत की सुरक्षा और संरक्षण के कुछ उपायों का वर्णन कीजिए।
3. पुरातात्विक विरासत के संरक्षण में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्त्व स्थल और पुरावशेष अधिनियम 1958 के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
4. आंध्र प्रदेश में पापनाशम मंदिर समूह को किस सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया है?
5. गैर-सरकारी संस्थाएं सांस्कृतिक विरासत के प्रलेखीकरण में किस प्रकार सरकार की सहायता कर सकती है?

परियोजना कार्य

- अपने क्षेत्र के किसी स्थान की सांस्कृतिक विरासत को देखिए। विरासत की महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप उस विरासत के संरक्षण में क्या योगदान दे सकते हैं, लिखिए।

इकाई दो

संसाधन और उनका विकास

अध्याय पांच

भूमि और मृदा संसाधन

भूमि, जल, वनस्पति और खनिज प्रकृति के उपहार हैं। इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ये उपहार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं। ये लोगों की आर्थिक शक्ति और संपन्नता के आधार स्तंभ हैं। आदि मानव अपने भरण-पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों पर ही निर्भर था। धीरे-धीरे उसने औजारों, उपकरणों, तकनीकों और कुशलताओं का विकास किया। पर्यावरण के साथ अंत:क्रियाएं करते हुए, उसने अपने लिए उपयोगी वस्तुएं प्राप्त कीं। ये प्राकृतिक वस्तुएं उसके लिए प्राकृतिक साधन बने। इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों ने मानव को आर्थिक विकास का आधार प्रदान किया है।

मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर, अपने लिए रहने योग्य दुनिया बनाई। उसने मकानों, भवनों, सड़कों, रेलमार्गों, गावों, कस्बों, नगरों, मशीनों, उद्योगों और कई अन्य वस्तुओं की रचना की । ये सभी वस्तुएं भी बहुत उपयोगी हैं। इन्हें मानव-निर्मित संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक और मानव-निर्मित दोनों ही संसाधन जीवन के लिए अति आवश्यक हैं।

संसाधनों की कई विशेषताएं हैं, उनकी भारी उपयोगिता है। सामान्यत: संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। ये उपयोगी वस्तुएं बनाने में हमारी मदद करते हैं अथवा सेवाएं प्रदान करते हैं। संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। संसाधनों की उपयोगिता अथवा उनका प्रयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ बदलता रहता है।

संसाधनों के प्रकार

संसाधनों को कई प्रकार से बांटा गया है जैसे प्राकृतिक और मानव-निर्मित, नवीकरणीय और अनवीकरणीय तथा निजी, सामुदायिक व राष्ट्रीय संसाधन।

प्राकृतिक और मानव-निर्मित संसाधन : संसाधनों को सामान्यत: प्राकृतिक और मानव-निर्मित (सांस्कृतिक) वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति प्रदत्त हैं। भूमि, जल, खनिजों और वनों की गणना प्राकृतिक साधनों में की जाती है। ये संसाधन भी दो प्रकार के हैं : जैविक और अजैविक। भूमि, जल और मृदा अजैविक संसाधन हैं, जबकि वन और जीव-जंतु जैविक संसाधन हैं। कुछ खनिज भी जैविक हैं जैसे कोयला और कुछ खनिज अजैविक हैं जैसे लौह-अयस्क। मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को 'मानव-निर्मित संसाधन' कहते है। इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मशीनें, भवन, स्मारक, चित्रकलाएं और सामाजिक संस्थाएं कुछ मानव-निर्मित संसाधन हैं। इनके अतिरिक्त मनुष्य में अपनी बुद्धि, विवेक और कुशलताएं हैं। उसमें स्वास्थ्य और अन्य कई गुण भी हैं। ये

सभी उसके संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिए मानव संसाधनों का होना आवश्यक है।

नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन : कुछ संसाधन ऐसे हैं, जो एक निश्चित समय में अपनेआप बन जाते हैं। पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों में अपनेआप में पैदा करने की शक्ति होती है। वन और वन्य जीवन, नवीकरणीय संसाधन हैं। खनिज अनवीनीकरण योग्य संसाधन हैं। समाप्त होने के बाद, उन्हें दुबारा नहीं बनाया जा सकता। जल, वन, सौर ऊर्जा, पवन तथा ज्वारीय ऊर्जा कुछ महत्त्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन हैं।

संसाधन विकास

कई ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीधे उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें विशेष प्रयासों द्वारा इच्छित उपयोग के योग्य बनाते हैं। फसल उगाने के लिए सबसे पहले हमें खर-पतवार को निकालकर भूमि को साफ करना पड़ता है, फिर इसे जोतकर फसल उगाने योग्य बनाना पड़ता हैं। उसमें सिंचाई के लिए पानी भी ले जाना पड़ता है। खनिजों को भूमि से निकालना पड़ता है। मशीन और उपकरण बनाने से पहले उनका प्रगलन करना पड़ता है। इस प्रकार संसाधनों को उपभोग में लाने के लिए कई आवश्यक क्रियाएं जुड़ी होती हैं, जिनसे संसाधनों का विकास होता है।

प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग करते समय हमें उनकी प्रकृति, प्रकार और निक्षेपों के भंडारों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि भंडार सीमित हैं तो हमें उनकी कुछ मात्रा आने वाले समय और भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखनी चाहिए। महासागर जल, सौर-ऊर्जा, पवन-ऊर्जा और जलवायु जैसे संसाधन नवीकरणीय हैं। ये प्रकृति के उत्तम उपहार हैं। हमें यह देखना चाहिए कि कहीं इनका दुरुपयोग न हो। हमें अपने पक्षियों और पशुओं को भी मानव शोषण से संरक्षित करना चाहिए। जब हम भूमि का उपयोग कृषि के लिए करते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि भूमि की उर्वरता बनी रहे। लोहा, टिन, तांबा, सोना और चांदी समाप्त होने वाले साधन हैं, परंतु ये पुन: उपयोग के योग्य हैं। अत: हमें इन साधनों के पुन: उपयोग और पुनःचक्रण पर बल देना चाहिए। संसाधन विकास केवल उपयोग अथवा शोषण ही नहीं अपितु उनका संरक्षण व पुन: उपयोग भी है।

संसाधन नियोजन

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संसाधन सीमित हैं। हमारे देश में उनका वितरण असमान है। अत: संसाधनों के विकास के लिए नियोजन आवश्यक है। संसाधनों के उचित उपयोग की एक तकनीक अथवा कौशल है। संसाधन नियोजन के तीन स्तर हैं :

(i) संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी, विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन और संसाधनों के शोषण की योजना।

(iii) पहले स्तर पर सर्वे..ग, मानचित्र बनाना, संसाधनों की विशेषताओं और ..ों के मापन शामिल हैं। दूसरे स्तर पर संसाधनों का मूल्यांकन, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

(iii) तीसरा स्तर क्रियान्वयन परख योजना से संबंधित है, जिसमें संसाधन के उपयोग और उनके पुन: उपयोग पर बल दिया जाता है।

भूमि, वन, वन्य-जीव, जल और खनिज देश के महत्त्वपूर्ण संसाधन हैं। भूमि संसाधनों के सदुपयोग पर कृषि निर्भर है। उद्योग, वन्य-जीव, जल, खनिज, कृषि और शक्ति के संसाधनों का उपयोग करते हैं। परिवहन, संचार और व्यापार संसाधनों के विकास के लिए अवसंरचना प्रदान करते हैं। मनुष्य संसाधनों के विकास और प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ संसाधनों की संपन्नता, विकास और प्रबंधन पर निर्भर है। जनसंख्या के बढ़ते दबाब से संसाधनों का अधिक शोषण और अधिक उपयोग होता है। इससे संसाधनों की बर्बादी तथा प्रदूषण की समस्याएं पैदा होती हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से प्रदूषण होता है। इससे पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों का जीवन प्रभावित होता है। खनिजों के वैज्ञानिक शोषण से धूल और धुंआ अधिक पैदा होता है, और भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी बनाता है। इस प्रकार संसाधन नियोजन लोगों की कई प्रकार से मदद करता है। इससे संसाधनों की बर्बादी भी कम होती है, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है और भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है।

संसाधनों का संरक्षण

मानव द्वारा संसाधनों के प्रबंधन को संरक्षण कहते हैं। इसका लक्ष्य वर्तमान पीढ़ी को सतत लाभ प्राप्त कराना है। इसमें भावी पीढ़ी की आवश्यकता और आकांक्षाओं की पूर्ति का भाव भी निहित है। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध उपयोग ही संरक्षण है। विगत में हममें से अधिकतर लोगों ने संसाधनों की वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक तथा उनके संरक्षण की

चिंता कम किए बिना उनका अंधाधुंध उपयोग किया है। फिर भी इसके अपवाद हैं। कई समुदाय अपने निजी प्रयासों से पेड़-पौधों और पशुओं को अपने तरह से संरक्षण करने में जुटे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के बिश्नोई जाति के लोग पेड़-पौधों और पशुओं के संरक्षण के लिए कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। हमें अपने विगत अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए। हमें सही दिशा में विकास की बात सोचनी चाहिए। व्यक्तिगत लाभ के लिए हम भले ही विकास करें, परंतु सामाजिक हितों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

हमने कई प्रकार के संसाधनों का अध्ययन किया है। ये सभी संसाधन हमारे पर्यावरण के अंग हैं। इनके सही उपयोग से पर्यावरण को बनाए रखा जा सकता है। संसाधनों के दुरुपयोग और आवश्यकता से अधिक उपयोग द्वारा पर्यावरण को बिगाड़ा जा सकता है। नवीकरणीय योग्य संसाधनों के सही उपयोग से समस्याएं कम उत्पन्न होती हैं। आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग मौजूदा पर्यावरण की बर्बादी का कारण बनता है। अनवीकरणीय संसाधनों के प्रति तो और अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हें पुन: बनाया नहीं जा सकता। हमें इनके संरक्षरण के लिए अनेक उपाय अपनाने चाहिए।

हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारा देश बहुत विशाल है। यहां के उच्चावच–पर्वत, पठार व मैदानों में बहुत विविधता पाई जाती हैं। भारत की विशालता और विविधता उसका सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधन है। देश का लगभग 43 प्रतिशत भाग मैदानी है, जो हमें फसलों को उगाने के लिए सुअवसर प्रदान करता है। देश का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है। पर्वत हमें प्राकृतिक संसाधनों के रूप में वन और वन्य जीवन प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य और पारिस्थितिकी के लिए जाने जाते हैं। कुल क्षेत्र के लगभग 27 प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है। पठार, खनिज संसाधनों, वनों एवं कृषि योग्य भूमि से संपन्न हैं। पर्वतों और पठारों में नदी-घाटियां भी पाई जाती हैं। ये नदी-घाटियां मानव आवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं।

भारत की जलवायु मानसूनी है। हमारे देश में वर्धनकाल वर्ष भर बना रहता है। इससे हमारी भूमि कृषि और वनस्पति की दृष्टि से और भी अधिक मूल्यवान बन जाती है। लंबा वर्धनकाल विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। हमारे यहां वर्षा ऋतु विशेष होती है, अत: वर्षाकाल में जल की अधिकता बनी रहती है। जबकि ग्रीष्मकाल में जल की कमी रहती है। वार्षिक वर्षा में देश के एक भाग से दूसरे भाग में बहुत भिन्नता मिलती है। वर्षा के असमान वितरण के कारण पेड़-पौधों और फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भूभागों पर सिंचाई की जाती है। इससे इन राज्यों में फसल गहनता बढ़ी है।

पेड़-पौधों और फसलों की वृद्धि मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करती है। भूमि का मूल्य उसकी उर्वरता या उत्पादकता से निर्धारित किया जाता है। मृदा क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत जो महीन विखंडित शैल चूर्ण से बनी है, और पौधों के लिए उपयोगी है, को मृदा या मिट्टी कहते हैं। मृदा कृषि के लिए उपयोगी है। मृदा कृषि के लिए मूलभूत संसाधन है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों ही तत्त्वों का समावेश है।

मृदा के निर्माण और उसकी उर्वरता के विकास में कई कारकों का योगदान है। इनमें शैल, जलवायु, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, स्थानीय स्थलाकृति और समय की लंबी अवधि, महत्त्वपूर्ण कारक हैं। जिन शैलों से मृदा का निर्माण होता है उनका अपक्षय और अपरदन की प्रक्रियाओं द्वारा विखंडन और विघटन होता है। जलवायु, अपक्षरण की दर और वनस्पति के प्रकारों का निर्धारण करती है। भूमि की ढाल मिट्टी की मोटाई को निश्चित करती हैं। समयावधि मिट्टी को परिपक्वता प्रदान करती है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। इस प्रकार मृदा अपने निर्माण में वर्षों का समय लेती है। यह एक स्थान से अपरदित होकर दूसरे स्थान पर निक्षेपित हो जाती है। यह प्रक्रिया भूमि के ढाल और अपरदन के कारकों पर निर्भर करती है।

मृदा का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया जाता है। प्राचीन काल में मिट्टी को उर्वरता के आधार पर बांटा जाता था, जैसे उर्वर अथवा उपजाऊ मिट्टी और ऊसर अथवा अनुपजाऊ मिट्टी। मृदा को रंगों के आधार पर भी बांटा जाता है जैसे लाल, पीली, काली अथवा भूरी। गठन के आधार पर मिट्टी को बलुई, चीका, दुमट आदि प्रकारों में बांटा जाता है। भारतीय मिट्टियों को निम्नलिखित छ: वर्गों में बांटा गया है :

- जलोढ़ मिट्टियां
- काली मिट्टियां
- लाल मिट्टियां

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 5.1 भारत में प्रमुख मिट्टियों का वितरण

- लैटेराइट मिट्टियां
- पर्वतीय मिट्टियां, तथा
- मरुस्थलीय मिट्टियां

जलोढ़ मिट्टियां : जलोढ़ मिट्टियां देश के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती हैं (चित्र 5.1)। ये मुख्यत: उत्तरी मैदानों, तटीय मैदानों तथा छत्तीसगढ़ बेसिन (द्रोणी) में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टियां सामान्यत: दो प्रकार की होती हैं- *खादर* और *बांगर*। हम पहले पढ़ चुके हैं कि खादर नवीन जलोढ़क है। यह नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि बांगर प्राचीन जलोढ़क है जो नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। खादर, बलुई और रंग में हल्की होती है जबकि बांगर, चीकायुक्त और गहरे रंग की होती है। जलोढ़ मिट्टियों की उर्वरता अलग-अलग स्थानों पर भिन्न-भिन्न होती है, परंतु सामान्यत: ये बहुत उपजाऊ मिट्टियां होती हैं।

काली मिट्टियां : काली मिट्टियां दक्कन ट्रैप की देन हैं। ये मुख्यत: महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में काली मिट्टी सामान्यत: गहरी होती है। काली मिट्टी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों की मिट्टी कायांतरित शैलों से बनी हैं। सामान्यत: ये कम गहरी मिट्टियां हैं। काली मिट्टी को *रेगड़* मिट्टी भी कहते है। नदी-घाटियों में ये मिट्टियां अधिक उपजाऊ हैं, परंतु ऊंचे भागों में कम उपजाऊ हैं। इन मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी के कारण यह चिपचिपी हो जाती हैं। सूखने पर इस मिट्टी में बड़ी-बड़ी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए जानी जाती है।

लाल मिट्टियां : लाल मिट्टियां आग्नेय और कायांतरित शैलों के क्षेत्रों में बनी हैं। ये अपक्षय के कारण विकसित होती हैं। लौह अंश होने के कारण इन मिट्टियों का रंग लाल होता है। ये बहुत संरंध्र और उपजाऊ मिट्टियां हैं। ये मिट्टियां तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के भागों में पाई जाती हैं।

लैटेराइट मिट्टियां : मानसूनी जलवायु की तीव्र निक्षालन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप लैटेराइट मिट्टियों का निर्माण होता है। इन मिट्टियों में उपजाऊ तत्त्वों की कमी होती है। सामान्यत: फसल उत्पादन के लिए ये निम्नस्तरीय हैं। इनका रंग लाल होता है क्योंकि निर्माण लाल बलुआ पत्थर की बजरी और चीका से हुआ है। इसमें चीका का अंश कम तथा लाल बलुआ पत्थर की बजरी का अंश अधिक पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टियों का विकास दक्कन की पहाड़ियों, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और असम व मेघालय के कुछ भागों में हुआ है।

पर्वतीय मिट्टियां : ये मिट्टियां देश के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। इनका विस्तार विशेषकर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी श्रेणियों, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में है। यहां वनस्पति के कारण, इन मिट्टियों में जैविक अंश की अधिकता पाई जाती है। ये मिट्टियां बेमेल प्रकृति की होती हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं। शिवालिक श्रेणियों पर ये मिट्टियां कम गहरी तथा अपरिपक्व हैं। यहां इनमें अपघटित खनिज कणों की भारी मात्रा पाई जाती है। ये मिट्टियां बलुई, बजरी, सरंध्री और ह्यूमस रहित होती हैं।

मरुस्थलीय मिट्टियां : ये मिट्टियां शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इनका विस्तार राजस्थान, पंजाब व हरियाणा के विस्तृत शुष्क क्षेत्रों में है। कुछ बालू तो स्थानीय जनित है और कुछ सिंधु घाटी से उड़कर जमा हुई हैं। कई क्षेत्रों में घुलनशील नमक की अधिकता और जैव पदार्थों की कमी है। सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार से इन मिट्टियों का उपयोग किया जा सकता है।

मृदा अपरदन

प्राकृतिक कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटना, *मृदा अपरदन* कहलाता है। मृदा अपरदन प्रवाहित जल और पवन द्वारा होता है। इससे भूमि, कृषि के लिए अनुपयोगी बन जाती है। इस प्रकार से बनी भूमि को *उत्खात भूमि* कहते हैं। चम्बल-घाटी में इस प्रकार की बनी भूमि को *बीहड़ या खड्ड* कहते हैं। शुष्क क्षेत्रों विशेषकर मरुस्थलों में पवन, मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ाती रहती है। उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जमा देती है। मृदा अपरदन कई क्षेत्रों में खतरा बन चुका है। यह किसानों को फसल उगाने से रोकता है। इस प्रकार यह किसानों की संपन्नता को प्रभावित करता है।

अवनालिका अपरदन

यह सबसे विचित्र प्रकार का अपरदन है। इससे देश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि पहले ही उबड़-खाबड़ हो चुकी है। इस समस्या से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात विशेष रूप से प्रभावित हैं।

मृदा अपरदन को रोकने की कई विधियां हैं। अपरदित क्षेत्रों में जल प्रवाह की तीव्रता को कम करने के लिए छोटी-छोटी बंधिकाएं बनाना इनमें से एक है। वृक्षारोपण मृदा अपरदन को रोकने की दूसरी विधि है। हमें केवल सरकार के प्रयासों पर निर्भर

नहीं रहना चाहिए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें भी मदद करनी चाहिए।

भूमि उपयोग

भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। लेकिन भूमि उपयोग के आंकड़े हमें केवल 93 प्रतिशत क्षेत्र के ही उपलब्ध हैं। इसका 46.0 प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। 22 प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। 5 प्रतिशत बंजर भूमि है। परती भूमि 8 प्रतिशत है। 4 प्रतिशत भूमि पर स्थाई चरागाह हैं। 14 प्रतिशत भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है। देश के कुल क्षेत्रफल के 1 प्रतिशत भूभाग पर बाग हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 16 प्रतिशत से अधिक भाग पर वर्ष में एक से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं।

वर्तमान भूमि उपयोग के प्रतिरूप की तुलना 1950-51 के भूमि उपयोग से करें तो यह स्पष्ट होता है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ा है (चित्र 5.2)। इस अवधि में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि और बागों के अंतर्गत क्षेत्र घटा है।

ऊपर दिए गए चित्र से निम्नलिखित तथ्य उभर कर आते हैं। कुल क्षेत्रफल के लगभग 1 प्रतिशत भाग पर बाग हैं। स्थाई चरागाहों के अंतर्गत भूमि का अनुपात बहुत कम है। इससे कृषि भूमि पर पशु संख्या का भारी दबाव स्पष्ट होता है। पशुओं को मुख्यतः घास-फूस, कुटी, भूसा और अन्य चारे वाली फसलों पर पाला जाता है। 8 प्रतिशत परती भूमि है। परती भूमि पर दो-तीन वर्षों में एक बार खेती हो पाती है। यदि परती भूमि के क्षेत्र को कृषित भू-भाग में शामिल कर दिया जाए तो कृषि भूमि बढ़कर 54 प्रतिशत हो जाती है।

शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिरूप एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में यह 80 प्रतिशत से अधिक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों और मणिपुर में 10 प्रतिशत से भी कम हैं।

देश में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल वैज्ञानिक प्रतिमान एक-तिहाई से बहुत कम है। मानवीय क्रियाकलापों के बीच पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा। कुछ भूमि को बंजर भूमि के रूप में

चित्र 5.2 भारत में भूमि उपयोग

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 5.3 भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रारूप

वर्गीकृत किया गया है। इसमें शुष्क, पर्वतीय और मरुस्थलीय क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से कुछ तो मानव द्वारा वनों की कटाई और अति चराई का प्रतिफल है, जबकि कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं की ही देन हैं।

भूक्षरण एवं संरक्षण के उपाय

भूमि प्रकृति प्रदत्त उपहार है, जो हमें विरासत में मिला है। हमने इसका उपयोग अपनी बीती पीढ़ी के साथ किया है और आगे आने वाली पीढ़ी के साथ भी करेंगे। अब हमारा लालच इतना बढ़ गया है कि हमने भावी पीढ़ी के विषय में सोचना लगभग बंद कर दिया है। यह रुझान अच्छा नहीं है। हमारे जैसे कृषि प्रधान देश में इसके समापन और क्षरण की अनुमति किसी भी हालत में नहीं मिलनी चाहिए।

पर्वतीय, अद्र्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है। कहीं-कहीं मैदानी भाग भी मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित हैं। प्राकृतिक कारणों के अलावा कुछ मानवीय क्रियाएं भी ऐसी हैं जो भूमि क्षरण का कारण बनती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का ह्रास पशुओं द्वारा अति चराई, वनों की कटाई, और वनों के लापरवाही युक्त प्रबंधन से होता है। खनन और उद्योग, दो महत्त्वपूर्ण मानवीय क्रिया-कलाप हैं। पृष्ठीय खनन भूमि के क्षरण को बढ़ावा देता है। खनन कार्य पूरा होने पर भूमि खाली पड़ी रह जाती है। खनिज संसाधित प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर की पिसाई, क्रेशरों द्वारा पक्की रोड़ी की तुड़ाई और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योगों से भारी मात्रा में धूल उड़ती है और वायुमंडल में पहुंचती है। बाद में चलकर यही धूल निकटवर्ती क्षेत्रों में बैठ जाती है। यह जल और फसलों को प्रभावित करती है। हाल के वर्षों में औद्योगिक निस्राव और कूड़ा-कचरा देश के विभिन्न भागों में भूमि और जल-प्रदूषण का प्रमुख स्रोत बन गया है।

इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। इसका लगभग 28 प्रतिशत भाग वन भूमिक्षरण से, 57 प्रतिशत भाग जल ¬, 10 प्रतिशत भाग पवनों से और शेष भाग लवण और क्षरीय निक्षेपों से प्रभावित है।

चित्र 5.4 भारत की बंजर भूमियां

भूक्षरण को नियंत्रित करने के कई उपाय हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि के लिए सीढ़ीदार खेत बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण ढालों पर मिट्टी के कटाव को नियंत्रित कर सकता है। बंधिकाएं बनाकर अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पौधों की रक्षक मेखला बनाकर, पशुओं द्वारा अतिचराई को नियंत्रित कर और कांटेदार झाड़ियां उगाकर, बालू के टिब्बों को स्थिर करना आदि कुछ एक ऐसी विधियां हैं, जिनके द्वारा शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कृषि भूमियों में नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण, पशुओं की चराई को नियमित करना, बंजर भूमियों के उचित प्रबंधन और खनन क्रियाओं पर नियंत्रण आदि कुछ ऐसी विधियां हैं, जिनका उपयोग अद्र्धशुष्क क्षेत्रों में भूक्षरण को कम करने के लिए किया जा सकता है। औद्योगिक निस्रावों और कूड़ा-कचरा का उपचार के बाद सही निकासी और निपटान औद्योगिक और उपनगरीय क्षेत्रों में भूक्षरण को कम कर सकता है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   - (i) प्राकृतिक संसाधन क्या हैं ?
   - (ii) मानव-निर्मित संसाधनों के चार उदाहरण दीजिए।
   - (iii) संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है ?
   - (iv) संसाधन योजना क्या है ?
   - (v) मृदा किस प्रकार बनती है ?
   - (vi) मृदा का अपरदन किस प्रकार होता है ?
   - (vii) भूक्षरण का क्या अर्थ है ?
   - (viii) नवीकरणीय संसाधनों के तीन उदाहरण दीजिए।
2. अंतर स्पष्ट कीजिए :
   - (i) प्राकृतिक संसाधन और सां[illegible]िक संसाधन
   - (ii) नवीकरणीय संसाधन और अनवी[illegible]णीय संसाधन
   - (iii) पुन:उपयोगी संसाधन और पुन:अनुपयोगी संसाधन
   - (iv) लाल मिट्टयां और लैटेराइट मिट्टियां।
3. मानव प्राणियों के लिए संसाधन क्यों आवश्यक हैं ?
4. भारत में जलोढ़ और काली मिट्टियों के वितरण संक्षेप में लिखिए।
5. उद्योग भूक्षरण किस प्रकार करते हैं ?
6. निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए :
   - (i) मृदा अपरदन
   - (ii) भूसंरक्षण के उपाय

परियोजना कार्य

- (क) भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए :
  - (i) काली मिट्टी के क्षेत्र
  - (ii) चंबल के बीहड़ (खड्ड)
  - (iii) थार मरुस्थल

  (ख) इन क्षेत्रों की भूमि और वहां के लोगों के फोटो एकत्र कीजिए।
- (क) निम्नलिखित आंकड़ों को चक्रारेख द्वारा दिखाइए :

भारत में भूमि उपयोग 1998-1999

भूमि उपयोग	–	कुल भूमि का प्रतिशत
वन	–	22.5
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	–	46.6
परती भूमि	–	7.7
कृषि के लिए अप्राप्य भूमि	–	13.8
चरागाह भूमि और बागान	–	4.8
कृषि बंजर भूमि	–	4.6
योग		100.00

(ख) ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार पर संक्षेप में प्रतिवेदन तैयार कीजिए।

अध्याय छः

वन और जल संसाधन

वन नवीकरणीय संसाधन हैं। इनका हमारे आर्थिक विकास में विशेष योगदान है। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में वनों की प्रमुख भूमिका है। ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। वन स्थानीय जलवायु में सुधार करते हैं, मृदा अपरदन को नियंत्रित करते हैं, नदी प्रवाह को नियमित करते हैं तथा विविध उद्योगों की मदद करते हैं। वन कई समुदायों को आजीविका प्रदान करते हैं तथा मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराते हैं। ये पवनों की शक्ति को कम करते हैं और वायु के तापमान को प्रभावित करते हैं। वन अपनी तलों में भारी मात्रा में पत्तियां, कोपलें और शाखाएं बिछा देते हैं। विघटन के बाद इनसे ह्यूमस बनता है। वनों से औद्योगिक लकड़ी, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, चारा और अनेकों अन्य उपयोगी ओर मूल्यवान छोटे-बड़े उत्पाद प्राप्त होते हैं। वन्य जीवन के लिए ये प्राकृतिक पर्यावरण प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति (1988) जीवनदायनी तंत्र को बनाए रखने में वनों की भूमिका पर बल देती है। आज, पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना अति आवश्यक है। इससे सभी प्रकार के जीवन — मानव, पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों को सहारा मिलता है। ये लाभ प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

वनों के प्रकार

हम वनों के प्रकारों के संबंध में पिछली कक्षा में प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। वे हैं : उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां, शीतोष्णकटिबंधीय वन, अल्पाइन और टुंड्रा वनस्पति। हम पेड़-पौधों की जातियों, उनकी प्रकृति और उनके वितरण को निर्धारित करने वाले कारकों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हम यहां वनों के एक अन्य प्रकार के वर्गीकरण के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक उद्देश्य के आधार पर वनों को तीन वर्गों में बांटा गया है :

- आरक्षित वन
- संरक्षित वन
- अवर्गीकृत वन

आरक्षित वन वे वन हैं, जो इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थाई रूप से सुरक्षित किए गए हैं तथा इनमें पशुओं को चराने तथा खेती करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। *संरक्षित वन* वे वन हैं, जिनमें पशुओं को चराने व खेती करने की अनुमति सामान्य प्रतिबंधों के साथ दे दी जाती हैं। *अवर्गीकृत वन* वे वन हैं, जो अधिकतर दुर्गम हैं। वनों को

सघनता के आधार पर भी बांटा गया है जो सघन वन, खुले वन तथा मैंग्रोव वन के नाम से जाने जाते हैं।

इस समय भारत में लगभग 765 लाख हेक्टेयर भूमि पर वनों का विस्तार है, जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 23.3 प्रतिशत है। कुल वन क्षेत्र का 54.4 प्रतिशत भाग आरक्षित वनों, 29.2 प्रतिशत भाग संरक्षित वनों तथा शेष 16.4 प्रतिशत भाग अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है (चित्र 6.1)। देश में 59 प्रतिशत सघन वन हैं। 40 प्रतिशत खुले वन हैं। एक प्रतिशत से भी कम क्षेत्र पर मैंग्रोव वनों का विस्तार है (चित्र 6.2)।

वन

वन क्षेत्र और वन आवरण क्षेत्र में अंतर है। भारत में 765 लाख हेक्टेयर कुल वन क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 23.3 प्रतिशत है। इसमें वे क्षेत्र भी शमिल हैं, जो वनाच्छादित नहीं हैं। वास्तव में 637 लाख हेक्टेयर वनाच्छादित है जो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 19.4 प्रतिशत ही है।

चित्र 6.1 भारत में वनों के प्रकार

चित्र 6.2 सघनता के आधार पर वनों का विस्तार

भारत में वनों का वितरण बहुत ही असमान है। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में 86.9 प्रतिशत भू-भाग पर वनों का विस्तार है, जबकि हरियाणा में केवल 3.8 प्रतिशत भूभाग पर वन हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में 60 प्रतिशत से अधिक भूभाग पर वन हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू और कश्मीर में 10 प्रतिशत से कम भूभाग पर वनों का विस्तार है (चित्र 6.3)। बड़े क्षेत्रों पर वनाच्छादन का प्रतिशत कम है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 33 प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए। मोटे तौर पर हिमालय तथा प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के 60 प्रतिशत वन क्षेत्र तथा विशाल मैदानों के 20 प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना चाहिए। कनाडा, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में वनों का प्रतिशत भारत से अधिक है।

अत्यधिक उपयोग से वनों का ह्रास हुआ है, इससे पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ है। वनोन्मूलन से मृदा अपरदन तेजी से होता है और भूमिगत जल प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित करता है। सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी के द्वारा ग्रामीण समुदायों के लिए चारा तथा इंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। वृक्षारोपण मृदा का संरक्षण और नदियों के प्रवाह को नियमित कर सकता है। वन नाशन वन्य जीवन के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के वन्य पौधों को समाप्त कर सकता है। इससे पौधों के आनुवांशिक भंडार गंभीर रूप से बिगड़ सकते हैं।

वनों का रक्षण और संरक्षण

देश में वनों के रक्षण, संरक्षण और विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार निम्नलिखित उद्दश्य निर्धारित किए गए हैं :

- पारिस्थितिक संतुलन के परिरक्षण और प्रत्यास्थापन के द्वारा पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना;

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 6.3 भारत में वनों का वितरण

- प्राकृतिक विरासत का संरक्षण;
- नदियों, झीलों और जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा अपक्षरण पर रोक;
- राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्रों तथा समुद्रतटीय पट्टियों में बालू टिब्बों के विस्तार पर रोक;
- वृहत् वनरोपण और सामाजिक वानकी कार्यक्रमों के द्वारा वन आवरण क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि करना;
- जनजातियों एवं ग्रामीण लोगों के लिए जलाऊ लकड़ी, चारा, छोटे-मोटे वन उत्पाद तथा ईमारती लकड़ी उपलब्ध कराने हेतु उपाय करना;
- राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों की उत्पादकता को बढ़ाना;
- वन उत्पादों के कुशल उपयोग तथा लकड़ी के अनुकूलतम पूरक पदार्थों को बढ़ावा देना;
- मौजूदा वनों से दबाब को कम करने तथा राष्ट्रीय वन नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए, वृहत् जनआंदोलन के लिए आवश्यक कदम उठाना।

वनों का संरक्षण एक राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या को वन विभाग तथा अन्य विभागों के आपसी सहयोग द्वारा हल करना चाहिए। वनों के संरक्षण में आम लोगों की सहभागिता का विशेष महत्त्व है। हमें वन महोत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाने चाहिए। जिन क्षेत्रों में फसल उगाई नहीं जा सकती, उन क्षेत्रों में पेड़ लगाने चाहिए। हमें पेड़ों के महत्त्व के विषय में जनचेतना पैदा करनी चाहिए। सभी राष्ट्रीय उत्सवों के कार्यक्रमों को वृक्षारोपण के कार्यक्रमों से जोड़ना चाहिए।

वन्य जीवन

हम पिछली कक्षा में अपने संपन्न वन्य जीवन के विषय में पढ़ चुके हैं। भारत में 89, 000 से भी अधिक जीव-जंतुओं की जातियां हैं, 1200 जाति के पक्षी पाए जाते हैं और 2500 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके अलावा उभयचारी, सरीसृप, स्तनधारी तथा छोटे कीट और कृमि भी पाए जाते हैं। हाथी, उष्ण आर्द्र विषुवतीय वनों का एक विशिष्ट प्राणी है। यह असम, केरल और कर्नाटक के जंगलों में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे, असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऊंट राजस्थान के गर्म और शुष्क मरूस्थलों में पाए जाते हैं। जंगली गधे केवल कच्छ के रन में ही मिलते हैं। भारतीय बाइसन और नीलगाय विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के हिरण देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। गिर के सिंह और बंगाल के बाघ (टाइगर) प्रसिद्ध शिकारी जानवर हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। हिमालय की श्रृंखलाएं विभिन्न प्रकार के आकर्षक प्राणियों की वासस्थली हैं। इनमें जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी, छोटा पांडा और हिमतेंदुआ उल्लेखनीय हैं।

भारत में बंदरों की अनेक जातियां मिलती हैं। इनमें लंगूर सामान्य रूप से पाया जाता है। भारत में अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे पक्षी मिलते हैं। फीजेंट, मोर, हंस, बत्तख, मैना, टुइयां तोते, कबूतर, सारस, बगुले, धनेश (हार्नबिल), शंकर खोरा (सनविल्स) जंगलों और आर्द्र प्रदेशों के पक्षी रहते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है।

राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभयारण्य

राष्ट्रीय उद्यान तुलनात्मक रूप से एक विस्तृत क्षेत्र है, जहां एक या अनेक पारितंत्र पाए जाते हैं और जहां पेड़-पौधे और जीव-जंतु, भू-आकृतिक स्थल व आवास विशेष रूप से शैक्षिक और मनोरंजक रुचि के हैं। वन्य-प्राणी अभयारण्य भी राष्ट्रीय उद्यानों के समान ही हैं, ये यहां वन्य प्राणियों को संरक्षित और प्रजातियों को सुरक्षित करने के प्रति समर्पित हैं। *जैव आरक्षण* एक बहुउद्देश्य आरक्षित क्षेत्र है, जहां विशेष पारिस्थितिक तंत्र में आनुवंशिक विविधता को सुरक्षित रखा जाता है।

वन्य जीवन का संरक्षण

वन नाशन ने पेड़-पौधों और वन्य जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। कई वन्य जातियां पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। वन्य जीवन के प्राकृतिक वास को सुरक्षित करने तथा उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए देश में 89 राष्ट्रीय उद्यान, 490 वन्य प्राणी अभयारण्य और 13 जैव आरक्षित क्षेत्रों का विकास किया गया है।

बाघ परियोजना के अंतर्गत 27 बाघ आरक्षित क्षेत्र, 14 राज्यों में स्थापित किए गए हैं। हाथी परियोजना के अंतर्गत हाथियों की संख्या को उनके प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए आर्थिक और वैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। विशेष पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के अंतर्गत आर्द्र भूमियों, मैंग्रोव तथा प्रवालभित्तियों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए हैं। भारत में 20 आर्द्र भूमियां हैं। इनमें से अधिकांश आर्द्र भूमियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों से

संबंधित हैं। गहन संरक्षण और प्रबंधन के उद्देश्य से 15 मैंग्रोव क्षेत्रों की पहचान पहले ही जा चुकी है। प्रवाल भित्तियां, उच्च जैव उत्पादक क्षेत्र हैं। यह अनेक प्रकार की वनस्पतियों और प्राणियों में संपन्न है। चार प्रवाल भित्तियों की पहचान उनके उचित संरक्षण और प्रबंधन के लिए की जा चुकी है।

देश में जीव-जंतुओं और जैव विविधता के रक्षण और संरक्षण के लिए ये सभी परियोजनाएं और कार्यक्रम भविष्य में लंबे समय तक चलते रहेंगे।

जल संसाधन

ऐसा विश्वास किया जाता है कि भूमि पर धावा बोलने से पहले जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। वास्तव में जल ही जीवन की पहली शर्त है। भारत का यह बहुत महत्त्वपूर्ण और संकट ग्रस्त संसाधन है। वर्षा की मानसूनी प्रवृत्तियों ने इसकी प्रकृति को और भी अधिक संकटपूर्ण बना दिया है। इसके उपयोग की सूची लंबी है। इसकी मांग, पीने और घरेलू कार्यों में है। विभिन्न औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति में इसका उपयोग होता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कृषि में जल का उपयोग सिंचाई के लिए दिनोंदिन बढ़ता जाता है। नगरों के बढ़ते जाने और उनके आधुनिक जीवन जीने के तरीकों के कारण नगरों में जल की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है। केवल इतना ही नहीं जल-मल की निरंतर बढ़ती निकासी और सभी प्रकार की गंदगी के निपटान के लिए जल अपरिहार्य है।

जल के स्रोत

पृथ्वी पर जल का मूल स्रोत वर्षण है। वर्षण, वर्षा और हिमपात के रूप में होता है। जल का कुछ भाग वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में विलीन हो जाता है। इसका बहुत बड़ा भाग धरातलीय जल के रूप में बह जाता है। शेष जल रिस कर भूमि में समा जाता है। इसे भूमिगत या भौम जल भी कहते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 117 से.मी. है। थार मरूस्थल में 20 से.मी. से भी कम वर्षा होती है। पूर्वी भारत तथा प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तटीय पट्टियों में 200 से.मी. से अधिक वर्षा होती है। भारत के शेष भागों में 50 से 200 से.मी. के बीच वर्षा होती है।

धरातल पर जल पोखरों, तालाबों, नदियों और जलाशयों में पाया जाता है। नदियां धरातलीय जल के प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय नदियों का औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1, 869 अरब घन मीटर है। लगभग 690 अरब घन मीटर जल अथवा 36.92 प्रतिशत जल ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों में 60 प्रतिशत पृष्ठीय जल बहता है। जल विज्ञान के आधार पर भारत की नदियों को दो वर्गों में बांटा गया है- हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियों के उद्गम हिमानियां और हिम क्षेत्र हैं। अत: हिमालय की अधिकांश नदियां सदानीरा हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पूरी तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं। ये नदियां मौसमी हैं। अत: सिंचाई और जलविद्युत के निर्माण के लिए इनके जल को संग्रहण करने की आवश्यकता होती है। अभी तक भारत में 147 अरब घन मीटर जल संग्रह करने की क्षमता का विकास हुआ है। यह नदियों के कुल प्रवाहित जल का केवल 8.5 प्रतिशत है। इस प्रकार 91.5 प्रतिशत से अधिक धरातलीय जल सागर में चला जाता है। भारत में भौम जल की संभावित क्षमता लगभग 434 अरब घनमीटर है। इसका अधिकांश भाग भारत के मैदानी भागों में पाया जाता है। अभी तक हम 37 प्रतिशत भौम जल को ही उपयोग करने में समर्थ हो सके हैं।

जल संसाधन का उपयोग

जल के विविध उपयोग हैं। इनमें सिंचाई का पहला स्थान है। कुल उपयोग किए गए जल का 84 प्रतिशत भाग सिंचाई के काम आता है। जल की मांग अन्य कामों में बढ़ रही है। इससे भविष्य में सिंचाई के लिए पानी का प्रतिशत घट जाएगा। प्राचीन काल से ही पानी का उपयोग सिंचाई के लिए होता आ रहा है। कावेरी नदी से ग्रांड ऐनीकट का दूसरी शताब्दी में निर्माण किया गया था। सन् 1882 में उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया।

भारत में वर्षा कुछ महीनों तक ही सीमित रहती है। वर्षा की मात्रा अनिश्चित है। कभी वर्षा जल्दी प्रारंभ हो जाती है, तो कभी देर से। दोनों ही स्थितियों में फसल बुरी तरह प्रभावित होती हैं। कुछ फसलें जैसे चावल, जूट और गन्ना के लिए अन्य फसलों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है जिसे केवल सिंचाई के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। समय पर और पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।

हिमालय की सदानीरा नदियां, गहरी जलोढ़ मिट्टियां और क्रमिक मंद ढाल ने भारत के विशाल जलोढ़ मैदानों में नहरों का बनाना आसान कर दिया है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर इस प्रकार की नहरें बनाना अपेक्षाकृत कठिन और अधिक व्यय साध्य है। यहां तालाब और जलाशय बनाना आसान रहा है। तटीय मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधाएं पर्याप्त हैं।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 6.4 शुद्ध सिंचित क्षेत्रों का राज्यवार वितरण

भारत में सन् 1950-51 में 226 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की सुविधाएं विकसित थीं जो 1999-2000 में बढ़कर 847 लाख हेक्टेयर को उपलब्ध होने लगी हैं। सिंचाई की कुल संभावित क्षमता का 90 प्रतिशत भाग सिंचाई के उपयोग में लाया जा रहा है।

बहुउद्देशीय नदी-परियोजनाएं

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत आत्मनिर्भर बनने तथा लोगों का जीवनस्तर सुधारने के लिए योजनाबद्ध आर्थिक गतिविधियों में लगा हुआ है। इसके अंतर्गत कई नदी-घाटी परियोजनाएं विकसित की गई हैं। इनमें से कुछ बहुउद्देश्यीय नदी-घाटी परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं का अर्थ है समन्वित रूप से नदी-घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का हल करना। इनमें बाढ़ों के नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई और पीने के लिए पानी, उद्योगों, गावों और नगरों के लिए जल, विद्युत उत्पादन, अंतस्थलीय जल परिवहन और कई अन्य सुविधाएं, जैसे मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण और मत्स्यन का विकास शामिल है।

सिंचित क्षेत्र का वितरण

स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग चार गुणा बढ़ गया है। आज लगभग 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग 38 प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। विभिन्न राज्यों में सिंचित क्षेत्र के वितरण में बहुत असमानता है। मिजोरम में शुद्ध बोए क्षेत्र का केवल 7.3 प्रतिशत सिंचित है, जबकि पंजाब में यह 90.8 प्रतिशत है। कुल सिंचित क्षेत्र का अनुपात शुद्ध बोए गए क्षेत्र के संदर्भ में बहुत असमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु और मणिपुर में बोए गए कुल क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक भाग सिंचाई के अंतर्गत है (चित्र 6.4)।

भारत
शुद्ध बोए गए क्षेत्र की सिंचाई में विभिन्न साधनों का योगदान
(1997-98)

चित्र 6.5 शुद्ध बोए गए क्षेत्र की सिंचाई में विभिन्न साधनों का योगदान

प्रत्येक राज्य के अंतर्गत सिंचित क्षेत्रों में बहुत अंतर है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिले तथा गोदावरी-कृष्णा के डेल्टाई भाग, उड़ीसा का महानदी डेल्टा, तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, देश के सघन सिंचित क्षेत्र हैं।

भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं

परियोजना का नाम	नदी	लाभान्वित राज्य
दामोदर घाटी	दामोदर	झारखंड, पश्चिम बंगाल
भाकड़ा-नांगल	सतलुज	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
हीराकुंड	महानदी	उड़ीसा
कोसी	कोसी	बिहार (और नेपाल)
चम्बल घाटी	चम्बल	मध्य प्रदेश, राजस्थान
तुंगभद्रा	तुंगभद्रा	कर्नाटक, आंध्रप्रदेश
नागार्जुन सागर	कृष्णा	आंध्रप्रदेश
नर्मदा घाटी	नर्मदा	मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान
इंदिरा गांधी नहर (राजस्थान नहर)	व्यास, सतलुज	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान

भारत में सिंचाई के प्रमुख तीन साधन हैं- (क) नहर (ख) कुएं व नलकूप और (ग) तालाब। कुएं और नलकूप सिंचाई के सर्वप्रमुख साधन हैं। नहरों तथा तालाबों का क्रमशः दूसरा व तीसरा स्थान है। नहर सिंचाई का अधिकतम विकास विशाल मैदानों तथा पूर्वी तटीय मैदानों के महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टाओं में हुआ है। कुएं और नलकूप जलोढ़ मैदानों में लोकप्रिय हैं। तालाबों द्वारा सिंचाई पूर्वी तथा दक्षिणी राज्यों में होती है (चित्र 6.5)।

जल की बढ़ती मांग

पानी, प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है। फिर भी इसकी स्थैतिक एवं सामयिक वितरण की असमानता प्रायः मानव हितों, आजीविका तथा आर्थिक विकास को चुनौती देती रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की बढ़ती मांग, नकदी फसलों का उगाना, बढ़ते हुए नगरीकरण और लोगों के बढ़ते जीवनस्तर के परिणामस्वरूप पानी की कमी निरंतर बढ़ रही है। ये भविष्य में पानी की कमी की समस्या को गंभीर बनाएंगे।

आज भी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भागों में पानी की गंभीर समस्या है। सैकड़ों गांवों और यहां तक कि नगरों में भी पानी की गुणवत्ता घट रही है। इससे जलजनित अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं।

पीने के पानी की आपूर्ति तथा सफाई, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पीने के पानी की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए किए गए भारी प्रयासों के बावजूद पानी की मांग और उसकी आपूर्ति में भारी अंतर है। आज भी भारत में 8 प्रतिशत नगरों में पेय जल की आपूर्ति नहीं है। देश के लगभग 50 प्रतिशत गांवों में आज भी स्वच्छ, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का काम शेष हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में सिंचाई की सुविधाओं में बहुत विस्तार हुआ है, फिर भी दो-तिहाई कृषित क्षेत्र अभी भी वर्षा पर निर्भर है। हाल के वर्षों में कुओं और नलकूपों से जल की अधिक निकासी से भूमिगत जलस्तर गिर गया है। इससे भूमिगत जल संसाधनों में कमी आयी है। कई राज्यों में भूमिगत जल के अधिक मात्रा में निकालने से देश में भौम जल विकास कार्यक्रम के सामने गंभीर समस्या पैदा हो गई है। आज देश में जल की कम उपलब्धता व बढ़ती कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त किया जा रहा जल उपयोगिता के स्तर का नहीं है। घरों और औद्योगिक केंद्रों के अपशिष्ट जल, जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं।

जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन

उपलब्ध जल सीमित है। इसका वितरण भी असमान है। जल प्रदूषित भी है। उपभोक्ताओं के लिए संतुलित तथा पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए संरक्षण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। जल एक ऐसा साधन है, जिसका सीधा संबंध हर जीव से जुड़ा है। अतः यह समुदाय की संपदा है। जल संसाधनों के संरक्षण के उपाय विभिन्न स्तरों पर किए जाने की आवश्यकता है। जल संरक्षण के कुछ सामान्य उपाय इस प्रकार हैं : जल संग्रहण के लिए अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण, एक नदी बेसिन से दूसरी नदी बेसिन के लिए जल का स्थानांतरण और भूमिगत जल स्तर को उठाने के उपाय। जल एक राष्ट्रीय संपदा है। जल की कमी की समस्या को हल करने का निर्णय भी सरकार को लेना है। इसे अंतर्राज्यीय स्तर पर हल करना है। अंतर्राज्यीय जल विवादों को जल्दी से जल्दी निपटाना आवश्यक है। जल संरक्षण की विभिन्न तकनीकों में जल संभर विकास और वर्षा जल का संग्रहण अधिक महत्त्वपूर्ण है।

जल संभर विकास : नदी द्रोणी एक क्षेत्र है, जिसके जल को नदी और उसकी सहायक नदियां बहाकर ले जाती हैं। जल संभर सहायक नदी की द्रोणी है, इसमें एक छोटी नदी हो सकती है अथवा नहीं भी, परंतु जब कभी वर्षा होती है तो वहां से होकर जल बहता है और अंततः किसी न किसी नदी में मिल जाता है। इस प्रकार जल संभर एक भू-आकृतिक इकाई है और इसका उपयोग सुविधानुसार छोटे प्राकृतिक इकाई क्षेत्रों में समन्वित विकास के लिए किया जा सकता है। जल संभर विकास एक समग्र विकास की सोच है। इसमें मिट्टी और आर्द्रता का संरक्षण, जल संग्रहण, वृक्षारोपण, उद्यान कृषि, चरागाह विकास और सामुदायिक भूमि संसाधनों का तलोच्चन संबंधी कार्यक्रम शामिल है। इन सभी कार्यक्रमों में भूमि की क्षमता तथा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। इसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता की आवश्यकता होती है। इसके लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने आशाजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए कई योजनाएं अपने हाथों में ली हैं।

वर्षा जल संग्रहण : यह भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। इसमें वर्षा के जल को रोकने और इकट्ठा करने के लिए विशेष ढांचों जैसे कुएं, गडढे, बंधिका आदि का निर्माण करना शामिल हैं। इसके द्वारा न केवल जल का संग्रहण होता है, अपितु, जल को भूमिगत होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती है। भूमिगत जलाशयों में कृत्रिम पुनर्भरण तकनीक को अपनाकर वर्षा जल को इकट्ठा

किया जाता है। इससे घर परिवार की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य हैं :

(i) जल की बढ़ती मांग को पूरा करना,
(ii) धरातल पर बहते जल की मात्रा को कम करना,
(iii) सड़कों को जल भराव से बचाना,
(iv) भौम जल को इकट्ठा करने की क्षमता तथा जलस्तर को बढ़ाना,
(v) भौम जल प्रदूषण को घटाना,
(vi) भौम जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, तथा
(vii) ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शुष्क अवधि में जल की घरेलू आवश्यकता को पूरा करना।

भौम जल के पुनर्भरण के लिए कम लागत की कई तकनीकें हैं। इनमें जल को रिसने में सहायक गडढों का निर्माण, खेतों के चारों ओर गहरी नालियां खोदना, गडढों को फिर से भरना, और छोटी-छोटी नदिकाओं पर बंधिकाएं बनाना शामिल हैं। छत के पानी को टंकियों अथवा भूमि के नीचे आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है (चित्र 6.6)।

जल के कुशल प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

- जन-जागरण पैदा करना और जल के संरक्षण और उसके कुशल प्रबंधन से संबंधित सभी क्रिया-कलापों में लोगों को शामिल करना।
- बागवानी, वाहनों की धुलाई, शौचालयों और वाश-बेसिनों में उपचरित जल के उपयोग को रोकना।
- सभी जल [illegible] की ईकाइयों जैसे कुओं, नलकूपों आदि को पंजीकृत करना।
- भूमिगत जल निकास इकाइयों की निगरानी, जिससे उन्हें सूखने से बचाया जा सके।
- जलाशयों को प्रदूषण से बचाना। एक बार प्रदूषित होने पर जलाशय वर्षों बाद पुनः उपयोगी हो पाते हैं।
- जल की बर्बादी तथा जल-प्रदूषण को रोकने के लिए जल की पाइपलाइनों की तत्काल मरम्मत करना।

सभी क्षेत्रों के लिए कोई एक जैसे उपाय लागू नहीं किए जा सकते हैं। क्षेत्र-विशेष के जलसंसाधनों के विकास और प्रबंधन के लिए क्षेत्र से संबंधित स्थानीय लोगों को शामिल करना चाहिए।

चित्र 6.6 वर्षा जल संग्रहण

अभ्यास

1. निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) सुरक्षित वन क्या हैं ?
   (ii) भारत का कितने प्रतिशत भूभाग वनों से ढका है ?
   (iii) राष्ट्रीय उद्यान क्या हैं ?
   (iv) भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है ?
   (v) नदी घाटी परियोजना क्या है ?
   (vi) चार राज्यों के नाम बताइए जहां शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक भाग पर सिंचाई होती है।
   (vii) जल संभर विकास क्या है ?
   (viii) वर्षा जल संग्रहण क्या है ?
2. मानव के लिए वन किस प्रकार उपयोगी हैं ?
3. वन संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए।
4. जीवन में जल के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
5. हिमालय की नदियां सदानीरा क्यों हैं, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां मौसमी हैं।
6. भारत के असमाप्त होने वाले भौम जल संसाधन का वर्णन कीजिए।
7. भारत में विद्युत शक्ति और सिंचाई के विकास में नदी-घाटी परियोजनाओं के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।

परियोजना कार्य

- भारत के किन्ही चार राष्ट्रीय उद्यानों पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। प्रतिवेदन में मानचित्र और फोटोग्राफ शामिल हों।
- (क) भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए:
  (i) भारत की प्रमुख नदियां,
  (ii) महत्त्वपूर्ण नदी-घाटी परियोजनाओं की स्थिति और उनके नाम।

  (ख) निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रत्येक नदी-घाटी परियोजनाओं पर संक्षेप में लिखिए :
  - नदी जिस पर स्थित है
  - राज्य/राज्यों में स्थिति
  - सिंचित क्षेत्र
  - स्थापित विद्युत क्षमता।

अध्याय सात

कृषि

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी लगभग दो-तिहाई जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। इसका सकल घरेलू उत्पाद में 26 प्रतिशत योगदान है। यह देश के लिए खाद्य सामग्री सुनिश्चित करती है और उद्योगों क लिए अनेक कच्चे माल पैदा करती है। कृषि विकास इसलिए हमारी संपूर्ण राष्ट्रीय खुशहाली की पहली शर्त है।

कृषि के अंतर्गत भूमि

एग्रिकल्चर (कृषि) लैटिन भाषा के दो शब्दों 'एग्रोस' तथा 'कल्चर' से बना है। एग्रोस का अर्थ है 'भूमि' और 'कल्चर' का अर्थ है 'जुताई'। इस प्रकार कृषि (एग्रिकच्लर) का अर्थ 'भूमि की जुताई' से है। यद्यपि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, वानिकी और मत्स्यन भी शामिल हैं। वर्ष में एक बार बोई गई भूमि को *शुद्ध बोया क्षेत्र* कहते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र तथा एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को मिलाकर कुल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आज भारत में शुद्ध बोया क्षेत्र लगभग 143 लाख हैक्टेयर है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 46.6 प्रतिशत है। लगभग 230 लाख हैक्टेयर भूमि परती है जो कुल भूमि का लगभग 7.1 प्रतिशत है। परती भूमि के अनुपात में वर्ष दर वर्ष 5 से 7 प्रतिशत तक भिन्नता पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यद्यपि भारत संसार का सातवां बड़ा देश हैं। लेकिन शुद्ध बोए गए प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में पहला स्थान है।

शुद्ध बोए गए क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात के संदर्भ में देश के विभिन्न भागों में बहुत भिन्नता मिलती है। अरूणाचल प्रदेश में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कुल क्षेत्र का केवल 3.4 प्रतिशत है जबकि पंजाब में इसका अनुपात 84.2 प्रतिशत है (चित्र 5.3)। उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदानों का पंजाब से पश्चिम बंगाल और असम तक तथा तटीय मैदानों का विस्तार पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक है। इन मैदानों में गहन खेती की जाती है (चित्र 7.1)।

कृषि की दृष्टि से भारत एक अनोखा देश है। यहां विस्तृत समतल भूमि, संपन्न मृदा, अनेक प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त खुली धूप तथा लंबा वर्धनकाल से युक्त विविध जलवायविक दशाएं पाई जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं

स्वतंत्रता के बाद विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी केवल एक-तिहाई फसली क्षेत्र को ही

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होन
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 7.1 भारत – शस्य गहनता

सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो सकी हैं। उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा है। अधिक उपज देने वाले बीज विस्तृत भूभागों को उपलब्ध कराए गए हैं। इन्हीं के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न भागों में हरित क्रांति का विस्तार हुआ है। उससे विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज में तथा उनके कुल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इतनी प्रगति होने के बाद भी देश के कई भागों में अभी भी आत्मनिर्वाह कृषि की जाती है। अधिकांश किसानों के पास जोतें छोटी हैं, किसान उस पर मुख्यत: अपने उपयोग के लिए फसलें उगाता है। खेती के विभिन्न कामों में पशु महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेती मुख्यत: मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। कृषि उत्पादन में खाद्य फसलों का सर्वाधिक अनुपात है। लगभग एक-तिहाई जोतें छोटे आकार की हैं। इनका आकार एक-तिहाई हेक्टेयर से भी छोटा है। गावों में परिवहन के साधन अपर्याप्त हैं। यहां अधिकतर कच्ची सड़कें हैं। फसल भंडारण के लिए भी सुविधाओं की कमी है।

कृषि के प्रकार

भूमि की प्रकृति, जलवायविक विशेषताओं तथा सिंचाई की प्राप्त सुविधाओं के आधार पर भारतीय किसान विभिन्न प्रकार की कृषि करता है।

आत्मनिर्वाह कृषि : देश में बहुसंख्यक किसान आत्मनिर्वाह कृषि करते हैं। छोटी और बिखरी जोतों का ही होना तथा पुराने औज़ारों का उपयोग इस कृषि की विशेषताएं हैं। किसान प्राय: गरीब हैं। वे अपने खेतों में उर्वरकों व अधिक उपज देने वाले बीजों का उतना उपयोग नहीं कर पाते, जितना कि करना चाहिए। किसानों को सामान्यत: बिजली और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनके अभाव में निम्न उत्पादकता बनी रहती है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन का अधिकांश हिस्सा किसान और उसके परिवार-जनों में ही खप जाता है। जहां बिजली और सिंचाई की सुविधाएं सुलभ हैं, वहां कृषि में सुधार हुआ है। इन क्षेत्रों में गन्ना, तिलहन, कपास और जूट जैसी नकदी फसलें उगाई जाती हैं। इससे आत्मनिर्वाह कृषि व्यापारिक कृषि की ओर बढ़ रही है।

शुष्क कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। यहां सिंचाई सुविधाएं भी अपर्याप्त होती हैं। इन क्षेत्रों में नमी के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है तथा ज्वार, बाजरा, दलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों को पानी की कम आवश्यकता होती है। *आर्द्र कृषि* अधिक वर्षा वाले तथा सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। चावल, गन्ना और शाक-सब्जियां इन क्षेत्रों की मुख्य फसलें हैं। शुष्क कृषि के अंतर्गत वर्ष में केवल एक फसल उगाई जाती है, जबकि आर्द्र कृषि में वर्ष में कम से कम दो फसलें उगाई जाती हैं, एक खरीफ ऋतु में और दूसरी रबी की ऋतु में।

स्थानांतरी कृषि : इस प्रकार की कृषि में सबसे पहले वन भूमि से पेड़ों को काटकर और तना-शाखाओं को जलाकर साफ किया जाता है। जब भूमि का टुकड़ा साफ हो जाता है तो उसमें दो या तीन सालों तक फसलें उगाई जाती हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति के घटने पर भूमि के उस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद किसान भूमि के दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं और वहां भी इसी प्रक्रिया को पुन: अपनाते हैं। इस प्रकार की कृषि में सामान्यत: शुष्क धान, मक्का, मोटे अनाज और सब्जियां उगाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है।

रोपण कृषि : रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि है। इसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। यह एकल फसल कृषि है। इसमें रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और फलों की फसलें जैसे- सेब, अंगूर, संतरा, आदि उगाई जाती हैं। इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए कुशल प्रबंध, तकनीकी ज्ञान, मशीनों, उर्वरकों, सिंचाई और परिवहन सुविधाओं का होना आवश्यक है। कई रोपण कृषि क्षेत्रों जैसे चाय, कहवा और रबर बागानों या उनके निकट ही उन्हें संसाधित करने की फैक्टरी लगी होती हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तर-पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, पश्चिम-बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्रों, तथा प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरि, अनामलाई व इलायची की पहाड़ियों में की जाती है।

गहन कृषि : जिन क्षेत्रों में सिंचाई संभव हुई है, उन क्षेत्रों में किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे हैं। कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मशीनों के प्रयोग द्वारा कृषि का यंत्रीकरण हो गया है। इससे प्रति हेक्टेयर उपज में बहुत वृद्धि हुई है। गहन कृषि के कुछ क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ है।

प्रमुख फसलें

भारत में तीन फसल ऋतुएं हैं, जिन्हें खरीफ, रबी और ज़ायद कहते हैं। *खरीफ* ऋतु मानसून के आगमन से प्रारंभ होकर शीतऋतु के प्रारंभ तक (जून-जुलाई से अक्टूबर-नवम्बर) रहती है। इस ऋतु में चावल, मक्का, ज्वार-बाजरा, कपास, मूंगफली, मूंग, उड़द आदि फसलें उगाई जाती हैं। *रबी* की ऋतु

शीत ऋतु के आगमन के साथ प्रारंभ होती है तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन (अक्टूबर-नवम्बर से मार्च-अप्रैल) तक रहती है। गेहूं, जौ, चना और तिलहन (अलसी, तोरिया तथा सरसों) फसलें इस ऋतु में उगाई जाती हैं। *ज़ायद* ग्रीष्म की छोटी फसल ऋतु है। तरबूज और ककड़ी-खीरा आदि नदियों के किनारे बलुई भागों में उगाए जाते हैं। चावल, मक्का, सब्जियां और फल इस ऋतु की प्रमुख फसलें हैं।

भारत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, सुविधानुसार उन्हें निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं :

- खाद्यान्न
- दलहन और तिलहन
- रेशेदार फसलें
- पेय फसलें
- नगदी फसलें

खाद्यान्न

खाद्यान्न फसलें देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग तीन-चौथाई भाग पर उगाई जाती हैं। कुल कृषि उत्पादन में खाद्यान्न फसलों का लगभग 50 प्रतिशत योगदान है। चावल, गेहूं, ज्वार-बाजरा और मक्का महत्त्वपूर्ण फसलें हैं।

चावल : चीन के बाद भारत का चावल के उत्पादन में संसार में दूसरा स्थान है। यह कुल फसली क्षेत्र के एक-चौथाई भाग पर उगाया जाता है। इससे देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण-पोषण होता है। चावल एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी अच्छी उपज के लिए उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसके लिए लगभग 24° से. औसत मासिक तापमान की आवश्यकता होती है। बोने, बढ़ने और काटने की अवधि में चावल के लिए भिन्न तापमानों की आवश्यकता होती है। इसकी अच्छी उपज के लिए 100 से.मी. वर्षा आवश्यक होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की मदद से चावल मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब पैदा किया जाता है।

चावल देश के विस्तृत भागों में उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु (चित्र 7.2 क) चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसके उत्पादन का अधिकतर भाग स्थानीय रूप में ही खप जाता है। अत: चावल कम मात्रा में निर्यात हो पाता है। इसे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अरब गणतंत्र को निर्यात किया जाता है।

गेहूं : यह भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। देश के उत्तर और उत्तर-पश्चिमी भागों की यह सर्वप्रमुख फसल है। चीन के बाद भारत संसार का दूसरा प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है। गेहूं रबी ऋतु की फसल है। इसके लिए बोते समय 10° से 15° से. तथा पकते समय 20° से 25° से. तापमान की आवश्यकता होती है। 75 से.मी. वर्षा इसके उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त हैं। (चित्र 7.2 ख) इसके लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टियां आवश्यक हैं। चावल की तुलना में गेहूं की खेती में कम श्रम की आवश्यकता होती है। इसे देश के कुल बोए गए क्षेत्र के छठे भाग पर उगाया जाता है।

गेहूं की खेती भारत के मुख्यत: उत्तर-पश्चिमी भागों में की जाती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, राजस्थान और बिहार गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। आज देश गेहूं का निर्यात करने की स्थिति में है।

मोटे अनाज : *ज्वार*, *बाजरा* और *रागी* भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार भारत का तीसरा महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न है। 18° से 32° से. औसत मासिक तापमान इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसके लिए लगभग 30 से 60 से.मी. वर्षा की आवश्यकता होती है। ज्वार के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश हैं।

बाजरा भी शुष्क और कोष्ण जलवायु की फसल है। इसके उत्पादन की जलवायु दशाएं ज्वार के समान ही हैं। बाजरा का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है। बाजरा के अन्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा हैं।

रागी वर्षा पर निर्भर एक खरीफ फसल हैं। इसे अच्छे जल निकास वाली जलोढ़ दुमट और लाल या काली बलुई दुमट मिट्टियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक जलवायु दशाएं बाजरा के समान ही हैं। यह कर्नाटक और तमिलनाडु के शुष्क भागों में उगाई जाती हैं।

मक्का : यह एक मोटा अनाज है। इसका उपयोग खाने और चारे, दोनों के लिए होता है। इसे विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं और मिट्टियों में उगाया जाता है। यह मुख्यत: खरीफ की फसल है। मक्का 50 से 100 से.मी. वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की मदद से उगाई जाती है। इसके लिए 21° से. 27° से. तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसे अच्छे जल निकास वाली मिट्टी चाहिए। मक्का देश के कुल कृषि क्षेत्र के 4 प्रतिशत भाग पर उगाई जाती है। मक्का उत्पादन के प्रमुख राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 7.2 (क) भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 7.2 (ख) भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र

दलहन और तिलहन

दलहन : दालें, शाकाहारी भोजन के लिए प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। तूर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना प्रमुख दालें हैं। अरहर, उड़द और मूंग खरीफ की फसलें हैं। जबकि मसूर, मटर और चना रबी की फसलें हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को छोड़कर दालें देश के सभी भागों में उगाई जाती हैं। दालों के पौधे मृदा की उर्वरा शक्ति पुनर्स्थापित करने में सहायक होते हैं। अत: दालों को अन्य फसलों के साथ शस्यावर्तन के रूप में उगाया जाता है।

चना के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान हैं। चना के अन्य उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। अरहर मुख्यत: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में पैदा की जाती है।

तिलहन : भारतीय भोजन में वनस्पति तेल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। तिलहनों से तेल निकालते समय खली बच जाती है। खली पशुओं के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसका उपयोग पशुओं को खिलाने के लिए किया जाता है। मूंगफली, तिल, तोरिया, सरसों, अलसी, और अरंडी प्रमुख तिलहन फसलें हैं। सोयाबीन, बिनौला, सूरजमुखी तथा साफ्लावर से भी तेल निकाला जाता है।

मूंगफली, भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण तिलहन है। अकेले मूंगफली से देश का लगभग 50 प्रतिशत खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। ये राज्य देश के उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत खाद्य तेल पैदा करते हैं।

तिल वर्षा पर निर्भर फसल है। यह उत्तर भारत में खरीफ फ़सल के रूप में तथा दक्षिण भारत में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। यह भारत के प्राय: सभी भागों में उगाया जाता हैं, परंतु गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

तोरियां तथा सरसों, उत्तरी भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण तिलहन हैं। ये रबी की फसलें हैं। कभी-कभी इन्हें मिश्रित फसलों के रूप में उगाया जाता है। इनके प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हैं।

अलसी रबी की फसल है। रूस और कनाडा के बाद भारत का संसार में अलसी के उत्पादन में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, अलसी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

अरंडी छोटे पेड़ों वाली एक फसल है। इसे खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में उगाया जाता है। भारत में संसार की 20 प्रतिशत अरण्डी पै होती है। इसके उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

रेशेदार फसलें

कपास और जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। *कपास* उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसके लिए वर्ष में 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। यह खरीफ की फसल है। कपास की फसल को तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। फसल के तैयार होने के समय खुला मौसम आवश्यक है। इससे कपास में चमक बनी रहती है। इसके लिए काली और जलोढ़ मिट्टी उत्तम होती है। काटन बाल (डोंडे) को चुनने के समय सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कपास को मुख्यत: सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है।

चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत, कपास का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं (चित्र 7.3)।

जूट उष्ण और आर्द्र जलवायु की फसल है। जूट फसल को तैयार होने में 8 से 10 महीनों तक का समय लगता है। जूट के पौधे से रेशा प्राप्त किया जाता है। देश का लगभग सभी जूट पांच राज्यों – पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय में उगाया जाता है (चित्र 7.3)।

पेय फसलें

चाय और कहवा महत्त्वपूर्ण पेय फसलें हैं। भारत में *चाय* एक विशिष्ट रोपण फसल हैं। चाय, झाड़ियों की कोमल पत्तियों को संसाधित करके प्राप्त की जाती है। उष्ण और उपोष्ण फसल होने के कारण चाय उष्ण आर्द्र जलवायु में खूब अच्छी तरह पनपती है। चाय की उपज के लिए 20° से 30° से. तापमान आदर्श है। 150 से 200 से.मी. वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त है। उच्च आर्द्रता कोमल पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक है। यह उत्तम जल निकास वाली मिट्टी में खूब पनपती है। चाय श्रम-प्रधान फसल है। इसके लिए अधिक संख्या में सस्ते और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। चाय के बागानों में ही चाय को संसाधित किया जाता है। चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं। भारत, संसार में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।

इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचन... ...शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।

इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।

इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।

आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 7.3 भारत में कपास और जूट के उत्पाद क्षेत्र

कहवा भारत की दूसरी महत्त्वपूर्ण पेय फसल है। इसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु दशाएं आवश्यक होती हैं। कहवा की उपज के लिए 15° से 28° से. तापमान तथा 150 से 200 से.मी. वार्षिक वर्षा चाहिए। इसकी खेती नीलगिरि के चारों ओर पहाड़ियों में संकेंद्रित है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कहवा के प्रमुख उत्पादक (चित्र 7.4) राज्य हैं। भारतीय कहवा अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत मांग है। इससे एक अच्छी रकम विदेशी मुद्रा के रूप में मिलती है।

गन्ना : यह चीनी गुड़ और खांडसारी का प्रमुख स्रोत है। यह लंबी अवधि वाली फसल है। इस फसल के लिए 21° से 27° से. तापमान तथा 75 से 100 से.मी. वर्षा वाली गर्म और आर्द्र जलवायु आदर्श है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसके लिए सिंचाई आवश्यक है। लगभग 92 प्रतिशत गन्ने के क्षेत्र सिंचित हैं। इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। गन्ने की खेती के विभिन्न स्तरों में बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत संसार का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं (चित्र 7.5)।

रबर : विभिन्न जातियों के पेड़ों की क्षीर से रबर पैदा किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। इनमें टायर और ट्यूब भी शामिल हैं। रबर वृक्ष के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु आवश्यक है। इसके लिए अधिक वर्षा (लगभग 300 से.मी.) उपयुक्त है। भारत संसार का पांचवा बड़ा रबर उत्पादक देश है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और त्रिपुरा प्रमुख रबर उत्पादक राज्य हैं। देश की लगभग 97 प्रतिशत प्राकृतिक रबर की मांग घरेलू उत्पादन से पूरी हो जाती है।

तम्बाकू : भारत संसार में तम्बाकू का एक महत्त्वपूर्ण उत्पादक देश है। यह देश की महत्त्वपूर्ण नकदी फसल है। तम्बाकू का उपयोग धूम्रपान और चबाने के अलावा कीटनाशकों के निर्माण में भी किया जाता है। यह उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। अतः यह 16° से 35° से. तक विविध तापमानों पर उगाया जाता है। 100 से.मी. वर्षा वाले क्षेत्र तम्बाकू के लिए उपयुक्त हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई आवश्यक है। पाला, इस फसल के लिए हानिकारक है। इसकी कृषि के लिए जलवायु की अपेक्षा मिट्टी की उर्वरता अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह श्रम-प्रधान फसल है। तम्बाकू के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं। तम्बाकू के कुल उत्पादन का पांचवा भाग निर्यात कर दिया जाता है। रूस और यूनाइटेड किंगडम तम्बाकू के प्रमुख खरीदने वाले देश हैं। इसे जापान, मिस्र और श्रीलंका को भी निर्यात किया जाता है।

मसाले : मसाले हमारे भोजन को सुगंधित और स्वादिष्ट बनाते हैं। कुछ मसाले तो हमारे भोजन को सुपाच्य बनाने में सहायक है। मसालों के अंतर्गत विभिन्न पदार्थ शामिल हैं। इनमें कालीमिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक, प्याज, लहसुन, मिर्च और हल्दी शामिल हैं। कालीमिर्च और बड़ी इलायची विषुवतीय जलवायु के उत्पाद हैं। इण्डोनेशिया संसार में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। भारत का इनके उत्पादन और निर्यात में दूसरा स्थान है। मसालों के उत्पादन और निर्यात में केरल का पहला स्थान है। इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान आता है।

फल : भारत संसार में फलों और शाक-सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आम और केले के उत्पादन में तो भारत का संसार में पहला स्थान है। आम, केला, सेब, काजू, संतरा, अंगूर, आड़ू, नाशपाती और झरबेरी भारत में उगाए जाने वाले महत्त्वपूर्ण फल हैं। काजू के महत्त्वपूर्ण उत्पादक राज्य केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। भारत संसार का सबसे बड़ा काजू निर्यातक देश है।

आम सबसे महत्त्वपूर्ण फल है। फलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल के लगभग 38 प्रतिशत भूभाग पर आमों के क्षेत्र का विस्तार है। फलों के कुल उत्पादन में आम का 23 प्रतिशत हिस्सा है। आम देश के प्रायः सभी भागों में उगाया जाता है। सेब शीतोष्ण कटिबंधीय फल है। अतः यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी तथा उत्तरांचल में मुख्य रूप से उगाया जाता है।

केला उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। यह 150 से.मी. और इससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। यद्यपि केला देश के विभिन्न भागों में उगाया जाता है, परंतु तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 50 प्रतिशत से अधिक केला पैदा किया जाता है। संतरा एक महत्त्वपूर्ण रसदार फल है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, और तमिलनाडु संतरे के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं।

अंगूर, उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसकी उपज के लिए लंबी ग्रीष्म और छोटी शीत ऋतु अनुकूल होती है। उत्तर भारत में वर्ष में केवल एक फसल पैदा की जाती है। परंतु दक्षिण भारत में वर्ष में दो बार अंगूर की फसल ली जाती है। उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब उत्तर में और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक दक्षिणी राज्य हैं जहां अंगूर पैदा किया जाता है।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 7.4 भारत में चाय और कहवा उत्पादक क्षेत्र

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 7.5 भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र

भारत संसार की लगभग 13 प्रतिशत शाक-सब्जी उगाता है। मटर और गोभी के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। प्याज, बंदगोभी, टमाटर और बैंगन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। आलू के उत्पादन में भारत का संसार में चौथा स्थान है।

किसानों और खेती के लिए, काम आने वाले पशु भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए महत्त्वपूर्ण पारितंत्र का निर्माण करते हैं। खेतों पर काम आने वाले पशु, किसान के साथी हैं। इनकी मदद से खेतों की जुताई, बुवाई और कृषि उत्पादों की ढुलाई की जाती है। गाएं और भैंसें उन्हें दूध देती हैं (चित्र 7.6)।

भारत में संसार की लगभग 57 प्रतिशत भैंसें तथा 16 प्रतिशत गोधन पाया जाता है। आज भारत संसार का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यह मुख्यत: श्वेत क्रांति की ही देन है। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में देश की दो-तिहाई से अधिक गाएं पाली जाती हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम और गुजरात में भी गाएं काफी संख्या में पाली जाती हैं। संकर जाति की गायों का भी विकास किया गया है। भैंसों को मुख्यत: दूध के लिए पाला जाता है। अकेले उत्तर प्रदेश में देश की 25 प्रतिशत भैंसें पाली जाती हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक राज्यों में भी बड़ी संख्या में भैंसे पाली जाती हैं। सरकार द्वारा पशु संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत गोधन और भैंसों के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

चित्र 7.6 पशुधन का संघटन

पशु पालन और दुग्ध उत्पादन

पशु उत्पादन, कृषि का अभिन्न अंग है। ये परिवार जनों के लिए पोषक तत्त्व पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते हैं और परिवार की आय बढ़ाकर गरीबी को दूर करने में मदद करते हैं। ये छोटे और मध्यमवर्गीय बहुसंख्यकीय परिवारों के लिए बहुत बड़ा सहारा हैं। इस क्षेत्र में की गई प्रगति ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को संतुलित करती है और पशुधन से जुड़े निर्धन लोगों के आर्थिक स्तर में सुधार करती है।

भेड़ें सामान्यत: उन क्षेत्रों में पाली जाती हैं, जो कृषि एवं गाय-भैंसों के पालने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। देश में 20 प्रतिशत भेड़ें अकेले राजस्थान में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 50 प्रतिशत भेड़ें पाली जाती हैं। भेंड़ों से हमें ऊन, मांस और खाल प्राप्त होती है। बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। इनसे हमें दूध, मांस, ऊन / बाल और खाल मिलता है। भारत की 50 प्रतिशत से अधिक बकरियां बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। मुर्गीपालन से अभिप्राय घरेलू मुर्गीपालन से है। मुर्गियों को अंडों और पंखों के लिए पाला जाता है। मुर्गीपालन में चूजे, बत्तख, और टर्की शामिल हैं।

मछलियां प्रोटीन का महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। मत्स्य पालन दो प्रकार का है- समुद्री (खारे पानी) और अलवण जल का। पहले प्रकार के मत्स्य पालन में समुद्र तटीय क्षेत्रों से मछलियां पकड़ी जाती हैं। दूसरे प्रकार के मत्स्य पालन में नदियों, झीलों, तालाबों और जलाशयों से पकड़ी जाने वाली मछलियां शामिल हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत के विशेषकर सभी तटीय क्षेत्रों के लोगों की जीविका का महत्त्वपूर्ण साधन है।

रहट, लकड़ी का हल और बैलगाड़ी का प्रयोग विगत कई सदियों से भारतीय कृषि में होता आ रहा है। यह अपने में उत्तम प्रौद्योगिकी के प्रतीक स्वरूप है। भारतीय किसानों ने अपेक्षाकृत थोड़े-से समय में नई प्रौद्योगिकीय क्रांति का

अनुभव किया। रहट को पानी के पंप से, हल को हैरों से और बैलगाड़ी को ट्रक से बदल दिया गया। इसके बाद पक्की सड़कों और तीव्रतर संचार के उपलब्ध होने से किसान अपने कृषि उत्पादों को निकट व दूरवर्ती बाजारों तक लाने-ले-जाने में समर्थ हुआ है।

सिंचाई करते समय खेतों को पानी से लबालब भरने के स्थान पर अब ड्रिप सिंचाई और फव्वारों से सिंचाई की सुविधाएं मिलने लगीं हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अब बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। अब रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ जैव खादों का उपयोग किया जाने लगा है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इससे भी बढ़कर अधिक उपज देने वाले तथा कम समय में पकने वाले बीजों के विकास ने कृषि उत्पादन में क्रांति ला दी है। अब अधिक उपज देने वाले बीजों का विस्तृत क्षेत्रों में उपयोग होने लगा है। इन प्रौद्योगिकीय निवेशों ने बीसवीं शताब्दी के छठे

हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं

हरित क्रांति एक ऐसा वाक्यांश है, जिसका उपयोग सामान्यत: भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है। यह अधिक उपज देने वाले बीज, धरातलीय और भूमिगत जल का सिंचाई के लिए विकास, बड़े पैमाने पर उर्वरकों, पीड़क नाशकों और कीटनाशकों का उपभोक्ता, भूमि सुधार, विद्युतीकरण तथा मशीनीकरण की देन है।

और सातवें दशकों में 'हरित क्रांति' को जन्म दिया। भारत में श्वेत क्रांति ने हरित क्रांति का अनुसरण किया है जिसे आपरेशन फ्लड के नाम से पुकारते हैं।

समय-समय पर केंद्रीय और राज्य सरकारों ने कृषि सुधार के लिए विविध उपाय किए हैं। सरकार ने अपनी ओर से ही विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर कृषि को दिशा प्रदान की है। सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से कृषि सुधार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। सरकार ने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। इसके बाद छोटी जोतों की चकबंदी कर, उन्हें आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण निवेशों में रेडियों ओर दूरदर्शन की गणना की जाती है। इनका व्यापक उपयोग है। रेडियो और दूरदर्शन द्वारा किसानों को खेती की नवीनतम तकनीकों से परिचित कराया जाता है। फसल बीमा योजना एक और महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसके द्वारा फसल की बर्बादी की भरपाई का प्रावधान किया गया है। प्राय: फसलें प्राकृतिक आपदओं जैसे सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि, चक्रवात, आग, रोगों आदि से नष्ट हो जाती थीं और किसान को हानि उठानी पड़ती थी, परंतु अब फसल बीमा के द्वारा घाटे की पूर्ति संभव है। अब ऋण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए ग्रामीण बैंक तथा सहकारी समितियों द्वारा बहुत कम ब्याज पर किसानों को कृषि के आधुनिकीकरण के लिए ऋण की सुविधाएं सुलभ हैं। किसानों के लिए रेडियो और दूरदर्शन पर विशेष मौसम बुलेटिनों का प्रसारण किया जाता है, जिससे न केवल मौसम की जानकारी दी जाती है, अपितु मौसम विशेष में फसलों को बोने की तैयारी की विस्तृत जानकारी भी दी जाती है, जिसका किसान लाभ उठाते हैं। सरकार ने अनिश्चिता को दूर करने लिए विभिन्न फसलों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर किसान के हितों की सुरक्षा की है।

पिछले 50 वर्षों में देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में आशाजनक वृद्धि (चार गुनी से अधिक) हुई है। सन 1950-51 में 510 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। यह 1999-2000 में बढ़कर 2090 लाख टन हो गया है। इसी अवधि में जनसंख्या 1951 में 36 करोड़ 10 लाख थी, वही 2001 में बढ़कर 1अरब 2 करोड़ 70 लाख हो गई है। लगातार जनसंख्या वृद्धि होने के बाद भी हम सन् 2001 में 4 करोड़ 47 लाख टन खाद्यान्नों के भंडार बनाने में समर्थ हुए हैं। इस भंडार के कारण ही कई गंभीर सूखों का सामने करने में हम सफल रहे हैं। आज देश के पास अपने सभी नागरिकों का न्यूनतम खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त भंडार है। परंतु इस स्थिति को आगे आने वाले समय में बनाए रखना आसान काम नहीं है। सन् 2020 तक भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ हो जाएगी। इस विशाल जनसंख्या के लिए भारत में भारी मात्रा में खाद्यान्नों के साथ दलहनों, तिलहनों, शाक-सब्जियों और फलों की आवश्यकता होगी।

खाद्यान्नों के अतिरिक्त विशाल भंडारों के होते हुए भी, बड़ी संख्या में लोगों के पास दिन में दो बार भोजन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। भारत में 1999-2000 में भी 26 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे। गांवों में 27 प्रतिशत तथा नगरों में 23.6 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत काफी घटा है। यह 1993-94 में 36 प्रतिशत था जो 1999-2000 में घटकर 26

प्रतिशत रह गया। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या 66 करोड़ है। यह संख्या कोई कम नहीं है।

खाद्य फसलों के स्थान पर फलों, सब्जियों, तिलहनों तथा उद्योगों में प्रयुक्त होने कच्चे माल की फसलों को उगाने की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जा रही है। अतः खाद्यान्न तथा दलहनों के अंतर्गत शुद्ध बोया क्षेत्रफल घट रहा है। जनसंख्या बढ़ने के साथ खाद्य उत्पादन के घटने से देश के सामने भविष्य में खाद्य सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है। खाद्य उत्पादन में घटती प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है। 2000-01 में भारत में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 1990 लाख टन हुआ। फैक्ट्रियों, गोदामों तथा सुरक्षा स्थलों के निर्माण के कारण कृषि भूमि का अनुपात घटा है और कृषि के लिए उपजाऊ नई भूमि उपलब्ध नहीं है। भूमि की उत्पादन की क्षमता भी घट रही है। उर्वरकों, कीट नाशकों और पीड़क नाशकों के उपयोग ने कभी कृषि उत्पादन में चमत्कारी वृद्धि की थी, आज वहीं मिट्टी की गुणवत्ता को कम करने में लगे हैं। कभी-कभी पानी की कमी होने से सिंचित क्षेत्र भी घट जाता है। पानी के अकुशल प्रबंधन ने जलाक्रांति और क्षारीयता को बढ़ाया है।

इन परिस्थितियों में कृषि वैज्ञानिकों का यह दायित्व बन जाता है कि अपने एक अरब से भी अधिक लोगों की भूख मिटाने के लिए ऐसी कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाए जो पर्यावरण की दृष्टि से सतत् पोषणीय हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी भी एक पूरक उपकरण का काम कर सकती है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रति हेक्टेयर अधिक उपज लेने के लिए विभिन्न फसलों को आनुवंशकीय रूप से सुधारा जा सकता है। इससे हमारे भोजन, पशुओं के लिए चारा तथा रेशेदार फसलों की आवश्यकता आसानी से पूरी हो सकेगी। इस प्रकार की तकनीक को अपनाने से फसलों की कीड़े-मकोड़ों तथा बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे कीटनाशी दवाओं पर निर्भरता घटेगी। आनुवंशकीय रूप से बदली फसलों को अन्य फसलों की तुलना में पानी की आवश्यकता कम होगी। अन्ततः कृषि उत्पादन की कीमत घटेगी और पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार होगा। जैव प्रौद्योगिकी अमीर व गरीब दोनों प्रकार के किसानों को समान रूप से लाभ पहुंचाने में सहायक होती है। यह पर्यावरणीय सुरक्षा और उसे सतत् पोषणीय बनाए रखने में भी सहायक है।

वैश्वीकरण और इसका भारतीय कृषि पर प्रभाव

वैश्वीकरण का उद्देश्य अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है। इसको एक निश्चित समयावधि में पूरा करना है। यह स्वतंत्र एवं मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दर्शन पर आधारित है। वैश्वीकरण ने अब संसार के अनेक देशों को आपसी व्यापारिक समझौते करने की प्रक्रिया से मुक्त कर दिया है। वैश्वीकरण से सुनिश्चित होता है कि तुलनात्मक मूल्य पर उच्च कोटि की वस्तुएं ही बाजार में टिक सकेंगी। ये ऐसे दो कारक हैं जिनके लिए विकसित प्रौद्योगिकी तथा भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यह तथ्य औद्योगीकीय तथा प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित देशों को लाभ पहुंचाने वाले हैं।

भारत, अपने किसानों के कुछ एक उत्पादों को कृत्रिम रूप से संरक्षण देकर और उन्हें विदेशी होड़ से बचाता रहा है। उन्हें अब नए औद्योगिक पर्यावरण में खुल कर भाग लेने का अवसर मिला है।

इस बदलते परिदृश्य में हमें अपनी अनुकूल जलवायु और मृदा का सर्वोत्तम उपयोग करना है। हमारे पास अपेक्षाकृत कम खर्चीला पर्याप्त मानव श्रम है। हमें अपने लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। उन्हें नए और विकसित औजारों, उपकरणों, मशीनों से सुसज्जित करना चाहिए ताकि वे विकसित देशों के अपने प्रतियोगियों को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ सकें। वैश्वीकरण के साथ अब हम विभिन्न देशों से पर्याप्त पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से जुड़ने से कभी-कभी कई कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु आगे चलकर इससे लाभ होगा। पेटेंट और कठोर श्रम अकेले ही विकट कठिनाइयों व चुनौतियों में हमारी मदद कर सकते हैं, जिनका आज हम सामना कर रहे हैं।

विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में ठहरने के लिए भारत को अपनी विशाल कृषि क्षमता का सही और योजनाबद्ध तरीकों से उपयोग करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी तकनीकों का विकास करना चाहिए, जिन्हें विकसित देश अपना रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग इस संदर्भ में एक कदम हो सकता है। देश के भीतर ही कृषि उत्पादों के लिए आबंटित एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की रचना एक दूसरा कदम हो सकता है। इस कदम के लिए अवसंरचना के सघन जाल जैसे सड़कों, बिजली, सिंचाई की सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। किसानों और व्यापारियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्त्व है ?
   (ii) भारतीय कृषि के तीन लक्षणों के नाम लिखिए।
   (iii) रोपण कृषि क्या है ?
   (iv) भारत के तीन महत्त्वपूर्ण गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए।
   (v) देश के गन्ना-उत्पादक तीन राज्यों के नाम लिखिए।
   (vi) भारत के मसाले-उत्पादक तीन राज्यों के नाम लिखिए।
   (vii) भारत के तम्बाकू-उत्पादक तीन राज्यों के नाम लिखिए।
2. अंतर स्पष्ट कीजिए :
   (i) रबी और खरीफ फसलें
   (ii) शुष्क और आर्द्र कृषि
   (iii) चाय और कहवा खेती
3. भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
4. भारत में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को बढ़ाने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए।
5. भारत में पशु-पालन का क्या महत्त्व है ?
6. भारत में चावल की खेती के वितरण का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य

❖ (क) भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए:
   (i) कपास और जूट-उत्पादक क्षेत्र
   (ii) ज्वार-बाजरा और मक्का-उत्पादक क्षेत्र
   (iii) रबर और तम्बाकू-उत्पादक क्षेत्र

   (ख) भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक फसल की महत्ता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

❖ भारत की खाद्य सुरक्षा, इसकी आवश्यकता और प्रयासों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित कीजिए।

अध्याय आठ

खनिज़ और ऊर्जा संसाधन

खनिज देश के सबसे महत्त्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये आर्थिक व औद्योगिक विकास को आधार प्रदान करते हैं। प्रकृति में खनिज सामान्यत: ठोस, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं।

भारत खनिज संसाधनों में संपन्न है। यहां लौह-अयस्क और अभ्रक के विपुल भंडार हैं। मैंगनीज अयस्क, टिटेनियम, बाक्साइट और कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। टिन और निकिल के निक्षेप हमारी आवश्यकता भर के लिए हैं। तांबा, सीसा, जस्ता और सोना जैसे खनिजों की कमी है। लौह अयस्क, टिटेनियम, मैंगनीज अयस्क, बाक्साइट और ग्रेनाइट का निर्यात भी किया जाता है। इनके निर्यात से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तांबा, चांदी, निकिल, कोबाल्ट, जस्ता, सीसा, टिन, पारा, प्लैटिनम और ग्रेफाइट का हम आयात करते हैं।

खनिज

खनिज प्राकृतिक रासायनिक यौगिक हैं। इनके संघटन और संरचना स्वरूप में समानता पाई जाती है। ये शैलों और अयस्कों के अवयव हैं। इनकी उत्पत्ति भू-गर्भ में हो रही विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हुई है।

भारत में कुल मिलाकर 3000 से अधिक खानें हैं। लगभग 8,00,000 से अधिक लोग खनन कार्य में लगे हैं। खनिजों का देश के औद्योगिक उत्पादन में लगभग 11 प्रतिशत का योगदान है। देश का औद्योगिक विकास मुख्य रूप से खनिजों पर ही निर्भर है।

खनिजों के प्रकार

खनिजों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। भूविज्ञानी खनिजों का वर्गीकरण उनके रासायनिक और रवों की संरचना के आधार पर करते हैं। कई खनिज केवल एक ही तत्त्व से बने होते हैं, जबकि अन्य खनिजों की रचना दो या दो से अधिक तत्त्वों के मेल से होती है। सामान्यत: खनिजों को दो वर्गों में बांटा गया है : धात्विक और अधात्विक; धात्विक खनिजों को भी लौह (लौह से युक्त) और अलौह (लौह के अतिरिक्त अन्य धातु से युक्त) दो उपवर्गों में बांटते हैं। लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट सामान्य लौह खनिज हैं। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बाक्साइट, टिन और मैग्नीशियम अलौह खनिज हैं। नाइट्रेट, पोटाश, अभ्रक, जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम अधात्विक खनिज हैं।

खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कई खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, जबकि कुछ खनिज

अवसादी शैलों में मिलते हैं। लगभग सभी धात्विक खनिज अयस्क के रूप में मिलते हैं। अयस्क में कई अशुद्धियां होती हैं। अत: इन्हें उपयोग में लाने से पहले संसाधित करने की आवश्यकता पड़ती है।

खनिजों का वितरण

अगले पृष्ठों में हम भारत में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, तांबा, सीसा, बाक्साइट, अभ्रक और चूना पत्थर के वितरण के प्रतिरूपों के विषय में अध्ययन करेंगे।

लौह अयस्क : लोहा आधुनिक सभ्यता का आधार है। इसकी सर्वव्यापी उपयोगिता है। इसका उपयोग मशीनों के निर्माण, कृषि उपकरण तथा अन्य सामान्य उपयोग की वस्तुओं के बनाने में होता है। यह लौह अयस्क से प्राप्त होता है। लौह अयस्क के चार प्रकार हैं – मैग्नेटाइट (72 प्रतिशत लौह अंश) हैमेटाइट (60 से 70 प्रतिशत लौह अंश), लिमोनाइट (40 से 60 प्रतिशत लौह अंश) और सिडेराइट (40 से 50 प्रतिशत लौह अंश)। मैग्नेटाइट और हैमेटाइट झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिलता है।

भारत में संसार के लगभग 20 प्रतिशत लौह अयस्क के भंडार हैं। भारत में लौह अयस्क का खनन मुख्यत: छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटक राज्यों में होता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और दंतेवाड़ा जिले, झारखंड के पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले तथा उड़ीसा के सुन्दरगढ़, केन्दुझर और मयूरभंज जिले, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। गोवा का उत्तरी गोवा जिला तथा कर्नाटक के चिकमंगलूर और बेल्लारी जिलों में भी लौह अयस्क निकाला जाता है।

भारत में जितना लौह अयस्क निकाला जाता है, उसका लगभग आधा भाग मुख्यत: जापान, कोरिया, यूरोपीय देशों और खाड़ी देशों को निर्यात कर दिया जाता है। अकेला जापान ही हमारे द्वारा निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क के तीन-चौथाई भाग का खरीददार है। लौह अयस्क विशाखापत्तनम, पारादीप, मुरमूगांव और मंगलौर के पत्तनों से निर्यात किया जाता है।

मैंगनीज अयस्क : मैंगनीज अयस्क का उपयोग लोहा और इस्पात तथा मिश्रधातु बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाऊडर, कीटनाशकों, रंग-रोगन और बैटरी बनाने में भी किया जाता है। भारत में संसार के मैंगनीज अयस्क के कुल भंडार का पांचवा भाग पाया जाता हैं। मैंगनीज अयस्क में भंडार की दृष्टि से जिम्बाबवे के बाद भारत का संसार में दूसरा स्थान है। इस अयस्क के मुख्य भंडार कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में हैं।

मैंगनीज के उत्पादन में भारत का पांचवा स्थान है। भारत का 97 प्रतिशत मैंगनीज अयस्क महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में निकाला जाता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर राष्ट्रीय उत्पादन का आधे से अधिक मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करते हैं। 80 प्रतिशत मैंगनीज अयस्क की खपत देश में ही हो जाती है। शेष 20 प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है। सामान्यत: निम्नकोटि के मैंगनीज अयस्क का ही निर्यात किया जाता है। निर्यात होने वाले मैंगनीज अयस्क का दो-तिहाई भाग अकेला जापान खरीदता है।

तांबा : तांबे का उपयोग बर्तन, बिजली के तार तथा मिश्रधातु बनाने में किया जाता है। तांबा भंडार और उत्पादन दोनों में ही भारत संपन्न नहीं हैं। भारत के तांबा अयस्क में 1 प्रतिशत से भी कम (अंतर्राष्ट्रीय औसत 2.5 प्रतिशत) तांबे का तत्त्व होता है। अत: इसका खनन और प्रगलन बहुत व्यय साध्य है। देश के लगभग 90 प्रतिशत तांबे के सुरक्षित भंडार मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में केंद्रित हैं। तांबे का उत्पादन आवश्यकता से कम होने के कारण इसका आयात करना पड़ता है।

सीसा : सीसे का अयस्क गैलेना कहलाता है। सीसा मुलायम और भारी धातु है। यह ऊष्मा का कुचालक है। इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है। सीसा आक्साइड का उपयोग केबल, खोल, आयुध, रंग-रोगन, कांच और रबर बनाने में होता है। सीसा अयस्क देश के विभिन्न स्थानों में मिलता है। उत्पादन का अधिकतम भाग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से प्राप्त होता है। भारत में अपनी आवश्कता का केवल 25 प्रतिशत सीसे का उत्पादन होता है। शेष भाग आस्ट्रेलिया, कनाडा और म्यांमार से आयात किया जाता है।

बॉक्साइट : बॉक्साइट एक अयस्क है। इससे अल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अल्युमिनियम एक हल्की धातु है। इसका उपयोग वायुयान, बर्तन तथा अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट के विशाल भंडार हैं। यह भारत में अनेक स्थानों पर पाया जाता है। झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य इसके प्रमुख उत्पादक हैं।

अभ्रक : अभ्रक विद्युत निरोधक है। अत: इसका अधिकतर उपयोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। इसमें उच्च विद्युत वोल्टता सहने का गुण है। अभ्रक भारत के कई राज्यों में मिलता है, परंतु इसके अधिकतर भंडार और

उत्पादन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सीमित हैं।

भारत संसार का लगभग 60 प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है। आजकल अभ्रक के स्थान पर कई अन्य वस्तुओं का उपयोग होने लगा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग घटी है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोप के देश हमारे अभ्रक के प्रमुख खरीददार हैं। इसे प्राय: कोलकाता और विशाखापत्तनम पत्तनों से निर्यात किया जाता है।

चूना पत्थर : चूना पत्थर कैलशियम कार्बोनेटस अथवा कैलशियम और मैग्नीशियम कार्बोनेटस से बना है। यह अवसादी शैल है। यह गोंडवाना को छोड़कर प्राय: सभी भूवैज्ञानिक संरचना में पाया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्यत: (75 प्रतिशत) सीमेंट उद्योग में होता है। शेष चूने के पत्थर का उपयोग लोहे के प्रगलन तथा रासायनिक उद्योगों में होता है।

देश में प्राय: सभी राज्यों में चूना पत्थर पाया जाता है, परंतु देश के कुल उत्पादन का लगभग तीन-चौथाई चूना पत्थर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में निकाला जाता है।

खनिजों का संरक्षण

हम सभी जानते हैं कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन हैं। इन्हें एक बार प्रयुक्त करने पर दुबारा बनाया नहीं जा सकता। हमें इन खनिजों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि भावी पीढ़ी के लिए ये खनिज पर्याप्त मात्रा में सुलभ बने रहें। हमें इनका उपयोग सुनियोजित ढंग से करना चाहिए। खनन तथा संसाधन की प्रक्रियाओं में होने वाली बर्बादी को कम से कम करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए। खनिजों को बचाने के लिए उनके स्थान पर अन्य वस्तुओं के उपयोग के बारे में हमें सोचना चाहिए। जहां जैसे संभव हो धातुओं के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।

ऊर्जा संसाधन

आधुनिक जीवन में ऊर्जा एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यह मानवीय अथवा प्राणि ऊर्जा और यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा हो सकती है। विद्युत का उपयोग विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने में होता है। ऊर्जा की प्राप्ति ही आधुनिक आर्थिक क्रियाओं की पहली आवश्यकता है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं। उनमें से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक मैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वर्षा तथा जल ऊर्जा उल्लेखनीय है। इसमें से ऊर्जा के कई स्रोत समाप्त होने वाले व कई असमाप्त होने वाले हैं।

ऊर्जा के स्रोतों को परंपरागत व गैर-परंपरागत स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत (ताप और जल विद्युत दोनों) ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं, जबकि सौर, पवन, ज्वार, भूताप, परमाणु और बायोगैस ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है, जबकि गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। ये अपेक्षाकृत नए हैं।

उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वाणिज्यिक ऊर्जा और अवाणिज्यिक ऊर्जा। जलाऊ लकड़ी, लकड़ी का कोयला, गोबर और कृषि अवाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं।

ऊर्जा के परंपरागत स्रोत

कोयला : यह भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देश की लगभग 67 प्रतिशत ऊर्जा की पूर्ति कोयले से होती है। यह लोहा और इस्पात निर्माण उद्योग का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में मुख्यत: रसायन उद्योग में होता है।

कोयले की उत्पत्ति लकड़ी से हुई है। यह भू-पृष्ठ के नीचे अवसादी शैलों में पाया जाता है। लकड़ी से कोयला बनने में लाखों वर्ष लगे हैं। कोयला इतना अधिक उपयोगी है कि इसे प्राय: 'काला सोना' भी कहते हैं।

कोयले के चार प्रकार हैं - ऐन्थ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ऐन्थ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का है और पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है। ऐन्थ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 80 प्रतिशत से अधिक होती है। यह कठोर, काला और ठोस पदार्थ है। भारत में यह केवल जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। बिटुमिनस कोयले का सबसे अधिक उपयोग होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत होती है। बिटुमिनस झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लिग्नाइट में लगभग कार्बन की मात्रा 60 प्रतिशत पाई जाती है। यह निम्न कोटि का कोयला है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। यह राजस्थान, तमिलनाडु, असम तथा जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। पीट में कार्बन की मात्रा 50 प्रतिशत से भी कम होती है। यह लकड़ी की तरह जलता है। यह धुआं अधिक और ताप कम देता है।

भारत में कोयले के लगभग 2,14,000 करोड़ टन भंडार हैं। आजकल भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ टन कोयला और लिग्नाइट निकाला जाता है। कोयले के खनन कार्य में लगभग सात लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर-पूर्वी भाग में पाए जाते हैं (चित्र 8.2)। कुल उत्पादन का दो-तिहाई कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में निकाला जाता है। शेष एक-तिहाई कोयला आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी-बंगाल और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है।

लिग्नाइट, तमिलनाडु और गुजरात में पाया जाता है। नेवेली लिग्नाइट खान तमिलनाडु के विल्लुपुरम् जिले में है। भारत में उत्पादित कोयले के दो-तिहाई से अधिक भाग का विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है। 10 प्रतिशत कोयला लोहा और इस्पात, 4 प्रतिशत सीमेंट और शेष कोयले का उपयोग रसायन व उर्वरक उद्योगों तथा घरेलू काम में किया जाता है।

पेट्रोलियम : इसे खनिज तेल भी कहते हैं। खनिज तेल बहुत कम धुआं छोड़ता है। इसके जलने पर राख बिल्कुल नहीं बचती। इसका उपयोग अंतिम बूंद तक किया जा सकता है। भारत में खनिज तेल के कुल अनुमानित भंडार लगभग 400 करोड़ टन है। इसमें से केवल एक-चौथाई को ही निकाला जा सकता है।

भारत में लगभग 3.3 करोड़ टन कच्चे तेल का उत्पादन होता है। इसका 63 प्रतिशत कच्चा तेल मुंबई हाई से प्राप्त किया जाता है, 18 प्रतिशत गुजरात तथा 16 प्रतिशत असम से मिलता है। थोड़ी मात्रा में तेल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी निकाला जाता है।

पश्चिमी भारत में मुंबई हाई, बसीन और एलियाबेट महत्त्वपूर्ण अपतटीय तेल क्षेत्र हैं। गुजरात में अंकलेश्वर महत्त्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यह वदोदरा के दक्षिण में 80 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र का तेल ट्राम्बे, और कोयली परिष्करणशालाओं में परिष्कृत किया जाता है। लुनेज और कलोल तेल क्षेत्र अहमदाबाद के निकट स्थित हैं।

उत्तर-पूर्वी भारत में तेल असम में निकाला जाता है। यह देश का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक राज्य है। यहां तीन प्रमुख तेल क्षेत्र डिगबोई, नाहरकटिया और मोरन-हुगरीजान हैं। इन तेल क्षेत्रों का तेल असम में डिगबोई, गुवाहाटी और बोंगाईगांव तथा बिहार में बरौनी तेल परिष्करणशालाओं में परिष्कृत किया जाता है।

खनिज तेल अशुद्ध रूप में कुओं से निकाला जाता है। इस कच्चे तेल को परिष्करणशालाओं में साफ किया जाता है। आज देश में कुल 18 तेल परिष्करणशालाएं हैं। इनकी तेल पष्कृित करने की क्षमता 11.47 करोड़ टन प्रतिवर्ष है।

हाल के वर्षों में पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ गई है। इस समय प्रतिवर्ष 10.2 करोड़ टन तेल की मांग है। यह अनुमान लगाया गया है कि सन 2007 तक मांग बढ़कर 14.5 करोड़ टन तथा सन् 2012 तक 17.6 करोड़ टन हो जाएगी। इस समय पांच करोड़ टन पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया है। खनिज तेल के आयात पर देश को भारी विदेश मुद्रा खर्च करनी पड़ती है।

प्राकृतिक गैस : प्राकृतिक गैस खनिज तेल के साथ और खनिज तेल के बिना भी पाई जाती है। भारत में लगभग 2300 करोड़ घन मीटर प्राकृतिक गैस की खपत है। भारत में 70,000 करोड़ घन मीटर प्राकृतिक गैस के ज्ञात भंडार हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, असम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों का पता चला है। अकेले अंडमान में 4.76 करोड़ घन मीटर के विशाल भंडार है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस का विशाल क्षेत्र हाल ही में खोजा गया है।

भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2786 करोड़ घन मीटर गैस निकाली जाती है। इसका तीन-चौथाई से भी अधिक उत्पादन मुंबई हाई में होता है। दस प्रतिशत प्राकृतिक गैस गुजरात, 7 प्रतिशत असम तथा शेष आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और राजस्थान से प्राप्त की जाती है। घरों में काम आने वाली गैस को एल. पी. जी. (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) तथा वाहनों में प्रयुक्त गैस को सी. एन. जी. (कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस/संपीडित प्राकृतिक गैस) कहते हैं।

भारत में प्राकृतिक गैस के परिवहन, संसाधन प्रक्रिया और बाजार में आपूर्ति का दायित्व भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गेल) का है। यह भारत की गैस आपूर्ति की सबसे बड़ी कंपनी है। यह 4200 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइप लाइनों द्वारा परिसंचालन करती है। शक्ति केंद्रों तथा उर्वरक कारखानों को गैस की आपूर्ति करती है। इस कंपनी के पास 7 एल. पी.जी. आपूर्ति संयंत्र हैं। इनमें से दो मध्य प्रदेश, दो गुजरात, एक-एक असम, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हैं। भारत ने पेट्रोलियम और गैस परिवहन के लिए एक विशाल पाइप लाइन जाल का विकास किया है।

हाल के वर्षों में, भारत पेट्रोलियम उत्पादों का एक बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा आयातक देश बन गया है। वर्तमान खपत दर से भारत में सभी ज्ञात तेल भंडार लगभग 30-40 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोलियम और इसके उत्पादों के आयात का देश के आर्थिक विकास पर भारी दबाव पड़ेगा। पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल और डीजल) की कुल खपत में लगभग 50 प्रतिशत भाग परिवहन क्षेत्रों का है। इस खपत का 37 प्रतिशत अकेला सड़क परिवहन उपयोग करता है। 16 से 20 प्रतिशत तेल

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 8.1 भारत में कोयले के प्रमुख निक्षेप

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 8.2 भारत की तेल परिष्करणशालाएं

उत्पादों की खपत उद्योगों में होती है। कृषि क्षेत्र में डीज़ल का तथा घरेलू क्षेत्र में मिट्टी के तेल का उपयोग होता है। तेल व एल. पी. जी. के उपयोग खाना बनाने तथा नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है।

भारत
विद्युत की स्थापित क्षमता
(1998-99)

चित्र 8.3 भारत में विद्युत की स्थापित क्षमता

विद्युत : व्यक्तिगत तथा राष्ट्र की प्रगति और संपन्नता के लिए विद्युत बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत में विद्युत की कुल उत्पादन क्षमता 104917 मेगावॉट है (चित्र 8.3)। देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 379 किलोवॉट घंटे है। (संसार के विकसित देशों की तुलना में यह बहुत कम हैं) चीन में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 746 किलोवॉट घंटे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 11994 किलोवॉट घंटे है।

ताप विद्युत : ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से तैयार की जाती है। भारत में 310 से अधिक ताप विद्युत केंद्र हैं। असम, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, प्रमुख ताप विद्युत उत्पादक राज्य हैं। दूसरे महत्त्वपूर्ण ताप विद्युत उत्पादक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा तथा दिल्ली हैं (चित्र 8.4)। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत योगदान ताप विद्युत का है।

जल विद्युत : यह जल से पैदा की जाती है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन हैं। जल विद्युत के निर्माण के लिए जल को काफी ऊंचाई से गिराया जाता है। अतः जल के भंडारण के लिए नदियों पर बांधों का निर्माण किया जाता है। ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और गैस अनवीकरण योग्य संसाधन हैं। भारत में जितनी विद्युत पैदा की जाती है, उसमें 25 प्रतिशत का योगदान जल विद्युत का है। जल विद्युत भविष्य का ईंधन है। भविष्य में भारत की समृद्धि में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

एक अनुमान के अनुसार भारत में 1,50,000 कि. मेगावॉट जल विद्युत पैदा की जा सकती है। अभी तक इसके छठे भाग का ही विकास हो सका है। भारत में जल विद्युत योजनाओं की कुल विकसित क्षमता 23488 मेगावॉट है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पंजाब महत्त्वपूर्ण जल विद्युत उत्पादक राज्य हैं।

नाभिकीय विद्युत : यह यूरेनियम और थोरियम से बनाई जाती है। ये खनिज झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणियों में मिलते हैं। केरल के मोनाजाइट बालू में भी यूरेनियम तत्त्व हैं। भारत में थोरियम के विशाल भंडार (संसार में लगभग 50 प्रतिशत) हैं।

भारत में छः परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। ये तारापुर (महाराष्ट्र), चेन्नई के निकट कल्पक्कम (तमिलनाडु), कोटा के निकट रावतभाटा (राजस्थान), नरोरा (उत्तर प्रदेश), काकरापारॉ (गुजरात) और कैगा (कर्नाटक) में स्थित हैं। इन परमाणु ऊर्जा केंद्रों से सकल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 2720 मेगावॉट प्रतिवर्ष है जो कुल विद्युत उत्पादन का 4 प्रतिशत है।

ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत

हाल के वर्षों में ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की महत्ता बढ़ रही है। इनमें सौर, पवन, ज्वार, बायोगैस तथा कूड़ा-कचरा से प्राप्त ऊर्जा उल्लेखनीय हैं। हमारे देश में ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत विपुल हैं। ये नवीकरण योग्य, प्रदूषण मुक्त तथा पारिस्थितिकी-अनुकूल हैं। इसलिए ऊर्जा के इन स्रोतों का भविष्य उज्जवल है। ऊर्जा के विशेषज्ञों के अनुसार भारत में ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोतों की अनुमानित उत्पादन क्षमता 95,000 मेगावॉट है।

सौर ऊर्जा : उष्ण कटिबंधीय देश होने के कारण भारत में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता तथा उपयोगिता की अधिक संभावना है। यह लगभग 20 मेगावॉट प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलती है। देश के विभिन्न भागों में सौर ऊर्जा बहुत लोकप्रिय हो रही है। इसका उपयोग खाना बनाने, पंप द्वारा जल निकालने, पानी को गर्म करने, प्रशीतनन तथा सड़कों पर रोशनी के लिए किया जा सकता है।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 8.4 नाभकीय और तापीय विद्युत केंद्र

सौर संयंत्र

सौर संयंत्र, सौर ऊर्जा के सीधे अवशोषण से चलते हैं। इसमें परावर्तन करने वाली दर्पण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। कई गतिशील दर्पण, सूर्य की किरणों को केंद्रीय ऊंची मीनार के शीर्ष पर परावर्तित करते हैं, जहां भाप बायलर तथा विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र स्थापित होते हैं। सौर शैलों का उपयोग करके सौर विकिरण से सीधे विद्युत बनाई जा सकती हैं। यह सूर्य से विद्युत उत्पन्न करने का दूसरा तरीका है। इन शैलों में रवेदार सिलीकान जैसे पदार्थों का उपयोग होता है, जो सौर विकिरण को अवशोषित करके उसे सीधे विद्युत में बदल देते हैं।

थार मरूस्थल देश में सौर शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। देश में कई स्थानों पर सौर संयंत्रों की स्थापना की गई है। भारत का सबसे बड़ा सौर संयंत्र भुज के पास माधोपुर में दूध के डिब्बों को उबलते पानी में जीवाणु रहित करने के लिए स्थापित किया गया है। कई क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का घरेलू प्रकाश, लालटेनों और सड़कों को प्रकाशित करने के लिए किया गया है। सौर ऊर्जा का उपयोग शीत ऋतु में ठंडे क्षेत्रों में भवनों को गर्म रखने में किया जा सकता है।

पवन ऊर्जा : प्रारंभ में पवन फार्मों को स्थापित करने में ही लागत आती है। भारत में 20000 मेगावॉट पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता है। देश में लगभग 85 स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी उत्पादन क्षमता 4500 मेगावॉट है। ये स्थान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में स्थित हैं। देश में सबसे बड़ा पवन फार्म गुच्छ, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 150 मेगावॉट है। गुजरात भी पवन फार्म स्थापित करने के लिए बहुत अनुकूल है।

बायो गैस : ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोग के लिए झाड़-झंखाड़ों, कृषि के अपशिष्टों, जीव-जंतुओं और मानव मल-मूत्र के उपयोग से बायो गैस पैदा की जाती है। जैव पदार्थों के अपघटन से गैस बनती है। इस गैस की तापीय क्षमता, मिट्टी के तेल, उपलों, और लकड़ी के कोयले की तापीय क्षमता से अधिक होती है। बायो गैस संयंत्र नगरपालिक सहकारी समिति और व्यक्तिगत स्तर पर स्थापित किए गए हैं।

सुधरे चूल्हे

ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत चूल्हे उपयोग किये जाते हैं, जिनमें लकड़ी और उपलों का उपयोग किया जाता है। ये धुआं बहुत छोड़ते हैं। सुधरे चुल्हे धुआं नहीं छोड़ते और इनमें लकड़ी की खपत भी कम होती है। इस प्रकार के चूल्हों के उपयोग से कई लाख टन लकड़ी की बचत हुई है। ये महिलाओं के स्वास्थ्य को बिगड़ने से भी बचा चुके हैं।

ऊर्जा के अन्य गैर परंपरागत स्रोत : इनके अंतर्गत छोटे-छोटे जल विद्युत संयंत्र शामिल हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 5 मेगावॉट से कम होती है। भूतापीय, ज्वारीय तथा तरंग (समुद्र) ऊर्जा इसी श्रेणी में आती है।

ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण

भारत में ऊर्जा के संसाधनों के संरक्षण के लिए, ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001 बनाया गया है। यह मार्च 2002 से प्रभावी है। इसमें ऊर्जा के कुशल उपयोग, इसके संरक्षण के उपाय सुझाव गए हैं।

ऊर्जा के संरक्षण के लिए हमें

- सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अधिक से अधिक और निजी वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए।
- आवश्यकता न होने पर बिजली के स्विच बंद कर देने चाहिए।
- शक्ति बचाने की युक्तियां अपनानी चाहिए।
- अपने बिजली के उपकरणों को नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए।
- ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) धात्विक और अधात्विक खनिजों के तीन-तीन उदाहरण दीजिए।
   (ii) भारत के चार महत्त्वपूर्ण लौह-अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताइए।
   (iii) भारत के चार महत्त्वपूर्ण मैंगनीज अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम बताइए।
   (iv) भारत के चार बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताइए।
   (v) भारत के तीन प्रसिद्ध अभ्रक उत्पादक राजयों के नाम बताइए।
   (vi) वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं ?
   (vii) परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं ?
   (viii) गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के छः स्रोतों के नाम बताइए।
   (ix) भारत के तीन सबसे महत्त्वपूर्ण कोयला उत्पादक राज्यों नाम बताइए।
   (x) भारत के तीन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए।
2. अंतर स्पष्ट कीजिए :
   (i) धात्विक और अधात्विक खनिज
   (ii) वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक ऊर्जा
   (iii) ऊर्जा के परंपरागत और गैर-परंपरागत साधन
   (iv) ऐन्थ्रासाइट और बिटुमिनस कोयला
   (v) प्राकृतिक गैस और बायोगैस
3. भारत में लौह अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए।
4. भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालिए।
5. आप क्यों सोचते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है ?

परियोजना कार्य

❖ (अ) भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए:
   (i) बॉक्साइट
   (ii) लौह-अयस्क
   (iii) तांबा
   (iv) चूना पत्थर

(ब) इन खनिजों के नमूने इकट्ठा कीजिए।
(स) इनमें से प्रत्येक का उपयोग लिखिए ।

❖ (अ) भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए:
   (i) पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र
   (ii) तेल परिष्करणशालाएं
   (iii) गैस पाइप लाइनें

(ब) भारत के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के संबंध में एक संक्षिप्त लेख तैयार कीजिए।
(स) एल. पी. जी. के उपयोग के विषय में बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित सूचना इकट्ठा कीजिए।

अध्याय नौ

निर्माण उद्योग

प्राथमिक वस्तुओं या उत्पादों को उपयोग में लाने से पहले हम उन्हें संसाधित करते हैं। मशीनों द्वारा बड़ी संख्या या मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को निर्माण कहते हैं। हम कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लकड़ी से कागज, लौह अयस्क से लोहा, बॉक्साइट से अल्युमिनियम आदि वस्तुओं का निर्माण करते हैं। किसी देश की आर्थिक शक्ति उसके निर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। इन उद्योगों ने लोगों को रोजगार प्रदान कर उनकी कृषि पर निर्भरता को कम किया है। निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

यूरोप में घटित औद्योगिक क्रांति ने दुनिया भर में आधुनिक कारखानों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। कई सदियों पहले भारतवासियों को लौह अयस्क के प्रगलन की तकनीक का ज्ञान था। दिल्ली में कुतुबमीनार के निकट स्थित जंग- मुक्त लौह स्तंभ इसका ज्वलंत उदाहरण है। परंतु आधुनिक भारत में लौह अयस्क के प्रगलन की शुरूआत सन् 1830 में तमिलनाडु में हुई थी। सन् 1854 में पहली सफल सूती कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई। जूट का पहला कारखाना सन् 1855 में कोलकाता के निकट रिशरा नामक स्थान पर लगाया गया। भारतीय उद्योगों ने पहले और दूसरे, दोनों विश्वयुद्धों तथा सन् 1947 में भारत में विभाजन के समय भी भारी उतार- चढ़ाव देखें हैं। भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास सन् 1951 से प्रारंभ हुआ।

किसी उद्योग को स्थापित करने में कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों को दो वर्गों – भौतिक और मानवीय – कारकों में बांट सकते हैं। कच्चा माल, शक्ति के साधन व जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु भौतिक कारक हैं ; जबकि श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी व बैंक सुविधाएं तथा सरकारी नीतियां मानवीय कारक हैं।

उद्योगों का वर्गीकरण

उद्योगों को श्रमिक, कच्चा माल, स्वामित्व और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है। श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों को बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों में बांट सकते हैं। जिन उद्योगों में बहुसंख्यक श्रमिकों को रोजगार मिला होता है, उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। सूती कपड़ा उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है। वह उद्योग जो व्यक्ति विशेष के स्वामित्व एवं संचालन में छोटी संख्या में श्रमिकों की सहायता से चलाया जाता है, उसे छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। गुड़ और खांड बनाना, छोटे पैमाने के उदयोगों के उदाहरण हैं। कच्चे माल के भार के आधार पर उद्योगों को भारी और हल्के उद्योगों में बांटा जा सकता है। लोहा और इस्पात उद्योग भारी और अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे

माल का उपयोग करते हैं तथा इनके उत्पाद भी कच्चे माल के अनुरूप भारी होते हैं। अतः लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है। जिन उद्योगों में हल्के कच्चे माल का उपयोग होता है तथा उनका तैयार माल भी हल्का होता है, उन्हें हल्के उद्योग कहते हैं। बिजली के पंखे और सिलाई की मशीनों का निर्माण हल्के उद्योगों के उदाहरण हैं।

स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त तथा सहकारी वर्गों में बांटा जा सकता है। बजाज ऑटो तथा टाटा लोहा और इस्पात कंपनी (टिस्को), निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र और भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। इनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकारी हाथों में है। आइल इंडिया लिमिटेड (आइल) एक संयुक्त उद्यम है। इसका स्वामित्व संयुक्त रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में है। कई चीनी मिलें, सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योगों को कृषि-आधारित और खनिज-आधारित वर्गों में भी बांटा जा सकता है।

कृषि-आधारित उद्योग

सूती, जूट, रेशमी और ऊनी वस्त्र, चीनी तथा खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग हैं।

सूती वस्त्र : सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार बहुत प्रचीन काल से चला आ रहा है। परंतु आधुनिक सफल पहली सूती मिल की स्थापना सन् 1854 में मुंबई में हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। इसमें 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह विभिन्न उद्योगों में लगे श्रम का लगभग 20 प्रतिशत है। देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। इनमें से 79 प्रतिशत मिलें, निजी क्षेत्र में हैं और शेष 21 प्रतिशत मिलें, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में हैं।

इनके अलावा कई हजार ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें पांच से लेकर दस करघे लगी हैं। आज देश में 93 प्रतिशत सूती कपड़ा विकेंद्रीकृत क्षेत्र में तैयार किया जाता है अर्थात् मिलों के अलावा कपड़ा विभिन्न केंद्रों में तैयार होता है।

सूती वस्त्र उद्योग के प्रारंभिक वर्षों में इसकी अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थीं। कपास, बाजार, परिवहन और आर्द्र जलवायु की उपलब्धता ने इन राज्यों में सूती मिलों को स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। परंतु आज देश की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा तमिलनाडु में केंद्रित हैं (चित्र 8.1)।

महाराष्ट्र में मुंबई, शोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वदोदरा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में हैं। कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदीनगर, उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्र हैं। ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और देवास, मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। कोयम्बतूर, चेन्नई और मदुरै, तमिलनाडु के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं। विस्तृत बाजार, परिवहन, बैंक तथा विद्युत सुविधाओं ने देश में सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज सूती वस्त्र उद्योग कई ज्वलंत समस्याओं से ग्रसित है। इनमें उत्तम किस्म की कपास की कमी, मशीनों का पुराना पड़ जाना, अनियमित विद्युत आपूर्ति, श्रमिकों की निम्न उत्पादकता तथा कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्त्रों के साथ कड़ी स्पर्धा शामिल है।

भारत सूती वस्त्रों का निर्यात अधिकतर सिले-सिलाए कपड़ों के रूप में करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, यूरोप के पूर्वी देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका के देश भारतीय सूती सामान के मुख्य आयातक देश हैं।

जूट वस्त्र : सूती वस्त्र उद्योग के बाद यह भारत का दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्योग है। कच्चे जूट और जूट के बने सामान के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है। जूट के सामान के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद संसार में दूसरा स्थान आता है। भारत में जूट की लगभग 70 मिलें हैं। इनमें से अधिकांश मिलें पश्चिम- बंगाल में हैं। पश्चिम- बंगाल 80 प्रतिशत से अधिक जूट के सामान का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश में 10 प्रतिशत जूट का सामान तैयार होता है। शेष जूट का माल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा राज्यों में तैयार किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी के किनारे पर स्थित हैं। यहां मिलों के संकेंद्रित होने के प्रमुख कारक हैं : जूट- उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ते जल परिवहन का होना और जूट को संसाधित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता। इनके अलावा सस्ते श्रमिकों, बैंकों और बीमा सुविधाओं तथा निर्यात के लिए पत्तन सुविधाओं ने जूट उद्योग को यहां संकेंद्रित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 9.1 *भारत में वस्त्र उत्पादन के महत्त्वपूर्ण केंद्र*

स्वतंत्रता से पहले और बाद में भी भारत का जूट उद्योग, निर्यात के द्वारा अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता रहा है। इस समय जूट उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जूट के बने गलीचों और पैकिंग के सामान की मांग को बढ़ाने की आवश्यकता है। ऊंची उत्पादन लागत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा ने जूट के सभी प्रकार के उत्पादों की मांग घटा दी है। जूट वस्तुओं के बदले में उपयोग होने वाली कृत्रिम वस्तुओं ने भी इस उद्योग के सामने समस्या खड़ी कर दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, संयुक्त अरब गणराज्य, आस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम, भारतीय जूट उत्पादों के प्रमुख ग्राहक हैं।

ऊनी वस्त्र : यह देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योगों में से है। ऊनी वस्त्र उद्योग का मुख्य संकेंद्रण पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में हैं। धारीवाल, लुधियाना और अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र हैं। महाराष्ट्र में मुंबई इसका सबसे बड़ा केंद्र है। कानपुर, शाहजहांपुर, आगरा और मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं। अहमदाबाद और जामनगर, गुजरात के प्रमुख केंद्र हैं। पानीपत और गुड़गांव, हरियाणा के प्रमुख केंद्र हैं। बीकानेर और जयपुर, राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटक में बंगलौर भी देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं। हौजरी उत्पादक इकाइयां मुख्यतः पंजाब, हरियाणा तथा तमिलनाडु में स्थित हैं। भारतीय ऊनी सामान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूरोप के देशों को निर्यात किया जाता है। देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के सामने कच्चे ऊन की कमी, आंतरिक बाजार की कमी और ऊनी उत्पादों की निम्न गुणवता प्रमुख समस्याएं हैं।

रेशमी वस्त्र : भारत रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है। देश में चार प्रकार की रेशम – मलबरी, टसर, इरी और मूंगा पैदा की जाती है। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। इनके अलावा कई छोटी व मध्यम इकाइयां भी रेशमी कपड़ा उत्पादन करने में लगी हैं। भारत लगभग 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। 90 प्रतिशत से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर राज्यों में होता है। कर्नाटक में बंगलौर, कोलार, मैसूर और बेलगांव, रेशम के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और बांकुरा तथा जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला तथा श्रीनगर, रेशमी वस्त्र तैयार करने के प्रमुख केंद्र हैं।

भारतीय रेशम की मांग यूरोप और एशिया के देशों में बहुत है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर रेशमी कपड़ों के प्रमुख आयातक देश हैं। भारतीय रेशम उद्योग की चीन, थाईलैंड और इटली के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

कृत्रिम वस्त्र : मानव-निर्मित रेशों से बने वस्त्र हमारे वस्त्र उद्योग का महत्त्वपूर्ण अंग हैं। इनकी कुछ विशेषताओं जैसे मजबूती, टिकाऊपन, रंगने और बुनने में आसानी ने, वस्त्र उद्योग में क्रांति पैदा कर दी है। मानव-निर्मित रेशों को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्राय: प्राकृतिक रेशों जैसे कपास, रेशम और ऊन के रेशों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इस उद्योग का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में अधिक विस्तार हुआ है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योग के महत्त्वपूर्ण केंद्र हैं।

चीनी उद्योग : भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गुड़ और खांडसारी को मिलाकर चीनी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। चीनी उद्योग गन्ने पर निर्भर करता है। गन्ना भारी, समय के साथ वजन में घटने वाला तथा शीघ्र खराब होने वाला होता है। गन्ने की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर चीनी मिलें, गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। देश में 460 से अधिक चीनी मिलें हैं। लगभग 50 प्रतिशत मिलें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात भी देश के महत्त्वपूर्ण चीनी उत्पादक राज्य हैं। देश के उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिणी राज्यों के गन्ने में चीनी तत्त्व अधिक होता है। अत: चीनी उद्योग के दक्षिणी राज्यों में स्थापित होने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है।

खनिजों पर आधारित उद्योग

जो उद्योग अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर हैं, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं।, लोहा और इस्पात, सीमेंट तथा रसायन उद्योग, खनिज आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं।

लोहा और इस्पात उद्योग : भारत में लोहा और इस्पात का पहला कारखाना सन् 1830 में पोर्टोनोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था । परंतु कुछ कारणों से इसे बंद करना पड़ा। आधुनिक लोहा और इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ सन् 1864 में पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित होने के साथ हुआ। लोहा और इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन सन् 1907 में जमशेदपुर (अब झारखंड), में कारखाने की स्थापना के साथ हुआ। इसके बाद

पश्चिम बंगाल में बर्नपुर तथा कर्नाटक में भद्रावती में इस्पात के कारखाने लगाए गए। स्वतंत्रता के बाद विदेशी सहयोग से लोहा-इस्पात के कई कारखाने स्थापित किए गए। इस समय देश में 10 समन्वित लोहा और इस्पात संयंत्र हैं (चित्र 9.3 तथा सारणी 9.1)। इनके अतिरिक्त देश में लगभग 200 विकेंद्रित द्वितीयक इकाइयां हैं, जिन्हें लघु या छोटे इस्पात संयंत्र कहते हैं।

लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है। इसमें भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले कच्चे माल का उपयोग होता है। इनमें लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, चूना पत्थर और मैंगनीज अयस्क उल्लेखनीय हैं। यही कारण है कि लोहा और इस्पात उद्योगों की स्थिति कच्चे माल के उत्पादक क्षेत्रों से नियंत्रित है। इनका उत्पादित माल भी भारी होता हैं। अतः इनके वितरण के लिए उत्तम परिवहन तंत्र का होना अति आवश्यक है। विशाखापत्तनम् ही एक ऐसा संयंत्र है, जिसकी स्थिति तटवर्ती है। देश के अन्य सभी समन्वित लोहा ओर इस्पात संयंत्र भारतीय प्रायद्वीप के खनिज संपन्न उत्तर-पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में स्थित हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लोहा और इस्पात संयंत्रों का प्रबंध भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन है। इस समय देश में लगभग 2.7 करोड़ टन कच्चा इस्पात पैदा किया जाता है।

अल्युमिनियम प्रगलन : अल्युमिनियम प्रगलन भारत का दूसरा महत्त्वपूर्ण धातु उद्योग है। अल्युमिनियम में लचीलापन होता है तथा यह विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है। दुनियाभर में अनेक उद्योगों के लिए अल्युमिनियम एक सर्वमान्य धातु है। इसकी लोकप्रियता इसलिए और भी बढ़ रही है क्योंकि यह कई उद्योगों में इस्पात, तांबा, जस्ता और सीसा के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। एक टन अल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बाक्साइट तथा 18, 600 किलोवॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। अल्युमिनियम के उत्पादन के लागत मूल्य में 30 से 40 प्रतिशत तक विद्युत की कीमत होती है। इससे स्पष्ट होता है कि अल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइट और सस्ती बिजली की उपलब्धता से पूरी तरह प्रभावित होती है।

आज देश में 8 अल्युमिनियम संयंत्र हैं। ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। ये सभी संयंत्र मिलकर प्रतिवर्ष लगभग 6.2 लाख टन अल्युमिनियम का उत्पादन करते हैं।

तांबा प्रगलनः भारत में पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा घाटशिला नामक स्थान पर झारखंड में स्थापित किया गया था। सन् 1972 में भारतीय तांबा निगम को हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया। तब से हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड भारत में एकमात्र तांबा उत्पादक संस्थान है। इसके दो केंद्र है: एक सिंहभूम जिले में घाटशिला के निकट मऊभंडर नामक स्थान पर झारखंड राज्य में तथा दूसरा राजस्थान के झुनझुनू जिले में खेतड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इन जिलों में स्थित तांबे की खानों के निकट ही तांबे के प्रगलन संयंत्र लगाए गए हैं। खेतड़ी के तांबा प्रगलन संयंत्र को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित मलंजखंड खान से भी तांबा अयस्क की आपूर्ति की जाती है। आयातित अयस्क पर आधारित, एक नई तांबा परियोजना, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थापित की जा रही है। भारत 43 हजार टन तांबा ब्लिस्टर (आंशिक रूप से परिष्कृत) उत्पादित करता है। इससे देश की केवल 50 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति होती है। शेष 50 प्रतिशत तांबा, जाम्बिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से आयात करना पड़ता है।

रासायनिक उद्योगः भारतीय रासायनिक उद्योग का देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस उद्योग का देश में तेजी से विकास हो रहा है। यह तीव्र वृद्धि अकार्बनिक और कार्बनिक, दोनों प्रकार के रासायनिक उद्योगों में दिखाई पड़ रही

सारणी 9.1 भारत : समन्वित लोहा और इस्पात संयंत्र

1. टाटा लोहा और इस्पात कम्पनी, जमशेदपुर, झारखंड तथा एक सहायक इस्पात वर्क्स, गोपालपुर, उड़ीसा।
2. भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल।
3. विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड, भद्रावती, कर्नाटक।
4. भिलाई लोहा और इस्पात संयंत्र, छत्तीसगढ़ (रूस के सहयोग से)।
5. राऊरकेला इस्पात संयंत्र, उड़ीसा (जर्मनी के सहयोग से)।
6. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, पश्चिम बंगाल (ब्रिटेन के सहयोग से)।
7. बोकारो इस्पात संयंत्र, झारखंड (रूस के सहयोग से)।
8. सेलम इस्पात संयंत्र, तमिलनाडु।
9. विशाखापत्तनम् इस्पात संयंत्र, आंध्र प्रदेश।
10. विजयनगर इस्पात संयंत्र, कर्नाटक।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 9.2 *भारत में समन्वित लोहा और इस्पात संयंत्र*

है। भारी अकार्बनिक रसायनों के अंतर्गत गंधक का तेजाब (इसका उपयोग उर्वरक, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक रंग- रोगन आदि के निर्माण में होता है।), नाइट्रिक एसिड, क्षारीय सामग्री, सोडा ऐश (जिसका उपयोग कांच, कागज, साबुन तथा वाशिंग पाउडर बनाने में होता है।) तथा कास्टिक सोडा आते हैं। भारी कार्बनिक रासायनिक उद्योगों के अंतर्गत पेट्रोरसायन प्रमुख हैं। इनका उपयोग कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं, रंग- रोगन तथा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। अकार्बनिक रासायनिक उद्योग, देश के विभिन्न भागों में विस्तृत हैं, जबकि कार्बनिक रासायनिक उद्योग, तेल परिष्करणशालाओं तथा पेट्रोरसायन संयंत्रों के निकट स्थित हैं। कीटनाशकों के उत्पादन ने हानिकारक कीट- पतंगों और खरपतवार को नियंत्रित कर कृषि विकास में विशेष योगदान दिया है। औषधियों के उत्पादन में भारत विकासशील देशों में अग्रणी है। यह पूरे उद्योग क्षेत्र का 14 प्रतिशत उत्पादन करता है तथा निर्यात में भी इसका 14 प्रतिशत का योगदान है।

उर्वरक उद्योग : भारत में पहला उर्वरक संयंत्र सन् 1906 में रानीपेट, तमिलनाडु में स्थापित किया गया, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास सन् 1951 में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ। हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ी है, जिसने भारत के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक उर्वरकों का उत्पादन करते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली, अन्य महत्त्वपूर्ण उर्वरक उत्पादक हैं। प्राकृतिक गैस की सहज सुलभता के कारण देश के विभिन्न भागों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा सके हैं। भारत लगभग 110 लाख टन नाइट्रोजनी, 40 लाख टन फास्फेटी तथा 17 लाख टन पोटॉशी उर्वरकों का उत्पादन करता है। पोटॉशी उर्वरक बनाने के लिए भारत को पोटाशियम आयात करना पड़ता है।

सीमेंट उद्योग : सीमेंट भवनों, फैक्ट्रियों, सड़कों तथा बांधों के निर्माण के लिए आवश्यक है। सीमेंट निर्माण उद्योग के लिए भारी कच्चा माल जैसे चूना पत्थर, सिलीका, अल्युमिना और जिप्सम की आवश्यकता होती है। अत: यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। कोयला और विद्युत इसके लिए अन्य आवश्यकताएं हैं। पहला सीमेंट संयंत्र सन् 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विस्तार मुख्यत: स्वतंत्रता के बाद ही हुआ। आज देश में 119 बड़े तथा 300 से अधिक छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 13.1 करोड़ टन है। भारत में विभिन्न प्रकार का सीमेंट तैयार किया जाता है। भारतीय सीमेंट की गुणवत्ता उत्तम है। अत: दक्षिण और पूर्वी एशिया के देशों में इसकी बहुत मांग है। इस समय देश में प्रतिवर्ष 10 करोड़ टन सीमेंट का उत्पादन किया जा रहा है।

परिवहन उपकरण उद्योग

रेलवे : आज देश में भारतीय रेलें विकसित प्रौद्योगिकी का प्रतीक बन चुकी हैं। भारतीय रेलें अपनी आवश्यकताओं के उपकरणों जैसे रेल के इंजन, माल के डिब्बे, सवारी डिब्बे आदि स्वयं तैयार करती हैं। रेल के इंजन तीन प्रकार के हैं – वाष्प, डीजल और विद्युत चालित इंजन। वाष्प चालित इंजनों को डीजल और विद्युत चालित इंजनों में बदला जा चुका है, क्योंकि ये इंजन ईंधन सक्षम अर्थात् कम ईंधन में अधिक दूरी तय करने वाले तथा प्रदूषण मुक्त हैं। रेल इंजनों का निर्माण पश्चिम बंगाल में चितरंजन, उत्तर प्रदेश में वाराणसी और झारखंड में जमशेदपुर केंद्रों में होता हैं। रेल पटरियां तथा रेल पट्टियां (स्लीपर) लोहा व इस्पात संयंत्रों में बनाई जाती हैं। सवारी गाड़ी के डिब्बे पैरांबूर, बंगलौर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं, जबकि मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किए जाते हैं।

सड़क वाहन : सड़क परिवहन, रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। तिपहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत का संसार में दूसरा स्थान है। ट्रैक्टर और साइकिलें भी बड़ी संख्या में बनाई जाती हैं। आज भारत में लगभग डेढ़ करोड़ साइकिलें तथा 38 लाख स्कूटर व मोटर साइकिलें प्रतिवर्ष बनाई जाती हैं। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुम्बई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बंगलौर में केंद्रित हैं।

पोत निर्माण : पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग है। इसके लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में पोत निर्माण के पांच प्रमुख केंद्र ये हैं : विशाखापत्तनम, कोलकाता, कोच्चि और मुम्बई, मुरमूगांव। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। निजी क्षेत्र के पोत प्रांगण स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। बड़े पोतों का निर्माण कई वर्षों में पूरा हो पाता है। बड़े- बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोच्चि और विशाखापत्तनम् में होता है। इनमें क्रमश: 100000 टन (डी.डब्लू.टी) तथा 50000 टन (डी.डब्लू.टी.)के जहाज बनाए जाते हैं। (खाली जहाज के वजन को डी.डब्लू.टी. कहते हैं)। पोतों की मरम्मत के लिए देश में 17 शुष्क गोदियां बनी हैं।

वायुयान निर्माण : भारत में अभी यात्री परिवहन के लिए वायुयानों के निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। फिर भी सैन्य आवश्यकताओं के लिए बंगलौर, कोरापुट, नाशिक, हैदराबाद, कानपुर और लखनऊ में वायुयान उद्योग इकाइयां स्थापित की गई हैं। प्रत्येक स्थान को विशेष प्रकार के लड़ाकू जहाज बनाने की दक्षता प्राप्त है। भारत में हेलीकॉप्टर का भी निर्माण होता है।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत ट्रांजिस्टर से लेकर दूरदर्शन सेट तक विभिन्न प्रकार के उत्पाद व्यापक रूप से तैयार किए जाते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज, सैल्यूलर फोन, कंप्यूटर तथा डाकघरों व तारघरों में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की देन हैं। रक्षा, रेल, वायुयान, अंतरिक्ष उड़ान और मौसम विभागों में प्रयुक्त उपकरणों के निर्माण का दायित्व भी इसी उद्योग का है। इस उद्योग ने आम लोगों के जीवन और देश के आर्थिक स्वरूप तथा लोगों की जीवन गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। कंप्यूटर उद्योग, हार्डवेयर के रूप में 1990 के दशक में प्रारंभ हुआ। हार्डवेयर के अतिरिक्त देश ने साफ्टवेयर के विकास में महान ख्याति अर्जित की है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। हाल ही के वर्षों में श्रव्य उपकरण तंत्र के उत्पादन में असाधारण वृद्धि अंकित की गई है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास में भी विशेष योगदान दिया है। बंगलौर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में विकसित हो गया है। हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ तथा कोयंबतूर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं। साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क भारत में 18 केंद्रों पर विकसित किए जा चुके हैं (चित्र 9.3)।

औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरण का क्षरण

निर्माण उद्योगों का देश के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान है। फिर भी उद्योगों ने प्रदूषण को बढ़ाया है और पर्यावरण का क्षरण किया है। उद्योगों ने चार प्रकार के प्रदूषण – वायु, जल, भूमि और शोर को पैदा किया है।

उद्योगों से निकलने वाले धुएं ने वायु और जल दोनों को बुरी तरह प्रदूषित किया है। कार्बनमोनोआक्साइड और सल्फर डाइआक्साइड जैसी अवांछित गैसों की अधिकता वायु प्रदूषण का कारण बनती है। वायु को प्रदूषित करने वाले ठोस व तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। धूल, धूम, कुहासा, धुआं और धुंध में दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। मानव-निर्मित प्रदूषक प्रायः औद्योगिक और ठोस अपशिष्ट होते हैं। वायु प्रदूषण जीव-जंतुओं, पौधों, पदार्थों तथा वायुमंडल को प्रभावित करता है।

जल प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं। इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट हैं, जिन्हें नदियों में छोड़ा जाता है। ये जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के होते हैं। कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबर आदि जल के सामान्य प्रदूषक हैं। कागज़-लुगदी, वस्त्र, रसायन, पेट्रोलियम, परिष्करणशालाएं, चर्मशोधन कारखाने तथा इलेक्ट्रो-प्लेटिंग, जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। उद्योगों से निकला विषाक्त धातुयुक्त कूड़ा-कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है।

अवांछित शोर भी प्रदूषण है। सामान्यतः यह उद्योग और परिवहन के साधनों की देन है। यांत्रिक आरा मिलें और खराद मशीनों की असहनीय आवाज़ लोगों के लिए परेशानी का कारण होती है। अत्यधिक शोर से बहरापन पैदा हो सकता है।

पर्यावरण क्षरण को नियंत्रित करने के उपाय

उचित योजना के द्वारा प्रदूषण को रोका जा सकता है। उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करके, उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखकर तथा उनके सही परिसंचालन द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ईंधन का चयन और उसके सही उपयोग वायु प्रदूषण को रोकने का प्रमुख साधन हैं। उद्योगों में कोयले के स्थान पर तेल के उपयोग से धुआं रोका जा सकता है। आज कई उपकरण ऐसे हैं, जिनके माध्यम से वायु में उत्सर्जित प्रदूषकों को रोका जा सकता है। इनमें पृथक्कारी छन्ना, और स्क्रबर यंत्र उल्लेखनीय हैं।

उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचरित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। उद्योगों से निष्काषित द्रवों को तीन स्तरों पर उपचरित किया जाता है। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक उपचार, जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक उपचार तथा जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में छंटाई, पिसाई, निथराई तथा गंद को तली में बैठाने की क्रियाएं शामिल हैं। द्वितीयक प्रक्रिया में जैविक विधियां शामिल हैं। तृतीयक उपचार में प्रदूषित जल की पुनः चक्रीय क्रिया शामिल है। मिट्टी और भूमि प्रदूषण के नियंत्रण में तीन क्रियाएं शामिल हैं- (क) विभिन्न स्थानों से कूड़ा-कचरा इकट्ठा करना (ख) भूमि भराव द्वारा कूड़े-कचरे का निपटान करना तथा (ग) कूड़े-कचरे का पुनः चक्रण कर, उपयोगी बनाना।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 9.3 भारत में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (उद्यान)

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले तीन भौतिक कारकों के नाम बताइए।
   (ii) उद्योगों की स्थिति को नियंत्रित करने वाले किन्ही तीन मानवीय कारकों के नाम बताइए।
   (iii) हल्के उद्योग किन्हें कहते हैं?
   (iv) महाराष्ट्र के चार महत्त्वपूर्ण सूतीवस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम बताइए।
   (v) भारत की अधिकांश जूट मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं?
   (vi) भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण दो चीनी उत्पादक राज्यों के नाम बताइए।
   (vii) कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के दो-दो लोहा और इस्पात संयंत्रों के नाम बताइए।
   (viii) भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान के पांच उत्पादक केंद्रों के नाम बताइए।
   (ix) इस समय भारत में सीमेंट का वार्षिक उत्पादन कितना है ?
2. भारत में रेलवे उपकरण उद्योग के वितरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. लोहा और इस्पात उद्योग केवल प्रायद्वीपीय भारत में ही क्यों स्थित है?
4. भारत में रेशम उद्योग के वितरण पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
5. भारत में पोत निर्माण उद्योग के वितरण का वर्णन कीजिए।
6. किस प्रकार औद्योगिक प्रदूषण, पर्यावरण को क्षरित करता है?

परियोजना कार्य

- आपके क्षेत्र में किस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, ज्ञात कीजिए। इन उद्योगों में किस प्रकार का कच्चा माल प्रयुक्त होता है और किस प्रकार का माल तैयार किया जाता हैं, इसका वर्णन कीजिए।
- भारत के रेखा मानचित्र में
  (i) देश के प्रमुख लोहा-इस्पात संयंत्रों को दर्शाइए :
  (ii) इन संयंत्रों को कहां से कच्चा माल प्राप्त होता है, उन स्थानों के विषय में जानकारी इकट्ठा कीजिए।

अध्याय दस

परिवहन, संचार और व्यापार

संचलन जीवन का आवश्यक घटक है। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव भोजन और आवास की खोज तथा वस्तुओं के आदान-प्रदान के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भ्रमण करता रहा है। पहिए की खोज से पहले, वह पैदल ही आता-जाता था। पहिए की खोज के बाद गाड़ियों तथा परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करने लगा। आज वह कारों, बसों, रेलगाड़ियों, जलयानों तथा वायुयानों के द्वारा आने-जाने लगा है। पहले लोग कम संख्या में आते-जाते थे। उनका आना-जाना छोटी दूरियों तक ही सीमित था। आज लोग बड़ी संख्या में दूर-दूर तक यात्रा करते हैं। वे अपने साथ विविध प्रकार के सामान भी ले जाते हैं। हाल के वर्षों में व्यापार का आकार बहुत तेजी से बढ़ा है। परिवहन के विभिन्न साधन वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके वितरण में हमारी मदद करते हैं। संचार के विकास में भी परिवहन के साधन सहायक हैं।

संचार मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक है। आज कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे से बात-चीत किए बिना नहीं रह सकता। पहले लोगों के बीच संपर्क बहुत कम होता था और वह भी केवल एक-दूसरे के आमने-सामने होने पर ही हो पाता था। आज अधिक संख्या में लोग बात-चीत के लिए संचार के साधनों का उपयोग करते हैं। यही नहीं, संचार के साधनों का स्वरूप भी बदल गया है। मानव के संचलन में वृद्धि तथा सामान के परिवहन में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप ही संचार के साधनों का तीव्र विकास और उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। आज हम संचार के युग में रहते हुए टेलीफोन, टेलीविजन, फिल्म और इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक कि पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार-पत्र भी संचार के महत्वपूर्ण साधन हैं। परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों ने दूरियां कम कर दी हैं। इससे सारी दुनिया घर-आंगन बन गई है।

आधुनिक जीवन इतना जटिल है कि इसमें एक-दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। यह बात देशों के संबंध में भी उतनी ही सही है। आज कोई भी देश एक-दूसरे के सहयोग एवं सहायता के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता है। इसके लिए देशों के बीच वस्तुओं और पदार्थों का आदान-प्रदान आवश्यक है। व्यापार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह हमारे जीवन के लिए सुख-सुविधाएं जुटाता है। आगे के पृष्ठों में हम भारत के परिवहन एवं संचार के वितरण प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे। हम यह भी जानेंगें कि परिवहन और संचार के साधनों को अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवनरेखाएं ठीक ही कहा गया है।

परिवहन

परिवहन एक तंत्र है, जिसमें यात्रियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाता है।

परिवहन और संचार के साधन

परिवहन के साधनों को सामान्यत: तीन वर्गों में बांटा गया है – स्थल, जल और वायु। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क और रेल मार्ग आते हैं। जल परिवहन के भी दो वर्ग हैं- (क) नदियां या अन्त:स्थलीय परिवहन, (ख) सागरीय या महासागरीय परिवहन। परिवहन का आधुनिकतम और तीव्रतम साधन, वायु परिवहन है। संचार के साधनों को उनके उपभोक्ताओं के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है- (क) व्यक्तिगत, (ख) जन संचार। व्यक्तिगत संचार के साधनों के अंतर्गत पोस्टकार्ड पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन, और अब इंटरनेट आते हैं। जनसंचार के अंतर्गत पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार-पत्र, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र आदि सम्मिलित हैं। जनसंचार के साधन भी दो प्रकार के हैं- (क) मुद्रित माध्यम (पुस्तकें, समाचार-पत्र आदि) (ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जैसे रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र, कंप्यूटर्स आदि)

प्रारंभ में मनुष्य अपना बोझा अपने आप ढोता था। इसके बाद वह पशुओं को पालने में सफल हुआ और उनका उपयोग भार-वाहक पशुओं के रूप में करने लगा। आज परिवहन पूरी तरह यंत्रीकृत हो गया है। परिवहन मार्ग हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। ये माल उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। भारत के अत्यधिक विविध आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में परिवहन का उत्तम तंत्र लोगों को एक-दूसरे के बहुत निकट लाता है। इससे लोगों के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ी है। स्थल, जल और वायु को मिलाकर भारत में पांच प्रकार के परिवहन तंत्र है। इनके नाम हैं – सड़क मार्ग, रेलमार्ग, पाइप लाइनें, जलमार्ग और वायु मार्ग। जिन क्षेत्रों में परिवहन के ये साधन नहीं है, उन क्षेत्रों में आज भी पशुओं से काम लिया जाता है। यहां तक कि वहां मानव स्वयं भार-वाहक बना हुआ है।

सड़कें : भारत की गणना संसार के सबसे सघन सड़क जाल वाले देशों में की जाती है। भारत में सड़कों का अस्तित्व प्राचीनकाल से ही है। चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक ने सड़कें बनाने के महान प्रयास किए। मुगल शासनकाल में भी कई अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक (जी.टी.) मार्ग का निर्माण पूर्व में कोलकाता से लेकर पश्चिम में पेशावर (पाकिस्तान) तक बनवाया। यह मार्ग सिंधु-गंगा के मैदान के आर-पार बनाया गया है।

सड़कें छोटी और मध्यम दूरी के यात्रियों और माल परिवहन के लिए बहुत उत्तम साधन हैं। इन सड़कों का निर्माण और रख-रखाव अपेक्षाकृत दोनों ही सस्ते और आसान हैं। सड़कों को पहाड़ी क्षेत्रों में भी बनाया जा सकता है। ये खेतों को बाजारों और कारखानों से जोड़ती हैं तथा ये सीधे दरवाजे तक पहुंचा देती हैं। जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को सड़कों द्वारा ढोना, रेलों की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। रेलों द्वारा लंबी दूरियां तय करना अधिक सुविधाजनक है; जबकि सड़कों द्वारा छोटी दूरी तय करना, माल और यात्रियों दोनों की दृष्टि से अधिक उपयोगी है।

भारत में सड़कें विभिन्न प्रकार की हैं। सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग, जिले की सड़कें, गांव की सड़कें तथा सीमावर्ती सड़कों के रूप में बांटा जा सकता है। इनके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग और फ्री वे (एक्सप्रेस मार्ग) भी हैं। इनका विकास हाल ही में हुआ है। एक्सप्रेस मार्ग 4 से 6 लेन वाले महामार्ग हैं। ये देश के एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ते हैं। इन पर तेज गति से वाहन चलते हैं। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 25 लाख किलोमीटर है। इनमें 57 प्रतिशत पक्की सड़कें हैं।

राष्ट्रीय महामार्ग राष्ट्रीय महत्त्व की सड़कें हैं। ये एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती हैं। इन महामार्गों का निर्माण कार्य एवं रख-रखाव केंद्रीय सरकार द्वारा कराया जाता है। भारत में राष्ट्रीय महामार्गों की कुल लंबाई लगभग 52, 000 किलोमीटर है (चित्र 10.1)। सड़कों की कुल लंबाई में इनका हिस्सा केवल 2 प्रतिशत है। **राज्य महामार्गों** के निर्माण और रख-रखाव का दायित्व राज्य सरकारों का होता है। ये मार्ग राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण नगरों से जोड़ते हैं। देश में राज्य महामार्गों की लंबाई 1.3 लाख किलोमीटर है। *ज़िले की सड़कें*, ज़िला मुख्यालय को ज़िले के विभिन्न नगरों व कस्बों से जोड़ती हैं। *गांव की सड़कें* गांवों को निकटवर्ती कस्बों और नगरों से जोड़ती हैं। *सीमावर्ती सड़कें* बहुत महत्त्वपूर्ण सड़के हैं। इनका निर्माण देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किया जाता है। आज सीमा सड़क संगठन ने अपनी गतिविधियों को अन्य क्षेत्रों में भी फैला रखा है। इनके निर्माण व देखरेख का दायित्व सीमा सड़क संगठन का है। यह अपनी बहुमूल्य विशेषज्ञता के माध्यम से उन्हें लाभ पहुंचा रहा है।

एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग देश में तीव्रगामी परिवहन की आवश्यकता को पूर्ति के लिए बनाई गई योजना है (चित्र 10.2)। 1999 से 2007 की अवधि के बीच देश में लगभग 14, 846 किलोमीटर लंबा इस प्रकार का राष्ट्रीय महामार्ग बनाने का प्रस्ताव है।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 10.1 राष्ट्रीय महामार्ग

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 10.2 राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना

इस दिशा में कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। ये राष्ट्रीय महामार्ग 4 अथवा 6 लेनों वाले होंगे। इनके नाम इस प्रकार हैं -

- *स्वर्णिम चतुष्कोण :* दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाला महामार्ग। इसकी लंबाई 5846 किलोमीटर होगी।
- *उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम गलियारे :* श्रीनगर को कन्याकुमारी तथा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने वाले महामार्ग। इनकी कुल लंबाई 7300 किलोमीटर होगी।
- *स्वर्णिम चतुष्कोण और गलियारों को 10 प्रमुख पत्तनों से जोड़ने वाले मार्ग :* ये मार्ग कांडला, जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुरमूगांव, तूतीकोरिन, चेन्नई, इन्नौर, विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया (कोलकाता) पत्तनों को जोड़ेंगे। इन मार्गों की कुल लंबाई 363 किलोमीटर होगी।

इन महामार्गों के निर्माण में विशाल धनराशि खर्च होगी। इसलिए सरकार ने इन महामार्गों में धन लगाने, निर्माण करने और उसकी देखरेख के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल किया है। इसके लिए ''बनाओ, चलाओ और सौंपो'' नीति निर्धारित की है। निर्धारित समय में निजी क्षेत्र की कंपनियां अपना लागत मूल्य और लाभ निकालने के बाद सड़कों को उसके वास्तविक मालिक, सरकार को सौंप देंगी।

भारत में सड़क परिवहन कई समस्याओं से ग्रसित है। यात्रियों की अधिक संख्या और माल की अधिक मात्रा को देखते हुए भारत में सड़क जाल अपेक्षाकृत कम है। भारत में लगभग 50 प्रतिशत सड़कें कच्ची हैं। वर्षा ऋतु में ये कीचड़ से भर जाती हैं। अत: वर्षा ऋतु में ये सड़कें अनुपयोगी हो जाती हैं। राष्ट्रीय महामार्ग अपर्याप्त हैं। ये मुख्यत: नगरों में ही संकेंद्रित हैं। मार्ग में पुल और पुलिया संकरी हैं। इनके अलावा, इन पर आवश्यक सुविधाओं का नितांत अभाव है। राष्ट्रीय महामार्गों पर टेलीफोन केंद्र, आपात स्वास्थ्य सेवाओं तथा पुलिस संरक्षण व्यवस्था बहुत कमजोर है। इनमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

रेलमार्ग : भारत में रेलमार्ग अन्त:स्थलीय परिवहन की प्रमुख धमनियां हैं। बड़े पैमाने पर माल को ढोने तथा बहुसंख्यक यात्रियों को लाने-ले-जाने लिए ये देश की जीवनरेखाएं हैं। भारत में रेलों का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। रेलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 63,000 किलोमीटर है। यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल-जाल है। भारतीय रेलें प्रतिवर्ष 400 करोड़ यात्री तथा 40 करोड़ टन माल प्रतिवर्ष ढोती हैं। यह देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है।

भारत में रेलमार्ग

भारत में 6867 रेलवे स्टेशन हैं। रेलमार्गों की लंबाई 62,759 किलोमीटर है। 7517 रेल इंजनों का बेड़ा है। 36510 सवारी डिब्बे हैं। माल डिब्बों की संख्या 24,4,419 है। चालू मार्गों की लंबाई 107,969 किलोमीटर है। लगभग 23 प्रतिशत रेलमार्ग, विद्युतीकृत हैं।

भारत में रेल जाल के वितरण के प्रतिरूप को भौतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारक प्रभावित करते हैं। समतल भूमि, जनसंख्या का उच्च घनत्व, विकसित कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियों की अधिकता, ऐसे कारक हैं, जिन्होंने इन विशाल मैदानों में रेलों के सघन जाल को बढ़ावा दिया है। बिहार और असम बाढ़ों से प्रभावित रहते हैं, जबकि हिमालय प्रदेश पर्वतीय एवं उबड़-खाबड़ भूमि वाला है। अत: इन भागों में रेलमार्गों का विस्तार कम है। राजस्थान के विरल जनसंख्या वाले मरुस्थल तथा सह्याद्रि पर्वतीय क्षेत्र रेलमार्गों के विकास के लिए अनुकूल नहीं हैं।

रेल क्षेत्र : स्वतंत्रता के बाद भारतीय रेलों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया। वर्तमान रेलवे क्षेत्रों के नाम और उनके मुख्यालयों के नामों का पता लगाइए।

गुणात्मक सुधार : नए क्षेत्रों में नए रेलमार्गों के निर्माण के साथ-साथ विविध प्रकार के गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया पर बल दिया जा रहा है। छोटी लाइनों (मीटर गेज) को बड़ी लाइनों (ब्रॉडगेज) में बदलने को प्राथमिकता दी जा रही है। भापचालित इंजनों को डीजल और विद्युत इंजनों के द्वारा लगभग पूर्णतया बदला जा चुका है। रेलमार्गों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। रेलों की गति बढ़ाने के साथ-साथ, नगरों के भीतर भी रेलें चलाई जा रही है। यात्रियों को अधिकाधिक सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

विगत शताब्दी के मध्य अधिकांश रेलगाड़ियां भाप के इंजनों से चलाई जाती थीं, जो धुआं छोड़ते थे। आज उन इंजनों के स्थान पर अधिकतर बिजली और डीजल के इंजनों का उपयोग होने लगा है। यह स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त यात्रा के लिए उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आज रेलें लंबी दूरियों तक भारी और स्थान घेरने वाले सामान को लाने-ले-जाने तथा कंटेनर की विशिष्ट सेवा प्रदान कर रही है।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 10.3 भारतीय रेलमार्ग

पुरानी पटरियों और स्लीपरों को बदलना, तीव्र गति वाली रेलगाड़ियां (राजधानी और शताब्दी) चलाना तथा रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार आदि अन्य सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं।

पटरियों के बीच की दूरी (गेज) के आधार पर इस समय देश में तीन प्रकार के रेलमार्ग हैं- बड़ी लाइन या ब्रॉडगेज (1.675 मीटर), छोटी लाइन (एक मीटर) और संकरी लाइन (10.762 और 0.610 मीटर)। विभिन्न गेजों (लाइनों) के रेलमार्ग. रेल परिवहन प्रवाह को बाधित करती हैं। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे की पटरियों के बीच एक जैसी दूरी हो जाने पर परिवहन क्षमता बढ़ेगी और गति भी बढ़ेगी। पविहन सस्ता होगा तथा माल के उतारने-चढ़ाने की प्रक्रिया में कम समय लगेगा तथा बर्बादी भी कम होगी। इस समय 70.72 प्रतिशत बड़ी लाइनें हैं। 23.92 प्रतिशत छोटी लाइनें हैं तथा शेष 5.36 प्रतिशत संकरे रेलमार्ग हैं।

रेल परिवहन कई समस्याओं से ग्रसित है। यात्री बड़ी संख्या में बिना टिकट यात्रा करते हैं। ये यात्री अनावश्यक चैन खींचते हैं। इससे रेलगाड़ियां लेट होती हैं। जनता द्वारा रेल रोकने से रेलवे को भारी हानि होती है। रेल संपदा की चोरी और बर्बादी अभी तक पूरी तरह रुकी नहीं हैं। यह विचारणीय विषय हैं कि हम रेलों के समय पर चलने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं।

पाइपलाइनें : पहले पाइपलाइनों का उपयोग नगरों और उद्योगों के लिए पानी ले जाने में होता था। आज इनका उपयोग कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस के परिवहन में भी होता है। उत्पादन क्षेत्रों से इनको, पाइपलाइनों द्वारा परिष्करण शालाओं, उर्वरक कारखानों तथा बड़े ताप विद्युत केंद्रों से ले जाया जाता है। (चित्र 10.4)। इस प्रकार के ताप केंद्रों को बहुत थोड़े समय में ही, उनके मांग क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जा सकता है। देश में तीन पाइपलाइनों के महत्त्वपूर्ण परिवहन जाल फैले हुए हैं :

- *ऊपरी असम तेल क्षेत्र से लेकर कानपुर (उत्तर प्रदेश) तक:* यह पाइपलाइन गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होकर जाती है। इसकी शाखाएं बरौनी से राजबंध होकर हल्दिया, राजबंध से मौरीग्राम तथा सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक फैली हैं।
- *गुजरात में सलाया से लेकर पंजाब में जालंधर तक:* यह पाइपलाइन वीरमगाम, मथुरा, दिल्ली-पानीपत होकर जाती है। इसकी शाखाएं कोयली (वदोदरा के निकट) चाकशू और अन्य स्थानों को जोड़ती हैं।
- *गुजरात में हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन :* यह गैस पाइपलाइन मध्य प्रदेश में बिजयपुर होकर जाती है। इसकी शाखाएं कोटा, (राजस्थान) शाहजहांपुर तथा उत्तर प्रदेश के कई स्थानों को जाती है। मुंबई हाई और दक्षिण बासीन भी पाइपलाइन से जुड़े हैं।

इनके अलावा दो पाइपलाइन और भी हैं जो

- मुंबई हाई और मुंबई के बीच
- मुंबई और पूना के बीच

कांडला और पानीपत, कांडला और बीना, मुंबई से मनमाड, विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा तथा मंगलौर से बंगलौर होकर चेन्नई तक पाइपलाइनें बिछाने के प्रस्ताव हैं।

अन्तःस्थलीय जलमार्ग : जलमार्ग परिवहन के सबसे सस्ते साधन हैं। ये भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले सामानों को ढोने के लिए अधिक उपयुक्त हैं। भारत में 14, 500 किलोमीटर लंबे अंतःस्थलीय जलमार्ग हैं। इनमें से 3700 किलोमीटर लंबे जलमार्गों में यंत्रीकृत नावें चलायी जा सकती हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है :

- गंगा नदी जलमार्ग- इलाहाबाद और हल्दिया के बीच (1600 कि.मी.)
- ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग-सदिया और धुबरी के बीच (891 कि.मी.)
- पश्चिमतटीय नहर- कोल्लम् और कोट्टायम के बीच (168 कि.मी.)
- चम्पाकर नहर (14 कि.मी.)
- उद्योगमंडल नहर (22 कि.मी.) अंतिम तीन अंतःस्थलीय जलमार्ग केरल में हैं।

गोदावरी, कृष्णा, बरक, सुंदरवन बंकिघम नहर, ब्राह्मणी, पूर्व तटीय नहर तथा दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निकाली गई नहर की गणना अन्य उपयोगी अंतःस्थलीय जलमार्गों में की जाती है।

वायुमार्ग : वायुमार्ग परिवहन का सबसे तीव्रगामी साधन है। परंतु यह सबसे महंगा साधन भी है। दूरवर्ती, दुर्गम और बीहड़ क्षेत्रों में वायुमार्ग सबसे उपयुक्त साधन सिद्ध हुआ है। इसीलिए प्राकृतिक और मानवजन्य आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी व युद्ध में इनकी बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वतंत्रता के समय तक वायु परिवहन निजी क्षेत्र द्वारा संचालित था। सन 1953 में वायु परिवहन का

राष्ट्रीयकरण किया गया। आज इसका संचालन कई कम्पनियां कर रही है। इंडियन एयर लाइंस, एलाइंस एयर (इंडियन एयर लाइंस की पूरक), निजी क्षेत्र की एयर लाइंस तथा एयर टैक्सी भारत में घरेलू वायुसेवा प्रदान करती हैं। एअर इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय वायुसेवा प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन की सेवा में लगा हुआ है। यह इसको अपतटीय, दुर्गम तथा उबड़-खाबड़ क्षेत्रों में सेवा प्रदान करता है। इंडियन एयर-लाइंस, दक्षिण एशिया तथा मध्य एशिया के अपने पड़ोसी देशों को भी वायुसेवा प्रदान करती है।

ऊपर दी गई वायुसेवाओं के अलावा निजी क्षेत्र की दो वायुसेवाएं घरेलू सेवा में लगी हैं। 38 कंपनियों को एयर टैक्सी के उड़ान की अनुमति प्राप्त है। जनता के उपयोग के लिए भारत में दो प्रकार के वायुपत्तन हैं- अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बंगलौर, अमृतसर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पणजी, गुवाहाटी और कोच्चि (चित्र 10.4) अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन हैं। देश में 63 घरेलू वायुपत्तन हैं। वायुपत्तनों का प्रबंधन व रखरखाव भारत वायुपत्तन प्राधिकरण करता हैं। वायु परिवहन को आधुनिकतम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके तथा माल को ले जाने में तत्परता बरती जा सके।

प्रमुख समुद्री पत्तन : भारत की लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। इस पर 12 बड़े पत्तन तथा 181 मध्यम और छोटे दर्जे के समुद्री पत्तन सेवारत हैं। बड़े पत्तनों के माध्यम से 90 प्रतिशत से अधिक विदेशी व्यापार होता है। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा), मुरमूगांव, न्यू मंगलौर तथा कोच्चि पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पत्तन हैं। कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, इन्नौर और तूतीकोरिन पूर्वी तट के प्रमुख पत्तन (चित्र 10.5) हैं। माल परिवहन की दृष्टि से मुंबई भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। इसीलिए मुंबई को भारत के द्वार की संज्ञा दी गई है।

प्रमुख पत्तनों में लगभग 15,000 मालवाहक जलयानों पर माल चढ़ाया और उतारा जाता है। इन पत्तनों के माध्यम से 70 प्रतिशत माल विदेशों को भेजा जाता हैं। हमारे पत्तनों से आयात अधिक और निर्यात कम होता है। अत: अपनी राष्ट्रीय आय और संपदा बढ़ाने तथा लोगों की खुशहाली के लिए, संसाधित माल के निर्यात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।

संचार

इस समय देश में संचार साधनों के दो प्रमुख रूप हैं- व्यक्तिगत संचार और जनसंचार। इनमें इलेक्ट्रॉनिक, दूरदर्शन, रेडियो, प्रेस, फिल्म आदि शामिल हैं।

व्यक्तिगत लिखित संचार व्यवस्था का संचालन, भारतीय डाक-तार विभाग करता है। भारत में डाकघरों का जाल संसार में सबसे विशाल है। देश में 1.5 लाख डाकघर हैं। 89 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 11 प्रतिशत डाकघर नगरों में सेवारत हैं। पोस्टकार्ड व लिफाफे पहले दर्जे की डाक सेवा कहलाती है। पुस्तकों के बंडल, पंजीकृत समाचार-पत्र तथा साप्ताहिक समाचार-पत्र दूसरे दर्जे की डाक के अंतर्गत आते हैं। प्रथम दर्जे की डाकसेवा को हवाई सेवा सुलभ है। जिन स्थानों के बीच हवाई सेवाएं सुलभ हैं, उन स्थानों को प्रथम दर्जे की डाक को हवाई जहाज से भेजने का प्रावधान है। दूसरे दर्जे की डाक को स्थल और जल परिवहन के माध्यमों से भेजा जाता है। नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए हाल ही में डाक निकासी के छः चैनल बनाए गए हैं। इन्हें राजधानीचैनल, मैट्रोचैनल, ग्रीनचैनल, व्यापारचैनल, भारी डाकचैनल तथा पत्र-पत्रिका चैनल कहा गया है। पहले तीन चैनलों के डाक संकलन के लिए विशेष प्रकार की पत्रपेटियों का प्रावधान किया गया है, जबकि अंतिम तीन चैनलों से संबंधित सामग्री को डाकघरों से संकलित किया जाता है।

एशिया के सबसे बड़े दूरसंचार जाल में भारत का स्थान उल्लेखनीय है। देश में इस समय लगभग 32,000 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। देश के सभी नगरों को टेलीफोन की सुविधाएं सुलभ हैं। यही नहीं दो-तिहाई गांवों को भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में कई निजी कंपनियां हाल ही में प्रवेश कर चुकी हैं। इन कंपनियों के आने से उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधाएं मिलने लगी हैं।

जनसंचार के माध्यम राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्वस्थ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार-पत्र, पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा फिल्में, जनसंचार के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इन साधनों के माध्यम से एक साथ बहुसंख्यक लोगों को जानकारी अथवा मनोरंजन कराया जा सकता है। इसलिए इन्हें जनसंचार के साधन कहा जाता है।

आकाशवाणी के पास इस समय 200 रेडियो स्टेशन तथा 327 ट्रांसमीटर्स हैं। ये राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं में नगरों, गांवों और दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 10.4 भारत के वायुमार्ग

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 10.5 भारत के प्रमुख समुद्री पत्तन

दूरदर्शन, भारत का राष्ट्रीय दूरदर्शन है। यह संसार के सबसे बड़े दूरदर्शन के जालों में से एक है। देश के 87 प्रतिशत से अधिक भाग को दूरदर्शन की प्रसारण सेवाएं सुलभ हैं। दूरदर्शन विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए मनोरंजन से लेकर शैक्षिक और खेल संबंधी विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। हाल ही में कई निजी क्षेत्र के चैनल इस क्षेत्र में सेवारत हैं।

भारत में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में समाचार-पत्रों तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। इनकी कुलसंख्या लगभग 50,000 है। अवधि के आधार पर ये विभिन्न प्रकार के हैं। लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में समाचार पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। सबसे अधिक समाचार पत्र हिन्दी में प्रकाशित किए जाते हैं। इसके बाद अंग्रेजी और उर्दू का स्थान आता है (चित्र 10.6, 10.7; सारणी 10.1)

चित्र 10.6 भाषाओं में अनुसार सामाचार-पत्र और पत्रिकाएं

संसार में भारत चलचित्रों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलचित्रों के अलावा भारत में छोटी फिल्में, वीडियो फीचर फिल्में तथा वीडियो लघु फिल्में भी तैयार होती हैं। भारतीय तथा विदेशी फिल्में केंद्रीय प्रमाणिक फिल्म बोर्ड द्वारा प्रमाणित की जाती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

दो व्यक्तियों या समूहों के बीच वस्तुओं के लेन-देन को व्यापार कहते हैं। व्यापार दो व्यक्तियों, दो राज्यों और दो देशों के बीच हो सकता है। जहां वस्तुओं का लेन-देन होता है, उस स्थान को बाजार

चित्र 10.7 समाचार-पत्रों का वितरण

कहते हैं। स्थानीय व्यापार नगरों, कस्बों अथवा राज्यों के बीच होता है। दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार स्थल, जल और वायु तीनों मार्गों से हो सकता है। किसी देश का विकसित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसकी आर्थिक संपंनता का प्रतीक होता है। इसलिए किसी देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक मापदंड कहते हैं।

आधुनिक युग में कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। आयात और निर्यात व्यापार के दो पहलू हैं। आयात और निर्यात के बीच के अंतर को *व्यापार संतुलन* कहते हैं। यदि निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है अर्थात् निर्यात अधिक और आयात कम, तब इसे व्यापार का *अनुकूल संतुलन* कहते हैं। दूसरी ओर जब निर्यात का मूल्य आयात से कम होता है अर्थात् निर्यात कम और आयात अधिक, तब उसे व्यापार का *प्रतिकूल संतुलन* अथवा नकारात्मक व्यापार कहते हैं।

सन् 2000-01 में भारत में 43 लाख करोड़ रुपए का विदेशी व्यापार हुआ था। इसमें 53 प्रतिशत आयात तथा 47 प्रतिशत निर्यात का स्वरूप था। भारत में निर्यात से आयात अधिक है। इसलिए भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। यह स्थिति विगत शताब्दी के सभी दशकों में बनी रही है।

भारत के व्यापारिक संबंध सभी प्रमुख व्यापारिक समुदायों तथा संसार के सभी भौगोलिक प्रदेशों से रहे हैं। सन 2000-01 में भारत का निर्यात एशिया और ओशीनिया के साथ 37.5 प्रतिशत, पश्चिमी यूरोप के साथ 25.4 प्रतिशत तथा अमेरिका के साथ 24.7 प्रतिशत रहा हैं। इसी वर्ष में भारत का 27.5 प्रतिशत

सारणी 10.1 भारत में भाषा के अनुसार प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक और मासिक (पत्र-पत्रिकाओं सहित) समाचार-पत्र और पत्रिकाएं, 2000

भाषा	दैनिक	साप्ताहिक	मासिक	योग (अन्य पत्र-पत्रिकाओं सहित)
अंग्रेजी	390	942	2868	7175
हिन्दी	2393	9910	3389	19685
असमी	16	77	62	220
बंगाली	99	618	710	2643
गुजराती	141	618	710	2643
कन्नड़	332	377	635	1668
कश्मीरी	0	1	1	7
कोंकणी	1	3	1	7
मलयालम	216	175	776	1431
मणिपुरी	14	6	10	45
मराठी	371	1295	542	2717
नेपाली	3	23	9	65
उड़िया	76	157	276	714
पंजाबी	107	362	250	879
संस्कृत	3	9	16	53
सिन्धी	11	38	36	106
तमिल	356	400	872	1965
तेलगू	164	259	530	1200
उर्दू	525	1328	518	2838
द्विभाषी	74	638	1221	2844
बहुभाषी	17	108	228	542
अन्य	55	84	126	371
योग	**5,364**	**17,749**	**13,616**	**49,145**

आयात एशिया तथा ओशीनिया के देशों से, 27.1 प्रतिशत पश्चिमी यूरोप तथा 7.9 प्रतिशत आयात अमेरिका से हुआ है।

भारत से निर्यात की जाने वाली अधिकांश मदों में निर्मित वस्तुएं हैं, जिनका निर्यात मूल्य 78.0 प्रतिशत है। इसके बाद निर्यात में कृषि से संबंधित उत्पाद (13.5 प्रतिशत), कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद (4.2 प्रतिशत) तथा अयस्क और खनिज (2.6 प्रतिशत) शामिल हैं। निर्यात की जाने वाली निर्मित वस्तुओं में प्रमुख हैं- रत्न-मणि और आभूषण (16.6 प्रतिशत) तथा बने बनाए माल (12.5 प्रतिशत)।

भारत में आयात की गई वस्तुओं में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद (आयात मूल्य का 31.0 प्रतिशत) मोती और बहुमूल्य पत्थर (9.6 प्रतिशत), सोना और चांदी (9.3 प्रतिशत), रसायन (6.7 प्रतिशत) और अवर्गीकृत मदें (19.9 प्रतिशत) शामिल हैं।

पर्यटन एक व्यापार

- यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास में मदद करता है।
- यह स्थानीय हस्तकलाओं तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में योगदान देता है।
- भारत में प्रतिवर्ष 26 लाख विदेशी पर्यटक भारत दर्शन को आते हैं। इससे सन् 2000 में देश को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह किस प्रकार अदृश्य व्यापार है।
- डेढ़ करोड़ से अधिक लोग सीधे-सीधे पर्यटन उद्योग में लगे हैं।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) परिवहन क्यों आवश्यक हैं ?
   (ii) परिवहन के पांच साधनों के नाम बताइए।
   (iii) जीवन के लिए संचार के साधन क्यों आवश्यक हैं?
   (iv) संचार के चार साधनों के नाम बताइए।
   (v) जनसंचार क्या है?
   (vi) आजकल रेलें इतनी महत्त्वपूर्ण क्यों हें ?
   (vii) भारत के विशाल मैदानों में रेलमार्गों का जाल हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से अधिक क्यों है?
   (viii) रेलवे के किन्हीं तीन क्षेत्रों के नाम, उनके मुख्यालयों के नाम के साथ बताइए।
   (ix) आज भारतीय रेलों के सामने कौन-कौन सी समस्याएं हैं?
   (x) राष्ट्रीय महामार्ग क्या हैं?
   (xi) एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग किसे कहते हैं ?
   (xii) स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस महामार्ग से जोड़े जाने वाले नगरों के नाम बताइए।
   (xiii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन में पाइपलाइनों के लाभ बताइए।
   (xiv) भारत के किन्हीं चार अन्तर्राष्ट्रीय वायु पत्तनों के नाम बताइए।
   (xv) भारत के दो अन्त:स्थलीय जलमार्गों के नाम बताइए।
   (xvi) भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख पत्तनों के नाम बताइए।
   (xvii) उन राज्यों के नाम बताइए, जिनमें मुरमूगांव, न्यूमंगलौर, पारादीप और तूतीकोरिन पत्तन स्थित हैं।
   (xviii) जन संचार के तीन साधनों के नाम बताइए।
   (xix) अनुकूल व्यापार सन्तुलन का अर्थ समझाइये। भारत के विदेशी व्यापार का संतुलन कैसा है?
2. अंतर स्पष्ट कीजिए :
   (i) व्यक्तिगत संचार और जनसंचार के साधन
   (ii) रेलवे जंकशन और समुद्रीय पत्तन
   (iii) परिवहन और संचार
3. आधुनिक समय में संचार के साधनों की महत्ता का वर्णन कीजिए।
4. रेलवे की समस्याओं का वर्णन कीजिए।
5. भारत की विभिन्न प्रकार की सड़कों का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य

भारत के रेलमार्गों के मानचित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :
   (i) दिल्ली और नागपुर के बीच सबसे छोटे रेलमार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों के नाम बताइए।
   (ii) दिल्ली और चेन्नई के बीच पड़ने वाले पांच रेल-जंक्शनों के नाम बताइए।

भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए :
   (i) दिल्ली और पटना के बीच पांच प्रमुख रेलवे जंक्शन।
   (ii) भोपाल होकर, दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग पर पड़ने वाले चार प्रमुख नगर।
   (i) एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग का पूर्व-पश्चिम गलियारा
   (iii) इलाहाबाद और पटना के बीच अन्त:स्थलीय जलमार्ग
   (iv) हल्दिया, विशाखापत्तनम और तूतीकोरिन समुद्री पत्तन
   (क) भारतीय रेलों द्वारा यात्रियों को दी गई सुविधाओं का पता लगाइए।
   (ख) रेलवे के विभिन्न दर्जों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए, जिनके द्वारा लोग यात्रा कर सकते हैं।

इकाई तीन

आर्थिक और सामाजिक विकास

अध्याय ग्यारह

आर्थिक विकास

हम आर्थिक विकास का नाम प्राय: सुनते रहते हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि देशों को विकासशील देश और अमेरिका, जापान, सिंगापुर और युनाइटेड किंगडम को विकसित देश कहते हैं। ऐसा क्यों? अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? इसे किस प्रकार नापा जाता है? यह जानने के लिए आवश्यक है कि हम यह भी जानें कि किसी अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का आबंटन किस प्रकार होता है। इस अध्याय में हम इन सब बिंदुओं और अवधारणाओं को भी जानने का प्रयत्न करेंगे जो गहराई से आर्थिक विकास से जुड़ी हुई हैं। इन अवधारणाओं और बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, हम भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।

आर्थिक विकास किसे कहते हैं?

आर्थिक रूप से विकसित किसी भी देश के व्यक्ति अधिक आय अर्जित करते हैं। उन्हें लगभग सभी आवश्यकताएं तथा सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। यदि उन देशों में कुछ वस्तुओं का उत्पादन नहीं भी होता है, तो भी उनमें यह क्षमता होती है कि वे उन वस्तुओं को खरीद सकें अथवा अन्य देशों से आयात कर सकें।

सामान्य रूप से, किसी भी देश के आर्थिक विकास को उसकी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से नापा जाता है। देश के अंदर उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ लिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय होती है। जब कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इन दोनों अवधारणाओं को मुद्रा के रूप में वर्णित किया जाता है। प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को उपलब्ध संसाधनों की सहायता से ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। आर्थिक विकास के इस उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए, ये दोनों बातें आवश्यक हैं। जनसाधारण को एक नियमित तथा उच्च आय सुनिश्चित कराने के साथ, भोजन, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान करानी होंगी। आर्थिक विकास तथा संसाधनों के उपयोग से संबंधित बिंदुओं को विस्तार से समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ मूल अवधारणाओं को समझें।

भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

क्या आप जानते हैं कि भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है? 1950-51 में हमारी राष्ट्रीय आय 9140 करोड़ रुपए थी जो बढ़कर 1998-99 में 16, 80,000 रुपए हो गई। 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 255 रुपए थी जो सन 2000-2001 में बढ़कर 16, 500 रुपए हो गई।

आर्थिक व अर्थिकेतर क्रियाएं

हम दैनिक जीवन में अपने चारों ओर देखें तो लोगों को काम पर जाते देखते हैं। लोग खेतों, कारखानों, बैंकों अस्पतालों, स्कूलों और होटलों. आदि में काम करने जाते हैं। कुछ साइकिलरिक्शा चलाते हैं, कुछ मकानों में सफ़ाई करते हैं, कुछ सब्जी बेचते हैं या कोई अन्य काम करते हैं। वे सभी क्रियाएं जिनसे उन्हें आय होती हैं, *आर्थिक क्रियाएं* कहलाती हैं। व्यक्तियों की तरह सरकार भी लोगों को तरह-तरह के रोज़गार देकर आर्थिक क्रियाएं करती है। जब ये सभी क्रियाएं एक निश्चित ढांचे में की जाती हैं, तो उसे *अर्थव्यवस्था* कहते हैं। कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जिनसे कोई आय प्राप्त नहीं होती। ऐसी क्रियाओं को *आर्थिकेतरक्रियाएं* कहते हैं।

किसी अर्थव्यवस्था में की जाने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं को वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं भी कहा जाता है। जब किसी क्रिया के फलस्वरूप कोई मूल्यवान और उपयोगी वस्तु बनती है तो उसे *उत्पादन* कहते हैं। उत्पादन किसी छोटी-सी वस्तु जैसे पिन का भी हो सकता है और किसी विशाल वायुयान का भी। यातायात, चिकित्सा, डाक-संबंधी सेवाएं, कुरियर, टेलीफोन बूथ चलाना, बाल काटना या कपड़े धोना जैसी क्रियाएं सेवाओं के उत्पादन में आती हैं। वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रयोग को *उपभोग* कहते हैं।

आर्थिक क्रियाएं

सभी आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक (सेवाएं)। जो क्रियाएं सीधे तौर पर भूमि या जल से संबद्ध हैं जैसे खेती करना, पशुपालन, शिकार करना, मछली पकड़ना, खान खोदना आदि, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस क्षेत्र में वस्तुओं को भूमि में उगाया जाता है या खोद कर निकाला जाता है। इस प्रकार से सभी उत्पादित वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं कहलाती हैं। गेहूं, सब्जियां, दूध, कोयला और संगमरमर इसके कुछ उदाहरण हैं। जब प्राथमिक वस्तुओं को मुनष्यों या मशीनों द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है तो उन्हें द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं; इन्हें निर्माण करना भी कहते हैं। लकड़ी से कागज़ बनाना, गेहूं से डबल रोटी बनाना और लोहे से कीलें और छड़ें बनाना द्वितीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं का पारस्परिक संबंध है।

प्राथमिक और द्वितीयक, दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए डबल रोटी बनाने के लिए गेहूं की आवश्यकता होती है, परंतु गेहूं को खेतों से मिलों तक ले जाने के लिए हम यातायात सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इन सेवाओं का प्रयोग डबल रोटी को फैक्टरी से उपभोक्ता तक ले जाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार की सेवाओं को तृतीयक सेवाएं कहते हैं। खुदरा दुकानें, स्टोर, थोक की दुकानें, बैंक आदि इनके उदाहरण हैं। इन क्रियाओं को सेवा संबंधी क्रियाएं भी कहते हैं।

अर्थव्यवस्थाएं

विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र की भाषा में इन्हें *निवेश* या *उत्पादनकेकारक* कहते हैं क्योंकि ये पदार्थ वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करते हैं। *पदार्थ* या *वस्तुएं* एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। सामान्यत: भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन को उत्पादन के कारक कहते हैं। इन्हें संसाधन भी कहते हैं। इन संसाधनों का स्वामित्व, व्यक्ति, समुदाय अथवा सरकार के पास अलग-अलग या दो या तीन को मिलाकर होता हैं। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है:

- पूंजीवादी अथवा मुक्तबाजार अर्थव्यवस्था;
- समाजवादी या नियोजित अर्थव्यवस्था; और
- मिश्रित अर्थव्यवस्था।

(ii) सरकार ही निर्धारित करती है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किनके लिए उत्पादन करना है।

(iii) जनता की भलाई को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें पूरी तरह सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

(iv) सभी काम करने वालों की नियुक्ति सरकार करती है और वह ही उन्हें वेतन भी देती है। चीन, क्यूबा, वियतनाम इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं।

मिश्रित अर्थव्यवस्था : इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की निम्न विशेषताएं हैं

(i) यह व्यवस्था मुक्त बाज़ार और नियोजित अर्थव्यवस्था का मिश्रण है।

(ii) इस व्यवस्था में उत्पादन की क्रियाएं व्यक्तियों द्वारा निजी रूप से तथा सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उत्पादन क्रियाएं जैसे सुरक्षा, युद्ध-सामग्री निर्माण आदि केवल सरकार द्वारा ही चलाई जाती हैं।

(iii) निजी व्यक्तियों द्वारा उत्पादित सामग्री व सेवाओं के मूल्य, बाज़ार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं और सरकार द्वारा उत्पादित सामग्री का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है।

(iv) उत्पादन क्रियाओं से सरकार की भागेदारी का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं वरन् जनसाधारण की भलाई होता है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है कि निजी-उत्पादकों (निजी उद्यमी) एवं सरकारी उत्पादकों (सार्वजनिक उद्यमी) का सहअस्तित्व। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी उत्पादन कार्यों के अतिरिक्त, सरकार उन कामों को भी करती है जिन्हें निजी उद्यमी अलाभकारी या अपनी सामर्थ्य के बाहर समझते हैं। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, और नेपाल मिश्रित अर्थव्यवस्था के कुछ उदाहरण हैं।

आधुनिक समय में अर्थव्यस्थाओं का वर्गीकरण प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर भी किया जाता है। विश्व बैंक (2000) विभिन्न देशों को इसी आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित करता है :

(i) जिन देशों की प्रतिव्यक्ति आय 4, 35, 500 रुपए (चार लाख पैंतीस हजार पांच सौ रुपए) या उससे अधिक है, इस श्रेणी में अधिक आय वाले देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, जापान, सिंगापुर और जर्मनी।

(ii) जिन देशों की प्रतिव्यक्ति आय 35, 500 रुपए और 4, 35, 500 रुपए के बीच में है, वे मध्यम आय वाले देश हैं। श्रीलंका, चीन, ईरान, अर्जेंटीना और ब्राजील कुछ उदाहरण हैं।

(iii) वह देश जिनकी प्रतिव्यक्ति आय 35, 500 रुपए से कम है। इस श्रेणी में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, केन्या जैसे देश आते हैं। अधिक आय वाले देशों को विकसित और कम या मध्य आय वाले देशों को सामान्यत: विकासशील देश कहते हैं।

विकसित देश वे हैं:

(i) जो प्राय: औद्योगिक रूप से अग्रणी हैं और जिनमें आधुनिकतम तकनीकी ज्ञान का प्रयोग किया जाता है।

(ii) जिनमें कार्यकारी जनसंख्या का काफी बड़ा भाग गैर-कृषि संबंधी कामों में लगा होता है;

(iii) जहां लोगों का जीवन स्तर एवं गुणवत्ता काफी ऊंचे होते हैं।

इसके विपरीत विकासशील देश औद्योगीकरण की राह पर हैं, उनके पास नवीनतम तकनीकी ज्ञान की कमी है। वहां अधिकांश लोग कृषि और उससे संबंधित पारंपरिक क्रियाओं में ही लगे हैं। विकासशील देशों में जीवनस्तर विकसित देशों की तुलना में बहुत नीचा है एवं लोगों के जीवन की गुणवत्ता भी कम है।

जब एक व्यक्ति या समूह वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन और विरतण में कार्यरत होते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य विक्रय करना है, तो उसे उद्यम कहते हैं। उद्यमों को स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है : (i) निजी क्षेत्र, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र, और (iii) मिश्रित क्षेत्र।

निजीक्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व और उन्हें चलाने का दायित्व अलग-अलग व्यक्यिों पर या कुछ व्यक्तियों के समूह पर होता है जिसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। सभी खुदरा और थोक दुकानें, कंपनी, खेत, मछली पालन इकाइयां तथा अनेक अन्य काम निजी क्षेत्र में आते हैं। अनेक कारखाने जिनमें कम लोग काम करते हैं वे भी इसी वर्ग में आते हैं। बहुत-सी बड़ी कंपनियां जिनमें हजारों मज़दूर काम करते हैं, वे भी निजी क्षेत्र का एक भाग होती हैं। आपने हिंदुस्तान लीवर, बजाज, मारुति उद्योग, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आदि के व्यापारिक विज्ञापन देखें होंगे। ये सभी कंपनियां भी निजी क्षेत्र में आती हैं।

सार्वजनिकक्षेत्र के उद्यमों की स्वामी सरकार होती है और वह ही इन्हें चलाती है। इनके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखती है ताकि जनता को लाभ हो। ऐसी कंपनियों के कुछ उदाहरण हैं, स्टील आथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), इंडियन आयल कारपोरेशन (आई.ओ.सी.), दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (डी.टी.सी.)। ये सभी सार्वजनिक उद्योग हैं। सरकार के अपने कुछ बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कनारा बैंक तथा कुछ निगम जैसे

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.), भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) आदि भी सरकारी उद्यम हैं।

जब सरकार और व्यक्ति मिलकर साझेदारी के आधार पर उद्यम चलाने के लिए समझौता करते हैं तो उन्हें सांझा या मिश्रित उद्यम कहते हैं। पेट्रोल उत्पादन करने वाली कुछ कंपनियां या बिजली का उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियां जैसे रिलायंस पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (आर.पी.एल) बृहतमुंबई सबअरबन इलेक्ट्रिक सप्लाई (बी.एस.ई.एस.) और पावर ट्रेडिंग निगम (पी.टी.सी) भारत में मिश्रित उद्यम के कुछ उदाहरण हैं।

संसाधनों का बंटना और निर्णय लेना

हमें अपने को जीवित रखने के लिए भोजन, वस्त्र और मकान की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। एक आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती कि दूसरी पैदा हो जाती है। दिए हुए विकल्पों में से सबसे अधिक महत्त्व के विकल्प को छांटना अनिवार्य है। ऐसी दशा में हमें अच्छी तरह जांच पड़ताल कर इस प्रकार वस्तुओं को छांटना चाहिए कि आवश्यकता भी पूरी हो जाए और उससे तृप्ति भी अधिक से अधिक मिले। किसी भी देश में निर्णय लेने की क्रिया वहां के उपलब्ध संसाधनों के सबसे उत्त्म उपयोग से संबंधित होती है।

मान लीजिए, हमारे पास 5 रुपए हैं और हमें कई वस्तुएं चाहिए, जैसे चाकलेट, पेन और पेंसिल का डिब्बा। परंतु पांच रुपए में सभी वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती। अपनी समझदारी का प्रयोग करके हमें इन तीनों में से एक वस्तु का चुनाव करना है। यदि हमें लगता है कि चाकलेट से हमें पेन और पेंसिल की तुलना में अधिक संतुष्टि मिल सकती है, तो हम चाकलेट खरीदेंगे। परंतु यदि हमें लगता है कि गृहकार्य करने के लिए पेन बहुत ज़रूरी है तो हम पेन या पेंसिल खरीदेंगे क्योंकि उससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। इस प्रकार विभिन्न स्थितियों में अलग-अलग विकल्पों में से एक वस्तु को छांटने को *आर्थिक निर्णय लेना* कहते हैं।

> एक और उदाहरण देखें, आप के पिताजी ने आप को अपने और अपने भाई-बहिनों के लिए टाफी खरीदने के लिए 10 रुपए दिए। बाज़ार जाकर आप को यह निर्णय लेना होगा कि दस रुपए की कितनी टाफी खरीदी जाएं कि सब भाई-बहिनों को एकसमान टाफी मिल जाएं। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे और इस क्रिया को क्या कहेंगे।

प्रत्येक अभिभावक को यह निर्णय लेना पड़ता है कि बाज़ार से कौन-सी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाएं और उन पर कितनी राशि खर्च की जाए। निर्णय लेना व्यक्ति अथवा परिवार के स्तर पर ही आवश्यक नहीं बल्कि देश के स्तर पर भी आवश्यक होता है। इस प्रकार के निर्णय, आर्थिक क्रियाओं के हर स्तर पर लिए जाते हैं चाहे उत्पादन, वितरण या उपभोग के स्तर पर हों अथवा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हों।

बाज़ार या बाज़ार की शक्तियां क्या होती हैं?

क्या बाज़ार का अर्थ मात्र उन दुकानों से होता है जहां सब्जियां अथवा अन्य वस्तुएं बेची जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर आंशिक रूप से हां में है।

किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय विक्रेता लागत के साथ कुछ अन्य राशि भी जोड़ते हैं जिसे लाभ कहते हैं। बाज़ार का अर्थ उस स्थान से है जहां ग्राहक और विक्रेता वस्तुओं के क्रय और विक्रय के लिए मिलते हैं। किसी वस्तु का मूल्य मांग, पूर्ति तथा कुछ अन्य कारकों पर निर्भर करता है।

मांग का अर्थ है किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे खरीदने के लिए लोग कीमत देने को तैयार हैं। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग कम होने लगती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ने लगती है। किसी वस्तु की पूर्ति का अर्थ है वह मात्रा जो कि विक्रेता बाज़ार में रखने को तैयार है। यह मात्रा प्राय: विक्रेता निर्धारित करते हैं। जब वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब विक्रेता अधिक से अधिक वस्तु बेचना चाहते हैं और वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। परंतु जैसे ही वस्तु का मूल्य गिरता है उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है। इसके अन्य कारक हैं- आय, रुचि और प्राथमिकता।

विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों का बंटवारा

खुली बाज़ार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व निजी हाथों में रहता है। कौन-सी वस्तु का उत्पादन कितना, किनके लिए और कैसे करना है, इन बातों का निर्णय निजी उत्पादक बाज़ार की शक्तियों को देखकर करते हैं। नियोजित अथवा समाजवादी अर्थव्यवस्था में इनका निर्णय सामान्य लोगों के हित को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का मूल्य बाज़ार द्वारा निर्धारित होता है परंतु यदि बाज़ार जनसाधारण के हितों के विरुद्ध जाने लगता है तो सरकार अपने प्रभाव का प्रयोग करती है। सरकार उद्यमों का संचालन करती है और वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारित करती है। यह कार्य लाभ अर्जित करने के लिए नहीं किया जाता। अनेक अवसरों पर यह उद्यम बिना हानि लाभ के आधार पर चलाए जाते हैं।

हम जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

- भारत मूलत: कृषि प्रधान देश है और यहां अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहां 60 प्रतिशत से अधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि के काम में लगी है। विकसित देशों की तुलना में यह प्रतिशत बहुत अधिक है।
- पिछले 50 वर्षों में भारत में रोज़गार का ढांचा नहीं बदला है। 1951 में देश की कार्यशील जनसंख्या के 73 प्रतिशत लोग प्राथमिक क्रिया-कलापों में लगे थे। 11 प्रतिशत द्वितीयक क्रिया-कलापों में और 16 प्रतिशत तृतीयक क्रियाओं में लगे थे। 1999-2000 में प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए लोगों की संख्या 60 प्रतिशत पहुंच गई। दूसरी ओर द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में लगे हुए लोगों की संख्या क्रमश: 17 प्रतिशत और 23 प्रतिशत हो गई।
- सहायक क्रियाओं का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। 1950-51 में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान 28 प्रतिशत था जो 1999-2000 में बढ़कर 48 प्रतिशत हो गया।
- हमने देखा है कि 1950-51 में भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल 255 रुपए थी जो बढ़कर सन 2000-2001 में 16, 500 रुपए हो गई। इस पर भी भारत विश्व के प्रतिव्यक्ति कम आय वाले देशों में से एक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान में प्रति व्यक्ति आय भारत से 74 गुना अधिक है।
- सरकार की आर्थिक गतिविधियां एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार चलती हैं। हमारी सरकार प्रत्येक पांच वर्ष बाद एक पंचवर्षीय योजना बनाती है और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों और उनके प्रशासनिक तंत्र को सम्मिलित करती है ताकि इसे उपलब्ध सभी आय और संसाधनों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में आबंटित किया जा सके। अब तक भारत में नौ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। हाल ही में दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया गया है। 1951-56 की पहली पंचवर्षीय योजना में सरकारी व्यय 2400 करोड़ रखा गया था जो नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में बढ़कर 8 लाख 59 हजार करोड़ रुपए हो गया है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक बने और दोनों मिलकर विकास के कार्य में सक्रिय भागीदार बने। स्वतंत्रता के समय निजी क्षेत्र के पास न तो संसाधन थे और न ही बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास की इच्छा थी। 1991 के बाद सरकार की नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसका झुकाव निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की ओर हुआ। इस पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न केवल महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और जनसाधारण के लिए आवश्यक आधारभूत सामग्री जुटा रहे हैं वरन निजी क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकताएं भी पूरी कर रहे हैं।
- भारत में 50 वर्षों के आर्थिक नियोजन के परिणामस्वरूप शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साक्षरता, सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है। 1951 में मात्र 9 प्रतिशत महिलाएं और 27 प्रतिशत पुरुष ही साक्षर थे। परन्तु सन 2001 में लगभग 54 प्रतिशत महिलाएं और 75 प्रतिशत पुरुष साक्षर हो गए। सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने से हमारी जीवनप्रत्याशा 1950-51 में 32 वर्ष बढ़कर 1993-94 में 61 वर्ष हो गई है।
- भारत में आय और संपत्ति का समान रूप से वितरण नहीं हुआ है। संपत्ति और अन्य संसाधन थोड़े-से लोगों के हाथों में केंद्रित हैं। 1990 के आरंभ में देश की 40 प्रतिशत संपत्ति और पूंजी केवल ऊपर के 20 प्रतिशत लोगों के हाथों में थी जबकि 20 प्रतिशत लोग जो अधिकांशत: गरीब थे केवल 9 प्रतिशत संपत्ति के मालिक थे।
- किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए तकनीकी प्रगति आवश्यक है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयोग होने वाला तकनीकी ज्ञान भारत में काफी पिछड़ा हुआ है। विशेषकर कृषि में तो तकनीकी ज्ञान का प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। अधिकांश किसान आज भी उत्पादन के लिए पिछड़े तरीके ही प्रयोग कर रहे हैं। यद्यपि हम कारखानों के उत्पादन और सेवा के क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी विकसित देशों की तुलना में हम काफी पिछड़े हैं।

अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है वह केवल अर्थव्यस्था को समझने का आरंभ है। जब हम भारत में नियोजित प्रगति की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जनसंख्या का तिहाई से अधिक भाग निरक्षर है। महिलाओं में तो लगभग आधी महिलाएं निरक्षर हैं। देश के सामने अधिक जनसंख्या भी एक बड़ी समस्या है। आपने पिछली कक्षाओं में इस विषय में पढ़ा भी होगा। अन्य बड़ी समस्याएं जिनको हमें हल करना है वे हैं— बेरोजगारी और गरीबी। इन विषयों पर अगले अध्यायों में चर्चा होगी।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) आर्थिक क्रिया क्या होती है?
   (ii) उत्पादन के दो कारक बताइए।
   (iii) कोई-भी तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के नाम लिखिए।
   (iv) स्वामित्व के आधार पर उद्यमों के तीन क्षेत्र कौन-से हैं?
   (v) राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिए।
   (vi) उपभोग का क्या अर्थ है?
   (vii) किसी अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं?
   (viii) प्रति व्यक्ति आय क्या होती है?
2. अंतर स्पष्ट कीजिए :
   (i) पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था
   (ii) आर्थिक और आर्थिकेत्तर क्रियाएं
   (iii) विकसित और विकाशील अर्थव्यवस्थाएं
   (iv) निजी क्षेत्र के उद्यम और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
3. 'आर्थिक निर्णय लेने' को समझाइए।
4. भारतीय अर्थव्यस्था की विशेषताओं को संक्षेप में बताइए।
5. मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आबंटन कैसे होता है?

परियोजना कार्य

- अपने मोहल्ले के 20 व्यक्तियों से मिलिए जिनमें कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां हों। उनकी तीन प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उन कामों को आर्थिक और आर्थिकेत्तर गतिविधियों में बांटिए। उन पर कक्षा में चर्चा कीजिए।
- किसी भी दैनिक समाचार-पत्र से किन्ही तीन उद्यमों या कंपनियों के बारे में पूरे एक सप्ताह तक सूचना एकत्र कीजिए। उनसे संबंधित विज्ञापनों की एक स्क्रेप बुक बनाइए। आपके द्वारा एकत्रित विज्ञापनों में निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र के उद्योग होने चाहिए।

अध्याय बारह

उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर

1991 से सरकार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना रही है। इस अध्याय में हम यह चर्चा करेंगे कि इन तीनों का अर्थ क्या है, इनकी नीतियों की ओर झुकाव का क्या कारण है और इन्हें क्यों आरंभ किया गया। हम यह भी चर्चा करेंगे कि विश्व व्यापार संगठन (डब्लू.टी.ओ.) जो कि सबसे महत्त्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है। वह किस प्रकार नई नीतियों के चलाने में और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव को निर्धारित करने की दिशा में कार्य करता है। अंत में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि सतत आर्थिक विकास क्या है तथा नई नीतियों में उसका क्या औचित्य है।

1991 से पूर्व भारत के विकास की कार्ययोजना: एक मूल्यांकन

1991 से पूर्व आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को ही भारत ने अपनाया था। इस नीति को अपनाने का मुख्य कारण था कि कोयला खनन, इस्पात, शक्ति और सड़कों जैसे अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण उद्योग सरकार को अपने हाथ में ही रखने चाहिए। यह भी सोचा गया कि इन महत्त्वपूर्ण उद्योगों का प्रबंधन सरकार के अपने हाथ में रहने से अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन मिल सकेंगे।

निजी क्षेत्र को उद्योगों और व्यापार में कार्य करने की अनुमति दी गई परंतु कानून के अंतर्गत नियमों और प्रतिबंधों को स्वीकार करते हुए। यह इसलिए भी आवश्यक समझा गया ताकि संसाधन और धन संपत्ति केवल कुछ हाथों में ही केंद्रित होकर न रह जाए।

सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकार ने अपनी आय का काफी बड़ा भाग निवेश में लगाया और अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आरंभ किए। उन उद्यमों में पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में सरकार का खर्च 81.1 करोड़ रुपए से बढ़कर नवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में 34,200 करोड़ रुपए हो गया। इस कार्यनीति का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और सामाजिक न्याय के आधार पर आर्थिक विकास को प्राप्त करना था।

संसाधनों के निरंतर प्राप्त होने से एक ऐसी स्थिति आ गई जबकि भारत का सार्वजनिक क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया। सरकार की आय का एक बड़ा भाग अन्य विकास के कार्यों की ओर न जाकर इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की धन की आपूर्ति में लगने लगा।

सकारात्मक पहलू: इस कार्यविधि से भारत का एक बड़ा औद्योगिक आधार बन गया और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ने लगा। यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था की दोनों समस्याएं–गरीबी

और बेरोज़गारी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, परंतु जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो गरीबी की रेखा से नीचे था, काफी कम हो गया। पहले हम अपनी जनता के लिए अनाज का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाते थे और उसका आयात करना पड़ता था। पर अब हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त निर्यात-आधारित उद्योगों के लिए भी अब एक अच्छा आधार बन गया है। अब भारत ने अपनी बचत को उपयुक्त ढंग से संसाधनों के विकास के लिए संचालित कर लिया है। हमारी शिक्षा संस्थाओं ने वैज्ञानिकों और तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को काफी मात्रा में तैयार किया है। इससे औद्योगिक और तकनीकी विकास और आत्मनिर्भरता में सहायता मिली है।

नकारात्मक पहलू : औद्योगिक विकास आशा के अनुकूल नहीं हुआ। उदाहरण के लिए 1965–1980 की अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अधिक नियंत्रित होने पर भी औद्योगिक उत्पादन बढ़ने की दर गिर कर 4 प्रतिशत वार्षिक हो गई, जबकि 1950–65 के बीच यह दर 8 प्रतिशत थी। औद्योगिक क्षेत्र के धीमें विकास का कारण वे कानून थे जो निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए बनाए गए थे। यह कानून निजी क्षेत्र में आर्थिक शक्ति को केंद्रित होने से भी नहीं रोक सका। भ्रष्टाचार, कार्य कुशलता में कमी, और प्रभावहीन प्रबंधन प्राय: ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में दिखाई देने लगे। फलस्वरूप अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को नुकसान होने लगा। उदाहरण के लिए 1980-81 में जब सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए 18,207 करोड़ रुपए निवेश किए गए तो लाभ के स्थान पर 203 करोड़ रुपए की हानि हुई। यह भी देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र नियंत्रित करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सरकारी ढांचा बनाया गया वह ही उद्योगों के विकास में मुख्य रुकावट बन गया।

सुधारों की आवश्यकता : नीति में परिवर्तन की आवश्यकता केवल नकारात्मक पहलुओं के कारण ही नहीं अनुभव की गई बल्कि बढ़ती कीमतें, आवश्यक पूंजी की कमी, धीमी आर्थिक प्रगति और तकनीकी पिछड़ापन भी इसके कारण बने। सरकारी व्यय इसकी आय से कही अधिक रहा। 1991 तक विदेशों से ऋण की मात्रा इतनी बढ़ गई कि हमें उस ऋण का ब्याज देना भी भारी पड़ने लगा। यहां तक कि आयात के लिए भुगतान करना भी कठिन हो गया। फलस्वरूप हम अत्यधिक वित्तीय संकट की स्थिति में पहुंच गए। वित्तीय संकट ने भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बैंकों जैसे विश्वबैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आई.एम.एफ.) से ऋण लेने के लिए विवश कर दिया। इन सब कारणों से हमें एक नई नीति बनानी पड़ी जिसे नई आर्थिक नीति का नाम दिया गया। इस नीति का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को तेज़ी से आर्थिक विकास के मार्ग पर लाना। नई आर्थिक नीति के लिए तीन कार्य योजनाएं बनाई गईं– उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनमें से दो अर्थात् उदारीकरण और वैश्वीकरण को नीचे विस्तार से बताया गया है।

उदारीकरण और वैश्वीकरण– अर्थ और प्रक्रिया

उदारीकरण के दो भाग होते हैं। पहले में निजी क्षेत्र को उन औद्योगिक क्रियाओं को चलाने की अनुमति दी जाती है जिन्हें इससे पूर्व केवल सार्वजनिक क्षेत्र को दिया गया था। दूसरे में उन सब नियमों और प्रतिबंधों से छूट दी जाती है जिनसे पहले निजी क्षेत्र के विकास में रुकावट पड़ती थी।

अनेक औद्योगिक कार्यक्रमों जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम चलाते थे, उन्हें निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया। पहले बहुत-सी वस्तुएं जिन्हें निजी क्षेत्र को बनाने की अनुमति थी, उनके उत्पादन के लिए सरकार से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होती थी। इस प्रक्रिया को नीचे लिखी सामग्रियों को छोड़कर अन्य सभी के लिए समाप्त कर दिया गया: शराब, सिगरेट, हानिकारक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक पदार्थ, अंतरिक्ष में जाने वाले विद्युतीय उपकरण और दवाएं। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए छोड़े गए उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 3 कर दी गई। अब निजी क्षेत्र भी लोहा और इस्पात, बिजली, वायु परिवहन, जहाज निर्माण, भारी मशीनें और रक्षा संबंधी सामग्री जैसे मूल उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है।

निजी क्षेत्र को अनेक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है जैसे (क) लाइसेंस देना, (ख) कच्चे माल के आयात की अनुमति, (ग) मूल्य निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण और (घ) बड़ी व्यापारिक कंपनियों द्वारा निवेश पर प्रतिबंध। वास्तव में, भारत में उद्योगपतियों को उत्पादन के लिए अनेक सुविधाएं देने हेतु कई औपचारिकताओं को सरल कर दिया गया है।

वैश्वीकरण का अर्थ है हमारी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। इस प्रक्रिया में हम आर्थिक रूप से वैश्विक अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पारस्परिक रूप से निर्भर होते हैं। ऐसा कई स्तरों पर होता है। अनेक विदेशी उत्पादक अपना माल और सेवाएं भारत में बेच सकते हैं। हम भी अपना निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों को बेच

सकते हैं। वैश्वीकरण उन व्यक्तियों के लिए भी सहायक होता है जिनके पास भारत में उद्योग लगाने के लिए धन उपलब्ध है। इस प्रकार का उत्पादन देश में विक्रय के लिए अथवा निर्यात के लिए हो सकता है। इसी प्रकार भारत के उद्यमी भी दूसरे देशों में जाकर पूंजी निवेश कर सकते हैं। वैश्वीकरण में केवल पूंजी ही नहीं वरन एक देश से दूसरे देश में श्रमिकों का आदान-प्रदान भी सम्मिलित है।

इससे पूर्व, भारत सरकार ने वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा रखे थे ताकि घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिले। इन प्रतिबंधों से देश के अंदर तकनीकी योग्यता प्राप्त करने में सहायता मिली। नई नीति के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता अनुभव की गई ताकि पूंजी, तकनीकी ज्ञान और अनुभव का निर्बाध आदान-प्रदान विभिन्न देशों में संभव हो सके। इस नीति के अनुसरण के लिए, सरकार ने माल के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिए, आयातित माल पर कर कम कर दिए और विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहन दिया।

भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण—एक मूल्यांकन

भारत में पिछले एक दशक की उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन हुए हैं। यद्यपि रोजगार के ढांचे में विशेष अंतर नहीं पड़ा फिर भी कुछ प्रत्यक्ष परिवर्तन इस प्रकार हैं: संचार के क्षेत्र में कम दामों पर उत्तम सेवाएं जैसे दूरभाष के अच्छे उपकरण, रंगीन टेलीविजन सेट तथा अन्य विद्युतीय उपकरण, कई खाद्य उत्पाद कंपनियों जैसे पेप्सी व कोका कोला ने देश में उत्पादन इकाइयां आरंभ करके शीतल पेय और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों के बाज़ार में अच्छा स्थान बना लिया है। हमारी अर्थव्यवस्था में आए कुछ अदृश्य परिवर्तन इस प्रकार हैं :

- विश्व के माल व सेवाओं के व्यापार में भारत की भागीदारी थोड़ी बढ़ी है, तथापि अन्य विकासशील देशों की तुलना में, हमारी प्रगति काफी धीमी है।
- अन्य देशों द्वारा भारत में माल और सेवाओं के उत्पादन में किया जाने वाला निवेश (प्रयत्क्ष विदेशी निवेश) 1991 में 174 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2000 में 9338 करोड़ हो गया।
- हमें अपने आयात के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा कोष की आवश्यकता होती है। यह कोष 1991 में 4622 करोड़ रुपए था जो 2000 में बढ़कर 1, 52,924 करोड़ हो गया।
- 1990-91 में मूल्य वृद्धि लगभग 12 प्रतिशत रही जो इस दशक के अंतिम चरण में 5 प्रतिशत रह गई।
- नई नीतियों का एक उद्देश्य रोज़गार के अवसर पैदा करना है। यद्यपि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रोज़गार के नए अवसर निकल रहे हैं, तथापि देश की बढ़ती आवश्यकता के हिसाब से वे पर्याप्त नही हैं। नई नीति अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में असफल रही है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां आज भी देश की 75 प्रतिशत जनता रहती है।
- यद्यपि 1991-2000 में औद्योगिक क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है लेकिन वह अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका।

विश्व व्यापार संगठन
(वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन)

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा में है। इस संगठन ने भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। इसका उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो।

देशों के आपसी व्यापार में सहयोग करते हुए यह संगठन (विश्व व्यापार संगठन) चाहता है कि विभिन्न देश उसकी नीतियों के अनुसार कार्य करें। आइए इस संबंध में तीन बिंदुओं पर ध्यान दें- द्विपक्षीय समझौते, आयात कोटा और निर्यात कोटा, जो सभी विकासशील देशों विशेषतया भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। इनका क्या तात्पर्य है? जब एक देश किसी अन्य देश से व्यापारिक संबंध रखता है तो वह प्रत्येक देश से अलग-अलग समझौते करता है। इसे द्विपक्षीय समझौते कहते हैं। विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए ये द्विपक्षीय समझौते बड़े महत्त्वपूर्ण होते हैं। स्थानीय उत्पादनों की अन्य देशों के साथ होने वाली प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए दूसरे देशों से आयातित माल पर आयात शुल्क लगाना सामान्य बात है। ये देश आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर भी रोक लगाते हैं। इसे *आयात कोटा* कहते हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से सरकारें निर्धारित सीमा से अधिक निर्यात करने पर भी रोक लगाती हैं। इसे *निर्यात कोटा* कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन चाहता है कि आयात और निर्यात दोनों पर से प्रतिबंध हटा दिए जाएं। वह द्विपक्षीय के स्थान पर बहुपक्षीय

समझौतों के पक्ष में है। ये समझौते कुछ देशों द्वारा मिलकर तय किए जाते हैं।

विश्व व्यापार संगठन माल के साथ-साथ सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी व्यवस्थित करता है। इसके सभी सदस्य देशों को ऐसे कानून और नीतियां बनानी पड़ती हैं जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों से मेल खाती हों।

[illegible]

- यह भारत को अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापार के अवसर प्रदान करता है। अब हम अपना माल तथा सेवाएं अन्य देशों को उनके द्वारा लगाए कम प्रतिबंधों के साथ निर्यात कर सकते हैं।
- इससे भारत को विकसित देशों की प्रौद्योगिकी कम लागत पर मिलने की संभावना रहती है।
- विश्व-व्यापार का अधिकांश भाग विकसित देशों के बीच आपस में ही होता है। इससे विश्व व्यापार संगठन के सदस्य होने का लाभ भारत जैसे विकासशील देशों को, केवल सीमित मात्रा में होता है।
- इस समय विश्व व्यापार संगठन के बहुत-से वर्तमान नियम विकासशील देशों के पक्ष में नहीं हैं। वे कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं जिनसे विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देशों के पक्ष में करने को मजबूर हो जाएं।
- कहा जाता है कि विकसित देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन का प्रयोग उन क्षेत्रों में वैश्वीकरण को समर्थन देने के लिए किया जा रहा है जिनका सीधा संबंध व्यापार से नहीं है। इस प्रकार वे किसी देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में हस्तक्षेप करते हैं। उदाहरण के लिए – कृषि क्षेत्र में समझौते के अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन की कुछ धाराएं भारत में सहायता के लिए कम कीमत पर खाद्यान्न देने के प्रावधान पर रोक लगाती है।
- इस बात की भी आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तें व नियम मान लेने पर भारत में बहुत-सी आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं के मूल्य बढ़ जाएंगे।

[illegible]

सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास तो हो पर इससे परिवेश को हानि न पहुंचे। साथ ही वर्तमान विकास भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ किसी प्रकार का समझौता न करे।

सतत पोषणीय आर्थिक विकास का विषय पिछली शताब्दी में विश्व के तीव्र औद्योगीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। पर्यावरण की चिंता के कारण ही सतत पोषणीय आर्थिक विकास की आवश्यकता अनुभव हुई। यह भी अनुभव किया गया कि तीव्र आर्थिक प्रगति और औद्योगीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विनाश हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों के भंडार जैसे जीवाश्म ईंधन जो कि विश्व की अधिकांश ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, सीमित है, इसी कारण सभी देशों के विकास को खतरे का अंदेशा है। यद्यपि जीवाश्म ईंधन और खनिज पदार्थ आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है परंतु उनके प्रयोग से पर्यावरण और पारिस्थितिकी की हानि होती है। उनसे प्रदूषण फैलता है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। अतः आज वैश्विक चिंता का विषय यह है कि आर्थिक विकास के लिए ऐसी रणनीति अपनाई जाए जो पर्यावरण सहायक हो।

यह भी सत्य है कि आज विश्व में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने वाले अधिकांश देश विकसित देश हैं। अतः ऐसे प्रदूषित करने वाले पदार्थों से पर्यावरण को होने वाली हानि से रोकने का दायित्व ऐसे देशों पर है। इसके लिए जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है उनमें कुछ हैं: ऊर्जा के स्वच्छ और नवीकरण योग्य स्रोतों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम किया जाए, जैविक कृषि, भूमंडलीय तापमान को कम करने और कार्बन छोड़ने की सीमा निर्धारित करने के प्रयास किए जाएं। कई देशों के मध्य इस प्रकार के अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं। इनमें से कुछ हैं: पर्यावरण संबंधी समझौता, जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापन समझौता। जहां ये समझौते वर्तमान और भावी पीढ़ी के हितों की रक्षा करेंगे, वहीं इन परिस्थितियों में भारत के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे कानून और नियम बनाए जाएं जिनसे पर्यावरण की रक्षा हो और ऊर्जा के प्रयोग को सीमित किया जा सके।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) दो ऐसी समस्याओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण 1991 के पश्चात् भारत को नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी।
   (ii) वैश्वीकरण क्या है?
   (iii) उदारीकरण की परिभाषा बताइए।
   (iv) सतत पोषणीय आर्थिक विकास की परिभाषा बताइए।
   (v) विश्व व्यापार संगठन क्या है और यह कब और क्यों स्थापित किया गया?
2. भारत सरकार द्वारा अपनाए गए विभिन्न उदारीकरण के उपायों की व्याख्या कीजिए।
3. आर्थिक वृद्धि के लिए सतत पोषणीय आर्थिक विकास क्यों आवश्यक हैं?
4. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की आर्थिक विकास रणनीति क्या थीं? व्याख्या कीजिए।
5. उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने के फलस्वरूप भारत में आए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य

❖ ''उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाने से भारत को अवश्य ही लाभ होगा'' इस विषय पर विद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित कीजिए जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के विचार रखे जाएं।

अध्याय तेरह

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

स्वतंत्रता प्राप्ति के पांच दशकों में हमने विकास के बहुत से लाभ उठाएं। इस अवधि में हमने बहुत-सी ऐसी समस्याओं का भी सामना किया है जिनका समाधान किया जाना अभी भी बाकी है। इस अध्याय में हम ऐसी तीन चुनौतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका सामना हमारी अर्थव्यवस्था आज भी कर रही है। ये चुनौतियां है – गरीबी, बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि।

गरीबी

गरीबी उन बहुत-सी महत्त्वपूर्ण समस्याओं में से एक है जिनका सामना आज भारत कर रहा है। गरीबी ऐसी दशा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने जीवनयापन के लिए भोजन, वस्त्र और मकान जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने में भी कठिनाई होती है।

संभव है कि आप के आस-पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते हों जिन्हें दिन में दो बार भरपेट भोजन भी न मिलता हो। पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कमजोर हों और कुपोषण के शिकार हों क्योंकि उन्हें उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिलता हो। हो सकता है उन्हें पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं मिलते हों। आप ऐसे बच्चों को भी देखते होंगे जो आपकी आयु के या कम आयु के ही हों पर विद्यालय जाने की अपेक्षा, चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों या अन्य दुकानों पर काम करते हों। विद्यालय आते-जाते रास्ते में आपने अनेक लोगों को भीख मांगते हुए देखा होगा। अर्थशास्त्र की भाषा में उन्हें गरीबी से पीड़ित और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग कहा जाता है।

जब किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का अधिकांश भाग इन मूल आवश्यकताओं से वंचित होता है तो ऐसी अर्थव्यवस्था को व्यापक निर्धनता की स्थिति कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि 1999-2000 में भारत के लगभग 26 करोड़ लोग गरीबी से पीड़ित थे। यह संख्या लगभग उतनी ही है जितनी स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय भारत की कुल जनसंख्या थी।

गरीबी का मापन

गरीबी दूर करना सरकार का दायित्व है। अतः इसके लिए दो कदम उठाए गए। पहला कदम है ऐसी यथोचित व्यवस्था करना जिससे गरीबी से पीड़ित व्यक्तियों की पहचान की जा सके, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में *गरीबीरेखा* कहते हैं। दूसरा कदम है निर्धारित प्रक्रिया से ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या मालूम करना जो गरीबी से पीड़ित हैं।

गरीबों की संख्या पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला, किसी परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर किए गए व्यय को मालूम करना। दूसरा, परिवार द्वारा अर्जित आय का पता लगाना।

व्यय विधि : इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवनयापन के लिए न्यूनतम आवश्यक पौष्टिक भोजन का अनुमान लगाया जाता है। हमें ज्ञात है कि जो कुछ भी हम खाते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को कैलोरी में नापा जाता है। पहले न्यूनतम भोजन की आवश्यकता को कैलोरी में नापा जाता है और इसके बाद कैलोरी की मात्रा को रुपयों के मूल्य में बदला जाता है। भोजन के अतिरिक्त हमें कपड़े और दूसरी आवश्कताओं के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं की आवश्यकता के लिए कम से कम राशि को भी भोजन की राशि के साथ जोड़ा गया है। इस पूरी राशि को जोड़ने पर गरीबी की रेखा का पता चलता है। वे सभी परिवार जो गरीबी की रेखा से कम व्यय करते हैं, उन्हें गरीबी रेखा से नीचे के परिवार कहा जाता है।

भारत में न्यूनतम पौष्टिक आवश्यकताओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। क्या आप बता सकते हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में यह अंतर क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग शारीरिक काम अधिक करते हैं जिससे उन्हें अधिक थकावट होती है। शहरी लोगों की तुलना में उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोनों में अंतर का यही कारण है।

गरीबी से पीड़ित लोगों का पता लगाने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर अथवा राज्य स्तर यही विधि अपनाती है।

आय विधि : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर सामान्य से कम कीमत पर अनाज देने के विषय में सरकार इसी विधि को अपनाती है जिसके विषय में हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। इस विधि में उन सभी परिवारों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी कुल मासिक आय सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी की रेखा से नीचे होती है। इन्हें गरीबी की रेखा से नीचे का परिवार माना जाता है। उदाहरण के लिए 1999 में आय विधि द्वारा सरकार ने 720 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे पाया।

भारत में गरीबी रेखा और गरीबी

1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे उन परिवारों को माना गया जिनकी मासिक आय 328 रुपए प्रति व्यक्ति थी। शहरी क्षेत्रों में यह राशि 454 रुपए निर्धारित की गई। जब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्र के लोगों की तुलना में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम क्यों रखी गई? इसका कारण यह है कि आवश्यक वस्तुओं का मूल्य शहरी क्षेत्रों में गांवों की अपेक्षा अधिक है।

यह कैसे पता लगाएं कि कोई परिवार गरीबी की रेखा के नीचे है या ऊपर ?

मान लीजिए कि आपका परिवार गांव में रहता है और उसमें चार सदस्य हैं। यह भी मान लें कि आपके परिवार की मासिक आय 1800 रुपए प्रति माह है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके परिवार का प्रति व्यक्ति व्यय 1800 ÷ 4 अर्थात 450 रुपए है जो कि ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी रेखा (328 रुपयें) से अधिक है। इस प्रकार आपका परिवार गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल.) माना जाएगा अर्थात गरीबी से पीड़ित नहीं माना जाएगा।

तालिका 13.1
गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या (प्रतिशत में)

क्षेत्र	1973-74		1999-2000	
	व्यक्तियों की संख्या		व्यक्तियों की संख्या	
	(करोड़ों में)	प्रतिशत में	(करोड़ों में)	प्रतिशत में
ग्रामीण क्षेत्र	26.13	56.44	19.32	27.09
शहरी क्षेत्र	06.01	49.01	06.70	23.62
कुल	32.14	54.88	26.02	26.10

क्या आप जानते हैं कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितने परिवार हैं? तालिका 13.1 यह बताती है कि 1999-2000 में 26.02 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे थे। इनमें से 19.32 करोड़ गांवों में रह रहे थे और 6.7 करोड़ शहरों में। 1973-74 में भारत की जनसंख्या के लगभग 55 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। 1999-2000 में यह संख्या घट कर लगभग 26 प्रतिशत हो गई। इसका अर्थ हुआ कि अब हमारी जनसंख्या का केवल एक-चौथाई भाग गरीबी रेखा से नीचे है। तालिका में यह भी देखा जा सकता है कि पिछले 25 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी काफी कम हुई है।

भारत के ऐसे कौन-से राज्य हैं जहां गरीबी से पीड़ित लोग सर्वाधिक हैं? यह जानने के लिए तालिका 13.2 तथा चित्र 13.1 देखें।

गरीबी और व्यवसाय

गरीबी से पीड़ित इन परिवारों का व्यवसाय क्या है? सामान्यतया इस वर्ग में बेरोजगार, भूमिहीन, कृषि मजदूर, अनियमित मजदूर,

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित।

समुद्र में भारत का जनप्रदेश, उपयुक्त आधार रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है।
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में है।
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य से दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है।
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई है।
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्न सूत्रों द्वारा प्राप्त किया है।
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।

चित्र 13.1 भारत में गरीबी का प्रतिरूप

तालिका 13.2 भारत के कुछ राज्यों में गरीबी, 1999-2000

अधिक			कम		
राज्य	गरीबी की रेखा से नीचे		राज्य	गरीबी की रेखा से नीचे	
	लाख में	प्रतिशत में		लाख में	प्रतिशत में
बिहार	425.64	42.60	गोवा	0.70	4.40
मध्य प्रदेश	298.54	37.43	गुजरात	67.89	14.07
महाराष्ट्र	227.99	25.03	हरियाणा	17.34	8.74
उड़ीसा	169.09	47.15	हिमाचल प्रदेश	5.12	7.63
तमिलनाडु	130.48	21.22	जम्मू और कश्मीर	3.46	3.48
उत्तर प्रदेश	529.89	31.15	केरल	41.04	12.72
पश्चिमी बंगाल	213.49	27.02	पंजाब	14.49	6.16

आदिवासी, अपंग और शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति सम्मिलित हैं। योजना आयोग के अनुमान के अनुसार कृषि मजदूरों के परिवारों की संख्या कुल श्रमिक परिवारों की संख्या का 25 प्रतिशत है। इनमें से लगभग 57.60 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। उन राज्यों में जहां कृषि मजदूर अधिक संख्या में हैं, वहां गरीबी भी अधिक है। शहरों में रहने वाले लोगों में गरीबी का मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्र से गरीबों का शहरों की ओर पलायन करना। अनियमित मजदूर, बेरोजगार, दैनिक मजदूरी प्राप्त करने वाले, घरेलू नौकर, रिक्शा चालक और चाय की दुकानों तथा रेस्तरां में काम करने वाले मजदूर, शहरी गरीबों की श्रेणी में आते हैं।

गरीबी के कारण

गरीबी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

- ब्रिटिश शासन से पूर्व, पारंपरिक उद्योग जैसे कपड़े बुनना बहुत अच्छी दशा में थे। ब्रिटिश शासन काल में उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिससे ऐसे उद्योग न पनप सकें। इस प्रकार लाखों जुलाहे निर्धन हो गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद भी यह देखा जा सकता है कि हस्तशिल्प उद्योगों में काम करने वाले लोगों का बड़ा भाग आज भी दयनीय दशा में है।
- वैकल्पिक व्यवसाय न होने के कारण ग्रामीण लोग मात्र खेती पर ही निर्भर हैं। इससे अधिकांश लोगों के आय का स्तर बहुत कम है।
- ग्रामीण क्षेत्र के गरीब अधिकांश रूप से न तो केवल कम आय अर्जित करते हैं बल्कि उनके पास न तो पर्याप्त जमीन है और न ही कृषि के काम आने वाली मशीनें। बहुत-से मजदूरों के पास न तो भूमि ही है और न ही कोई काम। भूमि सुधारों का उद्देश्य था: संपत्ति का पुनर्वितरण, ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की दशा सुधारना जिसे सरकार ने प्रभावशाली ढंग से नही किया। इससे गरीबों की संख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में काफी कठिनाई हुई।
- निरक्षरता, बड़ा परिवार, उत्तराधिकार कानून और जाति व्यवस्था, कुछ ऐसे सामाजिक कारण थे जिनसे गरीबी से पीड़ित लोगों की संख्या कम नहीं हो पाई।
- पिछले पांच दशकों में गरीबी कम करने के अनेक कार्यक्रम बनाए गए और क्रियान्वित भी किए गए परंतु अक्षमता एवं भ्रष्टाचार के कारण गरीबी दूर करने में वे बहुत प्रगति नहीं कर पाए।

गरीबी उन्मूलन

स्वतंत्रता के बाद से ही, गरीबी उन्मूलन देश में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य रहा है। आर्थिक नियोजन की प्रारंभिक अवस्था से ही सरकार ने गरीबी की समस्या को चार प्रकार से हल करने की चेष्टा की है।

(i) सरकार का विश्वास था कि भारी उद्योगों में बढ़ोत्तरी और हरितक्रांति से रोजगार और आमदनी के अवसर बढ़ेंगे जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी। आरंभ में सोचा गया कि एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचने से देश भर के दूसरे वर्गों, विशेषकर गरीबों को भी नीचे तक लाभ पहुंचेगा। इसे धीरे-धीरे नीचे तक जाने वाला प्रभाव कहते हैं।

(ii) जमींदारी उन्मूलन, किराए की भूमि वाले किसानों को भूमि छिनने से सुरक्षा देना, किरायों को निर्धारित करना, भूमि की सीमा निर्धारित करना तथा छोटे और भूमिहीन किसानों में अतिरिक्त भूमि बांटना जैसे भूमि सुधार के उपायों को सरकार ने अपने हाथ में लिया।

(iii) उन घरेलू और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जिनमें अधिक मजदूर काम करते हैं और मशीनों का उपयोग कम होता है। सरकार ने कुछ उत्पादन कार्य केवल इन उद्योगों के लिए सुरक्षित रखे।

(iv) सरकार ने आमदनी के पुनर्वितरण के कुछ तरीके अपनाए जिससे धनी और निर्धन वर्ग का अंतर कम हो सके। इसके लिए (क) धनी और मध्यम वर्ग पर टैक्स भी लगाए गए तथा (ख) एक ओर विलासिता की सामग्री पर कर लगाए गए और दूसरी ओर गरीब लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं को सामान्य से कम दामों पर देने की व्यवस्था की गई।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पावर्टी एलिवियेशन प्रोग्राम)

सन 1980 में यह अनुभव किया गया कि ऊपर बताए गए प्रयत्नों के सफल होने के लिए काफी समय की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, जैसा सोचा गया था, कुछ प्रयत्नों को तो उतनी सख्ती से लागू ही नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिए कानून बनाने के बाद भी बहुत-से राज्यों में भूमि सुधार लागू नहीं किए जा सके। यह देखा गया कि इस विषय में ध्यान केंद्रित करने में परिवर्तन की आवश्यकता है आज सरकार को यह सोचना है कि यदि गरीबी कम करनी है तो जरूरतमंद लोगों की बिल्कुल सीधे तौर पर सहायता करनी होगी। इसलिए इस काम के लिए सरकार ने ऐसी नीतियां और कार्यक्रय बनाए हैं जिन्हें *गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम* कहा गया है। इनमें से अनेक कार्यक्रमों का लक्ष्य है—गरीबी से प्रभावित परिवारों के लिए नौकरी की व्यवस्था करना अथवा उनके पूंजीगत आधार को मजबूत करना। ऐसे कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज्य योजना: इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और 1980 से देश के सभी विकास खंडों में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना: इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के उन स्त्री-पुरुषों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है जिन्हें वर्ष के अधिक दिन पर्याप्त काम नहीं मिलता है। अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम के फलस्वरूप वनसंपदा, भूमि संरक्षण, छोटी कृषि योजनाओं, गांवों में कुंओं को चालू करना, गांव की सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों, पंचायत घरों, बस अड्डों का सुधार करके सामुदायिक संपति में सुधार लाना। यहां भी उन्ही परिवारों को सहायता दी जाएगी जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना: इस योजना में वे कार्यक्रम सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगारों की सहायता करना है। इस योजना में विशेषतया शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि इन कार्यक्रमों से 18 से 35 वर्ष की आयु के शिक्षित बेरोजगार लाभ उठाएंगे। समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य कार्यक्रम: रोजगार बीमा योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्रमशः 1999 और 2000-01 में आरंभ की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए वेतन आधारित रोजगार उपलब्ध कराना तथा उनके जीवनस्तर को ऊपर उठाना है।

बेरोजगारी

सभी व्यक्ति अपनी दैनिक और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को लाभप्रद काम या नौकरी नहीं मिलती तो उसे बेरोजगार कहते हैं। यदि किसी वर्ग के लोग काम करने के योग्य तो होते हैं और काम करना भी चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता तो उस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं।

विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी: बेरोजगारी तीन प्रकार की होती है जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

(क) अप्रत्यक्ष बेरोजगारी: यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी कार्य के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो उससे अधिक व्यक्ति उस काम में लगे हों। यद्यपि ऐसे काम में लगे व्यक्ति काम करते तो दीखते हैं तथापि वे पूरी तरह काम में नहीं लगे होते। ऐसी दशा में यदि अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या विशेष रूप से जटिल है। उदाहरण के लिए गेहूं या चावल के एक एकड़ खेत में खरपतवार निकालने के लिए पांच व्यक्तियों की आवश्यकता है पर वहां आठ व्यक्ति आकर काम करने लग जाते हैं, तो तीन अतिरिक्त

तालिका 13.3 भारत में बेरोज़गारी का प्रतिशत 1987-88 और 1999-2000

वर्ष	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
1987-88	4.6	6.7	8.8	12
1999-2000	7.2	7.0	7.3	9.4

व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष बेरोजगार कहेंगे। इस स्थिति को अल्प रोजगार भी कहते हैं। गांवों में अधिक काम उपलब्ध न होने से यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(ख) मौसमी बेरोजगारी: कुछ व्यक्तियों को केवल वर्ष के कुछ महीनों में ही रोजगार मिलता है और बाकी महीनों में वे बेरोजगार रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका काम मौसम के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए हमारे देश में कृषि मौसम पर आधारित है जो मानसून पर निर्भर है। वर्ष के काफी समय में हमारे किसानों के पास कोई काम नहीं होता है। रोजगार के पूरक अवसर न होने के कारण खेतिहर मजदूर कुछ समय बेकार रहते हैं। इसी कारण उन्हें सामयिक या मौसमी बेरोजगार कहते हैं।

(ग) ढांचागत बेरोजगारी: यदि किसी अर्थव्यवस्था में सभी मजदूरों को नौकरी देने के लिए पूंजी या साधन उपलब्ध नहीं होते तो ऐसी दशा को ढांचागत बेरोजगारी कहते हैं। यह दशा अनेक विकासशील देशों में देखने को मिलती है। यह भी कहा जा सकता है कि हमारे देश में कुछ सीमा तक ढांचागत बेरोजगारी ही है क्योंकि भारत अब खेती में लगे इन मजदूरों को खाली समय में किसी रोजगार की व्यवस्था नहीं कर सका है।

अन्य प्रकार की बेरोजगारी : जब वस्तुओं की मांग कम हो जाने से बेरोजगारी हो जाती है तो उसे परिस्थितिजन्य बेरोजगारी कहते हैं। प्रायः इस प्रकार की बेरोजगारी पूंजीवादी देशों में होती है। यदि तकनीकी कारणों से उत्पादन में परिवर्तन होने से बेरोजगारी होती है तो उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। मान लीजिए, किसी अर्थव्यवस्था में कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग के कारण काफी मजदूरों की छंटनी हो जाती है तो हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था तकनीकी बेरोजगारी के बोझ तले दब रही है। तथापि इस प्रकार की बेरोजगारी हानिकारक नहीं होती क्योंकि यह अल्पकालीन होती है।

भारत में बेरोजगारी की विशालता

भारत में बेरोजगारी की विशालता को दो प्रकार से नापा जा सकता है। पहला तरीका है जनगणना और नमूने का सर्वेक्षण करना तथा दूसरा तरीका है रोजगार कार्यालयों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर। तालिका 13.3 में हम नमूने के सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त बेरोजगारी की सूचना देख सकते है। इस तालिका में दिखाया गया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। 1987-88 में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में 46 पुरूष और 67 महिलाएं बेरोजगार थे। 1999-2000 में यह संख्या बढ़कर क्रमशः 72 और 70 हो गई।

आप यह जानकर चकित होंगे कि 1000 में 72 जैसी छोटी-सी बेरोजगारी की संख्या से हम क्यों चिंतित हैं। हम जब इन आंकड़ों को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करते हैं तो बेरोजगारी का आकार अधिक हो जाता है। यह किसी देश के विकास के लिए अत्यंत हानिप्रद समझा जाता है। विकसित देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, युनाइटेड किंगडम में सरकार किसी व्यक्ति के बेरोजगार होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारत में बेरोजगारों को इस प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जाती इसीलिए, भारत में लोगों को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ काम अवश्य करना पड़ता है।

तालिका 13.3 को अच्छी प्रकार देखकर नीचे के प्रश्नों के उत्तर लिखें :

1. 1987-88 में शहरी क्षेत्रों में पुरूषों की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बेरोजगार था?
2. क्या 1999-2000 तक शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की जनसंख्या में बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है?

रोजगार कार्यालयों द्वारा जो बेरोजगारी-संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, वे भारत में शिक्षित बेरोजगारों का पता लगाने का दूसरा अप्रत्यक्ष तरीका है। 2001 में लगभग 420 लाख नौकरी चाहने वाले लोगों का रोजगार कार्यालयों द्वारा पंजीकरण किया गया था। इनमें महिलाएं केवल 26 प्रतिशत थीं। 1990-2000 के बीच लगभग 50 लाख शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत किया गया। इस एक वर्ष में

सरकार केवल 1.5 से 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाई है। बाकी के बेरोजगार व्यक्ति केवल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में जुड़ते चले जा रहे हैं। तथापि इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पूरी तरह से बेरोजगार हैं। इनमें से अधिकतर छुपी हुई बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं।

जनसंख्या वृद्धि एवं बेरोजगारी

जनसंख्या वृद्धि को भारत की बेरोजगारी का प्रमुख कारण माना जाता है। किसी देश में जब लोगों की संख्या रोजगार के अवसरों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है, तो बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाती है। भारत में इस समय यही स्थिति है। यहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है लेकिन धीमें आर्थिक विकास के कारण रोजगार के अवसर उस सीमा तक नहीं बढ़े हैं।

जनसंख्या वृद्धि ने कामगारों की लगभग एक फौज तैयार कर दी है। चूंकि प्राथमिक क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव पहले से ही बहुत अधिक है, अत: नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व गौण और तृतीयक क्षेत्रों को ही उठाना पड़ेगा।

जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए प्रभावी और अर्थपूर्ण उपाय करने आवश्यक हैं। इसके साथ ही रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

बेरोजगारी कम करने की रणनीतियां

बड़े और छोटे बांध, नहरें और सड़कें बनाने जैसे कामों का उद्देश्य विकास के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करना है। रोजगार उपलब्ध कराने की रणनीति, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से जुड़ी हुई है। इन कार्यक्रमों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं।

ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी निर्माण कार्यों से है।

समेकित सूखी भूमि कृषि विकास : इस योजना के अंतर्गत भूमि सुरक्षित रखना, भूमि विकास और जल संचय करने के कार्यक्रम आते हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम : उस कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने लिए, जैसे पीने के लिए पानी के कुएं, सामुदायिक सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, लघु सिंचाई की सुविधा, गांव की सड़कें व विद्यालय आदि, सामुदायिक संपत्ति की व्यवस्था करना है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक संपत्ति निर्माण और ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है।

कौशल का विकास : कौशल कामगारों की मांग बेरोजगारी से जुड़ा हुआ एक प्रमुख मुद्दा है। उत्पादन के तरीकों में परितर्वन आने के कारण कुशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है। कुशल कामगार उस मजदूर को कहते हैं जिसने किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षा या विशेषज्ञता प्राप्त की हो। शिक्षा व प्रशिक्षण, कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ा देते हैं। कौशल विकास का अर्थ है : (क) उत्पादकता बढाने के उद्देश्य से कामगारों को विशेष शिक्षा व प्रशिक्षण देना (ख) इस बात का आश्वासन कि उन्हें लगातार काम मिलता रहेगा, (ग) काम में नई तकनीक अपनाने के योग्य बनाना, और (घ) अन्य विकसित देशों की श्रमशक्ति से मुकाबला करना।

प्रशिक्षण द्वारा कौशल सिखाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। औद्योगिक विकास की सफलता के लिए श्रमिकों में समझ व उत्साह वृद्धि के लिए 1958 में स्थापित केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड सराहनीय कार्य कर रहा है। इस समय देश में लगभग 4300 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) विशिष्ट दक्षता प्राप्त कामगार तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण दे रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय स्तर पर भी समेकित किया गया है। विद्यालयों में कक्षा दस के बाद व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान है।

इन उपायों के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। समय-समय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम का संशोधन व नवीनीकरण तेजी के साथ होना आवश्यक है, ताकि नौकरियों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। साथ ही साथ, उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों का पारस्परिक प्रभाव कम होता जा रहा है। विद्यालयों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम को आज की श्रमशक्ति के अनुरूप बढ़ाने की आवश्यकता भी है।

उद्यम संबंधी विकास : रोजगार की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है कि नए व्यापार का आरंभ हो। इसके लिए पूंजी के अतिरिक्त कुशलता एवं संगठनात्मक योग्यता जरूरी है। स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु उद्यम संबंधी प्रशिक्षण को भी आवश्यक समझा जाता है।

स्वरोजगार में लगे और छोटे उद्यमों के लिए कम ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य छोटे उद्योगों की योग्यता का विकास करना, आर्थिक सहायता के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार

करने के लिए मार्गदर्शन देना और अपना कारोबार चलाने के लिए उनकी तकनीकी और व्यावसायिक सहायता करना है। बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं ने रियायती दरों पर ऋण की सुविधाएं देकर इनकी बड़ी सहायता की है। इसका सुखद परिणाम यह हुआ है कि कुछ वर्षों में पारंपरिक व्यापारिक घरानों से अलग एक नई उद्यमी पीढ़ी तैयार हो गई है। इस वर्ग ने भारत के उद्योगों के प्रसार व व्यापार को नए क्षेत्रों में फैलाने में सहायता दी है।

विश्व श्रम बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण

श्रम बाजार एक ऐसी काल्पनिक स्थिति है जिसमें एक श्रमिक या श्रमिकों का समूह वेतन के बदले में स्वामी को अपना श्रम देता है। यदि कोई मकान मालिक या मकान बनाने के लिए ठेकेदार कुछ मजदूरों को काम देता है तो यह भवन निर्माण श्रम बाजार की स्थिति कहलाती है। किसान अपने खेतों में काम के लिए खेतिहर मजदूर लगाता है तो वह स्थिति कृषि श्रम बाजार कहलाती है।

यदि विश्व के देश अपने श्रमिकों (मजदूरों) का आदान-प्रदान करते हैं तो उसे हम विश्व श्रम बाजार कहते हैं। यह स्थानांतरण के कारण होता है। आइए, हम संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले पलायन को जानें। रोजगार के लिए देश के भीतर गांवों से शहर की ओर जाना या देश के अंदर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना सामान्य बात है। यद्यपि यह तथ्य देश की सीमा के बाहर भी देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उद्यम और शैक्षिक व्यवसायों की खोज में लोग अपने देश से दूसरे देशों में जाते हैं। हाल के वर्षों में उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों का देश की सीमा के बाहर जाना इस ओर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे कुशल व्यक्तियों का अधिक सुविधाओं और नौकरियों की खोज में दूसरे देशों में जाना प्रतिभा पलायन कहलाता है।

प्रतिभा पलायन और कुशल कारीगरों के अन्य देशों में चले जाने से अपने देश में कुशल कारीगरों की कमी हो जाती है। परंतु इससे एक लाभ अवश्य होता है कि विदेशों में गए श्रमिकों के माध्यम से देश में कुछ अधिक धन आ जाता है। इस प्रकार की प्रगति का आज स्वागत किया जाता है। वैश्वीकरण और ज्ञान की प्राप्ति के कारण अर्थव्यवस्था ने एक नई स्थिति पैदा कर दी है जहां अत्यधिक कुशल, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी) कुशल, लोगों की मांग बढ़ी है। कई विकासशील देशों में इस प्रकार के व्यक्तियों की मांग दिनों-दिन बढ़ रही हैं। इस मांग की पूर्ति के लिए अनेक देश दूसरे देशों के विशेषज्ञों की भरती को प्रोत्साहन देने के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समेकित करने के संदर्भ में ऐसे कुशलता प्राप्त व्यक्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। श्रम निर्यात करने वाले देश जैसे भारत और पूंजी निर्यात करने वाले देशों के बीच प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रतिभा पलायन के नकारात्मक प्रभावों को अधिक विदेशी निवेश, आय और आर्थिक विकास में वृद्धि करके कम किया जा सकता है।

बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय पलायन को देखते हुए विकासशील देशों ने गरीब देशों से अबाध गति से आने वाले लोगों के लिए सदैव रुकावटें खड़ी की हैं। उन्हें भय है कि जनसंख्या संबंधी समस्या और अपने लोगों के लिए रोजगार की कमी की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता का इनमें से अधिकांश देशों की राष्ट्रीय आय बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अब यह मांग उठ रही है कि विकसित देश अपने नियमों को अधिक लचीला बनाएं जिससे कि विकासशील देशों के लोगों का वहां जाना आसान हो सके।

मूल्य वृद्धि

अब तक आप विद्यालय में नौ वर्ष तक अध्ययन कर चुके हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि स्टेशनरी का जो मूल्य आपने पांचवी कक्षा में चुकाया था वह इन वर्षों में

मूल्य सूचकांक क्या है?

मूल्य वृद्धि को एक सांख्यिकी पैमाने से मापा जाता है। इसे मूल्य सूचकांक कहते हैं। यह निम्नलिखित तरीके से ज्ञात किया जाता है :

पहले वर्ष में चुनी हुई वस्तुओं व सेवाओं का औसत मूल्य निकाला जाता है। इस वर्ष को आधार वर्ष कहा जाता है। इस औसत मूल्य को 100 अंक दे दिए जाते हैं। यदि चुनी गई वस्तुओं और सेवाओं का औसत मूल्य पिछले वर्ष की तुलना मे 25 प्रतिशत बढ़ता है तब दूसरे वर्ष का सूचकांक 125 माना जाएगा। यदि उससे भी अगले वर्ष इन वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़ जाता है तो मूल्य सूचकांक 150 (20 प्रतिशत 125 का + 125 = 150) होगा। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इन दो वर्षों में मूल्यों में वृद्धि 25 प्रतिशत हुई है।

कितना बढ़ गया है? ऐसा क्यों है? अध्याय के इस भाग में हम पढ़ेंगे कि मूल्य क्यों बढ़ते हैं। मूल्य वृद्धि को किस प्रकार नापा जाता है। जनसाधारण के लिए मूल्य वृद्धि अच्छी है या बुरी? और इसे रोकने के लिए सरकार क्या करती है?

मूल्य वृद्धि मापन: मूल्यों के परिवर्तन को जानने के लिए भारत में दो प्रकार के सूचकांक प्रयोग में लाए जाते हैं। वे हैं: थोक मूल्य सूचकांक (होल सेल प्राइस इंडैक्स) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स)

भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुएं थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित होती हैं। हाल ही के वर्षों में इस सूचकांक के विकसित करने में 460 वस्तुएं सम्मिलित की गई हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वे सब वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें सामान्यत: सभी प्रकार के श्रमिक जैसे खेतिहर मजदूर, उद्योगों में लगे मजदूर, शारीरिक श्रम न करने वाले (दफ्तरों, व्यवसायिक स्थल तथा अन्य सेवा कार्य करने वाले लोग) उपभोग करते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं में भोजन सामग्री, वस्त्र और अन्य आवश्यक पदार्थ सम्मिलित हैं। थोक मूल्य सूचकांक में तेजी से वृद्धि होती है तो यह उद्योगपतियों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। यदि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसका सीधा प्रभाव सामान्य लोगों के जीवनस्तर पर पड़ता है। बड़ी कक्षाओं में आप थोक मूल्य सूचकांक व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित वस्तुएं तथा उनकी गणना करने के विषय में पढ़ेंगे।

मूल्य वृद्धि के कारण

मूल्य वृद्धि अनेक कारकों का परिणाम होती है। ये कारक निम्नलिखित हैं:

- जब लोगों की आय अधिक होती है तो उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग बढ़ जाती है। इस बढ़ती हुई मांग के अनुसार जब पूर्ति नहीं होती तो उन वस्तुओं की कमी हो जाती है। इससे उन वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है।
- कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाने के कारण, उनसे बनने वाले माल के उत्पादन की लागत बढ़ जाती हैं। यह बढ़ी हुई लागत वस्तुओं के मूल्य में जोड़ दी जाती है।
- मूल्य वृद्धि के गैर-कानूनी तरीके भी है। ये है जमाखोरी और काला बाजारी। काला बाजारी से तात्पर्य है- मांग के हिसाब से वस्तुओं की बनावटी कमी पैदा करके उनके दाम बढ़ाकर बेचना। ऐसा जमाखोरी करके भी किया जाता है। जब जनता को बेचा जाने वाला सामान सरकार को सूचित किए बिना गोदामों में गैर-कानूनी ढंग से रख लिया जाता है तो इसे जमाखोरी कहते हैं।

क्या मूल्य वृद्धि, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है? यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। सभी वस्तुओं में साधारण और शनै: शनै: होने वाली वृद्धि किसी भी देश के लिए अच्छी मानी जाती है। यदि मूल्य वृद्धि 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से होती है तो यह देश के लिए अच्छी मानी जाती है। क्यों? जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक अपना जीवनस्तर बढ़ाना चाहते हैं तो वे अपने उत्पाद का अधिक मूल्य लेते हैं। इससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और मूल्य भी बढ़ जाता है। अंत में उपभोक्ता को ही बढ़ा हुआ मूल्य चुकाना पड़ता है। बढ़े हुए मूल्य के लाभ उन मजदूरों को पहुंचते हैं जो सामान बनाते हैं। अत: यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है।

कभी-कभी व्यापारी, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाना है, अनैतिक तरीके से मूल्य बढ़ा देते हैं। मजदूर जोकि बाजार में उपभोक्ता भी होते हैं, यदि उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया तो वे सामान नहीं खरीद सकेंगे। यदि यह सामान जैसे गेहूं, चावल, दूध तथा ऐसी ही अन्य वस्तुएं आवश्यक श्रेणी की हो तो इससे लोगों के लिए समस्या पैदा हो जाती है।

इसी कारण से व्यापारियों पर नियंत्रण तथा सरकार द्वारा उन पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने मूल्यवृद्धि रोकने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- *धन संबंधी उपाय :* जब कभी मूल्य वृद्धि होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के सभी बैंकों का शीर्ष बैंक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन कम कर देता है। इससे लोगों में खर्च कम करने की प्रवृत्ति होती है। इससे वस्तुओं की मांग कम होती हैं और धीरे-धीरे कीमतें कम हो जाती हैं।
- *राजकोषीय उपाय :* जब सरकार मुद्रा के प्रचलन को कम करने का निर्णय लेती है तब वह अधिक आय वाले वर्ग तथा उपभोक्ता द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाती है। इसमें सरकार का उद्देश्य उस धन को कम करना होता है जो लोगों के पास है। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए धन कम होगा तो उन

वस्तुओं का उपभोग भी कम जो जाएगा जिससे मूल्यों में कमी आ जाती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) : सरकारी संस्थाओं के द्वारा लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। राज्य का यह एक प्रमुख कार्य है कि लोगों को, विशेषकर गरीबों को, भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल, चीनी, खाद्य तेल व मिट्टी के तेल की आपूर्ति का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की सहायता से होता है। आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु देश भर में लगभग 4.55 लाख उचित दर की अथवा राशन की दुकानें हैं। उचित दर की दुकानों में बिकने वाली वस्तुओं का मूल्य खुले बाजार की अपेक्षा कम होता है। वस्तुओं की वास्तविक लागत और उचित दर की दुकानों की वस्तुओं की कीमत के अंतर को सरकार वहन करती है। उस राशि को सहायता राशि कहते हैं। उचित दर की दुकानों में गरीबों के लिए सामान उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, यह प्रणाली आवश्यक वस्तुओं के दामों की मनमानी बढ़ोतरी पर भी अंकुश लगाती है।

मूल्य निर्धारण तंत्र (एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म) : जमाखोरी रोकने और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर रखने तथा उनकी सहज उपलब्धता के लिए, सरकार मूल्यों का निर्धारण करती है और व्यापारियों को बाजार में वस्तुओं को उन्हीं मूल्यों पर बेचने को कहती है। इसके लिए एक कानून बनाया गया है जिसे *आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955* कहते हैं। जो व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अपना माल नहीं बेचते, उन्हें इस कानून के अंतर्गत दंड दिया जाता है। इन उपायों द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि सरकार द्वारा वहन की जाती है। अभी तक सीमेंट, पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने वाली गैस आदि की कीमतें मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत थी। आज इनमें से अधिकांश वस्तुएं इस तंत्र से मुक्त हैं। तथापि कुछ दवाइयां और उर्वरक अभी तक इस मूल्य निर्धारण तंत्र में आते हैं।

यद्यपि सरकार विभिन्न प्रकार की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग उपाय करती है, फिर भी कभी-कभी इस काम को प्रभावी ढंग से करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए 1995 में, प्याज के दाम इतने अधिक हो गए कि सरकार को कमी को पूरा करने तथा कीमतों को नीचे लाने के लिए बाहर से प्याज का आयात करना पड़ा।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) गरीबी किसे कहते हैं?
   (ii) बेरोजगारी क्या होती है।
   (iii) मौसमी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है।
   (iv) गरीबी रेखा किसे कहते हैं।
   (v) बेरोजगारी का सबसे व्यापक रूप कौन-सा है?
   (vi) भारत में गरीबी दूर करने के कोई दो उपाय बताइए।
   (vii) भारत में मूल्य वृद्धि के दो कारण बताइए।
   (viii) मूल्य नियंत्रण क्यों आवश्यक है?
2. बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है?
3. जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार बेरोजगारी को जन्म देती है?
4. भारत में गरीबी के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए।
5. भारत सरकार द्वारा गरीबी दूर करने लिए चलाए जा रहे विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए।
6. बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार ने कौन-सी रणनीतियां अपनाई हैं।

परियोजना कार्य

जिलाधीश या किसी अन्य संबंधित अधिकारी को अपने विद्यालय में आमंत्रित कीजिए और उनके द्वारा चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर चर्चा कीजिए।

आपके घर में उपयोग की जाने वाली दस उपभोक्ता सामग्रियों को छांटिए। तीन महीने बाद बाज़ार में जाकर इन वस्तुओं की कीमत मालूम कीजिए तथा उन्हें लिख दीजिए। क्या कीमतों में कोई परिवर्तन हुआ है? यदि है तो उसे लिखिए।

वस्तु का नाम	पहले महीने में मूल्य (रुपयों में)	तीन महीने पश्चात के मूल्य (रुपयों में)	अंतर (रुपयों में)

अध्याय चौदह

उपभोक्ता जागरूकता

प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है। जब हम किसी वस्तु या सेवा के लिए उसका मूल्य चुकाते हैं तो हम उपभोक्ता बन जाते हैं। कभी दुकानदार खराब वस्तु या सेवाओं के लिए अधिक मूल्य लेकर हमें ठग लेता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस अध्याय में हम उन बातों का अध्ययन करेंगे जिनसे हमें पता चले कि उपभोक्ता किस प्रकार ठगे जाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कर रही है।

अर्थव्यवस्था में व्यापार के क्रिया-कलापों के विस्तार के कारण बाजार में हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी सुविधाएं भी मिलती हैं जैसे बीमा, यातायात, बिजली, वित्तीय तथा बैंक की सेवाएं। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर दूरदर्शन, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं में आने वाले विज्ञापनों का प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कंपनियां एक जैसी वस्तुओं का प्रदर्शन विभिन्न तरीकों से करती हैं, जिसके कारण हमें सही वस्तु चुनने में कठिनाई होती है। हम सभी जानते हैं कि उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए कंपनियां विज्ञापनों पर बहुत धन खर्च करती हैं और वे सभी जानकारियां भी देती है जिन्हें कंपनियां हम तक पहुंचाना चाहती हैं, परंतु वह जानकारी नहीं जिसके बारे में उपभोक्ता जानना चाहता है। जब उपभोक्ता को किसी वस्तु के बारे में पूरी और उचित जानकारी नहीं मिलती है तो हम ठगे जाते हैं। कभी-कभी व्यापारी हमें परेशान करते हैं।

उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण के कुछ सामान्य तरीके नीचे दिए गए हैं:

- *कम तौलना एवं कम मापना :* बाजार में बेचा गया सामान कभी-कभी सही ढंग से तौला अथवा मापा नहीं जाता।
- *घटिया सामान :* बेचा गया सामान कभी-कभी निम्न स्तर का या घटिया होता है। अंतिम तिथि निकल जाने के पश्चात भी दवाओं का बेचा जाना, खराब घरेलू उपकरणों को बेचना, उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली सामान्य शिकायतें हैं।
- *अधिक कीमतें :* प्रायः दुकानदार निर्धारित खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य ले लेते हैं।
- *नकली माल :* असली वस्तुओं व पुर्जों के स्थान पर नकली माल बेच दिया जाता है।
- *मिलावट व अशुद्धता :* अधिक लाभ कमाने के लोभ में महंगे खाद्य पदार्थों जैसे घी, तेल और मसालों में मिलावट की जाती है। इससे उपभोक्ताओं को काफी

नुकसान उठाना पढ़ता है। पैसे की हानि के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

सुरक्षा उपायों की कमी : विद्युत यंत्र एवं उपकरण जो घरेलू व छोटे उद्योगों में बनाए जाते हैं कभी-कभी उनमें पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। इससे उपभोक्ता के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है।

कृत्रिम अभाव : कभी-कभी व्यापारी नाजायज लाभ के लालच में वस्तुओं की जमाखोरी कर, उस वस्तु के कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। बाद में इसे अधिक व उंचे दामों में बेचते हैं।

झूठी या अधूरी जानकारी : किसी वस्तु की कीमत, गुणवत्ता, विश्वसनीयता, जीवन चक्र, अंतिम तिथि, चलने का आश्वासन, स्वास्थ्य व पर्यावरण पर उसका प्रभाव, सुरक्षा रख-रखाव पर अनुमानित लागत, क्रय की शर्तें आदि के विषय में गलत व आधी-अधूरी जानकारी देकर विक्रेता, उपभोक्ता को आसानी से धोखे में डाल देते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयां, विद्युत उपकरण कुछ ऐसे सामान्य उदाहरण है, जिन्हें खरीदते समय उपभोक्ता कठिनाई का सामना करते हैं।

विक्रय पश्चात् सेवा की असंतोषजनक सुविधा : कार तथा बिजली व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसी मंहगी एवं लंबे काल तक चलने वाली वस्तुओं की बिक्री के बाद रख-रखाव सेवा की आवश्यकता होती है। आवश्यक भुगतान करने पर भी विक्रेता, उपभोक्ताओं को संतोषजनक विक्रय पश्चात सेवा प्रदान नहीं करते।

दुर्व्यवहार और अनावश्यक शर्तें : कुछ मामलों में जैसे गैस कनेक्शन, नई टेलीफोन लाइन, लाइसेंस शुदा सामान प्राप्त करते समय प्राय: विक्रेता अनावश्यक शर्तें लगाकर उपभोक्ता को परेशान करते हैं।

उपभोक्ताओं के शोषण के कारण इस प्रकार है :

सीमित सूचना : पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक और विक्रेता कोई भी माल या सेवा किसी भी मात्रा में उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनके मूल्य निर्धारण एवं गुणवत्ता से संबंधित कोई नियम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को वस्तु के विषय में पूरी व सही जानकारी देना बहुत आवश्यक है। वस्तु के अनेक आयामों जैसे मूल्य, गुण, संरचना, प्रयोग की शर्तें, क्रय के नियम आदि की जानकारी न होने पर उपभोक्ता गलत चुनाव करके अपना आर्थिक नुकसान कर लेते हैं।

सीमित आपूर्ति : जब वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यक संख्या व मात्रा में आपूर्ति नहीं होती तब उपभोक्ता प्राय: शोषित होते हैं। सीमित आपूर्ति का अर्थ है वस्तु की मांग की तुलना में उसका उत्पादन कम होना। इससे जमाखोरी और मूल्यों में वृद्धि जैसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है।

सीमित प्रतिस्पर्धा : जब कोई एक उत्पादक या उत्पादक समूह किसी वस्तु के उत्पादन और वितरण पर अपना एकाधिकार रखते हैं, तब यह संभावना होती है कि उस वस्तु के मूल्य और उसकी उपलब्धता से छेड़-छाड़ की जाए। मकान, दवाइयां, डॉक्टरी उपकरण, वाहन जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादक और विक्रेता कम होने के कारण, वस्तुओं की कीमतें और उनकी आपूर्ति निश्चित करने में विक्रेता का बड़ा हाथ होता हैं।

साक्षरता कम होना : उपभोक्ताओं के शोषण का एक प्रमुख कारण उनका निरक्षर होना भी है। हमारे देश में उपभोक्ता की जागरूकता का स्तर सामान्यतया कम होता है। निरक्षरता स्तर का सीधा प्रभाव उत्पादों एवं बाजार के विषय में जानकारी पर पड़ता है।

भारत में, उपभोक्ता संरक्षरण का विचार नया नहीं है। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में भी उद्योग व व्यापार उत्पीड़न से उपभोक्ता के हितों की रक्षा का प्रसंग आया है। कम तौल, माप, मिलावट जैसे अपराधों के लिए दंड का उसमें उल्लेख है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित व व्यवस्थित आंदोलन अवश्य ही एक नई संकल्पना है। इसका विकास 1980 के उत्तरार्ध और 1990 के पूर्वार्ध में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में बढ़ोतरी होने के साथ हुआ।

जब सरकार ने उत्पादन क्रियाओं से अपने आप को हटा लिया और निजी क्षेत्र को इस दिशा में आने के लिए बढ़ावा दिया, तो यह अनुभव किया गया कि अब बाजार में अनुशासन और नियंत्रण की बहुत आवश्यकता है। उपभोक्ता को न केवल वस्तुओं के क्रय-विक्रय के व्यावसायिक पक्षों की जानकारी होनी चाहिए, वरन् स्वास्थ्य व सुरक्षा की भी। आजकल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता केवल उनके पोषण-संबंधी गुणों पर ही नहीं, वरन जनसाधारण के लिए उनकी सुरक्षा पर भी निर्भर है। खराब और मिलावटी भोज्य पदार्थों से

उपभोक्ता आंदोलन : विश्व इतिहास के संदर्भ में

यद्यपि उपभोक्ता आंदोलन सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में शुरू हुआ था, परंतु उपभोक्ता अधिकारों के विषय में सबसे पहली घोषणा 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। इसमें उपभोक्ता के चार मूल अधिकारों को मान्यता दी गयी (चुनाव, सूचना, सुरक्षा एवं सुनवाई)। उपभोक्ता आंदोलन के एक सक्रिय व्यक्ति, रैल्फ नाडर को "उपभोक्ता आंदोलन" का जन्मदाता माना जाता है। 15 मार्च अब विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कुछ दिशा-निर्देश स्वीकार किए। साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण में लगे लोगों के ऊंचे स्तर के आचरण की वकालत भी की।

अनेक बीमारियां और पोषक तत्त्वों की कमी पैदा की जाती है। अत: उपभोक्ताओं का सुरक्षित भोजन के प्रति आश्वस्त होना उपभोक्ता जागरूकता का प्रमुख पहलू है।

उत्पादक और विक्रेता दोनों अपने माल की कीमतों, भंडारण और गुणवत्ता में एकरूपता और पारदर्शिता रखें इसके लिए कठोर कानूनी उपायों की आवश्यकता समझी गई। सरकार ने यह महसूस किया कि सभी प्रकार के गलत तरीकों के प्रति उपभोक्ता में जागरूकता उत्पन्न करना एवं उनसे निपटने के तरीके बताना ही उनके अधिकारों की रक्षा करने का एकमात्र उपाय है। परंतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को जानने से पहले उपभोक्ताओं के अधिकारों व उनके कर्त्तव्यों के विषय में जानना आवश्यक है।

उपभोक्ताओं के ऐसे अधिकार जिन्हें कानून के अनुसार व्यापारी समुदाय को ध्यान में रखना आवश्यक है, निम्नलिखित हैं:

अधिकार

(i) *सुरक्षा का अधिकार:* उपभोक्ताओं को अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं।

(ii) *सूचना का अधिकार:* इसके अंतर्गत, गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य आते हैं।

(iii) *चुनने का अधिकार:* विभिन्न वस्तुओं को देख-परख कर चुनाव करने का आश्वासन। यदि माल की पूर्ति करने वाले एक ही हों तो? इसका अर्थ है संतोषजनक गुणवत्ता व सही मूल्य का आश्वासन।

(iv) *सुनवाई का अधिकार:* उपभोक्ता के हितों से जुड़ी उपयुक्त संस्थाएं/संगठन उपभोक्ताओं की समस्याओं पर पूरा घ्यान दें।

(v) *शिकायतें निपटाने का अधिकार:* उपभोक्ताओं के शोषण व अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिक़ायतों का सही प्रकार से निपटाना

(vi) *उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार:* इसमें उपभोक्ता हित से जुड़े प्रसंगों और वस्तुओं की जानकारी सम्मिलित है।

कर्त्तव्य

अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को निम्नलिखित कर्त्तव्य पूरे करने चाहिए:

(i) कोई भी माल खरीदते समय उपभोक्ताओं को सामान की गुणवत्ता अवश्य देखनी चाहिए। इसके साथ ही सामान या सेवा की गारंटी भी देखनी चाहिए जहां भी संभव हो गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि गारंटी निशानों वाला सामान ही खरीदा जाए। जैसे आई.एस.आई., एगमार्क आदि।

(ii) जहां भी संभव हो खरीदे गए सामान व सेवा की रसीद अवश्य लेनी चाहिए।

(iii) उपभोक्ताओं को 'उपभोक्ता जागरूकता संगठन' बनाना चाहिए। इस संगठन को सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं की समस्याओं के लिए स्थापित विभिन्न कमेटियों में प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है।

(iv) उपभोक्ता अपनी वास्तविक समस्या की शिकायत अवश्य करें चाहे उनके द्वारा खरीदा गया सामान कितने ही कम मूल्य का हो। समाज पर इस बात का अच्छा प्रभाव होगा। अपनी शिकायत को निपटाने के लिए उपभोक्ता संगठनों से भी सहायता ली जा सकती है।

(v) उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की जानकारी अवश्य होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिए।

उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उनका सफलता-पूर्वक बचाव किया जा सकता है। इसी के कारण उत्पादक व व्यापारी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे और उनके द्वारा उपभोक्ताओं का लूटखसोट से बचाव हो सकेगा।

उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए तीन प्रकार के उपाय अपनाए गए हैं – कानूनी, प्रशासनिक व तकनीकी।

कानूनी उपायों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करना शामिल है। इस संबंध में अन्य कानूनों में भी संशोधन किया गया है। आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा करना एक *प्रशासनिक उपाय* है। वस्तुओं का मानकीकरण *तकनीकी उपाय* है। ये सभी उपाय विस्तार से नीचे दिए गए हैं:

(क) उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित कानून: सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। इस कानून के द्वारा जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा उनके झगड़ों को निपटाने के लिए कुछ समितियां बनाई जा सकती हैं। इनके माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण और उनकी शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च में दूर किया जाता है। इन एजेंसियों को आदेश है कि वे शिकायतों को तीन महीनें में निपटा दें। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उपभोक्ता के मामलों के लिए पृथक विभाग खोल दिए गए हैं जो केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों पर ही ध्यान देंगे।

शिकायत दाखिल करने की कानूनी औपचारिकताएं

शिकायत दर्ज करने के लिए किसी कानूनी औपचारिकता की आवश्यता नहीं है। मान लीजिए आप किसी उत्पादक या व्यापारी द्वारा ठगे गए हैं और आप उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो आप एक सादे कागज पर सारी बाते लिख कर संबंधित कागज जैसे गांरटी कार्ड, सामान की रसीद साथ में नत्थी करके उसे जिला अदालत में जमा कर दें। कानूनी सहायता के लिए आपको किसी वकील के पास भी जाने की जरूरत नहीं हैं। उपभोक्ता अदालत में आप अपने मामले की पैरवी खुद कर सकते हैं।

कानून का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक तीन-स्तरीय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जिसे हम *उपभोक्ताअदालत* के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसे *राष्ट्रीयउपभोक्ताआयोग* कहते हैं। कानून के अंतर्गत यह सबसे ऊपरी अदालत है और यह दिल्ली में ही स्थित रह कर कार्य करती है। राज्य स्तर पर, इसे *राज्यउपभोक्ताआयोग* कहा जाता है। तीसरे स्तर पर जिले में सबसे महत्त्वपूर्ण अदालत होती है जिसे *जिलामंच* कहा जाता है।

ये सभी अदालतें उपभोक्ताओं की परेशानियों और शिकायतों का अध्ययन करती हैं जो उन्होंने उत्पादकों या व्यापारियों के विरुद्ध दर्ज करवाई हैं। उसके पश्चात् ही वे उन्हें आवश्यक राहत व भुगतान करवाती हैं। इस समय देश भर में लगभग 500 जिला उपभोक्ता अदालतें हैं, जिन्होंने अब तक 13 लाख उपभोक्ता शिकायतों पर विचार किया है। इनमें से लगभग 77 प्रतिशत मामले निपटाए गए हैं। यद्यपि उपभोक्ताओं के झगड़े निपटानें में उपभोक्ता एजेंसियों ने काफी काम किया है किंतु यह पाया गया है कि जिस तेजी से काम होना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं हो रहा है। अत: सरकार ने कानून को और कड़ा बनाने के विचार से सन् 1991 और 1993 में कानून में संशोधन करके उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली : गरीबों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जमाखोरी, व्यापारियों द्वारा कालाबाजारी और अधिक कीमत वसूलने पर भी रोक लगाना संभव होगा।

(ग) वस्तुओं का मानकीकरण : उपभोक्ता की भलाई के लिए सरकार ने एक और महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उसने कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जो उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करें, विभिन्न उत्पादों के लिए मानक निर्धारित करें और उन्हें लागू करवाएं। भारत में एगमार्क और भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा यह कार्य संपन्न किया जा रहा है। एगमार्क खेती के उत्पादों के लिए और बी.आई.एस औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं।

बी.आई.एस. जिसे पहले आई.एस.आई. (भारतीय मानक संस्थान) कहा जाता था, का प्रमुख कार्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक आधार पर औद्योगिक व उपभोक्ता सामान के मानक निर्धारित करना इसका प्रमुख काय है। साथ ही इसका काम उन वस्तुओं को भी प्रमाणित करना है जो निर्धारित मापदंड पर खरे उतरें। ISI का चिह्न अंकित किया हुआ कोई भी सामान से हमें भरोसा हो जाता है कि हमने सही सामान खरीदा है। जिन व्यापारियों या उत्पादकों के पास ISI का लाइसेंस होता है, समय-समय पर उनकी आकस्मिक जांच की जाती है। फैक्टरी और बाजार से जांच के लिए वस्तुओं के नमूने लिए जाते हैं। यदि उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता के विषय में कोई संदेह हो तो वह BIS के समीप के क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

एगमार्क खेती के उत्पाद कानून (1937), जिसे 1986 में संशोधित किया गया है, के अंतर्गत कार्य करता है। यह स्कीम भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के आधीन मार्केटिंग एवं इंटेलिजेंस निदेशालय (डी.एम.आई.) द्वारा संचालित होती है। शहद, मसाले जैसी वस्तुओं पर यह चिह्न होता है।

जिस तरह भारत में उत्पादों के मानकीकरण की व्यवस्था है, उसी प्रकार मानकीकरण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ISO जेनेवा में है। यह संस्था सरकारी नहीं है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। ISO का कार्य उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित किया जाता है। यदि आपको कुछ कंपनियां, माल या संस्थाएं ऐसी मिले जिन पर ISO 6000, ISO 14000 जैसे निशान लगे हों तो उनका अर्थ होता है कि विशेष उद्योग या उत्पाद समूह या संस्थाएं विशिष्ट स्तर के मानकों के आधार पर है।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सामग्री के मानक निर्धारित करने के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (Codex Alimentarius Commission) नाम की संस्था है। यह कमीशन 1963 में खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य कार्यालय इटली की राजधानी रोम में है। यह खाद्य सामग्री के लिए मानक निर्धारित करता है और दूध, दूध के उत्पादन, मांस, मछली, दालों आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाता है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (ii) उपभोक्ता शोषण से क्या अभिप्राय है?
   (ii) उपभोक्ता शोषण के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए।
   (iii) उपभोक्ता जागरूकता क्यों आवश्यक है?
   (iv) 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' कब मनाया जाता है?
   (v) मिलावट का क्या अर्थ होता है?
   (vi) कुछ संस्थाओं के नाम बताइए जो भारत में मानकीकरण का प्रमाण पत्र देती हैं।
   (vii) 'उपभोक्ता सुरक्षा कानून' 1986 क्यों बनाया गया?
   (viii) जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता न्यायालय हैं, उनके नाम बताइए।
2. वे कौन-कौन से मुख्य तरीके हैं, जिनसे किसी उपभोक्ता का शोषण होता है?
3. उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में दिए गए उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए।
4. उपभोक्ताओं के विभिन्न कर्त्तव्यों का वर्णन कीजिए।
5. उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए उपायों का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य

- अपने विद्यालय में एक उपभोक्ता क्लब बनाइए और उपभोक्ताओं से संबंधित क्रियाकलापों जैसे पुस्तक भंडार, कैंटीन और दूसरी चीजों की बिक्री संबंधी क्रियाओं को संचालित कीजिए।
- विद्यालय में एक कैंप का आयोजन कीजिए जिसमें खाद्य सामग्री में मिलावट की जांच करने के लिए अपने विज्ञान के अध्यापक या स्वास्थ्य निरीक्षक की सहायता लीजिए।

अध्याय पंद्रह

सामाजिक विकास और संबंधित विषय

विकास का संबंध सभी देशों से है चाहे वे विकसित हों या विकासशील। सभी राष्ट्र अपनी जनशक्ति तथा संसाधनों का यथासंभव उपयोग करते हुए, विकास की दिशा में प्रयासरत हैं। विकास के प्रति दृष्टिकोण में तो उनका मतभेद हो सकता है परंतु सभी अपने देश का विकास करना चाहते हैं।

ऊर्जा संकट, पर्यावरण प्रदूषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ओज़ोन परत का ह्रास, कच्चे माल की प्राप्ति, उपभोक्तावाद और विश्व बाजार एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि का प्रसार कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिनका प्रभाव सारे विश्व में अनुभव किया जा रहा है। दूसरी ओर, निर्धनता कम करना, निरक्षरता उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण, संसाधनों का सतत-पोषणीय उपयोग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राज्य की चिंता के विषय हैं। इनको अब भूमंडलीय परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। आज, विकास केवल एक राष्ट्रीय विषय ही नहीं अपितु भूमंडलीय चिंता का विषय बन गया है।

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास एक गतिशील अवधारणा है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया बहुत जटिल है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तत्त्व शामिल हैं। केवल एक व्यापक उपागम द्वारा इन सभी तत्त्वों का समन्वय किया जा सकता है। यह एकीकृत उपागम विकास की प्रक्रिया को आंतरिक रूप से सुसंगत, विश्वस्त तथा कारगर बना देता है।

विकासशील देशों की बात तो क्या, विकसित देशों में भी सामाजिक कल्याण को केवल आर्थिक उपलब्धियों द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। विकास का अंतिम लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्राप्ति है। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक-आर्थिक ढांचे को बदलना पड़ता है।

सामाजिक विकास एक नियोजित संस्थागत परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह एक ओर मनुष्य की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं एवं दूसरी ओर सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों के बीच एक बेहतर तालमेल की स्थापना करती है। इसलिए, सामाजिक विकास की रणनीति बनाते समय यह आवश्यक है कि

(i) नीति निर्धारण के लिए समाज की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाए,
(ii) संस्थाओं को जनता की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए,
(iii) नियोजन हेतु संगठनात्मक परिवर्तन किया जाए और
(iv) लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जाए।

संक्षेप में, सामाजिक विकास का मुख्य उद्देश्य सभी व्यक्तियों तथा सामाजिक समूहों के जीवन की समग्र गुणवत्ता, सामाजिक संबंधों तथा रहने की दशाओं में सुधार लाना है।

अत: समाज का विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना ही सामाजिक विकास है।

लंबे समय तक चलने वाले विदेशी शासन के कारण सामाजिक कल्याण का क्षेत्र भारत में प्राय: उपेक्षित रहा है। हमारे समाज में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में कई प्रावधानों की व्यवस्था की है। एक ओर संविधान की प्रस्तावना लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलवाने को आश्वस्त करती है तो दूसरी ओर नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्र को एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध है। व्यक्ति तथा राज्य दोनों के हितों की रक्षा मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा की जा रही है जिसमें निजी तथा सार्वजनिक, दोनों ही क्षेत्रों का सह-अस्तित्व सम्मिलित है। इस प्रकार, सामाजिक विकास का भारतीय आदर्श सामाजवादी एवं लोकतांत्रिक प्रतिरूप पर आधारित है।

भारत में नियोजन के उद्देश्य तथा सामाजिक भूमिका का आधार, राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों से लिए गए हैं। संविधान में परिभाषित सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारत का योजना आयोग, भारत के विकास की रूपरेखा तैयार करता है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत, हमारे देश ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) की कार्यनीति के अनुसार जनकल्याण को बढ़ावा देने हेतु सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर को प्राप्त करना है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, संतुलित भोजन, परिवार कल्याण, पीने का पानी, सफाई तथा ग्रामीण विकास जैसी आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाकर जीवन की गुणवत्ता को सुधारना भी इसका एक लक्ष्य है। यह कहा जा सकता है कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाना तथा एक समृद्ध जीवन के लिए नए अवसर प्रदान करना है।

भारत ने कल्याणकारी राज्य का मार्ग चुना है तथा नियोजन एवं लोकतंत्र के सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास कर रहा है। पंचायतों तथा नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से इन योजनाओं को क्रियान्वित करने का महत्त्वपूर्ण दायित्व जनता को सौंपा गया है। नियोजन ने विकास में तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में बहुत सहायता प्रदान की है। परंतु सौहार्दपूर्ण सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए, लोगों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने, गरीबी हटाने, आर्थिक असमानता तथा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ने तथा लिखने वाले व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है। साक्षरता सूचना, ज्ञान तथा कौशल निर्माण का प्रशिक्षण ग्रहण करने का आधार है। साक्षरता के कई पक्ष है। जैसे कंप्यूटर साक्षरता के लिए कंप्यूटर को चलाने का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार कानूनी साक्षरता के लिए विधि संबंधी प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं की सामान्य जानकारी का होना भी आवश्यक है। ठीक इसी तरह, आजकल हम देखते हैं कि एड्स से बचने के लिए यौन साक्षरता प्रारंभ करने की दिशा में भी सोचा जा रहा है।

हमारे देश में कानूनी साक्षरता के निम्न स्तर का कारण मुख्यत: उचित शिक्षा का अभाव तथा साक्षरता दर का कम होना है। न्यायालयों में कानून की अज्ञानता या क्षमा के लिए कोई कारण नहीं है। अज्ञानता के कारण किया गया कानून का उल्लंघन क्षमा योग्य नहीं है। हमारे देश की न्यायपालिका प्रत्येक नागरिक को कानूनी साक्षर मानती है।

कानूनी साक्षरता का सारा संबंध कानूनी शिक्षा से है। ये कानून संबंधी प्रारंभिक ज्ञान है, वकीलों वाला विशिष्ट ज्ञान नहीं। यह तो देश के राजनीतिक ढांचे एवं संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों से संबंधित जागरूकता है। यह हमारे उन कृत्यों तथा सामाजिक व्यवहार की जानकारी देता है, जो आपराधिक है तथा कानून की दृष्टि में दंडनीय है। कानूनी साक्षरता हमें शोषण तथा अन्याय के विरूद्ध कानूनी उपचार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। यह हमें अनेक ऐसे कानूनों की जानकारी देता हैं जिन्हें नागरिकों की भलाई, सरंक्षण तथा सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 'उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम', जिसका अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं, हमें यह ज्ञान देता है कि हम अपने आप बाजार में विक्रेता के शोषण से कैसे बच सकते हैं। संक्षेप में, कानूनी साक्षरता हमें समाज के प्रति हमारे अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कानूनी दायित्वों का स्मरण कराती है। कानूनी साक्षरता के अभाव में निरंतर शोषण तथा उत्पीड़न होता रहता है। यह हमें एक सभ्य समाज का उत्तरदायी व्यक्ति बनाता है तथा एक ऐसे न्यायपूर्ण एवं व्यवस्थित समाज का निर्माण करता है जिसमें सभी व्यक्ति सम्मान एवं प्रतिष्ठा से जीवन व्यतीत कर सकें।

अधिकार जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। अधिकारों की प्राप्ति नागरिकता का अनिवार्य लक्षण रही है। लोकतंत्र के

विकास तथा मानव अधिकारों पर दिए जाने वाले विश्वव्यापी बल ने सभी राष्ट्रों को अपने नागरिकों को अधिकार सुलभ कराने के लिए प्रेरित किया है। किसी राज्य की प्रतिष्ठा उसके द्वारा स्थापित अधिकारों से जानी जाती है।

भारतीय संविधान ने अपने नागरिकों को कई प्रकार के न्यायसंगत अधिकार प्रदान किए हैं, जिन्हें मूल अधिकार कहते हैं। ये मूलत: मानव अधिकार हैं जिन्हें संविधान का संरक्षण प्राप्त है। ये जीवन की आधारभूत परिस्थितियां प्राप्त करने के लिए नागरिकों को दिए गए हैं और इनकी प्रकृति भी मौलिक है।

भारत में एक पूर्ण विकसित लोकतंत्र की स्थापना के लिए नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि हमारे संविधान में छ: मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। वे हैं :

समानता का अधिकार
स्वतंत्रता का अधिकार
शोषण के विरुद्ध अधिकार
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार तथा
संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

ये अधिकार अपने नागरिकों को विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। जैसा कि प्रतीत होता है, संविधान न केवल विभिन्न मूल अधिकारों का उल्लेख करता है तथापि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को मौलिक बना कर, इन अधिकारों का संरक्षण भी सुनिश्चित करता है। देश का शासन चलाने में मूल अधिकारों का स्थान सर्वोपरि होता है। इनका उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जा सकता है ताकि उसे शीघ्र तथा प्रभावी न्याय मिल सके। हमारे संविधान में मानव अधिकारों की विस्तृत घोषणा की गई है। विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकार अधिक वास्तविक हैं।

समाज का सर्वाधिक असुरक्षित वर्ग हमारे बच्चे हैं। राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित करने हेतु बच्चों के प्रति विशेष ध्यान तथा सुरक्षा की आवश्यकता हैं। बाल विकास एवं कल्याण, सामाजिक विकास की प्राथमिकताएं है। बच्चे राष्ट्र की संपत्ति होते हैं इसलिए उनका लालन-पालन, उन्हें शारीरिक दृष्टि से सक्षम, मानसिक दृष्टि से सचेत तथा नैतिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। यह कहावत पुरानी परंतु सत्य है कि "बच्चा मनुष्य का पिता होता है।" क्योंकि बाल्यावस्था में सीखी हुई बातें ही वयस्क व्यक्ति के चरित्र में परिलक्षित होती हैं। इसलिए, बच्चे का हित ही मुख्यतया समाज तथा राष्ट्र का हित है।

शिशु अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र प्रारूप 1992, बच्चों के जीवन, विकास तथा कल्याण के लिए अधिकार (चार्टर आफॅ राइट्स) के रूप में बनाया गया है। सभी देशों के लिए इन अधिकारों की अनुशंसा की गई है। बच्चों के इन अधिकारों में से कुछ प्रमुख अधिकार नीचे सूचिबद्ध हैं:

जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, बच्चों के जीवन के जन्मजात अधिकार को सुनिश्चित करना;

माता-पिता द्वारा शिशु के पालन पोषण के अधिकार को सुनिश्चित करना। शिशु अपने माता-पिता से अलग नहीं किए जाने चाहिए। यदि किसी शिशु को गोद लिया जाता है तो उसके सर्वोत्तम हित का सर्वाधिक ध्यान रखा जाएगा;

शिशु के शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना जो उसके व्यक्तित्व का विकास करे;

शिशु के इस अधिकार को सुनिश्चित करना कि वह सर्वाधिक संभावित स्तर तक स्वस्थ रहे तथा अपनी आयु के उपयुक्त खेलों और मनोरंजन की गतिविधियों में भाग लेने का आनंद प्राप्त करे;

शिशु के अंत:करण, धर्म और उसके समुदाय एवं संस्कृति में रहने के अधिकार को सुनिश्चित करना;

शिशु की स्वतंत्र अभिव्यक्ति और संस्था बनाने तथा शांतिपूर्वक सभा करने के अधिकार को सुनिश्चित करना;

सभी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक हिंसा, शोषण तथा उत्पीड़न, नशीली दवाइयों के उपयोग, यातनाओं या अमानवीय दंडों से बच्चों की रक्षा को सुनिश्चित करना;

शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास के लिए बच्चों की समुचित सामाजिक सुरक्षा तथा जीवनस्तर को सुनिश्चित करना।

लाखों बच्चें अपने जीवन काल में, ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उन के नियंत्रण के बाहर होती है, उपेक्षा अथवा शोषण या दोनों के शिकार हो जाते हैं। समाज आज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उन्हीं के फलस्वरूप बाल उत्पीड़न अथवा बाल मजदूरी जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। बच्चों को इस शोषण से बचाने के लिए देखभाल, ध्यान देने तथा संरक्षण की आवश्यकता है।

बाल उत्पीड़न

दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से जानबूझ कर बच्चों को मानसिक अथवा शारीरिक चोट या हानि पहुंचाना बाल उत्पीड़न कहलाता है। बच्चे पर इसका नकारात्मक प्रभाव मानसिक एवं शारीरिक, दोनों प्रकार से होता है। यहां तक कि अध्यापक या अभिभावक द्वारा बच्चे को कहे गए अपशब्द, धमकी और शारीरिक दंड जैसे कृत्य भी कई बार उत्पीड़न के रूप में देखे जाते हैं।

बाल उत्पीड़न प्राय: शारीरिक, यौन संबंधी अथवा भावनात्मक प्रकृति के होते हैं। शारीरिक उत्पीड़न की घटनाओं की पुष्टि शरीर में घाव, जले हुए भाग, हड्डियों के टूटने, सूजन, खरोचों आदि के चिह्नों को देख कर सुगमता से की जा सकती है। कई बार तो ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि किसी बालक का उसके पड़ोसियों, निकट संबंधियों अथवा परिचितों ने यौन उत्पीड़न किया है। भय, शर्म, सदमे अथवा धमकी के कारण, पीड़ित बालक यौन उत्पीड़न की घटना अपने माता-पिता को या ऐसे व्यक्ति को जो उसका हमराज है, बताने से भी हिचकिचाता है। भावनात्मक उत्पीड़न को समझना कठिन है क्योंकि यह मानसिक होता है। बालक की शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की अवेहलना भावनात्मक उत्पीड़न को जन्म देती है। कभी-कभी इस प्रकार का तनाव माता-पिता के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण भी होता है।

बाल श्रम

14 वर्ष से कम आयु के श्रमिकों को बाल श्रमिक कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक भारत में है। वे संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1.13 करोड़ है, जो भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 1.34 प्रतिशत है। कुल बाल श्रमिकों में 45 प्रतिशत लड़कियां हैं। अधिकांश बाल श्रमिक कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों जैसे पशुपालन, वनरोपण, मछली पालन, शहरी तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं। आप कई छोटे-छोटे बच्चों को ढाबों, छोटे होटलों तथा चाय की दुकानों पर काम करते हुए या बसों में सफाई तथा सहायता के लिए या घरों में नौकरों के रूप काम करते देख सकते हैं।

बच्चे श्रम का सस्ता साधन हैं। अपने मालिकों का विरोध करने में असमर्थ होने के कारण ऐसे श्रमिकों की मांग अधिक है। बाल मजदूर एक शोषित समुदाय है। उनके कार्य करने की अवधि लंबी, परिस्थितियां संकटमय तथा वेतन कम होता है। शिक्षा, मनोरंजन, आराम, स्नेह तथा देख-भाल से वंचित ये दुर्भाग्यशाली बालक शायद ही अपने बचपन का आनंद ले पाते हैं।

बाल श्रम का मुख्य कारण उनकी निर्धनता है। बच्चों को छोटी आयु में ही कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। कभी-कभी वे अपने जीवन के लिए नहीं अपितु अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में ये बच्चे अपने माता-पिता द्वारा घरेलू आय में सुधार लाने वाले अतिरिक्त कमाऊ हाथों के रूप में देखे जाते हैं। ऋणग्रस्तता भी निर्धन अभिभावकों को अपने बच्चों से घरेलू नौकर अथवा कृषि मजदूर के रूप में तथा दिहाड़ी पर काम करवाने के लिए विवश करती है। गलियों में घूमने वाले बच्चे या अनाथ या घरेलू हिंसा के शिकार अथवा गरीबी के कारण घर से भागे हुए बच्चों के पास पेट भरने तथा तन ढकने के लिए काम करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं।

बच्चों की सुरक्षा तथा विकास के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

- 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक किसी फैक्टरी में अथवा किसी खतरे वाले स्थान पर नौकरी नहीं कर सकता।
- बचपन तथा युवावस्था को शोषण से बचाना एवं नैतिक सुरक्षा तथा भौतिक सुख-सुविधाओं से वंचित न होने देना।
- संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्षों के भीतर राज्य, 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को नि:शुल्क आरंभिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

वृद्ध तथा असहायों की सुरक्षा

वृद्धों तथा असहायों की समस्याएं विश्वव्यापी हैं। निस्संदेह, उनकी समस्याएं व्यक्तिगत हैं। परंतु वे पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय है। उनकी भलाई के लिए विशेष ध्यान देने का समय आ गया है।

वृद्धावस्था की समस्याएं

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जीवनस्तर में वृद्धि तथा जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी ने सारे विश्व में वृद्धों की संख्या बढ़ाने में सहयोग दिया है। इसके फलस्वरूप, वृद्धों की समस्याएं सामाजिक समस्याएं बन गई हैं। इस विषय पर बल देने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 को वृद्ध व्यक्तियों का वर्ष घोषित किया था, जिसे भारत में भी मनाया गया। इस घोषणा को वर्ष 2000 तक बढ़ाया गया था।

वृद्धावस्था अवश्यंभावी है। आयु बढ़ने के साथ, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति कम हो जाती है तथा उनका योगदान तथा प्रतिष्ठा भी कम हो जाती है। बढ़ती हुई व्यक्तिवादी तथा भौतिकवादी भावना ने उनके सम्मान एवं समाज में स्थान पर बुरा प्रभाव डाला है। उनके कष्ट और उपेक्षा में वृद्धि का एक अन्य कारण एकल परिवार का बढ़ना है। बड़े, बूढ़े या वृद्ध अपने-आप को उपेक्षित अनुभव करने लगे हैं जबकि उन्हें और अधिक ध्यान तथा देख-भाल की आवश्यकता है। वृद्धों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1999 में 'वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति' (नेशनल पालिसी फॉर ओल्डर परसंस) की घोषणा की है।

विकलांगों के लिए चिंता एक विश्वव्यापी विषय है। विकलांगता एक गंभीर मानवीय समस्या है जिसकी ओर धैर्य और मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ ध्यान देना चाहिए। विश्व के अनुमानतः 50 करोड़ विकलांगों में से लगभग 1.2 करोड़ भारतीय हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1.8 प्रतिशत है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1981 को 'अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष' तथा 1983-92 के दशक को 'विकलांग दशक' घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र ने सभी स्तरों पर विकलांगों की कठिनाइयों तथा उनके प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार को समाप्त करने पर बल दिया है।

वह व्यक्ति जो शारीरिक विकृतियों अथवा मानसिक अक्षमताओं से पीड़ित है, चाहे वह जन्म से हो या किसी दुर्घटना के कारण, विकलांग कहलाता है। इस प्रकार, विकलांगता दो प्रकार की है: शारीरिक तथा मानसिक। शारीरिक दृष्टि से विकलांग बहरे, गूंगे, नेत्रहीन तथा अस्थि-विकृत होते हैं। जबकि मानसिक विकलांग वे हैं जो मंदबुद्धि, बीमारी, अथवा आत्मविमोह (autism) तथा मस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित होते हैं।

विकलांगों को, अपनी शारीरिक अक्षमताओं के परिणामस्वरूप सामाजिक घृणा का सामना करना पड़ता है। विकलांगता न केवल विकलांगों को तथापि उनके परिवार के सदस्यों तथा सारे समाज के विकास को प्रभावित करती है।

भारतीय संविधान, विकलांगों तथा वृद्धों को उनके काम, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता के अधिकार दिलवाने हेतु राज्यों को निर्देश देता है कि वे प्रभावी व्यवस्था लागू करें। पर्याप्त साधनों से संपन्न लोगों का कानूनी दृष्टि से यह दायित्व बनता है कि वे अपने माता-पिता को जो अपना गुजारा स्वयं नहीं कर सकते, उनकी सहायता करें।

भारत में विकलांगों के हितों से संबंधित मुख्यतया तीन कानून निम्नलिखित हैं :

- भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992
- विकलांग व्यक्ति को समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम, 1995
- आत्मविमोह, मस्तिष्क पक्षाघात, अल्पबुद्धिता तथा बहु-विकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999

भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992, ने पुनर्वास परिषद को वैधानिक दर्जा प्रदान किया है। यह विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए चल रहे कार्यक्रमों तथा संस्थाओं को नियंत्रित करता है।

उपर्युक्त कानूनों में से विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 सर्वाधिक व्यापक है जो विकलांगों के लिए समग्र दृष्टिकोण रखता है। इसके अनुसार :

- सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा तथा उन सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों को जो पांच या पांच से अधिक विकलांगों को अपने यहां नौकरी पर रखेंगे, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा;
- सरकार का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक विकलांग को 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे;
- विकलांगों को घर बनाने के लिए, व्यापार या फैक्टरी स्थापित करने के लिए अथवा विशेष मनोरंजन केंद्र, विद्यालय या अनुसंधान संस्थान खोलने के लिए भूमि का आबंटन रियायती दरों पर और प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा;
- इनके लिए रोज़गार कार्यालय , विशेष बीमा पालिसियां तथा बेकारी भत्ते की व्यवस्था की जाएगी;
- विकलांगों के कल्याण के लिए एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी जो राज्यों के आयुक्तों द्वारा इन लोगों के कार्यों के लिए सामंजस्य स्थापित करे, इनके हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करे और उनकी शिकायतों की सुनवाई करे।

विकलांग अधिनियम, 1999 के अनुसार एक न्यास की स्थापना करना है जो विभिन्न विकलांगताओं से पीड़ित लोगों के पारिवारिक सरंक्षण को सुदृढ़ बनाएगा। यह उन विकलांगों की भी देख-भाल करेगा जिन्हें पारिवारिक सहारा उपलब्ध नहीं है।

भ्रष्टाचार : एक सामाजिक रोग

भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी समस्या है। भ्रष्टाचार एक ऐसा रोग है जो सर्वत्र व्याप्त है। यह प्रशासन, विकास तथा लोकतंत्र का

परिहास है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार एक भयप्रद स्तर तक पहुंच चुका है तथा एक अति संवेदनशील विश्वव्यापी विषय बन चुका है। भारत में भी भ्रष्टाचार का स्तर काफी बढ़ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता संगठन 'ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल' जो विश्वभर में सार्वजनिक पदों पर चल रहे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करती है, भारत को सन 2001 में 90 देशों की सूची में से 69वां स्थान दिया है।

एशिया के सब से कम भ्रष्ट देशों में सिंगापुर के पश्चात हांगकांग तथा जापान का नंबर आता है। विश्व के सबसे कम भ्रष्ट पांच देश है, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, स्वीडन तथा कनाडा।

भ्रष्टाचार, बेईमानी तथा उन लोगों के गैर-कानूनी व्यवहार का परिणाम है जो अपने सरकारी पद तथा सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। विश्व बैंक के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा इस प्रकार है 'सार्वजनिक कार्यालय का व्यक्तिगत लाभ हेतु उपयोग'। भ्रष्टाचार में रिश्वत, फिरौती, घपला, पक्षपात आदि शामिल हैं। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं जो हमें अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। भ्रष्टाचार राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं, अपितु समाज के सभी स्तर पर फैल चुका है। भ्रष्टाचार केवल काले धन की जननी नहीं अपितु अपराधीकरण को भी सहारा देता है। कानून के भय से, काले धन को छुपा कर रख दिया जाता है और वह राष्ट्र के विकास में रुकावट है, मूल्यों को प्रभावित करता है तथा कानून एवं शासन के प्रति विश्वास को कम करता है। यह एक राष्ट्रविरोधी कृत्य है जो अन्याय तथा मानवाधिकारों के हनन को बढ़ावा देता है। भारत को विश्व की एक महाशक्ति बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए, भ्रष्टाचार को अपने समाज तथा राजनीति से जड़ से उखाड़ना होगा।

हमारी सरकार ने विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, का उद्देश्य भारत के सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है। इसके अनुसार रिश्वत, गबन, आर्थिक लाभ, पद का दुरुपयोग, आय के अनुपात से कहीं अधिक संपत्ति रखना, आदि अपराध हैं तथा कानून के अंतर्गत दंडनीय हैं।

यह अधिनियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पहली बार एक 'नागरिक संदर्शिका' जारी की है, जिसमें नागरिक द्वारा कुछ करने योग्य अथवा न करने वाली बातों का उल्लेख है। इस बात को ध्यान में रखकर कि भ्रष्टाचार सर्वमान्य होता जा रहा है, सतर्कता आयोग का कहना है कि "प्रत्येक भ्रष्ट व्यक्ति के पीछे, एक लालची परिवार होता है।" नागरिक संदर्शिका लोगों में जागरूकता पैदा करने का एक ऐसा प्रयास है जिससे एक ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार किया जाए जिसमें भ्रष्टाचार को पूर्णतया नकारा जाए।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) सामाजिक विकास का क्या अर्थ है?
   (ii) आज के विश्व के समक्ष उपस्थित नई समस्याओं के नाम लिखिए।
   (iii) राज्य की चिंता के मुख्य विषय क्या हैं?
   (iv) भारत के संविधान ने किस प्रकार देश के सामाजिक विकास में योगदान दिया है?
   (v) सामाजिक विकास क्यों आवश्यक है?
   (vi) कानूनी साक्षरता का क्या अर्थ है?
   (vii) बाल उत्पीड़न समस्या का वर्णन कीजिए।
   (viii) बाल विकास एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के नाम लिखिए।
   (ix) वृद्धों की समस्याएं क्या हैं?
   (x) भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए।
2. बाल श्रम एवं उनके शोषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

3. विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं का उल्लेख कीजिए। विकलांगों की सुरक्षा हेतु भारत में पारित विभिन्न कानूनों के नाम लिखिए।
4. भ्रष्टाचार किस प्रकार देश के विकास में बाधक है?
5. भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है, चर्चा कीजिए। इसकी रोकथाम के लिए भारत सरकार द्‌वारा किए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए।
6. शिशु अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र प्रारूप, 1992, द्‌वारा सुझाए गए बच्चों के मुख्य अधिकारों में से कुछ प्रमुख को सूचीबद्‌ध कीजिए।

परियोजना कार्य

अपने क्षेत्र में होटलों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसके अनुरूप उनकी शिक्षा, कार्य करने के घंटे, वेतन आदि पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, जिसमें उनकी प्रतिघंटा औसत आय का विवरण दीजिए।

अपने क्षेत्र में वृद्‌धों की संख्या ज्ञात कीजिए और साक्षात्कार के द्‌वारा पता कीजिए कि उनमें से कितने लोग अपने पुत्र और पुत्रवधुओं के व्यवहार से संतुष्ट हैं।

अध्याय सोलह

मानव विकास की गतिशीलता

विकास सामाजिक हो या आर्थिक उसका उद्देश्य मानव विकास है। सामाजिक विकास में समाज के सर्वोमुखी विकास पर बल दिया जाता है। समाज एक पूर्ण इकाई है और व्यक्ति उसका एक अंग है। सामाजिक विकास में व्यक्ति को जो भी लाभ प्राप्त होता है, वह एक प्राणी समूह के रूप में मिलता है। यह संभव है कि विकास सभी लोगों तक पहुंचने की अपेक्षा केवल कुछ लोगों तक ही केंद्रित हो। जब हम एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए विकास का विश्लेषण करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस विकास से उसको कितना लाभ हुआ, उसे कितने अवसर मिल पाए तथा कहां तक यह विकास स्त्रियों तथा पुरुषों में समान रूप से वितरित हुआ, यहीं से मानव विकास की अवधारणा प्रारंभ होती है। मानव विकास, सामाजिक विकास का एक मूल तत्त्व है। विकास की दिशा में यह 'मानव-केंद्रित' उपागम है। यह लोगों पर संकेंद्रित है। इसका संबंध उनकी भलाई, आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं तथा आकांक्षाओं से होता है। मानव विकास का उद्देश्य जीवन की एक-सी परिस्थितियां उत्पन्न करना है, जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार सार्थक एवं सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायक हों।

मानव विकास का संबंध उन सभी अवसरों के विस्तार से है जिनका लाभ मनुष्य उठा सकता है। इससे मानव क्षमताएं निर्मित होती हैं, जैसे- एक दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करना, शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान प्राप्त करना, जीविकोपार्जन के अवसरों की उपलब्धि, जीवन-यापन के अच्छे स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच होना, सतत विकास होना, व्यक्तिगत तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना, मानव अधिकारों का उपयोग एवं समानता होना, सामुदायिक जीवन में सहभागिता, एक उत्तरदायी सरकार तथा अच्छे प्रशासन का होना। मानव विकास के सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, मानव की रुचियों, अवसरों तथा क्षमताओं के विस्तार पर बल देता है। यह विकास के सभी स्तरों पर, सभी राष्ट्रों के, सभी लोगों के लिए, चाहे वे धनी हों या निर्धन, समान रूप से लागू होता है।

आर्थिक एवं मानव विकास

प्रारंभ में, मानव विकास के दृष्टिकोण की पहचान केवल आर्थिक विकास के आधार पर होती थी। प्रतिव्यक्ति आय ही मानव विकास को नापने का एक मात्र मापदंड था। परिणामस्वरूप, सभी देश अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) को बढ़ाने में जुट गए जो प्रति व्यक्ति आय का एक पूर्ण रूप था। परंतु ऐसा देखा गया कि आर्थिक उपलब्धियों के बावजूद जनता के जीवनस्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया। यह अनुभव किया गया कि केवल आर्थिक विकास ही मानव का विकास नहीं कर

सकता। परिणामस्वरूप, मानव विकास की अवधारणा का विस्तार आर्थिक विकास से भी आगे तक हो गया। अब मात्रात्मक सुधार की अपेक्षा जीवनस्तर की गुणवत्ता के सुधार पर अधिक बल दिया जाता है।

मानव विकास मात्रात्मक परिवर्तन तथा गुणवत्ता विकास दोनों की प्रक्रिया है। फलस्वरूप, सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की अवधारणा का विस्तार कर उसमें मानव की सुख-शांति के तत्त्वों को भी सम्मिलित कर लिया गया। मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को ध्यान में रखते हुए विशेषतया निर्धनता कम करने तथा असमानता एवं बेरोजगारी के बीच के अंतर को कम करने की दृष्टि से, मानव विकास की अवधारणा को एक व्यापक परिदृश्य में देखा जाने लगा। इसने लोगों के विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक ढांचे को पूर्णतया सशक्त कर दिया। अब मानव विकास की अवधारणा में केवल आर्थिक पहलू ही नहीं अपितु मानव जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित हैं। यहां आय इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना कि आय की उपयोगिता का प्रभाव।

मानव विकास साध्य है, जबकि सामाजिक विकास तथा आर्थिक विकास साधन हैं। परंतु विकास के सभी सहायक कारकों में से आर्थिक विकास सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। इससे मानव कौशल में वृद्धि होती है, विकल्पों का विस्तार होता है तथा मानव का संसाधन के रूप में विकास होता है, जो पुनः आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। मानव विकास आजकल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की मुख्य गतिविधि है, जिसके अंतर्गत मानव विकास को राजनीतिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता तथा विश्व स्तर पर ऐसे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने हेतु, जो आर्थिक दृष्टि से उत्पादक हो और सामाजिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से सही हो, के नए संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है।

मानव विकास सूचकांक

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) ने अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, 1990 में 'मानव विकास सूचकांक' (एच.डी.आई.) का प्रयोग किया। यद्यपि मानव विकास का पूर्ण मूल्यांकन करना असंभव है। इसके तीन संयुक्त मापदंड इस प्रकार हैं: (क) दीर्घायु (ख) ज्ञान तथा (ग) उच्च जीवन स्तर।

दीर्घायु लंबे एवं स्वस्थ जीवन की अभिलाषा है। यह जीवन प्रत्याशा (वर्षों में) के रूप में नापी जाती है।

ज्ञान साक्षरता/ सूचना अर्जित करने का अधिकार है, जिसे शैक्षिक उपलब्धियों के प्रतिशत, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक/माध्यमिक तथा तृतीयक स्तरों पर सामूहिक नामांकन का अनुपात होता है, के आधार पर नापा जाता है।

अच्छे जीवनस्तर का अर्थ अच्छे ढंग से जीवन जीने की इच्छा से है। इसे राष्ट्रीय आय या प्रतिव्यक्ति आय के रूप में नापा जाता है, जो अमरीकी डालर की क्रय शक्ति के समकक्ष हो।

किसी देश की स्थिति मानव विकास के इन्हीं तीनों आधारभूत आयामों के आधार पर निर्धारित की जाती है। मानव विकास सूचकांक विभिन्न देशों का स्थान निर्धारण एक-दूसरे की तुलना में इसलिए करता है, ताकि उन्हें बताया जा सके कि वे मानव विकास की दिशा में कितना अग्रसर हो चुके हैं और कितना अभी और आगे जाना है। इस प्रकार एच.डी.आई. मानव विकास के स्तरों को दर्शाता है न कि विकास के संपूर्ण मूल्यांकन को। ए.डी.आई. के आधार पर, विश्व के 173 देशों को उच्च, मध्यम और निम्न मानव विकास वर्ग में बांटा गया है। तालिका 16.1 में दिखाया गया है कि किस प्रकार एच.डी.आई. के तीन ब्यौरों में, नार्वे विश्व में सर्वोपरि है, जबकि भारत को मध्यम विकास वाले देशों के समूह में दिखाया गया है।

तालिका 16.1 का विश्लेषण करते समय विद्यार्थी निम्नलिखित के उत्तर देने का प्रयास करें।

(i) मानव विकास के तीनों वर्गों में जीवन प्रत्याशा का परिसर क्या है।
(ii) मानव विकास के प्रत्येक वर्ग में कितने देश हैं।
(iii) संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा बांग्लादेश की तुलना में भारत की स्थिति क्या है?

स्वतंत्रता के पश्चात देश के लोगों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाए गए थे, जिससे जंन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में कमी हुई है और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है।

साक्षरता के संदर्भ में 2001 की जनगणना में भारत के इतिहास में पहली बार साक्षर लोगों की संख्या, निरक्षर जनसंख्या से कहीं अधिक है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई भाग साक्षर है। महिलाओं में साक्षरता उनकी जनसंख्या के 50 प्रतिशत से थोड़ी अधिक है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, वर्ष 2005 तक, भारत में 75 प्रतिशत साक्षरता दर का लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहता है। इस बीच, सभी के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

तालिका 16.1 विश्व मानव विकास की एक झलक

	सम्मिलित सकल (वर्षों में)	सकल घरेलू उत्पाद पंजीयन	उत्पाद प्रति व्यक्ति (पी.पी.पी.यू.एस.डालर)
उच्च मानव विकास (1-53 स्थान तक)	**77.4**	**91.0**	**24,993**
नार्वे	78.5	97.0	29,918
संयुक्त राज्य अमेरिका	77.0	85.0	34,142
स्विट्ज़रलैंड	78.9	84.0	28,769
इजराइल	78.7	83.0	20,131
लैटविया	70.4	82.0	7,045
मध्यम मानव विकास (54-137 स्थान तक)	**67.1**	**67.0**	**4,141**
मैक्सिको	72.6	71.0	9,023
रूस	66.1	78.0	8,377
चीन	70.5	73.0	3,976
भारत	63.3	55.0	2,358
कोमोरॉस	59.8	35.0	1,588
निम्न मानव विकास (138-173 स्थान तक)	**52.9**	**38.0**	**1,251**
पाकिस्तान	60.0	40.0	1,928
भूटान	62.0	33.0	1,412
नेपाल	58.6	60.0	1,327
बांग्लादेश	59.4	37.0	1,602
सियरालियोन	38.9	27.0	1,490

तालिका 16.2 भारत के कुछ स्वास्थ्य सूचकांक

सूचकांक	**1951**	**1971**	**1981**	**1991**	**1999**
जन्म दर (प्रति हजार)	40.8	36.9	33.9	29.5	26.1
मृत्यु दर (प्रति हजार)	25.1	14.9	12.5	9.8	8.7
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)					
(क) पुरुष	37.1	46.4	54.1	60.6	62.30
(ख) स्त्री	36.2	44.7	54.7	61.7	65.27

तालिका 16.3 भारत में साक्षरता दर: 1951-2001 (प्रतिशत में)

जनगणना (वर्ष)	व्यक्ति	पुरुष	स्त्रियां	स्त्री-पुरुष साक्षरता दर का अंतर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.40	15.35	25.05
1971	34.45	45.96	21.97	23.98
1981	43.57	56.38	29.76	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	65.38	75.85	54.16	21.70

करने योग्य कार्य

तालिका 16.2 को पढ़ कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए:

(क) 1951 तथा 1991 में जन्म दर क्या थीं?

(ख) 1951 से 1991 तक जन्म दर में कितनी कमी हुई?

(ग) 1951 तथा 1991 में मृत्यु दर क्या थीं?

(घ) 1951 से 1991 तक मृत्यु दर में कितनी कमी हुई?

(ङ) पुरुषों तथा स्त्रियों में वर्तमान जीवन प्रत्याशा कितनी है?

करने योग्य कार्य

तालिका 16.3 को पढ़ कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

(क) 1951 से 2001 तक साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है?

(ख) पुरुष-महिला साक्षरता में अधिक से अधिक तथा कम से कम अंतर किन दशकों में था, पता कीजिए।

1950-51 में हमारे देश का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) 95.17 अरब रुपए था, जो बढ़ कर 1999-2000 तक 17556. 38 अरब रुपए हो गया। जी.डी.पी. में यह वृद्धि देश के नियोजित विकास के कारण संभव हो पाई है।

सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की वृद्धि में मुख्य अवरोधक हमारी जनसंख्या की अधिकता है। अभी भी हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है, जो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा है।

मानव विकास की चुनौतियां

मानव विकास के वितरण में मानव विकास सूचकांक ने प्रगति में कमियों को दर्शाया है। आजकल मानव विकास के जिन क्षेत्रों पर बल दिया जा रहा है, वे हैं : (क) स्वास्थ्य (ख) लैंगिक समानता (ग) महिला संशक्तीकरण। इन सब में स्वास्थ्य का क्षेत्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाला है।

स्वास्थ्य

इसका अभिप्राय केवल जीवित रहना नहीं, अपितु व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा सामाजिक भलाई भी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया निवेश न केवल जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि मानव संसाधन विकास का भी एक अंग है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक गतिविधियां आती हैं, जैसे- जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, नशीली दवाइयों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य हेतु मुख्य संक्रामक तथा गैर-संक्रामक रोगों का पूरी तरह से प्रतिरक्षण तथा निवारण। हमारे देश के लोगों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हो चुका है। प्लेग जो सामान्यतया घातक रोग था, का उन्मूलन हो चुका है। चेचक भी पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। मलेरिया पर भी पर्याप्त नियंत्रण किया जा चुका है। प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम- जैसे- पोलियो, तपेदिक, एड्स, कोढ़, अंधापन, आयोडीन की कमी, मधुमेह आदि के नियंत्रण एवं उन्मूलन प्रोग्रामों के अतिरिक्त, अनेक राष्ट्रीय स्तर के प्रतिरक्षण प्रोग्रामों ने मृत्युदर को काफी सीमा तक कम करने में सहायता की है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो मृत्यु दर 27.4 प्रति एक हजार व्यक्ति थी, 1998 में यह घट कर 9 प्रति हजार व्यक्ति हो गई। इसी प्रकार, 1998 तक शिशु मृत्यु दर 134 प्रति हजार से घटकर 72 प्रति हजार हो गई। जीवन प्रत्याशा जो 1947 में 32 वर्ष थी, 1998 में बढ़कर 62 वर्ष हो गई।

सरकार ने 2935 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सी.एच.सी.), 22975 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पी.एच.सी.) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य-सेवा प्रदान करने के लिए 1,37,271 स्वास्थ्य उप-केंद्र खोले गए हैं। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80,000 से 1 लाख 20 हजार तक की जनसंख्या के लिए बना है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या के लिए बना है। एक उप-केंद्र मैदानी भागों में 5000 लोगों की तथा पहाड़ी जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में 3000 लोगों की देखभाल करता है।

1999 तक भारत में 157 मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज तथा 26 नए मेडिकल कालेज, 15, 533 अस्पताल और 138 डैंटल कालेज थे। इनके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में भी लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं। परंतु ग्रामी[illegible] क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में चिकित्सा संबंधी सेवाओं में [illegible] संबंधी व गुणात्मक असंतुलन अभी भी है।

लैंगिक समभाव

बनाए रखने के पीछे कई कारण हैं। बचपन से ही उन्हें स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा तथा आर्थिक अधिकारों जैसी उन सभी सुविधाओं से वंचित रखा जाता हैं जो एक पुरुष को मिलती हैं।

भारत में लैंगिक असमभाव सकल जनसंख्या, पुरुषों तथा स्त्रियों में साक्षरता, सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा तथा अवसरों में देखने को मिलती है। महिलाओं में साक्षरता के बहुत कम होने के कारण हैं, बाल विवाह, सामाजिक भेदभाव, घर में तथा समाज में निम्न प्रतिष्ठा। भारत में लैंगिक अनुपात सदैव गंभीर चिंता का विषय रहा है, क्योंकि यह लंबे समय से प्रति हजार पुरुषों के पीछे 950 महिलाओं से भी काफी नीचे रहा है।

लैंगिक अनुपात में 1901 से 1991 तक पर्याप्त गिरावट आई है। यह प्रवृत्ति विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। केरल में लैंगिक अनुपात अनुकूल है जब कि पंजाब, हरियाणा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह बहुत प्रतिकूल है।

अनेक कारकों में से कुछ प्रमुख हैं- ऊंची मातृ मृत्यु दर, कन्या भ्रूण हत्या, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का निम्न स्थान, बालिकाओं के प्रति उपेक्षा आदि। सभी कारक जिनके कारण महिलाओं में मृत्यु दर ऊंची होती है, प्रमुख हैं बेटे के लिए प्राथमिकता तथा सामाजिक प्रताड़ना।

तालिका 16.4: भारत में लैंगिक अनुपात : 1901-2001

वर्ष	स्त्रियां प्रति हजार पुरुष
1901	972
1911	964
1921	955
1931	950
1941	945
1951	946
1961	941
1971	930
1981	934
1991	927
2001	933

महिला सशक्तीकरण

महिलाएं पूरे विकास का केंद्रबिंदु हैं। प्रगति की दिशा में किसी भी सतत परिवर्तन के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में, यहां तक कि संपन्न औद्योगिक देशों में भी, बहुत विभिन्नताएं हैं। महिलाओं के लिए अवसर प्रदान करने हेतु अधिक आय का होना अनिवार्य नहीं है। महिला सशक्तीकरण आर्थिक तथा राजनीतिक अवसरों तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता में असमानता की ओर ध्यान केंद्रित करता है। यह असमानताएं एक ही देश के विभिन्न समुदायों, जातियों तथा क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हैं। इससे राज्य विधानसभाओं, संसद, वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रबंधकों एवं व्यावसायिक और तकनीकी कर्मचारियों में महिलाओं के प्रतिशत का भी पता लगता है।

भारतीय संदर्भ में यद्यपि अधिकांश राज्यों में लाभ वाले या वेतन वाले कामों में चाहे वे उद्योग में हों या नौकरियों में, पुरुषों की संख्या बढ़ गई है, तथापि संसद तथा राज्य विधायिकाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत स्थान भी प्राप्त नहीं है। भारत की सभी विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रयास भी अभी सफल नहीं हुआ। हमारे देश में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्तर को सुधारने की दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

भारतीय संदर्भ में महिलाओं का दर्जा पुरुषों के समकक्ष करने के लिए हमारी विकास संबंधी योजनाओं में 1980 से ही महिलाओं को एक पृथक लक्ष्य समूह मान लिया गया है। 3 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त, महिला सशक्तीकरण राष्ट्रीय नीति, 2001 के अंतर्गत महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण, रोजगार तथा आय उपार्जन कल्याण एवं सहायक सेवाएं तथा लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्रों में पहल की जा चुकी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास तीव्रता से हुआ है, परंतु हमारी जनसंख्या वृद्धि ने इस विकास को काफी सीमा तक निष्प्रभावित कर दिया है। महिला संबंधी विकास के संदर्भ में, यह तथ्य आश्चर्यचकित करने वाला है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों का विद्यालयों में पंजीकरण सहभागिता तथा साक्षरता दर हमारी राष्ट्रीय साक्षरता दर की वृद्धि के साथ बढ़ा है। परंतु विकसित देशों के मानव विकास सूचकांक स्तर तक पहुंचने के लिए भारत को अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   - (i) मानव विकास का क्या अर्थ है?
   - (ii) मानव विकास के विभिन्न मापदंडों का उल्लेख कीजिए।
   - (iii) मानव विकास में किसका योगदान है?
   - (iv) मानव विकास हेतु साक्षरता क्यों अनिवार्य है?
   - (v) मानव विकास पर बल देने वाले विभिन्न क्षेत्रों को पहचानिए।
   - (vi) महिला सशक्तीकरण का केंद्रबिंदु क्या है?
   - (vii) भारत में वर्तमान लैंगिक अनुपात क्या है?
   - (viii) विभिन्न रोगों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।
2. मानव विकास की व्याख्या कीजिए और आर्थिक विकास से इसका अंतर बताइए।
3. स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए।
4. लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए।
5. मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों के बारे में लिखिए।

परियोजना कार्य

- अपने विद्यालय में कक्षानुसार लिंग अनुपात ज्ञात कीजिए।

अध्याय सत्रह

सांप्रदायिकता तथा जातिवाद की चुनौतियां

भारत एक विशाल देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारतीय गणतंत्र विभिन्न जातीय, भाषायी, धार्मिक तथा सामाजिक समूहों से बना हुआ है जो पुन: जातियों, श्रेणियों तथा संप्रदायों में विभाजित है। इन सभी विभिन्नताओं को हमारी आधारभूत एकता एकसूत्र में बांधती है, और इसे एक संपन्न संस्कृति वाला महान राष्ट्र बनाती है। हमारी भारतीयता कश्मीर से कन्याकुमारी तथा अरुणाचल से ओखा, गुजरात तक, देश की सभी संस्कृतियों को एकता के बंधन में बांधती है। अनेकता में एकता हमारे राष्ट्रीय विकास का मुख्य आधार है।

प्राचीन काल में, विभिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न स्थानों से लोगों के प्रवास ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। शताब्दियों के अंत:मिश्रण, आत्मीयता तथा समायोजन ने सभी भारतीयों में मानव जातीय एकरूपता को विकसित किया है। भारतीय भाषाओं का विकास भी विभिन्न मानव जातीय तत्त्वों से हुआ है। वे सैकड़ों वर्षों तक एक-दूसरे के संपर्क में रहे, जिससे हमारे मुख्य भाषायी समूहों का जन्म हुआ। भारत के संविधान द्वारा मान्य 18 भाषाओं सहित 1652 मान्य भाषाएं यहां की आश्चर्यजनक विविधता के प्रमाण हैं।

भारत, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, एक बहुधर्मी देश है। यहां हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिक्ख, पारसी, यहूदी तथा बहुत बड़ी संख्या में अन्य धर्म हैं, जिन्होंने भारत को एक ऐसा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार बना दिया है, जैसा संसार ने शायद ही कभी देखा हो। पंथों, संप्रदायों, भाषाओं तथा संस्कृतियों की विभिन्नता के बावजूद भारत के लोग मानवता, सभी धर्मों के प्रति आदर और सहिष्णुता जैसे मौलिक विचारों के प्रति निष्ठावान रहे हैं, जो इस राष्ट्र को पंथनिरपेक्षता का एक गढ़ बनाने में सहायक हुए हैं।

आज, भारत एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई है। संपूर्ण देश एक ही संविधान द्वारा शासित होता है। अंग्रेज़ों ने भारत में "फूट डालो और शासन करो" की नीति के आधार पर शासन किया और भारतीयों में कई प्रकार के तनाव पैदा किए। सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा भाषावाद जैसी वर्तमान समस्याओं की उत्पत्ति औपनिवेशिक पृष्ठभूमि से होती है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के लोग विदेशी शासन से मुक्ति पाने तथा भारत को स्वतंत्र कराने के लिए संगठित हुए। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर चला स्वतंत्रता आंदोलन विश्व की एक अद्वितीय घटना है। सभी देशभक्त भारतीयों ने जाति, संप्रदाय, धर्म तथा भाषासंबंधी मान्यताओं से ऊपर उठकर मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए कुर्बानियां दीं।

स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विद्‌यमान एकता तथा सद्‌भाव, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कमजोर पड़ गए हैं। आज, हमें हमारी सामाजिक शांति और सौहार्द्र को भंग करने वाले जातिगत झगड़े, सांप्रदायिक दंगे, क्षेत्रीय हिंसा और वंशानुगत शत्रुता देखने को मिलती है। जातिवाद तथा सांप्रदायिकता, सामाजिक तनाव तथा वर्गीय हिंसा पैदा करने वाले सबसे सशक्त स्रोत हैं, जो राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्‌भाव, पंथनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चुनौती हैं।

सांप्रदायिकता

सांप्रदायिकता बहुत घातक रही है, जिसके कारण 1947 में देश का विभाजन हुआ। इस दौरान हज़ारों निर्दोष लोग मारे गए। अपने घरों से विस्थापित हुए लोग, शरणार्थी बन गए। इस सांप्रदायिक नरसंहार ने बच्चों को अनाथ तथा स्त्रियों को विधवा बना दिया।

स्वतंत्रता के पश्चात पचास वर्ष से अधिक समय बाद भी भारत सांप्रदायिकता की समस्या पर नियंत्रण नहीं कर पाया है। सांप्रदायिकता के साथ-साथ आतंकवाद तथा पृथकतावाद हमारी राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। राजनीति के साथ धर्म को जोड़ने से हमारे पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र को झटका लगा है। सांप्रदायिक हिंसा तथा रक्तपात से सभी के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। भारत भय, आतंक तथा संदेह से पीड़ित होना सहन नहीं कर सकता।

भारत की धर्म बाहुल्यता में, हिंदुओं का बहुमत है तथा अन्य धार्मिक समुदाय अल्प मत में हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा है। प्राय: जब भी एक धार्मिक समुदाय या वर्ग किसी भी कारण से दूसरे का विरोध करता है, तो सांप्रदायिक तनाव उभरने लगता है। किसी भी समुदाय द्‌वारा अपने निहित हितों की पूर्ति तथा अपनी पहचान को प्रोत्साहन देने के प्रयासों से सामाजिक तनाव पैदा हो जाता है। इसी सांप्रदायिक पागलपन व उन्माद में व्यक्ति अपने ही बंधुओं का शत्रु बन जाता है।

यह आवश्यक नहीं है कि एक धार्मिक व्यक्ति सांप्रदायिक हो, अपितु सांप्रदायिकता अवश्य ही धर्म-विरोधी होती है। हिंदू, मुसलमान, सिक्ख अथवा अल्पमत या बहुमत की सांप्रदायिकता की बात करना, न केवल भ्रामक है, बल्कि खतरे से भी खाली नहीं है।

कट्टरपंथी अपने धार्मिक समुदाय को अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ तथा पृथक दिखाने का प्रयास करते हैं। वे सामान्य हितों की अपेक्षा अपने हितों को अधिक महत्त्व देते हैं। वे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं अपितु सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार वे अपनी पृथक पहचान बनाए रख कर, दूसरों की अपने से तथा अपनी दूसरों से दूरी बनाए रखते हैं। यह विचारधारा समाज को विघटन की ओर ले जाती है।

जातिवाद

भारत की सामाजिक संरचना जातिवाद पर आधारित है। जातिवाद की प्रारंभिक परिकल्पना आज के स्वरूप से भिन्न थी। पहले यह चार व्यवसायों पर आधारित वर्णव्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) थी। यह कर्त्तव्यों पर आधारित समाज का पूर्णतया व्यावसायिक वर्गीकरण था। परंतु अब यह किसी जाति विशेष में जन्म होने पर आधारित, समाज का चार भागों में श्रेणीकरण हैं। जातियों को फिर उपजातियों में बांटा गया है जिनमें से प्रत्येक का पदानुक्रम में विशिष्ट स्थान है। जातिवाद का हिंदुओं से घनिष्ठ संबंध है और कुछ सीमा तक इसका चलन मुसलमानों, इसाइयों तथा सिक्खों में भी है। जातियां, सामाजिक रूप से श्रेणीकरण तथा समूहीकरण करती हैं, जिससे सामाजिक भिन्नता, भेदभाव तथा विघटन की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन बनाए रखने तथा भारतीयों में फूट डालने के लिए, जातिवाद का दुरुपयोग किया।

किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण उस परिवार की जाति पर आधारित होता है जिसमें उसने जन्म लिया हो। यदि किसी का जन्म किसी ऐसी जाति में होता है, जिसे निम्न जाति का समझा जाता है, तो उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उसकी जाति ही, बिना उसके किसी दोष के जीवन भर के लिए अभिशाप बन जाती है।

जातिगत भेदभाव तो बहुत कम हो गया है परंतु उसके विपरीत जातिगत सोच बढ़ती जा रही है। एक सामाजिक कारक के रूप में जाति का महत्त्व कम होता जा रहा है परंतु एक राजनीतिक कारक के रूप में इसका महत्त्व बढ़ता जा रहा है।

अल्पसंख्यक, कमज़ोर तथा पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

सांप्रदायिकता तथा जातिवाद की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए, भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों, कमज़ोर वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े

वर्गों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। ये संवैधानिक व्यवस्थाएं उनके विभिन्न हितों की सुरक्षा, सामाजिक अयोग्यताओं के निवारण तथा उनके कल्याण एवं विकास को सुनिश्चित करती हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुता-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है जो अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। नीति-निदेशक सिद्धांतों का महत्त्व समानता स्थापित करने हेतु भारत के सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण के संदर्भ में है। भारत के संविधान के अनुसार जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्जित है। मौलिक अधिकारों द्वारा लोकतंत्र की नींव को और भी सुदृढ़ बनाया गया है। समता का अधिकार, कानून के सम्मुख समानता, विभिन्न आधारों पर भेदभाव की मनाही तथा सार्वजनिक नौकरियों में समानता प्रदान करता हैं। राज्य को यह भी अधिकार दिया गया है कि वह कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाने तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म को अपनाने या मानने की स्वतंत्रता देता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए दिया गया है।

इन संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यकों, कमज़ोर वर्गों तथा पिछड़े वर्गों या जातियों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जीवन में न्यायसंगत स्थान दिलवाने के लिए, उनकी विशेषतौर पर सहायता की जाए। राष्ट्रीय नीति के मुख्य ध्येय की पूर्ति हेतु पंचवर्षीय योजनाओं में भी कमजोर वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है।

अल्पसंख्यक

अल्पसंख्यक वे हैं जो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर, किसी विशेष प्रदेश/प्रदेशों में बहुमत में न हो। भारत के किसी भी बहुसंख्यक वर्ग की तरह उन्हें भी सभी अधिकार प्राप्त हैं। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म, संस्कृति, लिपि तथा भाषा के संरक्षण, सुरक्षा तथा प्रोत्साहन के लिए विशेष सावधानियां बरती हैं। हमारे लोकतांत्रिक तथा पंथनिरपेक्ष होने की विश्वसनीयता तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक अल्पसंख्यक अपने आपको सुरक्षित अनुभव नहीं करते। भारत के अल्पसंख्यकों के अधिकारों, हितों तथा कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई है।

अल्पसंख्यक कौन हैं?

चाहे भाषा के आधार पर हो या संस्कृति के, अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। देश की कुल जनसंख्या के आधे से भी कम संख्या वाले समुदायों को अल्पसंख्यक कहते हैं। इस संदर्भ में 1991 की जनगणना के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत की कुल जनसंख्या का 17.17 प्रतिशत हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की तरह राज्य स्तर पर क्षेत्रीय या स्थानीय अल्पसंख्यकों की बात भी उठती है। इसलिए, राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की अवधारणा, राज्यस्तरीय अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई समुदाय या वर्ग किसी क्षेत्र विशेष में कुल मिलाकर बहुमत में हो, तो वो भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक हो सकता है तथा इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सामान्यतया प्रत्येक नागरिक को और विशेष तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह गारंटी देता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और न ही राज्य किसी धर्म को कोई विशेष संरक्षण देगा। सभी नागरिक अपने-अपने धर्म का प्रचार, प्रसार तथा प्रोत्साहन कर सकते हैं। कानून, बलपूर्वक धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता। किसी भी राजकीय या राजकीय सहायता-प्राप्त विद्यालय में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सभी धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन एवं धर्मार्थ कार्यों के लिए संपत्ति रखने, प्राप्त करने तथा उसकी देखभाल करने का अधिकार है।

संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को यह गारंटी दी है कि सभी समुदायों को अपनी लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। धर्म, वंश, जाति, रंग या भाषा के आधार पर किसी को भी राजकीय या राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंद के अनुरूप शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने तथा चलाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को मातृ-भाषा में प्राथमिक स्तर तक शिक्षा देने की पर्याप्त सुविधाएं देगा।

कमजोर वर्ग : अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां

स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जातिवाद के सभी कुप्रभावों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में न्याय, समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व के आदर्शों का तथा मौलिक अधिकारों में समता एवं स्वतंत्रता के अधिकार का समावेश किया।

अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों के लोग कौन हैं?

भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है। संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनका विशेष उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति केवल हिंदु अथवा सिक्ख के अतिरिक्त किसी अन्य समुदाय का व्यक्ति नहीं हो सकता। यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदु या सिक्ख धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर ले तो अनुसूचित जाति का होने के नाते प्राप्त सभी सुविधाएं उससे छिन जाएंगी। परंतु एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म में परिवर्तन के पश्चात भी प्राप्त स्थिति तथा सुविधाओं से वंचित नहीं होता।

कमजोर वर्गों के नागरिक विशेष तौर पर वे जनजातियां तथा जातियां है जो शताब्दियों से समाज में निम्न स्तर पर रह रहीं थीं। ये वे अधिकारविहीन भारतीय हैं जिनके हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में कुछ संरक्षण संबंधी प्रावधान हैं ताकि उनकी सामाजिक असमानता को समाप्त करके उनका उत्थान किया जा सके। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं:

(क) अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में उसके मानने पर रोक।

(ख) बेगार पर प्रतिबंध।

(ग) सामाजिक अन्याय तथा विभिन्न प्रकार के शोषण के विरुद्ध संरक्षण।

(घ) हिंदुओं के सभी सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोल देना।

(ड.) विद्यालयों, दुकानों, होटलों, मनोरंजन स्थलों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे तालाबों, कुओं, सड़कों तथा स्नान करने के लिए घाटों के प्रयोग पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना।

(च) राजकीय अथवा राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश मना करने पर प्रतिबंध।

(छ) सभी नागरिकों के जनजातीय क्षेत्रों में स्वच्छंद विचरण करने, बसने या संपति खरीदने पर सामान्य अधिकारों में कटौती कर दी गई है।

(ज) अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष व्यवस्था।

(झ) अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण होगा जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु बनाई गई सभी योजनाओं के बारे में केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिए जाएंगे।

(ञ) उनके कल्याण तथा हितों की सुरक्षा के लिए जनजातीय परामर्श परिषदों की स्थापना तथा राज्यों में अलग विभाग तथा केंद्र में एक विशिष्ट अधिकारी की नियुक्ति।

(ट) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास संबंधी परिस्थितियों की जांच-पड़ताल के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति।

(ठ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना।

(ड) संसद तथा राज्य विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व जिसके अंतर्गत लोक सभा में इनके लिए आरक्षित स्थान क्रमश: 78 तथा 30 हैं। राज्य सभा तथा विधान परिषदों में कोई स्थान आरक्षित नहीं है।

(ढ) पंचायत जैसी स्थानीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए समुचित प्रतिनिधित्व।

(ण) सार्वजनिक नौकरियों में नियुक्ति तथा पदोन्नति के लिए आरक्षण। इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत स्थान सरकारी नौकरियों में आरक्षित हैं। आरक्षण की यह व्यवस्था एक कामचलाऊ उपाय के रूप में प्रारंभ में तो केवल 10 वर्ष के लिए शुरू की गई थी; परंतु इस अवधि को समय-समय बढ़ाए जाने के कारण यह व्यवस्था आज भी बनी हुई है।

सरकारी नौकरियों में कमजोर वर्गों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार की रियायतें दी गई हैं जैसे आयु सीमा, योग्यताओं तथा फीस या शुल्क में छूट।

सरकार द्वारा चलाए जाने वाले केंद्रों में इन्हें परीक्षाओं से पूर्व का प्रशिक्षण भी निःशुल्क दिया जाता है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या का 24.56 प्रतिशत है, जिसमें से 16.48 प्रतिशत अनुसूचित जातियां है तथा 8.08 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां हैं।

पिछड़े वर्ग या जातियां कौन सी हैं?

पिछड़े वर्ग शब्द को भारतीय संविधान में परिभाषित नही किया गया है। मंडल कमीशन ने 1978 में 3743 पिछड़े वर्ग की जातियों को सूचिबद्ध किया है जो भारत की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत है। इन वर्गों की पहचान राज्य सरकारों द्वारा की गई न्यायिक जांच पर आधारित होती है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा विकास के लिए बनाए गए संवैधानिक संरक्षण ठीक प्रकार से लागू हो रहे हैं या नहीं, इस पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर संसदीय समितियों की भी नियुक्ति की जाती है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें, दोनों ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के प्रति विशेष ध्यान देती हैं। जनजातियों तथा हरिजनों के कल्याण के लिए, केंद्र सरकार ने दो केंद्रीय परामर्शदात्री बोर्ड स्थापित किए हैं। राज्य सरकारों ने भी इनके विकास संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए कई कल्याण विभाग खोले हैं।

अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.)

सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए जातिगत आधार पर अब अन्य पिछड़े वर्गों की भी पहचान कर ली गई है। मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1990 में किए गए संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत स्थानों को पूरी तरह लागू करने के लिए सरकार ने उन्हें कुछ रियायतें दी हैं जैसे-

(i) लिखित परीक्षाओं तथा साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंको में छूट;
(ii) सभी सीधी नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयुसीमा में तीन वर्ष की छूट; तथा
(iii) प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सात बार तक प्रयास करने की छूट।

सांप्रदायिकता तथा जातिवाद जैसी चिरकालिक द्वेषभावना को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संवैधानिक संरक्षण के उपचार का वांछित लाभ केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब समाज स्वयं इसे हल करने का प्रयास करे। हमारी सामाजिक, राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया से इन सांप्रदायिक तथा जातिगत शक्तियों को प्रभावहीन बनाने के लिए हमारे प्रबुद्ध नागरिकों को प्रयास करने चाहिए और तुष्टीकरण की अपेक्षा उनका विरोध किया जाना चाहिए। सांप्रदायिक नर-संहार तथा जातिगत लड़ाइयों को बड़ी कठोरता से नई रणनीतियों द्वारा निपटाना चाहिए। सामाजिक एकता तथा सर्वधर्मसमभाव वाले नए युग में पर्दापण के लिए भारतवासियों को चाहिए कि वे धर्म तथा जाति को राजनीति के साथ न जोड़ें ताकि आपसी भाई-चारे और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) भारत में सामाजिक तनाव के दो महत्त्वपूर्ण स्रोतों का उल्लेख कीजिए।
   (ii) जातिवाद के दुष्प्रभाव क्या-क्या हैं?
   (iii) कमजोर वर्गों को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए तीन सुविधाएं दी गई हैं। उनका उल्लेख कीजिए।

(iv) पिछड़े वर्गों को सरकार द्वारा दी गई दी सुविधाओं के नाम लिखिए।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन क्यों किया गया?

(vi) सर्वधर्मसमभाव से क्या तात्पर्य है?

2. सांप्रदायिकता के लिए धार्मिक स्थानों का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है?
3. सांप्रदायिकता क्या है? भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख कीजिए?
4. कट्टरवाद क्या हैं? कट्टरपंथी के कुछ लक्षणों का उल्लेख कीजिए।

परियोजना कार्य

❖ दस मानव मूल्यों को सूचीबद्ध कीजिए जो सभी धर्मों में विद्यमान हैं।

अध्याय अठारह

विद्रोह तथा आतंकवाद

इक्कीसवीं शताब्दी में आतंकवाद का उदय मानव समाज के लिए अत्यंत गंभीर खतरा है। पिछले 20 वर्षों में स्थिति और भी बिगड़ चुकी है, जबसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ समुदायों/वर्गों ने गुप्त रूप से आतंकवाद का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया है। विश्व, कुछ देशों द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से भूमंडलीय आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण है, 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका के न्यूयार्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र (वर्ल्ड ट्रेड सैंटर) की दो बड़ी इमारतों पर आतंकवादी हमला। सभी राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ कर आतंकवाद आज एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने आतंकवाद को एक अंतर्राष्ट्रीय तथ्य तथा इसके प्रभावों को पहले से भी अधिक घातक बना दिया है। इस भय से कि अब आतंकवादी, रासायनिक, जैविक, नाभिकीय अस्त्रों एवं प्रक्षेपणों जैसे नरसंहार के विध्वंसक विकसित कर रहे हैं तथा इन्हें प्राप्त कर रहे हैं, आतंकवाद का उत्पीड़न एक महान विपदा बन गया है। कुछ उन्मत्त बुद्धि वाले लोगों के कारण जिनका एकमात्र उद्देश्य, शांतिप्रिय लोगों के मन में आतंक तथा भय उत्पन्न करना है, इससे विश्व का शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित पर्यावरण, संकटपूर्ण बन गया है। आतंकवाद, लोकतंत्र एवं मानवता को लताड़ता हुआ, चारों ओर रक्तपात, विनाश तथा अराजकता पैदा करता है।

वर्तमान आतंकवाद का सब से भयानक पहलू यह है कि इनमें अधिकतर लोग धर्म और पंथ से प्रेरित हैं। धर्म से प्रेरित आतंकवादी धर्म के नाम पर कायरतापूर्ण और घृणित अपराध कर रहे हैं। ये धर्मांध लोग इस बात पर तुले हैं कि विश्वस्तर पर सांप्रदायिक हिंसा तथा घृणा फैलाकर सारे संसार को सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया जाए। सौभाग्यवश, कोई भी आतंकवादी आंदोलन अभी तक संसार में सफल नहीं हुआ, अन्यथा इसने तो मानव जाति के अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया होता।

किसी कार्य को करने का उद्देश्य चाहे कितना भी श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों न हो, फिर भी आतंकवाद किसी भी रूप में और किसी भी स्थान पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद एक हिंसा संबंधी विचार है तथा यह प्रकृति के नियमों का खुला उल्लंघन है, जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का अधिकार नहीं है।

आतंकवाद, अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला बलपूर्वक तथा गैर कानूनी तरीका है। वर्तमान शांति व्यवस्था एवं शासन को उखाड़ फेंकने के एकमात्र उद्देश्य से, आतंकवादी, हिंसात्मक अपराधिक

आज विश्व में, जहां एक ओर अपराधियों को विधिसंगत ढंग से राज्य द्वारा दिए जाने वाले मृत्युदंड का मानवाधिकारवादी विरोध करते हैं, वहीं दूसरी ओर आतंकवादी बड़े निर्दयी और क्रूर ढंग से निर्दोष लोगों की हत्याएं करते हैं। अपने विचार स्पष्ट कीजिए कि आतंकवादियों को मृत्युदंड दिया जाए अथवा नहीं।

गतिविधियों जैसे विस्फोट, विमान अपहरण, आक्रमण, हत्याएं, भयादोहन, डांट-डपट आदि का सहारा लेते हैं। जब तक ये वैध शासन को हटाने में सफल न हो जाएं, तब तक ये वर्तमान सरकार को अप्रभावी करने के लिए एक समानांतर शासन चलाते हैं। आतंकवाद लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास नहीं रखता और मानवीय मूल्यों की पूर्णतया अवहेलना करता है। भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों जैसे प्रेम, सत्य तथा अहिंसा जिन्होंने महात्मा बुद्ध के मुख पर सदैव एक मुस्कान बनाए रखी, आतंकवाद के सिद्धांतों के पूर्णतया विरुद्ध हैं।

आतंकवाद की भावना को दर्शाने के लिए विद्रोह, गोरिल्ला युद्ध शैली, दंगे तथा अस्थिरता जैसे शब्दों का बारंबार प्रयोग किया जाता है। ये सभी भय त्रस्त करने, हिंसा तथा बलप्रयोग के कृत्य हैं। वांछित राजनीतिक परिवर्तन करने के लिए नागरिकों, सशस्त्र सैनिकों तथा राज्य के विरुद्ध विभ्रांत लोगों द्वारा जान बूझ कर किया जाने वाला कार्य आतंकवाद कहलाता है।

आतंकवाद की विशेषताएं

आतंकवाद की एक सही परिभाषा देना कठिन है तथापि इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(i) यह कुछ गिनेचुने लोगों द्वारा संगठित, नियोजित तथा जानबूझ कर किया जाने वाला चुनींदा (भयनित) हिंसात्मक कृत्य है।

(ii) यह एक राजनीति से प्रेरित हिंसा है जिसका एक मात्र उद्देश्य वर्तमान शासन व्यवस्था का उखाड़ फेंकना या चुनौती देना है।

(iii) यह भयादोहन तथा बल प्रयोग का एक हथियार है।

(iv) अपनी मांगे मनवाने हेतु मानसिक दबाव बनाए रखने के लिए यह हिंसा का प्रयोग करता है।

(v) नागरिक अथवा कोई समुदाय विशेष अथवा सशस्त्र सैनिक या सरकार या राज्य, इनका मुख्य निशाना होते हैं।

(vi) यह सदैव गैर-कानूनी, अमानवीय तथा लोकतंत्र विरोधी होता है।

तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि सभी प्रकार की हिंसा आतंकवादी कार्य नहीं है। केवल वही हिंसा जो किसी राजनीति या नीतिगत विचारधारा से प्रेरित होती है, आतंकवाद के अंतर्गत आती है। विद्रोह तथा आतंकवाद में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। विद्रोह केवल राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर तथा अपनी ही सरकार के विरुदध किया जाता है। परंतु, आतंकवाद, राष्ट्रीय सीमाओं को लांघ सकता है और यह अपनी सरकार के विरुद्ध या दूसरे देशों के विरुद्ध भी हो सकता है। दोनों ही वर्तमान संवैधानिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसात्मक संघर्ष करते हैं। विद्रोह तो केवल कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से किया जाता है जबकि आतंकवाद को स्थानीय समर्थन मिल भी सकता है और नहीं भी। एक अर्थ में विद्रोह, आतंकवाद या सशस्त्र विद्रोह का एक लघु तथा स्थानीय रुप है।

क्रांतिकारी तथा आतंकवादी

ब्रिटिश शासन काल में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन कुछ मुठ्ठीभर भारतीयों के द्वारा किया जाता था, जिन्होंने मातृभूमि की बलिवेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वे राष्ट्रवादी थे तथा उनका उद्देश्य भारत को उपनिवेशवादी शासन से मुक्त कराना था। परंतु उनकी तुलना वर्तमान आतंकवादियों से किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती। वे विदेशी शासन के विरुद्ध थे, न कि विदेशियों के या किसी समुदाय विशेष के या किसी वंश अथवा धर्म के। उनकी छुट-पुट हिंसात्मक गतिविधियां ब्रिटिश सरकार के कुछ गिने-चुने अधिकारियों के विरुद्ध होतीं थीं, जो अपने अभद्र, अहंकारी तथा निर्दयी व्यवहार के लिए बदनाम थे। जनता या साधारण नागरिक कभी भी इन क्रांतिकारियों का निशाना नहीं रहे। वे न तो भाड़े के सिपाही थे और न ही धर्मांध आतंकवादी और न ही नशीली दवाईयों के विक्रेता, न फिरौती वसूलने वाले, न अपहरण करने वाले या डरा-धमका कर काम निकालने वाले लोग थे।

क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में तथा आतंकवादियों में अंतर है। क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशी या औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना है जबकि आतंकवादी निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटना चाहते हैं।

सीमापार से चल रहा आतंकवाद एक कम-खर्चीला छद्मयुद्ध है, जिसका उद्देश्य देश को कमजोर बना कर,

उसका क्षेत्रीय विभाजन करना है। इस प्रकार का युद्ध किसी दूसरे के उकसाने पर तथा बिना किसी सीधे संघर्ष का खतरा मोल लिए, किया जाता है। आतंकवादियों को मिलने वाला समर्थन तथा सहानुभूति प्रायः उनके आधार वाले देशों तथा समुदायों से प्राप्त होती है जिससे यह सीमापार का आंतकवाद अधिक खतरनाक बन जाता है और चलता रहता है।

आंतरिक एवं सीमांत उपद्रव

आतंकवाद भारत के लोकतंत्र एवं संप्रभुता के लिंए एक गंभीर खतरा है। आतंकवाद तथा विद्रोह में स्पष्ट अंतर करने के किसी भी प्रयास को सीमापार से आतंकवाद तथा विदेशी एजेंसियों के हस्तक्षेप ने धुंधला कर दिया है। फिर भी, भारत में आतंकवाद तथा विद्रोह का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है।

नक्सलवादी आतंकवाद : माओ के नेतृत्व में हुई चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में पहली बार 1967 में पश्चिमी बंगाल से प्रारंभ हुआ, तद्पश्चात् बिहार में फैल गया। 1972 के पश्चात, यह सिद्धांतगत या वैचारिक आतंकवाद आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा तथा त्रिपुरा में फैल गया। नक्सलवादी हिंसा ने हत्याएं, विस्फोट, फिरौतियों तथा अपहरणों के कारण राष्ट्र के समक्ष शांति व्यवस्था की एक गंभीर समस्या पैदा कर दी। वर्तमान में पीपुल्स वार ग्रुप (पी.डब्लू.जी.) तथा माओवादी साम्यवादी केंद्र (एम.सी.सी.) दो ऐसे प्रसिद्ध वामपंथी उग्रवादी संगठन हैं जो देश के विभिन्न भागों में सक्रिय हैं। पी.डब्लू.जी. मुख्यतया आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में सक्रिय हैं तथा एम.सी.सी की अधिकांश गतिविधियां झारखंड तथा बिहार तक सीमित हैं। इस प्रकार की और भी अनेक ऐसी ईकाइयां हैं जो देश के विभिन्न भागों में सक्रिय हैं।

नेपाल का माओवादी आंदोलन भी नक्सलवादी आतंकवाद के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। नेपाल के माओवादी विद्रोही अपना जाल पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों तथा सिक्किम में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि एक जैसी विचारधारा के कारण नेपाल के माओवादियों तथा भारत के पी.डब्लू. जी. एवं एम.सी.सी. के बीच कोई समझौता होता है, तो इससे निश्चय ही दोनों देशों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

उत्तर-पूर्व में विद्रोह : स्वतंत्रता से लेकर अब तक उत्तर-पूर्व में होने वाले विद्रोह देश के लिए एक स्थायी समस्या बन गए हैं। विभिन्न जनजातीय कारक, वनाच्छादित पहाड़ी प्रदेश, विद्रोही संगठनों में आपसी तालमेल, भूटान, चीन तथा बांग्ला देश से लगती सुगम्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा विदेशी एजेंसियों के हस्तक्षेप ने, स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। इनमें से नागालैंड में होने वाला विद्रोह सबसे पुराना तथा अत्यंत गंभीर है। इसी को अपना आदर्श मानते हुए, इस क्षेत्र में और भी कई वर्ग उभर आए हैं।

उत्तरी क्षेत्र की आतंकवादी गतिविधियां नागालैंड के पृथकतावादी आंदोलन से प्रारंभ हुई तथा 1963 में नागालैंड के राज्य बनने के साथ-साथ कुछ समय के लिए शांत हो गईं। परंतु अभी भी कुछ लोगों का एक समूह बार-बार स्वतंत्र नागालैंड की मांग उठाता रहता है और यह नागालैंड तथा आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह को बढ़ावा देता है। एक अन्य उग्रवादी इकाई, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन.एस.सी.एन.), नागालैंड, मणिपुर, उत्तरी अरुणाचल प्रदेश तथा म्यांमार में सक्रिय है एवं इसने अधिकांश उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के अधिकांश उग्रवादी समूहों के साथ गूढ़ संबंध स्थापित कर लिए हैं। एन.एस.सी.एन. की नीतियों में भी अब एक मूलभूत परिवर्तन आया है, वे अब स्वतंत्र नागालैंड की अपेक्षा एक वृहत् नागालैंड की मांग कर रहें है। जिसके अंतर्गत मणिपुर, असम तथा अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाले क्षेत्र तथा म्यांमार के कुछ भाग भी हैं।

प्रारंभ में तो मणिपुर में उग्रवाद का जन्म इसे राज्य का दर्जा देर से मिलने के कारण हुआ, जिसने पृथकतावादी आंदोलन की नींव डाली। द पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलेपाक (पी.आर.ई.पी.ए.के.) नामक उग्रवादी संगठन ने एक गंभीर विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी। दो जनजातीय समूह नागा तथा कुकी, मणिपुर पर अपना अधिकार जताने के लिए अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। उनकी शत्रुता के परिणामस्वरूप प्रायः नरसंहार भी हो जाते हैं। नागा संगठन के (एन.एस.सी.एन) तथा कुकी संगठन के कुकी नेशनल आर्मी (के.एन.ए.) एवं कुकी नेशनल फ्रंट (के.एन. एफ.) के बीच राजनीतिक और आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भी टकराव होते रहते हैं। कई जनजातीय समूहों के पास अपने उग्रवादी कार्यकर्ता हैं, इनके कारण उग्रवाद की स्थिति और भी गंभीर हो गई है।

त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एन.एल. एफ.टी.) तथा आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए.टी.टी.एफ.) दो प्रमुख जनजातीय उग्रवादी दल हैं जो गैर-जनजातीय लोगों का राज्य से निष्कासन चाहते हैं। इसके लिए, वे हिंसात्मक तथा योजनाबद्ध तरीके से लोगों को मार कर उन में भय

पैदा करना चाहते हैं। इसी की प्रतिक्रियास्वरूप गैर-जनजातीय लोगों ने भी अपना संगठन बना लिया है। इसका नाम त्रिपुरा उपजाति जुपा समिति (टी.यू.जे.एस.) है। राजनीतिज्ञों तथा उग्रवादियों के बीच बढ़ते संबंध तथा बाह्य संगठनों से मिलने वाली सहायता गंभीर चिंता का विषय है। त्रिपुरा, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा होने के कारण, उग्रवादियों के लिए बांग्लादेश में छुप जाना सरल और लाभदायक है। भारत में अपना प्रहार करके बांग्लादेश में घुस जाने की उनकी नीति एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

मिजोरम में उग्रवादी गतिविधियां तब तीव्रता से फैलने लगीं जब मिजो नेशनल फ्रंट (एम.एन.एफ.) ने त्रिपुरा, मणिपुर तथा असम के कछार क्षेत्र, जैसे निकटस्थ क्षेत्रों को मिला कर एक प्रभुसत्ता-संपन्न राज्य 'ग्रेटर मिजोरम' की स्थापना की मांग की। मिज़ोरम में शांति की वापसी तभी हुई जब 1987 में मिज़ोरम को एक राज्य बना दिया गया।

असम विभिन्न जनजातीय आंदोलनों से सर्वाधिक प्रभावित रहा है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के बनने से, क्षेत्र की दृष्टि से असम बहुत छोटा राज्य हो गया है, तथापि असम अब भी आतंकवाद से ग्रस्त है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) तथा यूनाइटेड माइनारिटीज फ्रंट (यू.एम.एफ.) राज्य के दो उग्रवादी संगठन हैं। विदेशी-विरोधी आंदोलन से जन्मा उल्फा अब चुन-चुन कर नरसंहार करने तथा हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त है। इसने राज्य की शांति एवं व्यवस्था का चक्का पूर्णतया जाम कर दिया है तथा राज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत धक्का पहुंचाया है। सेना द्वारा की गई कार्यवाही ने पृथकतावादी उग्रवादी संगठनों को दबाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। दूसरी ओर पृथक बोडोलैंड की मांग करने वाले बोडो आंदोलन ने भी काफी हिंसात्मक घटनाएं की हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन.डी.एफ.बी.) तथा बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स (बी.एल.टी.एफ.), दो ऐसे उग्रवादी संगठन हैं जो आग लगाने, लूटने, आक्रमण करने तथा लोगों को मारने जैसे कार्यों में लिप्त हैं। उल्फा तथा बी.एल.टी.एफ. का अनुसरण करते हुए, अन्य जनजातीय समूह भी अपने जनजातीय हितों की सुरक्षा का नारा लगा कर अपनी सेना बना रहे हैं। उल्फा, एन.डी.एफ.बी. तथा बी.एल.टी.एफ. के उग्रवादियों के अपने छिपने के ठिकाने, प्रशिक्षण तथा शरण लेने के लिए शिविर, असम से लगते हुए भूटान के क्षेत्र में बनाए हैं। एन.एस.सी.एन ने उल्फा, बी.एल.टी.एफ. तथा त्रिपुरा के अन्य उग्रवादी समूहों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर लिए हैं।

पंजाब में आतंकवाद : 1980 के दशक में पंजाब के कुछ उग्रवादी समूहों ने एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य '*खालिस्तान*' की मांग की। उपासना स्थलों को अपने छुपने तथा राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के अड्डे बना लिए। उग्रवादियों को हटाने के लिए 'ब्लू स्टार' नामक सैनिक कार्यवाही के दौरान उनका नेता भिंडरांवाला मारा गया तथा उसके पश्चात पंजाब से उग्रवाद की समाप्ति हो गई।

कश्मीर में आतंकवाद

जंम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, परंतु पाकिस्तान ने अवैध रूप से इसके कुछ भाग पर अपना कब्जा जमा रखा है। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान द्वारा छेड़े गए युद्ध का भारत ने दो बार मुकाबला किया है। दोनों ही लड़ाइयों में पाकिस्तान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसलिए, पाकिस्तान ने जम्मू तथा कश्मीर के लोगों को आंतकित करने की कई चालें अपनाईं। 1988 के पश्चात, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया। आतंकवाद के वीभत्स तथा अमानवीय दुष्प्रभावों से त्रस्त, हजारों लोगों को घर छोड़ कर भागने के लिए मजबूर किया गया जो आज शरणार्थियों का जीवन बिता रहे है। आतंकवादियों द्वारा सुरक्षाकर्मियों सहित हजारों लोगों को मार दिया गया है। उग्रवादी अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए फिरौती, अपहरण तथा निर्दोष लोगों की हत्या का सहारा लेते रहे हैं।

अफगानिस्तान की राजनीतिक घटनाओं का भी कश्मीर के आतंकवाद पर प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन की स्थापना की सफलता से प्रेरित एवं प्रसन्न होकर, पूर्व इस्लामी उग्रवादियों ने, अपने इस प्रयोग को भारत के कश्मीर राज्य में लागू करने का प्रयास किया। बाद में, तालिबान शासन की समाप्ति के फलस्वरूप अफगानिस्तान के कट्टर इस्लामिक उग्रवादियों ने अपना कार्यक्रम पूरा करने की दृष्टि से कश्मीर की ओर रुख किया।

कश्मीर के आतंकवाद में कई संगठन कार्य कर रहे हैं। उनका मुख्य निशाना हमारे सुरक्षा बल हैं। अधिकांश आतंकवादी भाड़े पर आने वाले विदेशी हैं जो मुख्यतया पाकिस्तान के हैं तथा कुछ सुडान, टर्की, ईरान, चेचन्या, लेबनान, सऊदी अरब, कजाकिस्तान आदि से हैं। आतंकवादियों को सीमा-पार अर्थात पाकिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर (पी.ओ.के.) में स्थापित लगे शिविरों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इन आतंकवादी गतिविधियों के पीछे इरादा यह है कि भय पैदा करके भारत की संघीय व्यवस्था विशेषकर जम्मू और कश्मीर राज्य में

अस्थिरता पैदा की जाए। 13 दिसम्बर 2001 को भारतीय संसद पर किया गया भयानक आक्रमण इसका एक उदाहरण है।

आतंकवाद, क्षेत्रीय अखंडता, वैधता तथा राष्ट्र की शासन व्यवस्था को चुनौती देता है। भारत दृढ़संकल्प है कि वह क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा तथा सभी स्थानों पर सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करेगा। आतंकवाद के विरुद्ध छेड़े संग्राम में इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी की कुर्बानी हमारी आने वाली पीढ़ियों को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी।

आतंकवाद का समाज तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के कष्ट कई गुना अधिक हैं। आतंकवाद, शासन तथा व्यवस्था दोनों के लिए एक गंभीर समस्या पैदा करता है तथा समाज को विघटन की ओर ले जाता है। हत्या, यातना, अंगभंग, अपहरण, लूट-पाट तथा फिरौती जैसी घटनाएं चारों ओर संदेह, भय तथा आतंक का वातावरण पैदा करती हैं, इससे जीवन में अनिश्चित्ता आ जाती है और चारों ओर आतंक का भय छाया रहता है। आतंकवादी, आतंक तथा भय फैलाने के लिए स्त्रियों तथा बच्चों सहित निहत्थे नागरिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। संगठित अपराध तथा हिंसा से समाज में असामंजस्य पैदा होता है। आतंकवादी असैनिक नागरिकों की सहायता से पनपते हैं। आतंकवादियों तथा सुरक्षा सेनाओं के बीच संघर्ष के कारण जान और माल की बहुत हानि होती है। कई आतंकवादी गुटों के पारस्परिक संबंध तथा उनके विदेशी गठबंधन के कारण देश में काला धन आता है जिससे गैर-कानूनी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। आतंकवाद नशीली दवाओं के व्यापार का पर्याय बन गया है।

> सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, शांति। किसी राष्ट्र के पास चाहे जितनी भी प्रौद्योगिकी, धन तथा प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो, वह तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वहां शांति और समरसता न हो।
>
> वादविवाद के रूप में इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए।

कई आतंकवादी समूह कर्मचारियों तथा व्यापारियों से नियमित रूप से धनराशि का एक निश्चित अनुपात वसूलते हैं। यह धनराशि फिरौती तथा लोगों से बलपूर्वक छीने हुए धन के अतिरिक्त है। इस प्रकार की असुरक्षित स्थिति में न तो व्यापार फलफूल सकता है न उद्योग। जिन लोगों ने ऐसे क्षेत्रों में पूंजीनिवेश किया है वे यहां से निकल कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगते हैं। आतंकवाद विकास के स्थान पर पूंजी और जनता को बिखेरने का काम करता है। रेडियो तथा दूरदर्शन जैसे सरकारी संस्थानों को निशाना बना कर, जनसमस्याओं को बढ़ा देता है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास ठप हो जाता है और निर्धन लोगों की दशा और भी दयनीय हो जाती है।

इस प्रकार, बहुत अधिक संख्या में उपस्थित विद्रोही गुटों और उनकी उग्र तथा तोड़-फोड़ की कार्रवाई ने अर्थव्यवस्था और विकास की क्रियाओं को निर्दयतापूर्वक प्रभावित किया है। विद्रोह और आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करने में हमारे देश को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है, जिसे विकास के कार्यों में लगाया जा सकता था। छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर देश आतंकवाद से लड़ने के लिए धन खर्च करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। अफगानिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) उन कारकों का उल्लेख कीजिए जो आतंकवाद को भूमंडलीय परिघटना बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।
   (ii) आतंकवादी आतंक क्यों फैलाते हैं?
   (iii) आतंकवादी मानव अधिकार और प्रजातंत्रीय तरीकों को किस प्रकार का महत्त्व देते हैं?
   (iv) मणिपुर की विद्रोही समस्या का वर्णन कीजिए?
   (v) नक्सली आतंकवाद की व्याख्या कीजिए।
   (vi) वृहत् नागालैंड की मांग के पीछे क्या उद्देश्य है?

2. अंतर बताइए :
   (i) विद्रोह और आतंकवाद
   (ii) क्रांतिकारी और आतंकवादी
   (iii) नक्सली आतंकवाद और उत्तर-पूर्व में विद्रोह
3. आतंकवाद की परिभाषा दीजिए और उसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए।
4. जम्मू और कश्मीर के विशेष संदर्भ में सीमा पार के आतंकवाद की विवेचना कीजिए।
5. आतंकवाद का समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की विवेचना कीजिए।
7. निम्नलिखित संक्षिप्त रूपों के पूर्ण रूप लिखिए :
   यू.एल.एफ.ए., यू.एन.एफ., एन.डी.एफ.बी., बी.एल.टी.एफ., एम.एन.एफ., एन.के.एफ.टी., ए.टी.टी.एफ., के.एन.एफ., के.एन.ए., एन.एस.सी.एन., पी.आर.ई.पी.ए.के., एम.सी.सी., पी.डब्लू.जी.।

परियोजना कार्य

- (अ) भारत के रेखा-मानचित्र में आतंकवाद और विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों को दिखाइए।
  (ब) देश में आतंकवाद और विद्रोह को नियंत्रित करने के उपाय सुझाइए।

अध्याय उन्नीस

भारत के शांति-प्रयास

पिछली कक्षा में हम राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं। आप को स्मरण होगा, कि इन सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं शांति के प्रसार संबंधी भारत के प्रयासों के बारे में क्या उल्लिखित है? एक सिद्धांत के अनुसार राज्य को कौन-सी नीतियों का अनुसरण करना चाहिए जिससे विश्व शांति को बनाए रखने में सहायता मिले। इस सिद्धांत का अक्षरश: पालन करते हुए, भारत अपनी तथा संयुक्त राष्ट्र की नीतियों द्वारा विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय योगदान देता रहा है।

शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं पंचशील

29 अप्रैल, 1954 को भारत और चीन के मध्य हुए समझौते के

> राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों के 51वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का यह प्रयास होगा-
>
> (क) अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना,
> (ख) राष्ट्रों में पारस्परिक सम्मानजनक संबंध बनाए रखना,
> (ग) अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों एवं समझौतों के प्रति आदर का भाव पैदा करना,
> (घ) अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करना।

अंतर्गत प्रतिपादित पांच सिद्धांतों के माध्यम से भारत के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की स्थापना के प्रयास को मूर्तरूप प्राप्त हुआ। इन्हीं पांच सिद्धांतों को *पंचशील* कहते हैं। यद्यपि 1962 के भारत और चीन के मध्य हुए संघर्ष से पंचशील की वैधता पर प्रश्न चिह्न लग सकता है, तथापि *पंचशील* के पांच सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं :

- एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के प्रति परस्पर सम्मान।
- एक-दूसरे पर आक्रमण न करना।
- एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
- समानता तथा पारस्परिक लाभ।
- शांतिपूर्ण सहअस्तित्व।

इन्हीं पांचों सिद्धांतों को 1955 में बांडुंग में हुए प्रथम अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में भी अंगीकृत किया गया था। वास्तव में भारत की विदेश नीति में इन पांच सिद्धांतों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है।

भारत की गुट-निरपेक्षता की नीति

भारत ने अपनी विदेश नीति विकसित करते समय दो मुख्य बातों का ध्यान रखा। एक तो अपने राष्ट्रीय हितों का और दूसरा शांति, मानवधिकार, सभी के लिए न्याय, सह-अस्तित्व

और विश्व के आर्थिक विकास जैसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था तथा दूसरे का पूर्व सोवियत संघ। यह वह समय था जब उपनिवेशवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया के प्रयासों के परिणामस्वरूप नए-नए स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हो रहा था। ये नवोदित देश इनमें से किसी एक गुट में शमिल हो रहे थे। ऐसी स्थिति में जबकि भारत स्वयं एक नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र था, उसने यह अनुभव किया कि विश्व का इस प्रकार दो गुटों में बंट जाना न केवल भारत के लिए, अपितु विश्व शांति के लिए भी हानिकारक होगा। भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि वह किसी भी शक्ति गुट में शामिल नहीं होगा। भारत ने अपनी विदेश नीति की घोषणा एक गुट-निरपेक्ष देश के रूप में की। गुट-निरपेक्षता का मूल अर्थ है किसी भी शक्ति गुट में शामिल न होना, परंतु गुट-निरपेक्षता का यह कदापि अर्थ नहीं है कि भारत तटस्थ रहेगा और किसी भी महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपनी बात दृढ़ता से नहीं कहेगा। इसका अभिप्राय तो मात्र इतना है कि भारत किसी भी महाशक्ति का पक्ष लेने के लिए बाध्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की स्थिति स्वतंत्र हो सकती है। वह अपनी विदेश नीति का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। गुट-निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने के लिए दो और देश यूगोस्लाविया तथा मिस्र आगे आए और भारत के साथ सम्मिलित हो गए।

यूगोस्लाविया, मिस्र तथा भारत के तीन ऐसे नेताओं के नाम ज्ञात कीजिए जिन्होंने गुट-निरपेक्षता की नीति को बढ़ावा दिया।

वास्तव में, विश्व शांति तथा सहयोग के लिए भारत द्वारा दिए गए महत्त्वपूर्ण योगदान उसकी स्वतंत्र विदेश नीति का ही परिणाम है। पचास के दशक में गुट-निरपेक्षता की नीति को केवल कुछ ही देशों ने अपनाया था, जबकि नब्बे के दशक तक यह आंदोलन का रूप धारण कर चुकी थी। गुट-निरपेक्षता की नीति के निर्माण तथा प्रसार का सीधा संबंध विश्व में उपनिवेशवाद की समाप्ति की प्रक्रिया के प्रारंभ और विकास से था।

यद्यपि शीत युद्ध के युग की समाप्ति तथा सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दोनों गुटों का भी अंत हो गया है, फिर भी गुट-निरपेक्ष आंदोलन वर्तमान संदर्भ में एक निश्चित शक्ति है और अभी अप्रासंगिक भी नहीं हुआ है। गुट-निरपेक्ष आंदोलन (नॉन अलाइण्ड मूवमेंट,), स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित राज्यों का संघ है जो स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसरण के लिए संयुक्त हितों से बंधे हैं। संयुक्त राष्ट्र के पश्चात गुट-निरपेक्ष आंदोलन ही विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है।

वर्तमान विश्व में, विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अपनी विदेश नीति और गुट-निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से किया गया भारत का प्रयास उल्लेखनीय है। विभिन्न राष्ट्रों की सुरक्षा समस्याओं तथा उनके बीच आपसी सद्भाव के अतिरिक्त, भारत सदैव उन महत्त्वपूर्ण सामाजिक व आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग रहा है जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकता है। आज के सिकुड़ते विश्व में प्रत्येक देश अन्य देशों में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होता है।

भारत द्वारा उपमहाद्वीप में शांति प्रयास

भारत द्वारा उपमहाद्वीप में शांति स्थापना के लिए किए गए वास्तविक प्रयासों की झलक अनेक बार अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में देखने को मिलती रही है।

इस संदर्भ में, शांति और सद्भावना के महत्त्व को दर्शाने वाली समय-समय पर की गई भारत-पाक घोषणाओं की ओर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा ही एक उदाहरण है ताशकंद समझौता जिस पर 1966 में हस्ताक्षर किए गए। इस घोषणा के माध्यम से दोनों पक्षों ने बातचीत के द्वारा विवादों को निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता, आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का एक और प्रयास था।

भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम ज्ञात कीजिए जिन्होंने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था।

वर्ष 2000 में भारत के प्रधानमंत्री, कुछ प्रतिष्ठित भारतीय नागरिकों सहित, सद्भावना प्रदर्शन हेतु, पाकिस्तान की यात्रा पर गए जो 'बस डिप्लोमेसी' (Bus Diplomacy) के नाम से विख्यात हुई। यह शांति और सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए भारत द्वारा किया गया एक और प्रयास था। वर्ष 2001 में, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि मंडल सहित भारत की यात्रा पर आए और हमारे प्रतिनिधि मंडल से मिले, जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री कर रहे थे। यह वार्ता 'आगरा शिखर वार्ता' के नाम से जानी जाती है।

परंतु ये सभी प्रयास दोनों देशों के बीच स्थायी शांति लाने में असफल रहे।

भारत का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह अपने पड़ोसी देशों तथा विश्व के अन्य देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखे। 11 सितंबर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा किए गए अमानवीय हमले की कठोर शब्दों में निंदा करने में भारत ने कोई विलंब नहीं किया और अमरीका की जनता तथा वहां की सरकार को सभी प्रकार की सहायता प्रस्तावित की। एक बार फिर, 13 दिसंबर, 2001 को, भारत की संसद पर हमला हुआ, परंतु सभी आतंकवादियों को घेर कर मार डाला गया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) के एक सदस्य के रूप में, भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ मिल कर एक व्यापक आर्थिक सहयोग का कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

दक्षिण एशिया के सात देशों ने दक्षेस का निर्माण किया है। इन सात देशों के नाम ज्ञात कीजिए।

सयुंक्त राष्ट्र

सयुंक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। युद्ध की भयानकता ने सारी मानवता को भयभीत कर दिया था। विश्व को एक और युद्ध की विभीषिकाओं से बचाने के पावन उद्देश्य को लेकर, 24 अक्टूबर, 1945 को सयुंक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। 51 देश इसके प्राथमिक सदस्य बने।

विगत वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस समय सयुंक्त राष्ट्र के 191 सदस्य हैं। सदस्य संख्या की वृद्धि का मुख्य कारण एशियाई तथा अफ्रीकी देशों का उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त होना है।

अन्य संस्थाओं की तरह, संयुक्त राष्ट्र का भी एक घोषणा पत्र (चार्टर) है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र की रचना और उनके विभिन्न अंगों के कार्यों का वर्णन निहित है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूयार्क नगर में स्थित है। संयुक्त राज्य के छः प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासिता परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय।

क्या आप जानते है कि भारत उन 51 प्राथमिक देशों में से एक था ? उस व्यक्ति का नाम ज्ञात कीजिए जिसने भारत की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए।

संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश महासभा के सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य का महासभा में एक वोट है। यह संयुक्त राष्ट्र की नीति-निर्धारण करने वाला प्रमुख अंग है। सुरक्षा परिषद इसका सर्वाधिक प्रभावशाली अंग है जो विश्व शांति बनाए रखने का कार्य करती है। इसके 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन इस के स्थायी सदस्य हैं। इन पांचों स्थायी सदस्यों को एक विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिसे *निषेधाधिकार* (वीटो) कहते हैं। सभी मामलों में इन पांचों देशों का समर्थन अनिवार्य है। यदि कोई भी स्थायी सदस्य अपने निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो उस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। न्यासिता परिषद् इन क्षेत्रों के प्रशासन का ध्यान रखती है जो उनके न्यासित संरक्षण में आते हैं। विवादों का निपटारा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था है। संयुक्त राष्ट्र में एक महासचिव होता है जो एक विशाल सचिवालय की सहायता से अपना कार्य संचालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों को हल करने में महासचिव की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव का नाम ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं कि वह किस देश से संबंध रखता है?

संयुक्त राष्ट्र अपने मुख्य अंगों के अतिरिक्त विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से भी कार्य करता है। जिनमें से कुछ हैं: आई.एल.ओ., डब्लू.एच.ओ., एफ.ए.ओ., यूनेस्को तथा यूनीसेफ।

ऊपर लिखे हुए संक्षिप्त नामों से बनने वाले पूरे नाम एक चार्ट पर लिखिए। प्रत्येक के नीचे उन के कार्यों से संबंधित एक-एक वाक्य भी लिखिए।

संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से भारत के शांति प्रयास

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, इसके उद्देश्य तथा रचना के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम संयुक्त राष्ट्र के कार्य-कलापों में भारत के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभ से ही, भारत की

विदेश नीति में यह मान्यता रही है कि विश्व में शांति, सद्भावना तथा सहयोग बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी विश्वस्तरीय संस्था की अत्यंत आवश्यकता एवं महत्ता है। राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से, भारतीय संविधान, सरकार को यह निर्देश देता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने को बढ़ावा दे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में अपनी आस्था प्रकट की है। जब कभी भी संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना के लिए अपनी सेना गठित की, भारत ने अपनी सेवाएं उपलब्ध कराईं। भारतीय सैनिकों ने कुछ कठिनतम सैनिक कार्रवाईयों में भाग लिया। कोरिया, मिस्र तथा कांगो में शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने सहायता की है। वास्तव में, भारत ने विभिन्न देशों में शांति स्थापना के कार्यों में सहयोग दिया है, जिनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान अफ्रीका तथा एशिया में था। कोरिया, मिस्र तथा कांगों के अतिरिक्त 1996 में भारतीय सेना ने अपना एक पर्यवेक्षक दल यमन में भेजा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साईप्रस की कार्रवाई में भी भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र ने ईरान तथा इराक की सीमा पर उत्पन्न स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए एक सैनिक पर्यवेक्षक दल बनाया उसमें भारत ने भी भाग लिया। नामीबिया में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की सैनिक कार्रवाई का सेनाप्रमुख एक भारतीय सेना अधिकारी ही था।

अनेक शांति अभियानों में शांति स्थापना के लिए किए गए प्रयासों में भारत ने अपने सैनिकों के जीवन को संकट में डालने का जोखिम लिया और सैनिकों ने भी हर कार्रवाई में अपने रण कौशल तथा श्रेष्ठता को सिद्ध किया।

उपनिवेशवाद तथा रंगभेद को समाप्त करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का भारत ने निरंतर समर्थन किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (इंटरनेशनल लेबर आर्गनाइजेशन–आई.एल.ओ.) संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनाइटेड नेशनल एजूकेशनल साइंटीफिक एंड कल्चरल आर्गनाइजेशन-यूनेस्को), संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास परिषद् (यूनाइटेड कांफ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवेलपमेंट-अंकटाड) जैसे संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों के कार्यकलापों में सदैव भाग लिया है। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, खाद्य व कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संघ जैसे संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण भी भारत को महत्त्वपूर्ण सहयोग देते रहे हैं।

जिन प्रतिष्ठित भारतीयों ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न पदों को समय-समय पर सुशोभित किया है, वे हैं- श्री बी.एन. राव, डा. नगेंद्र सिंह तथा न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ऐसी महिला थी, जो महासभा की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं। डा. राधाकृष्णन ने भी यूनेस्को के उच्चतम पद को सुशोभित किया। श्री नरसिम्हन ने महासचिव की कार्यकारिणी के प्रमुख के रूप में कार्य किया।

भारत, आरंभ से ही संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों एवं गतिविधियों में सक्रिय भाग लेता रहा है। अब भी भारत, पूरी निष्ठा के साथ संयुक्त राष्ट्र को एक सुदृढ़ तथा प्रभावी संस्था बनाने की दिशा में अपनी भूमिका निभा रहा है।

अभ्यास

1. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए :
   (i) पंचशील के पांचों सिद्धांतों को लिखिए।
   (ii) भारत की विदेश नीति के संदर्भ में गुट-निरपेक्षता का क्या अर्थ है?
   (iii) शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है?
   (iv) ऐसे चार सम्मानित भारतीय व्यक्तियों के नाम बताइए, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में मुख्य भूमिका निभाई हो।
   (v) संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है?
   (vi) आजकल संयुक्त राष्ट्र के कितने देश सदस्य हैं?
   (vii) संयुक्त राष्ट्र के छः अंगों के नाम बताइए।
   (viii) 'वीटो' का क्या अर्थ है?
   (ix) संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की भूमिका का वर्णन कीजिए।

2. निम्नलिखित संक्षिप्त नामों का विस्तृत रूप दीजिए:
   नैम, आईएलओ, यूनेस्को, अंकटाड, एफएओ, डब्लूएचओ, यूएनओ।
3. पाकिस्तान से मैत्री संबंध बनाने के लिए भारत ने कौन-कौन से प्रयास किए हैं?
4. विश्वशांति को बढ़ावा देने की दिशा में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए।

परियोजना कार्य

- संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने वाले देशों की एक सूची तैयार कीजिए।

पारिभाषिक शब्दावली

अगियारी
(Agiary)
: पारसियों का मंदिर, जहां अग्नि की पूजा की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
(International Trade)
: विभिन्न देशों के बीच होने वाला परस्पर व्यापार, जिसके द्वारा मुख्यत: प्रत्येक देश अपने अतिरिक्त सामान की बिक्री तथा कमी वाले पदार्थों की खरीद करता है।

अपतट वेधन
(Off-shore Drilling)
: तट के समीप उथले समुद्रों में खनिज तेल निकालने के लिए समुद्र के पेंदे में गहन वेधन करना।

अवसंरचना
(Infrastructure)
: उत्पादक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से सुविधा प्रदान करने के लिए सेवाओं और सुविधाओं का स्वरूप।

आत्मविमोह
(Autism)
: बचपन से विद्यमान गंभीर मानसिक बीमारी जिसके कारण व्यक्ति दूसरों से बातचीत करने या संबंध बनाने में असमर्थ होता है।

आतंकवाद
(Terrorism)
: ऐसी घटना जिसमें गंभीर हिंसात्मक कार्य जैसे हत्या, विस्फोट, आगजनी आदि जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह द्वारा राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है।

आधारभूत उद्योग
(Basic Industry)
: लोहा-इस्पात उद्योग अथवा गंधक अम्ल जैसे रसायन उद्योग [illegible] उद्योगों के आधार होते हैं। कभी-कभी इस शब्द को राष्ट्रीय महत्त्व के भारी उद्योगों के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसे मूल उद्योग भी कहते हैं।

आयात
(Imports)
: किसी देश में अन्य देशों से लाई गई वस्तुएं।

औद्योगिक क्रांति
(Industrial Revolution)
: वस्तु-निर्माण उद्योग में हस्तचालित औजारों के स्थान पर शक्तिचालित यंत्रों या मशीनों का उपयोग जो इंग्लैंड में अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में प्रारंभ हुआ।

उत्पादक सेवाएं
(Producer Services)
: व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की अपेक्षा व्यवसाय और सरकारों को सेवाएं प्रदान करना।

उत्पादकता
(Productivity)
: उत्पादन का वह मापक जो उसकी बिक्री और लागत मूल्यों का अनुपात दर्शाए।

उपज अवधि
(Growing Season)
: किसी भी प्रदेश में वर्ष का वह भाग जिसमें वनस्पति अथवा उपज की वृद्धि के लिए अनुकूल तापमान, वर्षण तथा हानिकारक पाले से रहित वातावरण का संयोग होता है।

ऊर्जा (Energy) — काम करने के लिए भौतिक क्षमता।

कैथीड्रल (Cathedral) — धार्मिक जिले का प्रमुख चर्च।

केंद्रीय नियोजन (Central Planning) — स्थानिक एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सरकार के नियंत्रण एवं दिशा-निर्देशन में तैयार की गई योजना।

कृषि (Agriculture) — मृदा की खेती का वह विज्ञान व कला जिसमें फसलों को पैदा करना तथा पशुपालन शामिल होता है।

कृषि योग्य भूमि (Arable Land) — वह भूमि जो जोतने योग्य है। इसे कृष्य भूमि भी कहते हैं और इसमें जोती हुई कृषि भूमि तथा कुछ समय के लिए छोड़ी गई परती भूमि भी शामिल की जाती है।

कृषि संपदा (Agricultural Resources) — प्रकृति की देन जिसमें उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए पानी तथा पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल जलवायु सम्मिलित है।

खनन (Mining) — वह आर्थिक कार्य जो भूगर्भ से व्यावसायिक स्तर पर लाभदायक खनिज पदार्थों के खनन या निष्कर्षण से संबंधित है।

खनि कूप (Shaft Mine) — कोयला, बहुमूल्य पत्थर तथा लोहा जैसे खनिज पदार्थ एवं खनिज अयस्क निकालने के लिए भूमि के अंदर खोदी गई बहुत गहरी खान। ऐसी खानों में सीधे और तिरछे कूप होते हैं और वे विभिन्न स्तरों पर क्षैतिज दिशा में बनाई गई सुरंगों से जुड़े होते हैं।

खनिज पदार्थ (Mineral) — भूपर्पटी से प्राप्त वह पदार्थ जिसमें चट्टानों के विपरीत साधारणत: एक विशेष प्रकार का रासायनिक संघटन होता है।

खनिज ईंधन (Mineral Fuel) — कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे अधात्विक खनिज पदार्थ जिनका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

खनिज तेल (Mineral Oil) — भूगर्भ से प्राप्त ठोस, द्रव, या गैस रूप में हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण। इसे साधारणतया पेट्रोलियम कहा जाता है।

खनिज अयस्क (Mineral Ore) — भूमि के अंदर से निकाले गए अयस्क या धातु जो अपनी कच्ची अवस्था में हो।

खरीफ (Kharif) — भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रारंभ (जनू-जुलाई) के तुरंत बाद बोई गई फसल, जिसे शरद ऋतु में काटा जाता है।

खानकाह (*Khanqah*) — सूफी संतों का आश्रम जो सामान्यत: बस्ती से बाहर बना होता है।

गचकारी
(Stucco)
चूने का महीन पलस्तर जिसे दीवार पर परत के रूप में लगाया जाता है अथवा जिसका प्रयोग अलंकरण के लिए किया जाता है।

गोम्पा
(Gompa)
तिब्बत, लद्दाख तथा हिमालय क्षेत्र में बौद्ध विहार के लिए प्रयुक्त शब्द।

चकबंदी
(Consolidation of Holdings)
कृष्य भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों अथवा खेतों को मिलाकर बड़े-बड़े ऐसे चक्र बनाना जो आर्थिक दृष्टि से स्वयं पूर्ण हों।

चैत्य
(Chaityas)
बौद्ध धर्म के मंदिरों के हाल (सभागार) का नाम।

छोटे पैमाने के उद्योग
(Small-Scale Industries)
वे उद्योग जिनकी प्रत्येक इकाई में बहुत कम संख्या में श्रमिक काम करते हों या उनमें लागत पूंजी अपेक्षाकृत कम होती है।

जन्म दर
(Birth Rate)
जनसंख्या के प्रति एक हजार व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में जन्मे जीवित बच्चे।

जनगणना
(Census)
किसी क्षेत्र के निवासियों की सरकार द्वारा किसी विशेष दिन गणना, जिसके साथ-साथ कुछ सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों को भी एकत्र किया जाता है। जनगणना प्राय: दस वर्ष के बाद की जाती है।

जलोढ़ मैदान
(Alluvial Plain)
नदी द्वारा लाए हुए जलोढ़क अथवा सूक्ष्म चट्टानी पदार्थों से बना समतल क्षेत्र।

जलविद्युत
(Hydroelectricity)
जल को गिराने अथवा जल की गतिशील शक्ति के उपयोग से प्राप्त विद्युत।

जैवविविधता
(Biodiveraty)
जैविक विविधता के लिए प्रयुक्त छोटा शब्द। इसमें विविध जाति के पेड़-पौधे और जीव-जंतु आते हैं।

जातीयता
(Casteism)
किसी जाति विशेष से लगा हुआ होना।

जीवन प्रत्याशा
(Life Expectancy)
यह जीवित रहने की औसत आयु है। सामान्यत: इसकी गणना जन्म से अथवा किसी एक विशिष्ट आयु से की जाती है।

ताप विद्युत
(Thermal Electricity)
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अथवा परमाणु खनिजों के नियंत्रित दिशा में विखंडन करने से तैयार की जाने वाली बिजली।

त्रिपिटक
(Tripitaka)
पवित्र बौद्ध धर्मग्रंथ संग्रह जिसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्तपिटक तथा अभिधम्म पिटक शामिल हैं।

दख़्मा
(Dakhma)
यह एक टावर (Towers of Silence) है, जहां पारसी लोगों के शव, गिद्धों के लिए रखे जाते हैं।

देश की जीवनरेखाएं
(The lifelines of a Country)

परिवहन और संचार के आधुनिक साधन जो लोगों को एक-दूसरे के निकट लाते हैं और आर्थिक विकास, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं देश की प्रतिरक्षा में सहायता प्रदान करते हैं।

द्वितीयक उद्योग
(Secondary Industry)

वह उद्योग जिसमें प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त पदार्थों को ऐसे पदार्थों में बदला जाता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं। इसे निर्माण उद्योग भी कहते हैं।

धर्मनिरपेक्ष
(Secular)

एक जीवन पद्धति जहां सरकारी तौर पर कोई धर्म नहीं होता। भारत के संदर्भ में इसका अर्थ है सभी धर्मों का समान आदर।

नक्सलवादी
(Naxalite)

हथियारबंद विद्रोही गुट का एक सदस्य जो माओवादी साम्यवाद में विश्वास रखता है। नक्सलवादी हिंसा के प्रयोग की वकालत करता है और खून-खराबे द्वारा ही शत्रु पक्ष अर्थात् भूस्वामियों अथवा सरकारी अधिकारियों को नष्ट करना एकमात्र उपाय समझता है जिससे, नए युग के समाज की रचना हो सके। नक्सलवादी शब्द का चलन नक्सलबाड़ी स्थान से जुड़ा है। यह स्थान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है।

नगरीकरण
(Urbanisation)

छोटे-छोटे देहाती क्षेत्रों, खेतिहर बस्तियों अथवा गांवों से लोगों का नगरों में आकर बसना, जहां उन्हें विविध आर्थिक क्रियाओं जैसे प्रशासन, व्यापार, परिवहन, उद्योग धंधे तथा अन्य सेवाओं में काम मिलता है। इस प्रकार देहाती क्षेत्रों से नगरों में आकर लोगों के बसने से शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है।

नलकूप
(Tube Well)

गहरे परिवेधित कुएं जिनके द्वारा बिजली की सहायता से अधिक गहराई पर उपलब्ध अवमृदा जल के बड़े-बड़े भंडारों से जल प्राप्त किया जाता है। इनके छेद्रों में पूरी गहराई तक नल लगे होने के कारण ही इन्हें नलकूप कहते हैं।

निर्णय लेना
(Decision making)

एक प्रक्रिया जिसमें किसी कार्य के विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों का मूल्यांकन किया जाता है और निर्णय ली जाती है।

निजीकरण
(Privatisation)

सार्वजनिक संपत्ति को निजी क्षेत्र को बेचना अथवा स्थानांतरित करना। निजीकरण, क्षमता को बढ़ाता है तथा सरकार के लिए आय में वृद्धि करता है। इसके अलावा इससे स्वामित्व की भागेदारी बढ़ती है और निर्णय प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होता है।

निर्माण उद्योग
(Manufacturing Industry)

व्यवस्थित उत्पादन जिसकी विशेषता है श्रम विभाजन एवं मशीनों का अत्यधिक उपयोग।

निर्यात (Exports)	एक देश से दूसरे देश को भेजा गया माल।
निर्वाह कृषि (Subsistence Agriculture)	वह कृषि जिसमें उत्पादित वस्तुएं मुख्यत: किसान के घर में ही उपयोग में आ जाती हैं। इसके विपरीत व्यापारिक कृषि में उत्पादित वस्तुओं का बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होता है।
पत्तन (Port)	पोताश्रय का व्यापार करने वाला भाग, जहां जहाजों पर सामान लादने, उतारने और उसे सुरक्षित रखने तथा यात्रियों के चढ़ने व उतरने और उनके लिए विश्राम गृहों की सुविधाएं होती हैं।
परती भूमि (Fallow Land)	वह कृष्य भूमि जिस पर एक या अधिक ऋतुओं में खेती न की गई हो।
पर्यावरण (Environment)	आस-पास की परिस्थिति या परिवेश जिसमें मनुष्य रहता है और वस्तुएं मिलती हैं तथा उनका विकास होता है। पर्यावरण में प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तत्वों का समावेश होता है।
पच्चीकारी (Inlay)	रंगीन पत्थरों को दूसरे पत्थर अथवा संगमरमर में जड़कर तैयार किया अलंकरण। यह काम लकड़ी में भी किया जाता है।
पवित्र स्मारक (Sacred Monuments)	ऐसे स्मारक जो धार्मिक क्रिया-कलापों से संबंधित हों।
पोताश्रय (Harbour)	प्राकृतिक रूप में या कृत्रिम रूप से तैयार किए गहरे पानी के विस्तृत भाग जहां जहाज लंगर डालकर सुरक्षित रूप में खड़े रह सकते हैं।
पुन:चक्रण (Recycling)	यह एक प्रक्रम है जो किसी वस्तु विशेष से संबंधित पदार्थों और ऊर्जा के घटकों के पुन: उपयोग से दूसरी वस्तु बनाने में होता है।
प्रक्रम (Process)	यह घटनाओं अथवा क्रियाओं का प्रवाह है जो एक तंत्र अथवा संरचना का रूपांतरण करता है।
प्रदूषण (Pollution)	यह वह तत्त्व है जो जीवित जीवों अथवा बने ढांचों को हानि पहुंचाता है।
परमाणु ऊर्जा (Atomic Energy)	नियंत्रित दशाओं में परमाणु के विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा/परमुाण के नाभिक (न्यूक्लियस) में परिवर्तन लाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अत: इसे नाभिकीय ऊर्जा (न्यूक्लियर इनर्जी) भी कहते हैं।
प्राकृतिक गैस (Natural Gas)	गैस रूप में पाए जाने वाले स्वतंत्र हाइड्रोकार्बन जो प्राय: अशोधित खनिज तेल से संबंद्ध होते हैं और प्राकृतिक दशा में भूगर्भ में पाए जाते हैं।

प्राकृतिक संपदा (Natural Resources)	प्रकृति से प्राप्त विभिन्न प्रकार के उपहार जैसे उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु, वनस्पति, जल, खनिज एवं ईंधन, सौर ऊर्जा, मछली तथा वन्य प्राणी, आदि।
प्रतिमा विज्ञान (Iconography)	यह दृश्य मूर्तियां अथवा प्रतिमाओं की वर्णन और व्याख्या है जो उनके प्रच्छन्न अथवा प्रतीकात्मक अर्थों का खुलासा तथा व्याख्या करता है।
पारिस्थितिकी (Ecology)	यह अवयवी अंत:क्रियाएं और उनकी परिणति है जो जीवीय और अजीवीय वातावरण में एक-दूसरे के साथ होती रहती है।
पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem)	यह वह इकाई है जिसमें किसी दिए गए क्षेत्र के सभी अवयवी शामिल हैं, जो भौतिक वातावरण में अंत:क्रियाएं करते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो तंत्र के जीवित और अजीवित अंगों के बीच पदार्थों की अदला-बदली करते हैं।
पितृसत्तामक समाज (Patriarchal Society)	एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें पिता या सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया होता है।
बड़े पैमाने के उद्योग (Large-scale Industry)	उद्योग जिसकी प्रत्येक इकाई में श्रमिकों की एक बहुत बड़ी संख्या काम करती है।
बंदिका (Bunding)	मिट्टी या पत्थर से बना बांध जो मृदा एवं जल के संरक्षण द्वारा फसलों की वृद्धि में सहायक होता है।
बावड़ियां (Baolis)	राजस्थान और गुजरात के सीढ़ीदार कुएं जिनके द्वारा प्राचीन काल में जल का संचयन किया जाता था।
बोंगा (Bonga)	कच्छ (गुजरात) में एक छोटी वृत्ताकार झोंपड़ी का नाम।
भारी उद्योग (Heavy Industry)	वह उद्योग जिसका कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही भारी तथा अधिक स्थान घेरने वाले होते हैं और इस कारण उन पर यातायात व्यय अधिक होता है।
भौगोलिक सूचना तंत्र (Geographic Infromaton Systems)	जी.आई.एस. एक समाकलित संगणक उपकरण है, जिनका उपयोग भौगोलिक आंकड़ों के प्रक्रमण तथा विश्लेषण करने में किया जाता है। इनमें निजी संगणकों तथा कार्यस्थलों के साथ-साथ, उपकरणों को संभालने तथा भौगोलिक सूचनाओं के उच्च क्षमता वाले जाल जैसे इंटरनेट, अल्पभाषी साफ्टवेयर शामिल हैं।
भौम जल (Ground Water)	धरातलन के नीचे मिट्टी के छिद्रों एवं दरारों तथा तल शैलों में भरा जल।

भ्रूण हत्या (Foeticide) — गर्भ को नष्ट करना।

मस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerebral Palsy) — जन्म के समय मस्तिष्क में हुई क्षति के कारण शरीर की एक ऐसी बीमारी जिसमें मानव अपने शरीर के विभिन्न अंगों को गति देने में असमर्थ होता है।

मरुस्थलीकरण (Desertification) — भूमि की जैव संभाव्यता के मरुस्थलीकरण के कारण शुष्क क्षेत्रों में भूमि का क्षरण जो अंततः मरुस्थल तुल्य दशाएं पैदा करता है।

महानगर (Metropolis) — किसी देश या क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत बड़ा नगर या जनसंख्या का जमघट जो किसी न किसी कार्य – प्रशासनिक, व्यापारिक अथवा औद्योगिक का प्रमुख स्थान या केंद्र होता है। साधारणतः यह अपने विस्तृत महानगरीय क्षेत्रों या पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है।

महामंदिर (Basilica) — एक ऐसा गिरजाघर जिसे पोप द्वारा विशेषाधिकार दिया गया हो।

महाश्म (Megaliths) — अंत्येष्टि अथवा संस्मरण स्मारक जिसमें बड़े-बड़े पत्थर प्रयुक्त होते हैं।

मानसून (Monsoon) — एक बड़े भूभाग पर पवनों का पूर्ण उत्क्रमण जिससे ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है अथवा वे पवनें जो मौसम के परिवर्तन के साथ अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेती हैं।

मृत्यु दर (Death Rate) — एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति हजार में मरने वालों की संख्या।

मिश्रित कृषि (Mixed Farming) — कृषि, जिसमें फसलों का उत्पादन तथा पशु-पालन दोनों कार्य साथ-साथ होते हैं। अर्थव्यवस्था में ये दोनों क्रियाएं महत्त्वपूर्ण होती हैं।

रबी की फसलें (Rabi Crops) — वे फसलें जो भारत में शीतऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती हैं।

राष्ट्र (Nation) — लोगों का एक समुदाय जिसके सदस्य सामान्य संस्कृति तथा ऐतिहासिक लगाव के कारण एकता के भाव में बंधे हों और जो दूसरे राष्ट्रों से अपने को अलग मानते हों

राष्ट्रीय उद्यान (National Park) — वह रक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक सुंदरता तथा वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखा जाता है। वन्य प्राणियों को अपने प्राकृतिक वातावरण में विचरण करते हुए देखने के लिए इन स्थानों में बहुत से सैलानी आते हैं।

रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilisers)	प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ जो फास्फोरस, पोटैशियम और नाइट्रोजन जैसे रासायनिक तत्वों से युक्त होते हैं और जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन पदार्थों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है।
रोपण-कृषि (Plantation Agriculture)	वृहत् पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि, जिसकी व्यवस्था कारखानों की उत्पादन व्यवस्था से मिलती-जुलती है। इसमें अधिकतर बड़े-बड़े फार्म, अत्यधिक पूंजी का विनियोग तथा कृषि और व्यापार में आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है। इस प्रकार की खेती का संबंध मुख्यत: चाय, रबर, गन्ना कोको, केला, तैल-ताड़ आदि फसलों के उत्पादन से है।
लकड़ी काटना (Lumbering)	वनों में लकड़ी काटने का प्राथमिक ढंग।
लिंग अनुपात (Sex Ratio)	पुरुष जनसंख्या के प्रति हजार में स्त्रियों की संख्या।
वनरोपण (Afforestation)	किसी क्षेत्र को वनों में परिणित करने की प्रक्रिया जहां पहले कभी वृक्ष न उगाए गए हों। वनरोपण प्राय: मृदा का अपरदन रोकने और जल का संरक्षण करने के लिए किया जाता है।
वस्त्र उद्योग (Textile Industries)	कताई और बुनाई की प्रक्रिया द्वारा वस्त्र-निर्माण से संबंधित उद्योग।
विदेशी मुद्रा-विनिमय (Foreign Exchange)	वह व्यवस्था या तरीका जिसके द्वारा दो अलग-अलग राष्ट्रीय मुद्राओं में काम करने वाले क्षेत्रों के बीच भुगतान, धन के वास्तविक रूप में दिए बिना कर दिया जाता है।
विद्रोह (Insurgency)	संवैधानिक रूप से बनी सरकार के विरुद्ध किसी समूह का हिंसात्मक कार्य अथवा प्रदर्शन का आयोजन।
विरासत (Heritage)	पूर्वजों से मिली वस्तु को विरासत कहते हैं। यह प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक हो सकती है।
विस्तृत कृषि (Extensive Agriculture)	यह एक विस्तृत प्रकार की कृषि है जिसमें भूमि उपयोग का मौसमी प्रतिरूप विस्तृत क्षेत्रों पर पाया जाता है।
विश्वव्यापार संगठन (World Trade Organisation)	एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार को प्रोन्नत करने के लिए गठित किया गया है। इसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव से सामान रूप से खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है।
विहार (Viharas)	मठ जहां बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं।

वैश्वीकरण (Globlisation)	यह वह प्रक्रम है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के एक क्षेत्र में क्रियान्वित करते हैं, जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों और समुदायों के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
व्यापार (Trade)	उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक वस्तुओं का प्रवाह।
व्यापार-संतुलन (Balance of Trade)	किसी देश के कुल आयात एवं निर्यात मूल्यों का अंतर। यदि निर्यात मूल्य, आयात मूल्य से अधिक है तो व्यापार-संतुलन देश के अनुकूल है और आयात मूल्य, निर्यात मूल्य से अधिक होने पर व्यापार-संतुलन देश के प्रतिकूल होता है।
व्यावसायिक नैतिकता (Professional Ethics)	यह व्यवसाय से संबंधित नैतिक स्तर की आचारसंहिता है जो सही गलत क्या है, उसका विवरण देती है।
शस्यावर्तन (Rotation of Crops)	भूमि के किसी टुकड़े पर विभिन्न फसलों का क्रमबद्ध आवर्तन करने की प्रक्रिया। इसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे फसलों का हेर-फेर भी कहते हैं।
शैलाश्रय (Rock Shelter)	शिला में प्राकृतिक प्रक्षेपण तथा बड़े आकार का कोटर जिसे प्रागैतिहासिक तथा आदिम मानव आश्रय के रूप में प्रयुक्त करते थे।
शुष्क कृषि (Dry Farming)	कुछ क्षेत्रों में, जहां पर्याप्त वर्षा नहीं होती या सिंचाई की सुविधाएं नहीं हैं, वहां कृषि का एक विशेष ढंग अपनाया जाता है जिसमें मिट्टी में नमी सुरक्षित रखी जाती है और सूखा सहन करने वाली किस्म की फसलों का उत्पादन होता है।
सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product)	एक दिए गए समय में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य या मौद्रिक मापदंड।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross National Product)	सकल घरेलू उत्पाद तथा विदेशों से प्राप्त कुल आय मिलकर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाते हैं।
सतत पोषणीय विकास (Sustainable Development)	यह विकास का ऐसा स्वरूप है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है।
समोच्च रेखी जुताई (Contour Ploughing)	पहाड़ी ढलानों और ढालू भूमि पर समोच्च रेखाओं के सहारे अथवा समांतर जुताई जिससे मृदा तथा जल का संरक्षण हो सके।
संरचनात्मक देवालय (Structual Temple)	ईंट, पत्थर, काष्ठ आदि से निर्मित मंदिर।

सांप्रदायिक प्रतिनिधि (Communal Representation) — विभिन्न संप्रदाय के लोगों को अपने-अपने प्रतिनिधित्व चुनने की निर्वाचन व्यवस्था।

साम्राज्यवाद (Imperialism) — जब कोई देश अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और राजनैतिक जीवन पर अपना आधिपत्य करता है तो ऐसी स्थिति को साम्राज्यवाद कहते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) — अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें विविध आर्थिक क्रियाएं एवं उत्पादन साधनों का नियंत्रण और तैयार माल का वितरण सरकार अथवा उसके किसी संगठन द्वारा किया जाता है।

सिनेगॉग (Synagogue) — यह यहूदियों का पूजास्थल है।

स्तूप (Stupa) — बुद्ध अथवा उसके अनुयाइयों के स्मृतिचिह्नों से युक्त एक गोलक।

स्वच्छंद उद्योग (Footloose Industry) — वह उद्योग जिसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है क्योंकि इसकी स्थिति के लिए उसके पास आवश्यक मजबूत राष्ट्रीय अभिविन्यास अथवा बाजार अभिविन्यास नहीं होता।

स्थानांतरी कृषि (Shifting Agriculture) — खेती करने का एक ढंग, जिसमें भूमि के एक छोटे से भाग पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। जब खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और उसमें या उस पर अनावश्यक पेड़-पौधे उग जाते हैं तो उसे छोड़ दिया जाता है और किसी नए स्थान को साफ कर खेती की जाती है। कुछ समय बाद पुराने छोड़े गए खेतों पर फिर से खेती की जाती है जब उनकी उर्वरता प्राकृतिक वनस्पति के उग जाने से बढ़ जाती है।

संरक्षण (Conservation) — पर्यावरण के साथ-साथ उसका प्रभावी उपयोग तथा प्राकृतिक संसाधनों का बिना किसी बर्बादी के उपयोग।

सिंचाई (Irrigation) — फसलों की वृद्धि के लिए, कृत्रिम साधनों द्वारा जल का कृष्य भूमि पर वितरण।

सर्वदेशीय नगर (Cosmopolitan City) — वह नगर जहां विभिन्न राष्ट्रों के लोग साथ-साथ रहते हैं।

हरित क्रांति (Green Revolution) — भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास। इसमें मुख्यत: नए बीज, खादों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलपूर्ति की व्यवस्था और नवीन उपकरणों के परिणामस्वरूप कुछ अनाजों विशेषतया गेहूं की पैदावार में बहुत वृद्धि हुई है। यह शब्द 1960 के अंतिम दशक में प्रचलन में आया।

हेक्टेयर मीटर (Hectare metre) — एक हेक्टेयर समतल भूमि पर एक मीटर गहरे जल का आयतन।